

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. मिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 385]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 3 अक्टूबर 2018 — आश्विन 11, शक 1940

उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर, दिनांक 29 सितम्बर 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-8/2018/38-2. — छ.ग. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पत्र क्र. 966/प्र.परि./प्र.अ./रा.स.यू./2018/8937, दिनांक 26-09-2018 द्वारा श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय, शदानी दरबार के पास, ग्राम-धनेली, पोस्ट ऑफिस-माना, धमतरी रोड, तहसील एवं जिला-रायपुर (छत्तीसगढ़) के प्रथम परिनियम क्रमांक 01 से 26 एवं प्रथम अध्यादेश क्रमांक 01 से 54 का अनुमोदन छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 26 एवं धारा 28 के तहत किया गया है।

राज्य शासन, एतद्वारा, उपरोक्त परिनियमों एवं अध्यादेशों को राजपत्र में अधिसूचित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उपरोक्त परिनियम एवं अध्यादेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुरेन्द्र कुमार जायसवाल, सचिव।

प्रथम परिनियम 2018

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 26 के उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शासी निकाय निम्नलिखित प्रथम परिनियम का निर्माण करती है :-

(1) लघुशीर्षक व प्रारंभ :

- (एक) यह परिनियम श्री रावतपुरा सरकार युनिवर्सिटी का प्रथम परिनियम कहलायेगा ।
 (दो) यह परिनियम छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन तिथि से लागू होगा ।

(2) परिभाषा :

इन परिनियमों में संदर्भ के बिना अथवा आवश्यक न हो -

- (एक) "अधिनियम" से अभिप्रेत छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय स्थापना एवं संचालन अधिनियम 2005 ।
 (दो) "शैक्षणिक वर्ष" से अभिप्रेत लगभग 12 माह की अवधि से संबंधित पाठ्यक्रमों की योजना से है ।
 (तीन) "अध्ययन मण्डल" से अभिप्रेत विश्वविद्यालय के विभिन्न विषयों के अध्ययन मण्डल ।
 (चार) (सी.जी.पी.यू.आर.सी.) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग ।
 (पाच) "दीक्षांत" से अभिप्रेत विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह है ।
 (छः) "पाठ्यक्रम" (ओ) से अभिप्रेत अध्ययन या कार्यक्रम के निर्धारित क्षेत्र (ओ) या पाठ्यक्रम (ओ) और या किसी अन्य घटक (ओ) डिग्री या डिप्लोमा, डिप्लोमा प्रमाण पत्र या किसी भी विश्वविद्यालय के अन्य अकादमिक या शीर्षक ।
 (सात) "कर्मचारी" से अभिप्रेत, अधिनियम के प्रावधानों के तहत विश्वविद्यालय के पैसेल पर काम करने वाले व्यक्तियों से है ।
 (आठ) "संकाय" से अभिप्रेत विश्वविद्यालय के संकाय ।
 (नौ) "नियमित शिक्षा" से अभिप्रेत एक व्यवस्था है जिसमें शिक्षा, शिक्षण, शिक्षा और संबंधित गतिविधियों को निर्धारित किया जाता है । शिक्षक द्वारा विश्वविद्यालय के परिसर में छात्रों को शिक्षा प्रदान करना है । जिसमें कम से कम 75 प्रतिशत अध्ययन और प्रायोगिक कार्यों में उपस्थिति से है ।
 (दस) "नियमन" से अभिप्रेत "विश्वविद्यालय के नियम" ।
 (ग्यारह) नियम का अभिप्रेत "छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005" ।
 (बारह) "योजना और पाठ्यक्रम" से अभिप्रेत विश्वविद्यालय से संबंधित पाठ्यक्रमों के प्रकृति, अवधि, अध्ययन पाठ्यक्रम पात्रता और ऐसे अन्य संबंधित विवरण (जो भी नाम से हो सकता है) शामिल है ।
 (तेरह) "सील" का अभिप्रेत विश्वविद्यालय की आम मोहर ।
 (चौदह) "विषय" का अभिप्रेत है शिक्षा, शिक्षण प्रशिक्षण, अनुसंधान आदि की प्राथमिक ईकाई जिसका मतलब है कि इसे नाम और योजना के अन्तर्गत निर्धारित किया जा सकता है ।
 (पन्द्रह) "विश्वविद्यालय" का अभिप्रेत श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय है ।

(सोलह) अधिनियम और नियमों में यहाँ प्रयोग किये गये परिभाषित सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों को क्रमशः अधिनियम और नियमों में प्रयोग किया/सौपा गया है।

परिनियम	शीर्षक
परिनियम - 1	विश्वविद्यालय के उद्देश्य
परिनियम - 2	विश्वविद्यालय की मुद्रा एवं प्रतीक (सील)
परिनियम - 3	कुलाधिपति की नियुक्ति, पदावधि एवं शर्तें तथा शक्तियाँ
परिनियम - 4	कुलपति की नियुक्ति पदावधि एवं शर्तें तथा शक्तियाँ
परिनियम - 5	कुलसचिव की नियुक्ति, पदावधि एवं शर्तें तथा शक्तियाँ
परिनियम - 6	मुख्य वित्त और लेखाधिकारी की नियुक्ति पदावधि एवं शर्तें तथा शक्तियाँ
परिनियम - 7	शासी निकाय की शक्तियाँ एवं कृत्य
परिनियम - 8	प्रबंध मण्डल की शक्तियाँ एवं कृत्य
परिनियम - 9	विद्या परिषद की स्थापना शक्तियाँ एवं कृत्य
परिनियम - 10	वित्त समिति की शक्तियाँ एवं कृत्य
परिनियम - 11	विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारीगण
परिनियम - 12	अध्ययन पाठ्यक्रमों का विवरण
परिनियम - 13	संकायो का गठन, शक्ति एवं कार्य
परिनियम - 14	संकायो के अधिष्ठाता के शक्तियाँ एवं कार्य
परिनियम - 15	विश्वविद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति
परिनियम - 16	विश्वविद्यालय में गैर-शिक्षण कर्मचारीयों की नियुक्ति
परिनियम - 17	शासी निकाय/प्रबंध मण्डल/विद्या परिषद की स्थायी समिति
परिनियम - 18	मण्डल एवं समिति
परिनियम - 19	परीक्षा समिति
परिनियम - 20	अध्ययन मण्डल
परिनियम - 21	विद्यार्थियों से प्रभारित की जाने वाली फीस के संबंध में प्रावधान
परिनियम - 22	मानद डिग्रीयों तथा शैक्षणिक विशेष योग्यता प्रदान करना
परिनियम - 23	विश्वविद्यालय में फेलोशिप, स्कॉलरशिप मेडल तथा पुरस्कार अवार्ड हेतु

	धर्मदाय प्रशासन
परिनियम - 24	विद्यार्थियों का प्रवेश
परिनियम - 25	विभिन्न पाठ्यक्रम/विषयों में सीटों की संख्या
परिनियम - 26	वार्षिक प्रतिवेदन

परिनियम क्रमांक 01

विश्वविद्यालय के उद्देश्य :

अधिनियम की धारा 3 में वर्णित विश्वविद्यालय के उद्देश्य के अतिरिक्त, विश्वविद्यालय का निम्नलिखित उद्देश्य भी होगा :

- (1) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अन्य विश्वविद्यालय, शोध संस्थान, उद्योग, शासकीय एवं अशासकीय संगठनों के साथ सहयोग करना ।
- (2) किसी अन्य उद्देश्यों का अनुपालन करना जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनियामक आयोग की अनुशंसा के आधार पर अनुमोदन किया जाये ।

परिनियम क्रमांक 02

विश्वविद्यालय की मुद्रा (सील) एवं प्रतीक

- (1) विश्वविद्यालय की भी एक समान्य मुद्रा (सील) होगा जो विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त की जायेगी तथा मुद्रा (सील) की रूपरेखा, ऐसे अग्रतर परिवर्तन या संशोधन जैसा कि समय-समय पर आवश्यक हो, के अध्यक्षीन विश्वविद्यालय द्वारा यथाविनिश्चित की जाएगी ।
- (2) विश्वविद्यालय ऐसे प्रयोजनों के लिये, जो समय-समय पर आवश्यक समझे जाए, ऐसे ध्वज, समुह गान, अधिचिन्ह, वाहन ध्वज, तथा अन्य प्रतीक चिन्ह या आलेखी अभिव्यक्तियां संक्षेपासार या इस तरह के अन्य बनाने एवं उपयोग करने का भी विनिश्चय कर सकेगा तथा ऐसे स्वरूप का नहीं होगा जो कि राज्य या केन्द्र शासन द्वारा अनुमति प्राप्त न हो ।

परिनियम क्रमांक 03

कुलाधिपति की नियुक्ति, पदावधि एवं शर्तें तथा शक्तियां

[छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 16 का संदर्भ]

- (1) विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, कि नियुक्ति 3 वर्षों के लिए अधिनियम की धारा 16 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार नियुक्त किया जायेगा ।
- (2) कुलाधिपति, अधिनियम की धारा 16 में यथा विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करेंगे ।
- (3) आपातकालिन परिस्थितियों में जैसे कि कुलाधिपति की बीमारी, अनुपस्थिति या मृत्यु जैसी अप्रत्याशित आवश्यकता के मामले में, कुलपति, कुलाधिपति के कर्तव्यों का पालन करेंगे, जब तक कुलाधिपति अपने कार्यालय के कार्य को पुनः ग्रहण न कर ले या नये कुलाधिपति की नियुक्ति न कि गई हो, हालांकि कुलपति, कुलाधिपति का यह कार्य छः माह से अधिक अवधि का न हो ।
- (4) कुलाधिपति का यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य होगा कि अधिनियम, नियम, परिनियम, अध्यादेश एवं विनियम का सद्भावपूर्वक पालन किया जा रहा है ।
- (5) कुलाधिपति विश्वविद्यालय के कार्यों पर सामान्य नियंत्रण रखेंगे ।

- (6) कुलाधिपति को ऐसे पारिश्रमिक/वेतन व्यय एवं भत्ते प्राप्त करने की पात्रता होगी जैसा कि प्रायोजित निकाय द्वारा विनिश्चित किया जाए।
- (7) इस प्रयोजन के लिए आहूत की गई विशेष बैठक में प्रायोजित निकाय, कुलाधिपति के विरुद्ध "अविश्वास प्रस्ताव" पर विचार कर सकेगा तथा यदि वह दो तिहाई बहुमत से पारित किया जाता है तो कुलाधिपति को हटाये जाने के लिए कुलाध्यक्ष को अनुशंसा कर सकेगा।
- (8) कुलाधिपति, कुलाध्यक्ष को संबोधित हस्तलिखित पत्र द्वारा अपने पद से त्याग पत्र दे सकेगा। उसकी एक प्रति प्रायोजित निकाय के अध्यक्ष को भेजी जायेगी।
- (9) कुलाधिपति विश्वविद्यालय की शासी निकाय की बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा कुलाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाधि तथा पत्रोपाधि प्रदान करने हेतु आयोजित दीक्षांत समारोह व अन्य अकादमिक निर्णयों संबंधी बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

परिनियम क्रमांक 04

कुलपति की नियुक्ति, पदावधि एवं शर्तें तथा शक्तियां

[छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 17 का संदर्भ]

- (1) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यकारी एवं अकादमिक कार्यकारी होगा जो कि पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होगा।
- (2) कुलपति की योग्यता मौजूदा यूजीसी के मापदण्डों के अनुसार होगी।
- (3) कुलपति का कार्यालय, उपधारा (10) में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप चार वर्षों के लिए होगा अवधि के अवसान होने पर, कुलपति, दूसरी अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र होंगे।
- (4) कुलपति की बीमारी, लम्बी अनुपस्थिति, निलम्बन, बर्खास्तगी, पदत्याग या मृत्यु जैसी अप्रत्याशित अनिवार्यता के मामले में, कुलाधिपति, विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति को, वरिष्ठतम अध्यापक को या विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को कुलपति के दायित्व एवं कर्तव्य सौंप सकेगा। तथापि सामान्यतः अंतरिम व्यवस्था की यह अवधि छः माह से अधिक की नहीं होगी।
- (5) अधिनियम की धारा 17 में यथा वर्णित समस्त शक्तियों के अतिरिक्त, कुलपति, विश्वविद्यालय के विभिन्न परिनियमों में विहित शक्तियों का भी प्रयोग करेगा।
- (6) कुलपति, यूजीसी के मापदण्डों के अनुसार एवं राज्य शासन द्वारा अनुमोदित वेतन तथा प्रायोजित निकाय द्वारा समय-समय पर यथाविनिश्चित अन्य भत्ते प्राप्त करेगा।
- (7) कुलपति, पदेन सदस्य तथा प्रबंध मण्डल का अध्यक्ष होगा।
- (8) कुलपति अवलोकन करेगा कि विश्वविद्यालय के परिनियम या अध्यादेश एवं विनियम का राज्य शासन और यूजीसी के अनुसार कठोरता से पालन हो रहा है।
- (9) कुलपति, अधिनियम में यथा विहित सभी प्राधिकरण और निकायों की बैठकें आहूत करेंगे।
 - (एक) कुलपति, आपात कालीन स्थिति में निर्णय, जो वह ठीक समझे, लेने हेतु सशक्त होगा ऐसे निर्णय की रिपोर्ट अनुमोदन हेतु संबंधित प्राधिकरण या समिति को प्रस्तुत करेगा तथा उसकी राय में भिन्नता की स्थिति में, इसे कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसका निर्णय अंतिम होगा।
 - (दो) कुलपति को अधिनियम, नियम, संविधान, परिनियम, अध्यादेश, धारा द्वारा उसको सम्यक रूप से सौंपे गये कर्तव्यों के निर्वहन करने हेतु समिति, जो वह ठीक समझे, गठन करने की शक्ति होगी।
 - (तीन) कुलपति, कुलाध्यक्ष को संबोधित हस्तलिखित पत्र द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा तथा इसकी एक प्रति, कुलाधिपति को भेजेगा।
- (10) कुलपति की सेवानिवृत्त की आयु समय-समय पर उल्लेखित मानदण्डों के अनुसार होगी

परिनियम क्रमांक 05

कुलसचिव की नियुक्ति, पदावधि एवं शर्तें तथा शक्तियां

[छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 18 का संदर्भ]

- (1) कुलसचिव विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होगा और वह इस अधिनियम के तहत कुलपति के सामान्य समान अधीक्षण के अधीन अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। सभी संविदाओं (अनुबंधों) में हस्ताक्षर करेगा तथा सभी दस्तावेज एवं अभिलेखों का प्रमाणन विश्वविद्यालय की ओर से कुलसचिव द्वारा किया जायेगा।
- (2) कुलसचिव की अर्हता यूजीसी के मापदण्ड अनुसार होगा।
- (3) रजिस्ट्रार को कुलाध्यक्ष द्वारा तय किए गए राज्य सरकार के मानदंडों के अनुसार वेतन तथा कुलाधिपति द्वारा समय समय पर निर्धारित अन्य भत्ते प्राप्त होंगे।
- (4) रजिस्ट्रार के चयन के लिए विशेषज्ञ समिति में निम्न शामिल होंगे :-
 - (क) कुलपति— (अध्यक्ष)
 - (ख) कुलाध्यक्ष का नामिति— सदस्य
 - (ग) प्रायोजित निकाय द्वारा नामांकित एक विशेषज्ञ - सदस्य
 - (घ) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनिर्मायक आयोग द्वारा नामांकित एक विशेषज्ञ जो प्रोफेसर की श्रेणी से निम्न का न हो - सदस्य
- (5) कुलसचिव का चयन विश्वविद्यालय, कुलसचिव के चयन हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायेगी:-
 - (क) विश्वविद्यालय बहुप्रसारित समाचार पत्र में विज्ञापन तथा/या अन्य माध्यम से विज्ञापन प्रक्रिया द्वारा कुलसचिव के पद हेतु आवेदन आमंत्रित करेगा।
 - (ख) विशेषज्ञ समिति, अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लेगी एवं मेरिट का अधिनिर्णय करेगी तथा तदनुसार शासी निकाय को अंतिम अनुशंसा भेजेगी।
 - (ग) यदि उपयुक्त अभ्यर्थी, प्रथम विज्ञापन में न पाये गये हो तो बाद में पुनः विज्ञापन जारी किया जायेगा।
 - (घ) विशेषज्ञ समिति, अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लेगी तथा प्रत्येक अभ्यर्थी के मेरिट का विनिश्चय करेगी तथा मेरिट क्रम के प्रथम तीन अभ्यर्थियों का पैनल तैयार कर सीलबंद लिफाफे में कुलसचिव की नियुक्ति हेतु अंतिम विनिश्चय के लिये शासी निकाय को भेज देगा।
 - (ङ) अनुमोदित पैनल विशेषज्ञ समिति द्वारा सिफारिश की तारीख से एक वर्ष के लिये विधिमाम्य रहेगी।
 - (च) यदि उपयुक्त अभ्यर्थी न हो तो सी.जी.पी.यू.आर.सी से सहमति प्राप्त करने के बाद प्रतिनियुक्ति या संविदा नियुक्ति के माध्यम से कुलाधिपति द्वारा अंतरित व्यवस्था की जा सकेगी।
 - (छ) कुलसचिव का वेतन राज्य विश्वविद्यालय के कुलसचिव के समान होगी।
 - (ज) जब कुलसचिव का पद रिक्त हो या जब कुलसचिव, बीमारी या किसी अन्य कारण से लम्बी अनुपस्थिति के कारण अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में असमर्थ रहे, तो उसके पदीय कर्तव्य का निर्वहन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जायेगा जिसे कुलाधिपति इस प्रयोजन हेतु नियुक्ति करेंगे।
- (6) कुलसचिव के कर्तव्य एवं शक्तियां:-
 - (क) अभिलेखों, सामान्य सम्पत्ति तथा विश्वविद्यालय की ऐसी अन्य सम्पत्ति, जैसा कि शासी निकाय विनिश्चित करे, का रख-रखाव करना।
 - (ख) सभी अनुबंध कुलसचिव द्वारा हस्ताक्षरित होंगे एवं सभी दस्तावेज एवं अभिलेख कुलसचिव द्वारा विश्वविद्यालय की ओर से प्रमाणित किये जाएंगे।

- (ख) सभी अनुबंध कुलसचिव द्वारा हस्ताक्षरित होंगे एवं सभी दस्तावेज एवं अभिलेख कुलसचिव द्वारा विश्वविद्यालय की ओर से प्रमाणित किये जाएंगे ।
- (ग) शासी निकाय, प्रबंध मण्डल, विद्या परिषद् एवं कोई अन्य निकाय या समिति जिसमें वह सदस्य सचिव हो, का कार्यालयीन पत्राचार करना ।
- (घ) शासी निकाय विद्या परिषद् प्रबंध मण्डल तथा ऐसे अन्य निकाय जो कुलाधिपति/कुलपति के निर्देश के अधीन बनाये गये हो, के बैठको की कार्यसूची की प्रतियां उपलब्ध कराना, तथा कार्यवाही विवरण का रिकार्ड रखना तथा कुलपति एवं कुलाधिपति को उसे भेजना । वह पेपर, दस्तावेज एवं अन्य जानकारी (सूचना) भी उपलब्ध करायेगा, जैसे कि कुलाध्यक्ष/कुलाधिपति/कुलपति इच्छा करें ।
- (ङ) 3 सदस्यों को विश्वविद्यालय प्राधिकरणों की बैठक की तिथि की सूचना जारी करना तथा बैठकों के आयोजन के लिए आवश्यक व्यवस्था करना और प्रबंध मण्डल द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कर्तव्यों के लिए वह आवश्यक सहायता करेगा ।
- (ड) ऐसे सभी कृत्यों का निष्पादन करना जो विश्वविद्यालय के कुलाधिपति/कुलपति/निदेशक द्वारा सौंपे जाये तथा जो परिनियम, अध्यादेश एवं विनियम के अनुसार सौंपे गये हों ।
- (च) विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यालयों/इकाईयों में कार्यरत स्टॉफ के कार्यों का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण करना तथा उनका गोपनीय प्रतिवेदन लिखना ।
- (छ) कुलसचिव अपनी मुद्रा एवं हस्ताक्षर से मार्कशीट, माईग्रेशन, प्रमाण-पत्र तथा अन्य संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी करेगा । वह डिग्री प्रमाण पत्र जारी करने के पूर्व उनके पीछे अपने हस्ताक्षर के साथ अपने कार्यालय की मुहर भल लगायेगा ।
- (ज) कुलसचिव, अध्यक्ष की अनुज्ञा से शासी निकाय/प्रबंध मण्डल/विद्या परिषद् की बैठक में बोल सकेगा, जिसका वह बिना मताधिकार के सदस्य सचिव है ।
- (झ) कुलसचिव का दायित्व होगा वह कि शासी निकाय/प्रबंध मण्डल/विद्या परिषद् तथा अन्य समिति/निकाय जिसका वह सदस्य सचिव है कि बैठकों में लिये गये निर्णय का क्रियान्वयन करे ।
- (ञ) विश्वविद्यालय के प्रबंधन बोर्ड द्वारा अधिकृत होने पर, विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करना जिसमें विश्वविद्यालय द्वारा या विश्वविद्यालय के विरुद्ध कोई भी कानूनी कार्यवाही से संबंधित एवं पावर ऑफ अटॉर्नी कागजात पर हस्ताक्षर करना या अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी को इन कार्यवाहियों के लिए नियुक्त करना ।
- (ट) कुलसचिव, कुलाध्यक्ष एवं कुलपति द्वारा निर्देशित किए गए सभी अधिकारिक कर्तव्यों का पालन करेंगे ।
- (ठ) कुलसचिव को शिक्षण एवं अन्य शैक्षिक स्टॉफ को छोड़कर ऐसे कर्मचारियों जैसा कि प्रबंध बोर्ड के आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाये के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने तथा लंबित जांच में उनको निलंबित करने उनको प्रशासकीय चेतावनी देने या आक्षेप की शास्ति उन पर अधिरोपित करने या वेतन वृद्धि रोकने की शक्ति होगी ।

परंतु यह कि ऐसी कोई भी शास्ति तब तक अधिरोपित नहीं की जायेगी, जब तक कि व्यक्ति को इस संबंध में की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो । जहाँ जांच स्पष्ट है कि अधिरोपित शास्ति/दण्ड कुलसचिव की शक्ति से परे है वहा कुलसचिव जांच के निष्कर्ष के पश्चात कुलपति को अनुशंसा के साथ रिपोर्ट करेगा ।

परंतु यह कि किसी शास्ति को अधिरोपित करने वाले कुलपति के आदेश के विरुद्ध अपील शासी निकाय को, की जायेगी ।

- (ड) विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाएँ कुलसचिव की निगरानी एवं पर्यवेक्षण के अधीन परीक्षा नियंत्रक द्वारा आयोजित की जायेगी, जो परीक्षा के प्रक्रिया के संबंध में परीक्षा एवं परीक्षा समिति को सुझाव सलाह एवं आवश्यक आदेश दे सकेगा, जो उन पर बाध्यकारी होगा।
- (ढ) कुलसचिव शासी निकाय, प्रबंध मण्डल एवं विद्या परिषद् का पदेन सचिव होगा।
- (7) कुलसचिव, कुलपति के माध्यम से कुलाधिपति को संबोधित हस्तलिखित पत्र द्वारा, एक माह की अवधि का नोटिस देकर एवं अपना प्रभार सौंपते हुए, अपने पद से त्याग पत्र दे सकेगा।

परिनियम क्रमांक 06

मुख्य वित्त और लेखाधिकारी की नियुक्ति, पदावधि एवं शर्तें तथा शक्तियाँ

[छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 19 का संदर्भ]

- (1) मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी (सीएफएओ) विश्वविद्यालय के लेखा एवं वित्त का कार्य हेतु उत्तरदायी एक अधिकारी होगा।
- (2) सीएफएओ की अर्हता, अधिमानतः, वाणिज्य/अर्थशास्त्र/वित्त प्रबंध में स्नातकोत्तर होगी साथ ही लेखा एवं वित्त के प्रबंध हेतु किसी विश्वविद्यालय/संस्था/लेखा प्रबंधन/संगठन में 5 वर्ष का कार्यानुभव भी होना चाहिए।
- (3) सीएफएओ विश्वविद्यालय का वैतनिक अधिकारी होगा तथा कुलपति के सामान्य पर्यवेक्षण, रिपोर्टिंग एवं नियंत्रण के अधीन अपने कर्तव्य का निर्वहन करेगा, उसका वेतन एवं अनुलाभ विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित होगा।
- (4) सीएफएओ की नियुक्ति इस प्रयोजन हेतु गठित चयन समिति की अनुशंसा पर कुलाधिपति द्वारा किया जायेगा। तथापि प्रथम सीएफएओ तीन वर्ष की अवधि के लिए कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। प्रथम को छोड़कर, पश्चातवर्ती सी.एफ.ए.ओ. इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की अनुशंसा पर कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा, चयन समिति में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे—

- (क) कुलपति— (अध्यक्ष)
- (ख) कुलाधिपति का नामिति — सदस्य
- (ग) प्रबंध मण्डल द्वारा अनुमोदित एक विशेषज्ञ —सदस्य
- (घ) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का एक प्रतिनिधी — सदस्य
- (ड.) कुलसचिव — सदस्य सचिव

- (5) सीएफएओ का चयन:

विश्वविद्यालय, सीएफएओ के चयन के लिये निम्नलिखित प्रक्रिया अंगीकृत करेगा:

- (क) विश्वविद्यालय, व्यापक प्रसारित समाचार पत्र में या अन्य माध्यम से विज्ञापन की प्रक्रिया द्वारा पद के लिये आवेदन आमंत्रित करेगी।
- (ख) पद के लिये आवेदित सभी अभ्यर्थियों का संक्षिप्त विवरण, चयन समिति द्वारा तैयार किया जायेगा।
- (ग) चयन समिति साक्षात्कार लेगी तथा प्रत्येक अभ्यर्थी के मेरिट का अधिनिर्णय करेगी तथा उसे कुलाधिपति की अंतिम अनुशंसा हेतु भेजेगी।
- (घ) अनुमोदित पैनल सिफरिश की तारीख से एक वर्ष के लिये वैध होगी। किसी चयनित अभ्यर्थी के द्वारा पद पर पदभार ग्रहण न करने या पद छोड़ने/पद से त्याग पत्र देने की दशा में, सीएफएओ की नियुक्ति के लिये उक्त पैनल पुनः बुलाई जा सकेगी।
- (ड.) चयन समिति साक्षात्कार लेगी तथा प्रत्येक अभ्यर्थी के मेरिट का अधिनिर्णय करेगी एवं तीन अभ्यर्थी का पैनल तैयार कर सिलबंद लिफाफे में रखेगा जो सीएफएओ नियुक्ति हेतु अंतिम निर्णय के लिये कुलाधिपति को भेजा जायेगा।

- (च) यदि उपयुक्त अभ्यर्थी न हो तो कुलाधिपति, इस पद पर एक वर्ष के लिये प्रतिनियुक्ति/तदर्थ/अस्थायी नियुक्ति द्वारा अंतरिम व्यवस्था कर सकेगा। तथापि यह व्यवस्था एक अतिरिक्त वर्ष के लिये बढ़ाई जा सकती है।
- (छ) यदि प्रथम विज्ञापन में उपयुक्त अभ्यर्थी न पाये जाये तो बाद में पुनः विज्ञापन जारी किया जायेगा।
- (ज) जब सीएफएओ का पद रिक्त हो या सीएफएओ, बीमारी या किसी अन्य कारण से लम्बी अनुपस्थिति पर रहने के कारण अपने पदीय कर्तव्य का निर्वहन करने में असमर्थ रहे तो उसके पदीय कर्तव्य का निर्वहन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जायेगा जैसा कि महानिदेशक इस प्रयोजन के लिये नियुक्त करे।
- (झ) किसी भी समय किये गये अभ्यावेदन पर या अन्यथा, तथा ऐसी जांच, जैसा कि आवश्यक समझे जाए, के पश्चात् स्थिति दर्शित हो कि सीएफएओ का बना रहना विश्वविद्यालय के हित में नहीं है तो महानिदेशक, लिखित में कारणों को लेखबद्ध करते हुए, सीएफएओ को हटाये जाने के लिये कुलाधिपति से अनुरोध कर सकेगा।
- (ञ) परंतु हटाये जाने संबंधी ऐसी कार्यवाही के पूर्व, सीएफएओ को सुनवाई का अवसर दिया जायेगा।
- (6) सीएफएओ को समय समय पर कुलाध्यक्ष द्वारा तय किये गये वेतन और अन्य भत्ते प्राप्त होंगे।
- (7) सीएफएओ की सेवानिवृत्ति आयु बैसठ वर्ष होगी।
- (8) सीएफएओ का कर्तव्य निम्नानुसार होगा—
- (क) अभिलेखों का उपयुक्त संधारण एवं उनकी नियमित संपरीक्षा सुनिश्चित करने हेतु विश्वविद्यालय का लेखो अभिलेखो व कोषो का प्रबंधन करना।
- (ख) विश्वविद्यालय के लेखा एवं वित्त के कार्यों का पर्यवेक्षण, नियंत्रण एवं विनियमन करना।
- (ग) विश्वविद्यालय के वित्तीय अभिलेख तथा ऐसे अन्य वित्त संबंधी अभिलेख संधारित करना, जैसा कि शासी निकाय विनिश्चित करें।
- (9) ऐसे अन्य सभी कृत्यों का निर्वहन करना, जैसा कि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति/कुलपति द्वारा समनुदेशित किया जाये।
- (10) सीएफओ, अपने इस्तिफे की तारीख से सूचना देकर तथा अपना प्रभार सौंप कर कुलाधिपति को संबोधित हस्तलिखित पत्र द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा। किन्तु जब तक स्वीकृति न हो इस्तीफा मान्य नहीं होगा। इसकी एक प्रति कुलपति को भेजी जायेगी।

परिनियम क्र. 07

शासी निकाय की शक्तियां एवं कृत्य

[छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 21(1)(क), 22 एवं 26(1)(क) का संदर्भ]

- (1) अधिनियम की धारा 22 उपधारा (3) के तहत शासी निकाय में निहित शक्तियों के अलावा विश्वविद्यालय के शासी निकाय में निम्नलिखित शक्ति एवं कार्य भी होंगे :—
- (क) कुलाधिपति,
- (ख) कुलपति,
- (ग) प्रायोजक निकाय द्वारा नामांकित 03 ख्यातिप्राप्त व्यक्ति, जिनमें कम से कम 01 व्यक्ति शिक्षाविद् होगा।

- (घ) राज्य शासन द्वारा ख्यातिप्राप्त छः नामों की सूची में से कुलाध्यक्ष द्वारा तीन व्यक्तियों को नामांकित किया जावेगा ।
- (ङ) राज्य शासन का एक प्रतिनिधि, जो उप-सचिव के स्तर से नीचे का न हो ।
- (2) कुलाधिपति शासी निकाय का पदेन अध्यक्ष होगा ।

परिनियम क्र. 08

प्रबंध मण्डल की शक्तियां एवं कृत्य

[छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 21(1)(ख), 23 एवं 26(1)(क) का संदर्भ]

- (1) प्रबंध मण्डल के नामांकित सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी। कोई भी सदस्य, दो निरंतर अवधि हेतु नामांकित नहीं होगा।
- (2) प्रबंध बोर्ड की शक्तियां और कार्य इस प्रकार होंगे:—
- (क) विश्वविद्यालय के शिक्षकों, अन्य अधिकारियों एवं स्टाफ के पदों की स्वीकृति पर विचार करना तथा उसे शासी निकाय को अनुमोदन हेतु अनुशंसा करना।
- (ख) प्रबंध मण्डल के विश्वविद्यालय के वित्तीय भार को प्रस्तावित करने वाले निर्णयों के क्रियान्वयन के पूर्व शासी निकाय का अनुमोदन प्राप्त करना।
- (ग) शिक्षकों, स्टाफ के लिये चयन समिति के कार्यवाही विवरण पर विचार करना तथा अनुमोदन करना एवं शासी निकाय को सूचनार्थ अग्रेषित करना।
- (घ) विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिये सक्षम प्राधिकारी को फीस संरचना प्रस्तावित करना।
- (ङ) ऐसे अन्य कृत्यों का निष्पादन करना, जो कि शासी निकाय/कुलाधिपति द्वारा सौंपा जाए।

परिनियम क्र. 09

विद्या परिषद् की स्थापना, शक्तियां एवं कृत्य

[छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 21(1)(ग), 24 एवं 26(1)(क) का संदर्भ]

विद्या परिषद् विश्वविद्यालय का प्रमुख शैक्षिक निकाय होगा तथा विश्वविद्यालय के शैक्षिक नीतियों एवं कार्यक्रमों का समन्वयन एवं उस पर सामान्य पर्यवेक्षण का प्रयोग करेगा।

(1) विद्या परिषद् में निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित होंगे:—

- (क) कुलपति (अध्यक्ष)
- (ख) प्रति कुलपति
- (ग) सभी अधिष्ठाता एवं विभाग प्रमुख
- (घ) विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के सभी प्राध्यापक
- (ङ) 3 प्रोफेसर कुलाधिपति द्वारा मानोनित किये जायेंगे जो कि संसद/राज्य प्रतिनिधी के अधिनियम द्वारा स्थापित राज्य/केन्द्रीय विश्वविद्यालय/ केन्द्रीय संस्थान में कार्यरत हो ।

- (च) कुलाधिपति द्वारा नामांकित वैज्ञानिक/शिक्षाविद/तकनीशियन/उद्योग विशेषज्ञों में से तीन प्रतिनिधि
- (2) विद्या परिषद् के नामांकित सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी। कोई भी सदस्य दो निरंतर अवधि से अधिक के लिए नामांकित नहीं होगा।
- (3) कुलपति, विद्या परिषद् की बैठकों पर अध्यक्ष के रूप में अध्यक्षता करेगा तथा उसकी अनुपस्थिति में कुलाधिपति द्वारा नामांकित वरिष्ठतम अधिष्ठाता बैठक की अध्यक्षता करेगा।
- (4) कुलसचिव विद्या परिषद् का सदस्य सचिव होगा तथा कुलसचिव की अनुपस्थिति में कुलपति द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेगा।
- (5) अध्यक्ष सहित विद्या परिषद् के एक तिहायी सदस्यों से बैठक का कोरम होगा। परंतु स्थगित की गई बैठक के लिए कोरम आवश्यक नहीं होगी। सामान्यतः विद्या परिषद् के सभी बैठकों के लिए स्पष्टतः पन्द्रह दिनों की नोटिस दी जायेगी तथा कार्यसूची पत्र, बैठक की तिथि के कम से कम सात दिनों के पूर्व जारी किया जायेगा तत्काल स्वरूप की बैठक के लिए सूचना, सामान्यतः तीन दिन होगी।
- (6) अधिनियम के प्रावधानों के अधधीन रहते हुए, विद्या परिषद् के पास निम्नलिखित शक्तियां होंगी तथा निम्नलिखित कृत्यों का निष्पादन करेगी, अर्थात्:-
- (क) किसी विशिष्ट कारोबार जो परिषद् के समक्ष विचारण हेतु आ सकता हो, संबंधी विषयों में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले सदस्यों, व्यक्तियों को सहयोजित करना। इस प्रकार सहयोजित सदस्यों के पास, कारोबार, जिसके संबंध में वे सहयोजित किये जा सकते हो, के संव्यहार के संबंध में परिषद् के सदस्यों के सभी अधिकार होंगे।
- (ख) विश्वविद्यालय में शिक्षण एवं शोध और संबंधित गतिविधियों को प्रोत्साहित करना।
- (ग) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक नीतियों एवं कार्यक्रमों का सामान्य अधीक्षण करना तथा शिक्षण, शिक्षा एवं शोध का मूल्यांकन या शैक्षिक मानक में सुधार की पद्धति के संबंध में निर्देश देना।
- (घ) संकाय या प्रबंध मण्डल या शासी निकाय द्वारा किये गये पहल या संदर्भ या स्वयं की पहल पर सामान्य शैक्षणिक हित के विषयों पर विचार करना एवं उस पर समुचित कार्यवाही करना।
- (ङ.) संकाय के विभागों को निधि आबंटित करने के लिये शासी निकाय को प्रस्ताव देना।
- (च) फेलोशिप, स्कॉलरशिप, स्टुडेंटशिप, एक्ज़िबिशन, मेडल एवं प्राइस के संस्थापन के लिये शासी निकाय को प्रस्ताव देना एवं उनको प्रदान करने के लिये नियम बनाना।
- (छ) विश्वविद्यालय के संकायों/स्कूलों/विभागों के अधधीन आयोजन एवं समनुदेशन के लिये योजना निर्मित करना, उपान्तरण करना या समीक्षा करना एवं संकायों/स्कूलों/विभागों के उन्मूलन, पुनर्गठन या विभाजन की आवश्यकता के संबंध में शासी निकाय को रिपोर्ट देना। विहित विषय या अंतर अनुशासनात्मक विषय में शोध गाईड/सह-गाईड के रूप में सहबद्ध किये जाने वाले उनके विषय में श्रेष्ठ व्यक्तियों को मान्यता देना।
- (ज) संकाय/स्कूल/विभाग को विषय को मान्यता प्रदान करने एवं अभिहस्तांकन के लिये योजना निर्मित करना, उपान्तरित करना एवं पुनरीक्षण करना तथा विश्वविद्यालय के संकाय/स्कूल/विभाग के किसी बाध्यता, पुनर्गठन या विभाजन की समाचीनता के संबंध में शासी निकाय को रिपोर्ट देना।
- (झ) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय प्रदान की गई डिग्री का नामंकन यू.जी.सी. निर्देशों के अनुसार हो।
- (ञ) अन्य विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं के प्रमाण-पत्र, डिप्लोमा एवं डिग्री को भारतीय विश्वविद्यालय संघ के मापदण्डानुसार मान्यता देना तथा उनकी समतुल्यता निर्धारित करना।
- (ट) महिला विद्यार्थियों के शिक्षण के लिये तथा उनके लिये विशेष अध्ययन पाठ्यक्रम विहित करने के लिये विशेष व्यवस्था, करना।

- (ठ) विश्वविद्यालय के संकायों/विभागों द्वारा प्रस्तुत शिक्षण संबंधी प्रस्तावों पर विचार करना।
- (ड) संकाय/विभाग द्वारा प्रस्तुत विभिन्न पाठ्यक्रमों/विषयों के सिलेबस का अनुमोदन करना तथा इस प्रयोजन के लिये बनाये गये अध्यादेश के अनुसार परीक्षा आयोजित करने की व्यवस्था करना।
- (ढ) स्टाफफण्ड, स्कॉलरशिप, मेडल एवं प्राइज़ प्रदान करना तथा अध्यादेश के अनुसार एवं ऐसी अन्य शर्तों, जैसा कि समय-समय पर अवार्ड के लिये संलग्न किया जाये, अवार्ड करना।
- (ण) विभिन्न अध्ययन पाठ्यक्रमों के सिलेबस तथा संबंधित विषय के लिये विहित या अनुशंसित पाठ्य-पुस्तकों की सूची का प्रकाशन करना।
- (त) परीक्षा कार्य के लिये पारिश्रमिक एवं भत्तों की दरें, शासी निकाय को अनुशंसित करना।
- (थ) कुलाधिपति या शासी निकाय या प्रबंध मण्डल, जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा उसको निर्दिष्ट विषयों पर अनुशंसा देना।
- (द) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग एवं ऐसी अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करना जैसा कि समय-समय पर विहित किया जाये।

परिनियम क्रमांक 10

वित्त समिति की शक्तियां एवं कृत्य

[छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 21(1)(घ), एवं 26(1)(क) का संदर्भ]

- (1) वित्त समिति में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थात्:-
- | | | | |
|------|---|---|------------|
| (क) | कुलाधिपति या उसका नामित | — | अध्यक्ष |
| (ख) | कुलपति | — | सदस्य |
| (ग) | कुलसचिव | — | सदस्य |
| (घ) | प्रायोजित निकाय द्वारा नामित एक व्यक्ति | — | सदस्य |
| (ड.) | मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी | — | सदस्य सचिव |
- (2) वित्त समिति के अधीन सदस्यों की पदावधि, पदेन सदस्य को छोड़कर तीन वर्ष होगी।
- (3) वित्त समिति प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करेगी। समिति के सदस्यों को बैठक में पहुँचने के संबंध में, वित्त समिति की बैठक की सूचना, बैठक के कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व दी जायेगी तथा बैठक की कार्यसूची कम से कम सात दिवस पूर्व सदस्यों को भेजी जायेगी।
- (4) वित्त समिति के अध्यक्ष सहित, तीन सदस्यों के बैठक का कोरम होगा।
- (5) वित्त समिति के कृत्य एवं शक्तियां निम्नानुसार होगी:-
- (क) विश्वविद्यालय के आय एवं व्यय के वार्षिक प्राक्कलन तैयार करना एवं उसके विचारण एवं अनुमोदन के लिए शासी निकाय के समक्ष रखना।
- (ख) कुलपति के निर्देशन के अधीन तैयार की गई विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे पर विचार करना तथा उसके विचारण एवं अनुमोदन के लिए शासी निकाय के समक्ष रखना।
- (ग) ऐसी शर्त जैसा कि वह उचित समझे पर विश्वविद्यालय की संपत्ति के संबंध में वसीयत एवं दान स्वीकार करने हेतु शासी निकाय को अपनी अनुशंसा देना।
- (घ) विश्वविद्यालय के लिए मैकेनिज्म एवं स्रोत तैयार करने हेतु अनुशंसा करना।

- (ड.) शासी निकाय द्वारा उसको निर्दिष्ट अन्य विषयों पर विचार करना तथा उस पर अपनी अनुशंसा करना।
- (च) वित्त प्रभावित विषय पर विश्वविद्यालय को सलाह देना।
- (छ) यह अवलोकन करना कि विश्वविद्यालय के आय व्यय के लेखों के संधारण के संबंध में विनियमों का अनुपालन करना।

परिनियम क्रमांक 11

विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारीगण

उक्त अधिनियम, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) की धारा 14(6) के उपबंधों के अनुसार विश्वविद्यालय में निम्नलिखित अन्य अधिकारीगण होंगे:-

(1) प्रति-कुलपति

- (एक) प्रति कुलपति की नियुक्ति, चयन समिति द्वारा चार वर्ष की अवधि हेतु की जायेगी। चयन समिति की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलाधिपति द्वारा किया जायेगा और इसमें कुलपति और अध्यक्ष, प्रायोजित निकाय के 2 नामित सम्मिलित होंगे प्रतिकुलपति की योग्यता एवं तदसंबंधी प्रक्रिया यू.जी.सी. दिशानिर्देशों के अनुसार होगी।
- (दो) प्रति-कुलपति की पुनः नियुक्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार होगी। उपरोक्त खण्ड (1) में बनाये गये प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए पश्चात्पूर्वी अवधि हेतु पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा।
- (तीन) कुलपति की अनुपस्थिति में, प्रति-कुलपति के कर्तव्यों का निर्वहन कर सकेगा।
- (चार) प्रति- कुलपति, प्रायोजित निकाय द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित वेतन और अन्य भत्ते प्राप्त करने का पात्र होगा।
- (पांच) प्रति- कुलपति, कुलाधिपति/कुलपति द्वारा समय-समय पर सौंपे गये उत्तरदायित्वों और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।
- (छः) प्रति-कुलपति, कुलाधिपति को संबोधित स्व-हस्तलिखित पत्र द्वारा अपने पद से त्याग पत्र दे सकेगा। प्रति-कुलपति, कुलाधिपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा।

(2) निदेशक

- (एक) विश्वविद्यालय के निदेशक की नियुक्ति, प्रायोजित निकाय की अनुशंसा पर कुलाधिपति द्वारा सामान्यतः दो वर्ष के लिए की जायेगी।
- (दो) निदेशक, उपरोक्त खण्ड (1) में बनाये गये प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए पश्चात्पूर्वी अवधि हेतु पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा।
- (तीन) निदेशक कुलाधिपति/प्रायोजित निकाय द्वारा समय-समय पर उसको यथा समनुद्दिष्ट कर्तव्यों एवं कृत्यों का निर्वहन कर सकेगा।
- (चार) निदेशक, कुलाधिपति/ प्रायोजित निकाय द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित वेतन/मानदेय और अन्य भत्ते प्राप्त करने का पात्र होगा।
- (पांच) निदेशक, कुलाधिपति को संबोधित स्व-हस्तलिखित पत्र द्वारा अपने पद से त्याग पत्र दे सकेगा।
- (छः) निदेशक, कुलाधिपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा।
- (सात) निदेशक निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा-
- (क) विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों, शोध एवं विकास की गतिविधियों के अनुमोदन के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/ एआईसीटीई/अन्य विनियामक

- निकायों एवं अन्य फंडिंग एजेंसियों को भेजे जाने वाले प्रस्तावों पर मार्गदर्शन एवं सलाह देना।
- (ख) सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, कार्यशाला आदि में उपस्थित होने के लिए विश्वविद्यालय से प्रतिनिधि भेजने, कुलपति को अनुशंसा करना।
- (ग) विश्वविद्यालय के योजना एवं विकास पर सलाह देना जो विशेषतः विश्वविद्यालय में शिक्षा, शिक्षण एवं शोध के मानदण्ड एवं गुणवत्ता के संबंध में होगा।
- (घ) अन्य संस्थानों जैसे भारतीय विश्वविद्यालय संघ कॉमनवेल्थ विश्वविद्यालय, अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों का संघ, इण्डिया इंटरनेशनल सेंटर आदि की सदस्यता हेतु अनुशंसा एवं आवेदन करना।
- (ङ) देश एवं विदेश के किसी विश्वविद्यालय/शोध संस्थान/केन्द्रों के साथ समय-समय पर गठबंधन हेतु संबंधित अधिष्ठाता/अध्यक्ष के साथ समन्वय करना।
- (च) विश्वविद्यालय शिक्षण विभागों/अध्ययन स्कूल/संधारित संस्थान में शिक्षण एवं शोध के कार्य के संबंध में संबंधित अधिष्ठाता के साथ समन्वय करना एवं नवीन पाठ्यक्रम की व्यवस्था करना।
- (छ) समय-समय पर विश्वविद्यालय के पाठ्यचर्या, विवरणिका एवं अन्य दस्तावेजों के मुद्रण की अनुमति देना।
- (ज) भारत के साथ-साथ विदेशों में किसी विश्वविद्यालय/शोध संस्थाओं के साथ गठबंधन के संबंध में संबंधित अधिष्ठाता के साथ समन्वय करना।
- (झ) शिक्षण, शोध एवं विकास के बजट से विभिन्न मदों के अधीन अनुदानों का, जिसमें सेमिनार/कांफ्रेंस/प्रकाशन/यात्रा अनुदान/अतिथि व्याख्यान/विजिटिंग प्रोफेसर आदि हेतु व्यवस्था कराने का अनुदान सम्मिलित है, का निपटारा करना।
- (ञ) विश्वविद्यालय/संधारित संस्थानों के शिक्षकों के संपूर्ण अनुमोदित प्रयोजनों हेतु कर्तव्य अवकाश एवं अर्जित अवकाश को स्वीकृत करना।
- (ट) विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के शिक्षकों के कर्तव्य अवकाश स्वीकृत करना, नवाचार/पुनश्चर्या में उपस्थिति के लिए 21 दिन तक पत्राचार पाठ्यक्रम के परिसर/संचालनालय पर (प्रोफेसर एवं अध्यक्ष से भिन्न) संस्थान संधारित करना।
- (ठ) समय-समय पर दिशा निर्देशन/पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में उपस्थित होने हेतु शिक्षकों के आवेदनों को अग्रेषित करना।
- (ड.) विश्वविद्यालयों के शिक्षण विभागों और विश्वविद्यालयों के संधारित संस्थानों के लिए स्टॉफ एवं पुस्तकों, उपकरणों, फर्नीचर हेतु निधि आदि के लिए पूर्ण प्रस्तावों या अतिरिक्त निवेदनों को छटनी करना।
- (ढ) यूजीसी की योजनाओं के अधीन समकक्ष समिति, पाठ्यक्रमों, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की मान्यता अनुदान से संबंधित कार्य को करना।
- (ण) विभिन्न शैक्षणिक एवं प्रशासकीय कार्यों के लिए वित्त समिति को बजट आबंटन हेतु अनुशंसा करना।
- (त) कुलाधिपति/कुलपति द्वारा समय-समय पर सौंपे गये विनिर्दिष्ट किसी अन्य शैक्षणिक/प्रशासकीय कर्तव्यों का निर्वहन करना।
- (थ) योग्यता, वेतन, सेवानिवृत्त की आयु एवं निदेशक के लिए चयन के तरीके चासलर की मंजूरी के साथ प्रबंध बोर्ड द्वारा तय किये जायेंगे।

- (3) परीक्षा नियंत्रक
- (एक) परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय का एक अधिकारी होगा और कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के शिक्षकों/अधिकारियों के बीच से नियुक्त किया जायेगा।
- (दो) जब परीक्षा नियंत्रक का पद किसी कारण से या तो बीमारी या कोई अन्य कारणों से अनुपस्थित के कारण पदीय कर्तव्यों के निर्वहन करने में असमर्थ रहता है, तो उसके पदीय कर्तव्य का निर्वहन ऐसे व्यक्ति द्वारा, जैसा कि कुलपति इस प्रयोजन हेतु शिक्षकों/अधिकारियों के बीच से नियुक्त किया जाए निर्वहन किया जाएगा।
- (तीन) परीक्षा नियंत्रक परीक्षा का आयोजन एवं समस्त अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं पर पर्यवेक्षण तथा परीक्षा से संबंधित संपूर्ण प्रक्रियाओं का निष्पादन और सक्षमप्रधिकारी के अनुमोदन पश्चात् परिणामों की घोषणा करेगा।
- (चार) परीक्षा नियंत्रक की शक्ति एवं कर्तव्य कुलसचिव द्वारा विनिर्दिष्ट किया जायेगा।
- (पांच) परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय के कुलपति के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अधीन एवं अधीनस्थ कार्य करेगा।
- (4) ग्रंथपाल
ग्रंथपाल विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा तथा उसकी नियुक्ति शिक्षकों हेतु परिनियम क्रमांक 15 के माध्यम से बनाये गये प्रक्रिया का अनुपालन किया जायेगा। ग्रंथपाल की योग्यता यूजीसी के मानदण्डों तथा शासी निकाय/विद्या परिषद् द्वारा समय-समय पर अनुमोदित अनुसार होगी।
- (5) निदेशक, शारीरिक शिक्षा
निदेशक विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और उसकी नियुक्ति, शिक्षकों के लिये परिनियम क्रमांक 15 में वर्णित प्रक्रिया का अनुपालन कर किया जायेगा। निदेशक की अर्हता यूजीसी की मापदण्डों के अनुसार एवं शासी निकाय/विद्या परिषद् द्वारा समय-समय पर अनुमोदित अनुसार होगा।
- (6) उप/सहायक निदेशक, शारीरिक शिक्षा
उप/सहायक निदेशक, शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारी होंगे जिसकी नियुक्ति कुलाधिपति की सहमति से कुलपति द्वारा समय-समय पर यथा विहित प्रक्रिया, अर्हतायें एवं वेतनमान का अनुपालन करते हुए की जायेगी।
- (7) उप/सहायक निदेशक, ग्रंथपाल
उप/सहायक निदेशक, ग्रंथपाल विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारी होंगे जिसकी नियुक्ति कुलाधिपति की सहमति से कुलपति द्वारा समय-समय पर यथा विहित प्रक्रिया, अर्हतायें एवं वेतनमान का अनुपालन करते हुए की जायेगी।
- (8) उप/सहायक कुलसचिव
उप/सहायक कुलसचिव विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारी होंगे जिसकी नियुक्ति कुलाधिपति की सहमति से कुलपति द्वारा समय-समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विहित प्रक्रिया, अर्हतायें एवं वेतनमान का अनुपालन करते हुए की जायेगी।

कॉलम एक में वर्णित संकाय तथा कॉलम दो में विभा एवं विभागों के समूह तथा विषय संकायों का वर्णन किया गया है।

क्र.	संकाय का नाम कॉलम एक	विभाग/विषय या विभागों के समूह/ विषयों के नाम कॉलम दो
1.	संकाय विज्ञान	<ol style="list-style-type: none"> 1. भौतिकी 2. रसायन विज्ञान 3. गणित 4. भू विज्ञान 5. सांख्यिकी 6. अपराध और फोरेन्सिक साइंस 7. ईलेक्ट्रॉनिक्स 8. वनस्पति विज्ञान 9. फैशन डिजाईन 10. इंटीरियर डिजाईन 11. जन्तु विज्ञान 12. जैव रसायन विज्ञान 13. जैव विज्ञान 14. जैव भौतिकी 15. जीवन विज्ञान 16. एन्थ्रोपोलॉजी 17. सूक्ष्म जीव विज्ञान 18. जैव प्रौद्योगिकी 19. वानिकी और वाइल्ड लाइफ 20. कम्प्यूटर विज्ञान एवं एप्लीकेशन 21. फिल्म और मीडिया अध्ययन 22. पर्यावरण विज्ञान 23. नैनो प्रौद्योगिकी 24. खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 25. गृह विज्ञान 26. औद्योगिक रसायन 27. योगा विज्ञान और थेरेपी 28. खगोल भौतिकी 29. खगोल जीवविज्ञान 30. भूगोल 31. चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी 32. सैन्य अध्ययन 33. अग्नि एवं औद्योगिक सुरक्षा 34. पोषण एवं आहार विशेषज्ञ 35. फूड एवं रिकोर्स इकोनॉमिक्स 36. पोषण व्यायाम एवं खेल 37. संयंत्र एवं पर्यावरण विज्ञान 38. भू विज्ञान एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन

		<ol style="list-style-type: none"> 39. जैविक विज्ञान 40. पृथ्वी एवं वायुमण्डलीय विज्ञान 41. पुस्तकालय और सूचना विज्ञान 42. खगोल विज्ञान 43. आणविक विज्ञान 44. तंत्रिका विज्ञान 45. आणविक जीव विज्ञान एवं आनुवांशिकी 46. कोशिका विज्ञान 47. आणविक एवं तुलनात्मक पैथोबायोलॉजी 48. जैव भौतिकी एवं जैवभौतिक रसायन विज्ञान 49. ध्वनिक विज्ञान 50. क्रिस्टेलोग्राफी 51. ओप्टोमेट्री 52. रिप्रोडक्टिव साइंस 53. पॉलिमर विज्ञान 54. योगा और प्राकृतिक चिकित्सा 55. पोषण एवं आहार विज्ञान 56. कम्प्यूटेशनल फिजिक्स 57. मटेरियल साइंस 58. क्वाण्टम यांत्रिकी 59. मौसम विज्ञान 60. संज्ञानात्मक विज्ञान 61. फर्मासुटिकल विज्ञान
2	प्रबंध संकाय	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रबंधन 2. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 3. सुरक्षा एवं पोर्टफोलियो प्रबंधन 4. ग्रामीण प्रबंधन 5. कन्ट्रक्शन मैनेजमेंट 6. लघु व्यावसाय प्रबंधन 7. अस्पताल प्रशासन 8. अस्पताल प्रबंधन 9. वित्तीय प्रबंधन 10. रसद एवं आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन 11. खाद्य सेवा प्रबंधन 12. आतिथ्य प्रबंधन 13. होटल प्रबंधन एवं खानपान प्रौद्योगिकी 14. स्पोर्ट्स मैनेजमेंट 15. यात्रा एवं पर्यटन प्रबंधन 16. हवाई अड्डे एवं एयरलाइन प्रबंधन 17. इवेंट मैनेजमेंट 18. मीडिया मैनेजमेंट 19. उद्योग एकीकृत

		<ol style="list-style-type: none"> 20. जनसंपर्क 21. आपदा प्रबंधन 22. विपणन एवं बिक्री 23. विज्ञापन एवं जनसंपर्क 24. निर्यात प्रबंधन 25. विदेश व्यापार 26. बिजनेस इकोनॉमिक्स 27. उत्पादन एवं संचालन प्रबंधन 28. पावर प्लांट मैनेजमेंट 29. आतिथ्य एवं पर्यटन प्रबंधन 30. मानव संसाधन प्रबंधन 31. बीमा प्रबंधन 32. रिटेल मैनेजमेंट 33. पारिवारिक व्यवसाय एवं उद्यमिता 34. सूचना प्रौद्योगिकी 35. उत्पादन एवं संचालन प्रबंधन 36. परियोजना प्रबंधन 37. फैशन डिजाइन मैनेजमेंट 38. इंटीरियर डिजाइन मैनेजमेंट 39. ई वाणिज्य प्रबंधन 40. डिजिटल मार्केटिंग मैनेजमेंट 41. बैंकिंग प्रबंधन 42. सौर एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन 43. लोक प्रशासन 44. परामर्श 45. अभिनव प्रबंधन/उद्यमिता 46. अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन 47. रणनीति 48. एनर्जी एंड क्लीन टेक्नोलॉजी 49. पर्यावरण प्रबंधन 50. स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन 51. सामाजिक उद्यमिका/गैर लाभ 52. सूचना सुरक्षा प्रबंधन/साइबर सुरक्षा 53. सिस्टम एवं बिजनेस एनॉलिटिक्स
3.	वाणिज्य संकाय	<ol style="list-style-type: none"> 1. ई वाणिज्य 2. बैंकिंग और वित्त 3. कम्प्यूटर अनुप्रयोग 4. इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड 5. बैंकिंग एवं बीमा 6. कॉर्पोरेट सेक्रेटरी 7. बैंकिंग 8. वित्तीय लेखा

		<ol style="list-style-type: none"> 9. टैक्सेशन 10. विज्ञापन एवं जनसंपर्क 11. वाणिज्य 12. एकाउंटिंग एवं ऑडिटिंग 13. बिजनेस मैनेजमेंट 14. बिजनेस इकोनॉमिक्स 15. एप्लाइड इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट
4.	इंजीनियरिंग संकाय	<ol style="list-style-type: none"> 1. सिविल इंजीनियरिंग 2. मैकेनिकल इंजीनियरिंग 3. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 4. इलेक्ट्रॉनिक और दूरसंचार 5. कम्प्यूटर विज्ञान एंड इंजीनियरिंग 6. केमिकल इंजीनियरिंग 7. माइनिंग इंजीनियरिंग 8. धातुविज्ञान इंजीनियरिंग 9. आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग 10. डिजाइन (एनीमेशन एवं ग्राफिक्स) 11. पेट्रोलियम इंजीनियरिंग 12. ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग 13. सीमेंट प्रौद्योगिकी 14. जैव प्रौद्योगिकी 15. हाईवे इंजीनियरिंग 16. स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग 17. खाद्य प्रौद्योगिकी 18. स्वास्थ्य सुरक्षा एवं पर्यावरण 19. प्रोडक्शन प्रौद्योगिकी 20. थर्मल इंजीनियरिंग 21. इंस्ट्रुमेंटेशन एवं कंट्रोल 22. पावर सिस्टम कंट्रोल 23. वीएलएसआई डिजाइन एवं इंबेडेड सिस्टम 24. मल्टीमीडिया प्रौद्योगिकी 25. पावर इलेक्ट्रॉनिक्स 26. डिजीटल कम्प्यूनिकेशन 27. कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट इंजीनियरिंग 28. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 29. कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एवं मैनेजमेंट 30. डब्ल्यूआरई(वाटर रिसॉर्स इंजीनियरिंग) 31. जियो टेक प्रौद्योगिकी 32. टर्बो मशीनरी 33. इलेक्ट्रीकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 34. सूचना प्रौद्योगिकी 35. मेकाट्रॉनिक्स

		<ol style="list-style-type: none"> 36. फायर टेक्नोलॉजी एवं सेफ्टी 37. टेक्सटाईल प्लांट इंजीनियरिंग 38. रेडियो फिजिक्स एवं इलेक्ट्रॉनिक्स 39. फार्मास्युटिकल इंजीनियरिंग 40. सीएडी-सीएएम 41. ऑटोमेशन एवं रोबोटिक्स 42. वायरलेस इंजीनियरिंग एवं नेटवर्क्स 43. साइबर फोरेंसिक 44. स्पोर्ट्स प्रौद्योगिकी 45. रिमोट सेंसिंग 46. क्वाण्टम मैकेनिक्स 47. एयरोस्पेस इंजिनियरिंग
5.	कला संकाय	<ol style="list-style-type: none"> 1. अंग्रेजी एवं अन्य यूरोपियन भाषाएँ 2. हिन्दी 3. छत्तीसगढ़ी एवं अन्य भारतीय भाषाएँ 4. संस्कृत (पालि, प्राकृत एवं ओरियण्टेड स्टडीज़) 5. तुलनात्मक धर्म और दर्शनशास्त्र 6. इतिहास और पुरातत्व 7. राजनीतिक विज्ञान 8. लोक प्रशासन 9. अर्थशास्त्र 10. समाजशास्त्र एवं सामाजिक अध्ययन 11. भूगोल 12. मनोविज्ञान 13. रक्षा अध्ययन 14. गृह विज्ञान 15. फिल्म और मीडिया अध्ययन 16. विज्ञापन एवं जनसंपर्क 17. सामाजिक कार्य 18. उदारकला एवं मानविकी 19. पत्रकारिता एवं जनसंचार 20. योग अध्ययन 21. ग्रंथालय विज्ञान 22. ग्रामीण अध्ययन 23. वैदिक अध्ययन 24. प्रदर्शन कला (नृत्य, संगीत, नाटक) 25. भाषाविज्ञान 26. दर्शन एवं पौराणिकशास्त्र 27. सांस्कृतिक अध्ययन 28. शिक्षा 29. इतिहास 30. व्यावसायिक पाठ्यक्रम

		31. प्राचीन भारतीय इतिहास 32. योग और आध्यात्मिकता 33. योग और चेतना 34. योग विज्ञान और थैरेपी 35. योग और प्राकृतिक चिकित्सा 36. जन संचार 37. मिडिया अध्ययन 38. पत्राचार 39. ललित कला 40. मल्टीमिडिया
6.	होटल मैनेजमेंट संकाय	1. दूर और यात्रा 2. कैंटरिंग टेक्नोलॉजी 3. आतिथ्य 4. होटल मैनेजमेंट
7.	फैशन डिजाइन	1. फैशन डिजाइन 2. इंटीरियर डिजाइन 3. टेक्सटाईल एण्ड एपिरेल डिजाइन 4. फैशन मर्चंडाइसिंग

परिनियम क्रमांक 13

संकायों का गठन, शक्ति एवं कार्य

- (1) प्रत्येक संकाय निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात:-
- (क) संकाय का अधिष्ठाता जो अध्यक्ष होगा।
- (ख) संकाय में अध्ययन स्कूलों/अध्ययन शालाओं के विभागों के प्रमुख/अध्यक्ष।
- (ग) संकाय में सभी प्रोफेसर/वरिष्ठ शिक्षक
- (घ) संकाय में प्रत्येक विभाग से, वरिष्ठता अनुसार रोटेशन द्वारा एक एसोसियेट प्रोफेसर एवं एक असिस्टेंट प्रोफेसर।
- (2) संकाय की अवधि तीन वर्ष की होगी पूर्व अधिकारियों के
- (3) संकायों की निम्नलिखित शक्ति एवं कार्य होंगे:-
- (क) अध्ययन मण्डल द्वारा तैयार किये गये पाठ्यचर्या पर विचार करना एवं अनुमोदन करना।
- (ख) संकाय के सदस्य के रूप में शिक्षाविदों/उद्योगविदों/वैज्ञानिकों को सहयोजित करना।
- (ग) अध्ययन मण्डल/स्थायी समिति/अन्य शैक्षणिक निकायों द्वारा तैयार किये गये प्रारूप को विद्या परिषद् की समीक्षा हेतु देना एवं अनुशंसा करना।
- (घ) संकाय को ऐसी शक्तियां होंगी तथा समय-समय पर परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा सौंपे गये कर्तव्यों का निर्वहन करेगा एवं अध्यादेश द्वारा यथाविहित विभिन्न विषयों में अध्ययन मण्डल की नियुक्ति करेगा।
- (ङ) संकाय, उनके संबंधित कार्यक्षेत्र के संबंध में किसी प्रश्न पर या विद्या परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट किसी विषय पर विचार करेगा तथा विद्या परिषद् को ऐसी अनुशंसा देगा जैसा कि उसको आवश्यक प्रतीत हो।
- (च) संकाय के कम से कम आधे सदस्यों से बैठक का कोरम होगा।

परिनियम क्रमांक 14

संकायों के अधिष्ठाता के शक्तियां एवं कार्य

- (1) प्रत्येक संकाय के लिए एक अधिष्ठाता होगा। संबंधित संकायों के अधिष्ठाताओं की नियुक्ति संबंधित संकाय के प्रोफेसरों के बीच से वरिष्ठता अनुसार रोटेशन पर आधारित तीन वर्ष की कालावधि हेतु कुलपति की अनुशंसा पर कुलाधिपति द्वारा किया जायेगा। परन्तु यह कि यदि वहां कोई प्रोफेसर न हो, एसोसियेट प्रोफेसर वरिष्ठता के अनुसार रोटेशन द्वारा अधिष्ठाता के रूप में कार्य करेगा।
- (2) अधिष्ठाता वरिष्ठता अनुसार संकाय का अध्यक्ष होगा तथा संकायों से संबंधित परिनियमों, अध्यादेशों एवं विनियमों के पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होगा।
- (3) अधिष्ठाता विभाग/संकाय के संपूर्ण पर्यवेक्षण तथा विभागों/संकाय में शिक्षण एवं शोध कार्य संचालित कराये जाने के लिए उत्तरदायी होगा।
- (4) संकाय का अधिष्ठाता ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे अन्य कार्यों का निष्पादन करेगा जैसा कि शासी निकाय/कुलाधिपति/कुलपति द्वारा सौंपे जाये।
- (5) डीन अध्ययन मण्डल का सदस्य होगा, उसे बैठक में उपस्थित होगा, उसे बैठक में बोलने का अधिकार होगा परन्तु वोट करने का अधिकार नहीं होगा।
- (6) अधिष्ठाता के पास, अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी समय अधिष्ठाता के पद से इस्तीफा देने एवं संकाय के अधिष्ठाता के रूप में अपनी बारी में नियुक्ति के ऑफर को ठुकराने का भी विकल्प होगा।

परिनियम क्रमांक 15

विश्वविद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति

- (1) विश्वविद्यालय में शिक्षण पदों अर्थात् प्रोफेसर, एसोसियेट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी करते समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उक्त पदों पर निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं का पालन करते हुए किया जायेगा।
- (2) शासी निकाय, विद्या परिषद् की अनुशंसाओं को मूल्यांकित कर समय-समय पर चयन प्रक्रिया के माध्यम से शैक्षिक रिक्तियों को भरने का अनुमोदन करेगा।
- (3) शिक्षण पदों (प्रोफेसर, एसोसियेट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर) के लिए यदि आवश्यक हो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) या कोई अन्य संबंधित विनियामक निकाय द्वारा विहित मानदण्ड अनुसार प्रत्येक विज्ञापित पद के लिए आवश्यक अर्हताओं एवं वेतनमान का स्पष्ट उल्लेख करते हुए ऑनलाइन, विश्वविद्यालय के वेबसाईट में अथवा व्यापक परिसंचरण के समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया जायेगा।
- (4) कुलपति द्वारा नियुक्त तीन सदस्यों से मिलकर बनी जांच समिति सभी आवेदनों की जांच तथा सभी अभ्यर्थियों के आवश्यक अर्हताओं से संतुष्ट होने पर एक संक्षेपिका तैयार करेगी तथा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करेगी।
- (5) जांचे गये आवेदन की संक्षेपिका को, साक्षात्कार के समय चयन समिति को उपलब्ध कराया जायेगा।
- (6) नियमित शिक्षक की नियुक्ति हेतु चयन समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी:

(एक) कुलपति	— अध्यक्ष
(दो) कुलपति द्वारा नामांकित दो विषय विशेषज्ञ	— सदस्य
(तीन) कुलाधिपति/प्रायोजिक निकाय द्वारा नामांकित एक सदस्य	— सदस्य

- (चार) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का एक प्रतिनिधि या उसका सदस्य या विश्वविद्यालय के प्रोफेसर की श्रेणी का व्यक्ति – सदस्य
- (पांच) कुल सचिव – सदस्य सचिव
- तीन सदस्यों से कोरम होगा।
- (7) चयन समिति, व्यक्ति जिसको संकाय के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिये उपयुक्त माना गया है, के नाम मेरिट, यदि हो, के क्रम में व्यवस्थित करते हुए, शासी निकाय को अनुशंसा करेगी।
- (8) नियुक्ति के अनुमोदन के पश्चात्, जैसा कि चयन समिति द्वारा अनुशंसित और शासी निकाय द्वारा अनुमोदित की जाये, विश्वविद्यालय के कुलसचिव द्वारा नियुक्ति पत्र जारी किया जायेगा।
- (9) अभ्यर्थी के चयन या चयन समिति के किसी सदस्य द्वारा असाहमति के संबंध में किसी विवाद की स्थिति में, मामले को कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा।
- (10) नियमित शिक्षकों के अतिरिक्त, कुलाधिपति कुलपति के परामर्श से, व्यक्तियों, जिसने उत्कृष्ट प्रोफेसर, प्रतिष्ठित प्रोफेसर, विख्यात प्रोफेसर, अनुबंध प्रोफेसर, सलाहकार/निदेशकों/महानिदेशक के रूप में शैक्षणिक और शोध में प्रतिष्ठा अर्जित की है, को शोध, शिक्षण और विस्तार में शैक्षणिक उत्कृष्टता को प्रारंभ करने हेतु विश्वविद्यालय में नियुक्त कर सकेगा। इन पदों के लिए मानदेय, भत्ते निबंधन तथा शर्तें, कुलाधिपति द्वारा निर्धारित की जायेगी।
- (11) सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त होने वाले सभी शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति दो साल के परिवीक्षा अवधि पर होगी जिसे आवश्यकता अनुसार एक और वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा। परिवीक्षा समाप्ति के पश्चात् नियमित नियुक्ति हो सकेगी।
- (12) पूर्णकालिक शिक्षकों के अतिरिक्त, कुलपति, या तो सीधी भर्ती या आउटसोर्सिंग के माध्यम से निश्चित कालावधि, अंशकालीन, अनुबंध और/ या एसाइनमेंट पर आधारित पदों में संलग्न करने का निर्णय कर सकेगा। निबंधन एवं शर्तें (जैसे मानदेय, टी.ए./डी.ए., सुविधायें आदि) या ऐसे संलग्नीकरण का निर्णय, विश्वविद्यालय के कुलाधिपति द्वारा समय-समय पर लिया जायेगा।
- (13) इस संबंध में विधिक मामले/ कोई विवाद रायपुर जिला, न्यायालय छत्तीसगढ़ एवं उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के क्षेत्राधिकार का विषय होगा।

परिनियम क्रमांक 16

16.A विश्वविद्यालय में गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति

- (1) निम्नलिखित गैर शिक्षकीय कर्मचारियों को विश्वविद्यालय द्वारा नियोजित किया जायेगा—
- (क) नियमित कर्मचारी
- (ख) संविदा कर्मचारी
- (ग) आकस्मिक कर्मचारी
- (2) नियमित कर्मचारी से अभिप्रेत है ऐसा कर्मचारी जो संबंधित विधियों में दिये गये प्रावधानों के अनुसार स्पष्ट रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त हो। ऐसे कर्मचारी के लिए परिवीक्षा की कालावधि दो वर्ष होगी जिसे यदि आवश्यक हो तो एक और वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा। सफलतापूर्वक परिवीक्षावधि की समाप्ति के पश्चात् नियमित नियुक्ति पर विचार किया जा सकेगा।
- (3) संविदा कर्मचारी से अभिप्रेत है ऐसा कर्मचारी जो विशेष कालावधि के लिये संविदा पर नियुक्त हो।
- (4) आकस्मिक कर्मचारी से अभिप्रेत है ऐसा कर्मचारी जो मस्टर रोल के आधार पर संलग्न हो।

16. B गैर शिक्षकीय स्टॉफ की नियुक्ति

- {छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 से संदर्भित धारा 26 (1) (ग), (ड़) तथा (च)}
- (1) गैर शिक्षकीय स्टाॅफ के लिए न्यूनतम अर्हताएं
- (एक) विश्वविद्यालय, यूजीसी द्वारा यथा विहित गैर शिक्षकीय स्टाॅफ के लिए जहाँ कहीं आवश्यक हो न्यूनतम अर्हता की पूर्ति करेगा।
- (दो) विश्वविद्यालय यूजीसी द्वारा आवश्यक नियुक्ति की अन्य न्यूनतम शर्तों की पूर्ति भी करेगा।
- (2) गैर शिक्षकीय स्टाॅफ की नियुक्ति हेतु चयन समिति—
- (एक) वरिष्ठ प्रशासकीय/वरिष्ठ गैर शिक्षकीय स्टाॅफ (कुलसचिव और मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी जो परिनियम में परिभाषित हैं) की नियुक्ति के लिए एक चयन समिति होगी। समिति, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर गठित होगी:
- (क) कुलपति— अध्यक्ष
- (ख) कुलपति द्वारा नामांकित एक विषय विशेषज्ञ
- (ग) शासी निकाय द्वारा नामांकित दो बाह्य विशेषज्ञ
- (घ) सचिव के रूप में कुलसचिव
- (दो) विश्वविद्यालय के अन्य प्रशासकीय/गैर शिक्षकीय स्टाॅफ की नियुक्ति हेतु चयन समिति का गठन निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर होगी:
- (क) अध्यक्ष के रूप में कुलसचिव
- (ख) कुलपति द्वारा नामांकित दो विशेषज्ञ
- (ग) विभाग जिसके पदों को भरा जाना है के सुपरवाइजर/वरिष्ठ सदस्य
- (तीन) चयन समिति की बैठकें
- (क) चयन समिति की बैठकें चयन समिति के अध्यक्ष द्वारा एवं जब आवश्यक हो आहुत की जायेगी।
- (ख) चयन समिति तीन सदस्यों से कोरम की पूर्ति होगी।
- (ग) चयन समिति के अध्यक्ष को सलाह मशवरा एवं कारस्टिंगवोट दोनों होंगी।
- (घ) चयन समिति के प्रत्येक सदस्य उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर योग्यता क्रम में रैंक प्रदान करते हुए सूची उचित विचार विमर्श और चर्चा के पश्चात् तैयार करेगा। कुलपति को किसी भी सिफारिश अस्वीकार करने का अधिकार होगा।
- (3) पारिश्रमिक नीति
- कर्मचारी के सभी संवर्गों को देय वेतन एवं अन्य भत्ते ऐसे वेतनमान या वेतनमान के ऐसे क्रम में होगा जैसा कि प्रबंध मण्डल यूजीसी के दिशा निर्देशों, यदि कोई हो के अनुसार समय-समय पर अंगीकृत या विनिश्चित करें।
- (4) आचार संहिता
- सभी स्टाॅफ सदस्य नियमों एवं विनियमों में वर्णित अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित आचार संहिता का अनुसरण करेंगे।
- (5) भविष्य एवं पेंशन निधि
- विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के लिए लाभ हेतु शासकीय नियमों/विनियमों के अनुरूप ऐसे भविष्य या पेंशन निधि का गठन करेगा या ऐसे बीमा योजना जैसा कि उचित समझे प्रावधान करेगा।
- (6) विवाद का सुलह
- विश्वविद्यालय एवं किसी प्रशासनिक या गैर शैक्षणिक स्टाॅफ के मध्य संविदा अथवा उसके भंग या समाप्ति या अविधिमान्यकरण के अथवा विश्वविद्यालय एवं उसके अधिकारियों के मध्य संबंध में या उद्भूत किसी विवाद या दावा, किसी संबंधित कर्मचारी या व्यक्ति के अनुरोध पर, कुलपति द्वारा

नामांकित एक सदस्य को मिलाकर बनी सुलह अधिकरण को निर्दिष्ट किया जायेगा। जिसमें से एक संबंधित कर्मचारी या व्यक्ति द्वारा नामांकित होगा एवं दो नामांकित सदस्यों द्वारा अध्यक्ष को चयनित किया जायेगा।

उप-धारा (1) के अधीन संबंधित कर्मचारी या व्यक्ति द्वारा किये गये प्रत्येक अनुरोध, माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996 के अर्थ के अंतर्गत इस धारा के शर्तों पर सुलह के लिए प्रस्तुत किया गया समझा जायेगा।

अधिकरण के कार्य के विनियमन की प्रक्रिया विश्वविद्यालय द्वारा विहित की जायेगी।

(7)

अपील का अधिकार

विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा संधारित संस्थान के प्रत्येक प्रशासक या गैर शैक्षणिक कर्मचारी के पास विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय के संस्थान के किसी अधिकारी और प्राधिकारी, जैसा भी स्थिति हो, के निर्णय के विरुद्ध कुलपति को विनियमों द्वारा यथा विहित समय के भीतर अपील करने को अधिकार होगा तदुपरांत कुलपति समुचित रूप से संबोधित कर सकेगा।

(8)

विद्यमान कर्मचारी के लिए विशेष प्रावधान

उन व्यक्तियों जो प्रतिनियुक्ति पर हैं, को छोड़कर इस परिनियम की अधिसूचना के समय विश्वविद्यालय में नियमित पद धारण करने वाले कर्मचारी, ऐसी अधिसूचना होने पर, इस परिनियम के प्रावधानों के अधीन नियुक्त किया गया समझा जायेगा।

परिनियम क्रमांक 17

शासी निकाय/प्रबंध मण्डल/ विद्या परिषद् की स्थायी समिति

- (1) शासी निकाय, प्रबंध मण्डल एवं विद्या परिषद् कुलपति के साथ या अध्यक्ष के रूप में विश्वविद्यालय के किसी अन्य अधिकारी के साथ अपने संबंधित स्थायी समिति का गठन कर सकेगा।
- (2) कुलसचिव, स्थायी समिति के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेगा।
- (3) स्थायी समिति की बैठक, जैसे एवं जब आवश्यक हो, समिति के अध्यक्ष के निर्देशनों के अधीन आमंत्रित की जायेगी। स्थायी समिति के सदस्यों का आधे भाग से कोरम का गठन होगा। स्थगित बैठक के लिए कोरम आवश्यक नहीं होगा।
- (4) स्थायी समिति के बैठक के लिए सूचना के साथ एजेण्डा को बैठक के कम से कम तीन दिन पूर्व सदस्यों को दे दी जायेगी। तथापि स्थायी समिति की आपात बैठक, जैसे एवं जब आवश्यक हो, एक घंटा की सूचना के साथ संबंधित अधिकारी द्वारा आमंत्रित की जायेगी।
- (5) उपरोक्त खण्ड (1) से भिन्न समस्त प्राधिकारों को शासी निकाय के अनुमोदन से उसमें निहित किसी शक्ति को प्रत्यायोजित कर सकेगा।
- (6) कुलाधिपति और कुलपति, कर्मचारियों की नियुक्ति (शिक्षण और गैर शिक्षण) और उनकी सेवाओं के पर्यवसान के अनुमोदन को छोड़कर उसमें निहित शक्तियों को सौंप सकेगा। शासी निकाय को ऐसे प्रत्यायोजन की संसूचना दी जायेगी।

परिनियम क्रमांक 18

शासी निकाय, प्रबंध मण्डल, विद्या परिषद् और संकाय प्राधिकरण के सदस्यों को मिलाकर समितियों का गठन कर सकेगा एवं ऐसी समिति, नियुक्ति प्राधिकारी को सौंपे गये विषय अथवा विषयों के साथ संब्यवहार कर सकेगा तथा उसे रिपोर्ट करेगा।

परिनियम क्रमांक 19

परीक्षा समिति

- (1) विश्वविद्यालय परीक्षा समिति की समस्त परीक्षाये, सुसंगत अध्यादेश के अनुसार आयोजित होंगी। सुविधा के क्रम में निम्नलिखित को मिलाकर एक परीक्षा समिति होगी :
 - (एक) सदस्यों के रूप में, तीन वर्ष की कालावधि हेतु चार विभागों के प्रमुख
 - (दो) उपरोक्त 1 (क) में उल्लिखित विभाग के प्रमुखों में एक को कुलपति द्वारा चक्रीय क्रम से दो वर्ष की कालावधि हेतु समिति के अध्यक्ष के रूप में दो मनोमित किया जा सकेगा।
 - (तीन) दो वर्ष की कालावधि हेतु सदस्य के रूप में दो वरिष्ठ सदस्य होंगे।
 - (चार) परीक्षा नियंत्रक, समिति के सदस्य सचिव के रूप में होंगे।
- (2) परीक्षा समिति की बैठकें, समुचित प्राधिकारी जिसमें कुलपति और परीक्षा समिति के अध्यक्ष सम्मिलित हैं की अनुशंसा पर आवश्यकतानुसार आयोजित की जायेगी।
- (3) अध्यक्ष सहित समिति के चार सदस्य बैठक के कोरम का गठन करेंगे।
- (4) समिति के सभी सदस्य इसमें अपने कार्यकाल या कुलपति के प्रसाद पर्यंत तक बने रहेंगे।
- (5) परीक्षा समिति की शक्तियां एवं कार्य निम्नानुसार होंगी:-
 - (एक) नियमित/एटीकेटी/सप्लीमेंट्री (अवधि तक रखने हेतु अनुज्ञात) अभ्यर्थी के रूप में विद्यार्थी जो आगामी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, की अंतिम रूप से संख्या का मिलान करेगी।
 - (दो) सभी विभागों से प्रस्तावित परीक्षा समय-सारिणी को मिलान करने के पश्चात् परीक्षा विभाग द्वारा प्रस्तुत परीक्षा समय-सारणी को अंतिम रूप देगी।
 - (तीन) परीक्षा कार्य में त्रुटि किये जाने पर प्रश्न पत्र सेंटर, उत्तर लेख के जांचकर्ता, परीक्षकों, सहायक अधीक्षकों, जांचकर्ताओं, तालिकाकर्ताओं और मिलान कर्ताओं को दिये मानदेय में अंतिम रूप से कटौती करना।
 - (चार) स्वयं में संतुष्ट होने के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा के परिणाम की जांच कर पारित व अनुमोदित करेगा कि संपूर्ण एवं विभिन्न विषयों के परिणाम प्रचलित मानक के अनुरूप है तथा कोई प्रकरण में जहां परिणाम असंतुलित है वहाँ की गई कार्यवाही को कुलपति को अनुशंसा करेगा।
 - (पाँच) प्रश्नपत्रों के विरुद्ध शिकायतों की जांच तथा उचित कार्यवाही करना।
 - (छः) अनुचित साधनों के प्रकरणों पर विचार करना तथा विश्वविद्यालय के अध्यादेश के अनुसार समुचित कार्यवाही करना।
 - (सात) परीक्षा कक्ष में परीक्षार्थी द्वारा दुर्व्यवहार के प्रकरणों पर विचार करना तथा विश्वविद्यालय के अध्यादेश अनुसार समुचित कार्यवाही करना।
 - (आठ) परीक्षक, परीक्षा नियंत्रक या उसके कार्यालय में कार्यरत किसी व्यक्ति को उसे अनुचित रूप से किसी के पक्ष में सिफारिश किये जाने के लिए, किसी भी साधन से पहुँच या दबाव बनाने वाले परीक्षार्थी के मामलों पर विचार करना तथा विश्वविद्यालय के अध्यादेश के अनुसार ऐसे मामलों में समुचित कार्यवाही करना।
 - (नौ) परीक्षा विभाग द्वारा प्रस्तुत परीक्षकों की सूची को अंतिम रूप देना।
 - (दस) प्रत्येक लिखित पेपर हेतु पेपर सेटर की नियुक्ति के लिए कुलपति को तीन नामों की अनुशंसा करना।

- (ग्यारह) परीक्षा प्रणाली की गोपनीयता और पवित्रता सुनिश्चित करने के तरीकों और साधनों का निर्धारण करना ।
- (बारह) उपपरीक्षकों की नियुक्ति हेतु व्यक्तियों की सूची को अंतिम रूप देना तथा आवश्यक होने पर कुलपति के समक्ष प्रस्ताव करना ।
- (तेरह) यदि वह परीक्षक के रूप में निरंतर तीन वर्षों से कार्यरत रहा हो, तो भी परीक्षक के रूप में विषय विशेषज्ञ की पुनर्नियुक्ति हेतु अनुशंसा करेगा ।
- (चौदह) किसी परीक्षक को अनियमित करने हेतु अनुशंसा करना यदि अध्यादेश के अनुसार उसकी सेवायें असंतोषजनक पायी जाती हैं ।
- (पन्द्रह) परीक्षा मामले से संबंधित, विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, कुलपति, विद्या परिषद् द्वारा उसे सौंपे गये कोई अन्य कार्य ।
- (6) क्रियान्वित करने हेतु उत्तरदायी, परीक्षा समिति, अपनी अनुशंसा निर्णय के साथ कुलसचिव को बैठकों के प्रतिवेदन/कार्यवाही विवरण प्रस्तुत करेगी ।

परिनियम क्रमांक 20

अध्ययन मण्डल

- (1) प्रत्येक विभाग हेतु एक अध्ययन मण्डल होगा, जिसमें:
- (क) विभाग का प्रमुख — अध्यक्ष
- (ख) संबंधित विभाग के दो शिक्षक — सदस्य
- (ग) विश्वविद्यालय के बाहर के अध्ययन मण्डल द्वारा सहयोजित सदस्य के रूप में एक वरिष्ठ शिक्षक सदस्य — सदस्य
(कुलपति, संबंधित विभाग के प्रमुख/अध्यक्ष की अनुशंसा पर कुछ बाहरी विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकेगा)
- (2) पूर्व पदाधिकारी सदस्यों के अलावा, अध्ययन बोर्ड के सदस्यों की अवधि तीन साल की होगी ।
- (3) कुलपति, जैसे और जब आवश्यक हो, विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किये गये विषयों के लिए अध्ययन मण्डल का गठन कर सकेगा ।
- (4) अध्ययन मण्डल विस्तृत पाठ्यचर्या के साथ विभाग के विभिन्न पाठ्यक्रमों के परीक्षा पैटर्न, मूल्यांकन एवं निर्देश के साथ विषयों का परिदान करेगा एवं अनुमोदन एवं प्रकाशन हेतु विद्या परिषद् को प्रस्तुत करेगा ।
- (5) पाठ्यचर्या की विषयवस्तु को अध्ययन मण्डल द्वारा समय-समय पर संशोधित एवं अद्यतन किया जायेगा एवं उसे विद्या परिषद् के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा ।
- (6) अध्ययन मण्डल की बैठके वर्ष में कम से कम एक बार होगी ।
- (7) संकाय के कम से कम आधे सदस्यों से बैठक का कोरम होगा ।

परिनियम क्रमांक 21

विद्यार्थियों से प्रभारित की जाने वाली फीस के संबंध में प्रावधान

- (1) विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए शिक्षण शुल्क (ट्यूशन फीस) प्रबंधन बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाएगा ।
- (2) विश्वविद्यालय, अन्य फीस जैसे कि प्रवेश फीस, छात्रावास फीस, मेस फीस, प्रचलन फीस, लाउन्ड्री, प्रिंटिंग आदि जैसे सेवा के लिए भी फीस समय-समय पर विहित करेगा ।

- (3) विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया के प्रारंभ होने के पूर्व फीस के संबंध में तथा यदि विहित फीस में कोई भी विषय के किसी भी तरह के फीस के संशोधन के प्रस्ताव करने के पश्चात् भी छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का पूर्व अनुमोदन लेगा।

परिनियम क्रमांक 22

मानद डिग्रीयों तथा शैक्षणिक विशेष योग्यता प्रदान करना

मानद उपाधि प्रदान करने के संबंध में अकादमिक परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव तैयार किया जायेगा। यह प्रस्ताव कुलाधिपति/कुलपति के नामित और संबंधित संकाय के डीन के समक्ष रखा जायेगा। यदि समिति सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित करेगा कि जिस व्यक्ति को मानद डिग्री प्रदान किया जा रहा उसे प्रदान किया जा सकता है तभी उस प्रस्ताव को शासी निकाय के समक्ष रखा जायेगा। यदि शासी निकाय के सदस्यों में से कम से कम दो तिहाई सदस्य उस प्रस्ताव के पक्ष में हो तभी उसे कुलाधिपति के समक्ष पुष्टि हेतु रखा जा सकेगा। कुलाधिपति, अंतिम मंजूरी के लिए कुलाध्यक्ष के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

परिनियम क्रमांक 23

विश्वविद्यालय में फेलोशीप, स्कॉलरशिप, मेडल तथा पुरस्कार अवार्ड हेतु धर्मदाय प्रशासन

- (1) प्रबंध मण्डल आवर्ती प्रकृति की फेलोशीप, स्कॉलरशिप, छूट, छात्रवृत्ति, मेडल और पुरस्कार के अवार्ड हेतु अक्षयनिधि एवं अन्य अनुदान धर्मदाय निधि आदि के सृजन के लिए दान स्वीकार कर सकेगा।
- (2) प्रबंध मण्डल समस्त धर्मदायों को नियमों द्वारा निर्धारित करने वाला प्रशासक होगा।
- (3) धर्मदाय से उत्पन्न वार्षिक आय में से अवार्ड दी जायेगी। आय का कोई अन्य भाग, जो इस प्रकार उपयोजित हो, धर्मदाय के लिए जोड़ा जायेगा।
 - (क) प्रबंध मण्डल राष्ट्रीयकृत बैंक में धर्मदाय जमा की शर्तें विहित करेगा।
 - (ख) अवार्ड संस्थापित करने हेतु आवश्यक धर्मदाय का मूल्य प्रबंध मण्डल द्वारा विहित किया जायेगा।
- (4) अवार्ड में विवाद होने पर धर्मदाय को स्वीकार नहीं किया जायेगा और जहां तक संभव हो दानदाता की शुभकामनाओं को प्रभाव दिया जायेगा।
- (5) विनिर्दिष्ट धर्मदाय से संबंधित विनिर्दिष्ट विनियमों/अध्यादेशों के अनुसार प्राप्तकर्ता को दिये जाने वाले फेलोशीप, स्कॉलरशिप, छूट, मेडल और पुरस्कार का शासी निकाय द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।

परिनियम 24

विद्यार्थियों का प्रवेश

- (1) विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश, संबंधित पाठ्यक्रम/विषय के लिए बनाये गये अध्यादेश में विहित अनुसार प्रशासित होंगे।
- (2) विश्वविद्यालय, अगर चाहे तो प्रवेश के लिए अपने स्वयं की प्रवेश परीक्षा आयोजित कर सकता है या विभिन्न राज्यों/राष्ट्रीय पेशेवर निकायों के द्वारा आयोजित परीक्षा परिणाम की सूची का उपयोग कर सकता है।
- (3) विश्वविद्यालय, जब कभी भी प्रवेश परीक्षा आवश्यक न हो तो अध्यादेश के अनुसार मैरिट के आधार पर विद्यार्थियों को प्रवेश दे सकेगा।

- (4) विश्वविद्यालय के सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति का पालन किया जायेगा।

परिनियम 25

विभिन्न पाठ्यक्रमों/विषयों में सीटों की संख्या

पाठ्यक्रम/विषय के लिए सीटों की संख्या समय-समय पर, कर्मचारियों, बुनियादी ढांचे आदि की उपस्थिति के आधार पर विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए कुलपति द्वारा गठित प्रवेश समिति द्वारा तय की जाएगी। आवश्यक होने पर विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम के लिए सीटों की संख्या वैधानिक निकाय के अनुमोदन से तय करेगा।

परिनियम क्रमांक 26

वार्षिक प्रतिवेदन

- (1) विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन 1 जुलाई से 30 जून तक की अवधि का होगा। वार्षिक प्रतिवेदन अवधि समाप्ति के पश्चात कुलसचिव द्वारा तैयार कर शासी निकाय के समक्ष अनुमति हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।
- (2) विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन विश्वविद्यालय के अनुमोदन के उपरान्त कुलाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग तथा राज्य शासन को प्रस्तुत किया जायेगा।

अध्यादेश- 1

विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का प्रवेश और उनका नामांकन

श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का प्रवेश और नामांकन, इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में विनियमित होगी।

परिभाषाएं

- (क) "समकक्ष परीक्षा" से अभिप्रेत है
- (एक) माध्यमिक शिक्षा का मान्यता प्राप्त कोई मण्डल,
- (दो) संबंधित संवैधानिक प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भारतीय या विदेशी विश्वविद्यालय या संगठन,
- (तीन) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा निगमित तथा विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भारतीय विश्वविद्यालय जो इसके तत्समान परीक्षा के समतुल्य हो, द्वारा आयोजित समकक्ष परीक्षा।
- (ख) "अंतराल कालावधि" से अभिप्रेत है नियमित विद्यार्थी के रूप में शैक्षणिक संस्थान (कोचिंग संस्थाओं को छोड़कर) में अंतिम उपस्थिति की तिथि और विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने की तिथि के बीच की कालावधि।
- (ग) "अर्हकारी परीक्षा" से अभिप्रेत है ऐसी परीक्षा जिसको विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली स्नातक, स्नातकोत्तर, एम.फिल डॉक्टरेट या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट देने हेतु अग्रसरित अध्ययन के विशिष्ट पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्र विद्यार्थी उत्तीर्ण करता है।
- (घ) "संविभाग" से अभिप्रेत है कोई परिणाम जिसे संबंधित परीक्षण निकाय अर्थात् माध्यमिक शिक्षा का मान्यता प्राप्त मण्डल जैसे सी.बी.एस.ई, आईसीएसई, माध्यमिक शिक्षा राज्य मण्डल आदि द्वारा एक विषय में विद्यार्थी को अनुत्तीर्ण घोषित किया गया हो। ऐसा विद्यार्थी उत्तीर्ण घोषित किया जा सकेगा यदि वह उसी परीक्षा निकाय द्वारा बाद में आयोजित परीक्षा में अंकों का अपेक्षित प्रतिशत अर्जित करता है या बैचलर प्रीपरेटरी प्रोग्राम में उत्तीर्ण घोषित किया जाता है।

1. प्रवेश हेतु पात्रता

- 1.1 जब तक अन्यथा उपबंधित न हो, विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रम के अधीन प्रवेश हेतु कोई व्यक्ति तब तक पात्र नहीं होगा जब तक वह भारतीय विश्वविद्यालय या मण्डल या विश्वविद्यालय के उच्चतर माध्यमिक/वरिष्ठ विद्यालय प्रमाण-पत्र परीक्षा उत्तीर्ण न किया हो तथा विद्या परिषद् द्वारा समय-समय पर इन परीक्षाओं के समतुल्य न माना गया हो।
- 1.2 किसी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में व्यक्ति को तब तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा जब तक वह मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की पूर्व स्नातक डिग्री परीक्षा या विद्या

परिषद् द्वारा समय-समय पर समकक्ष डिग्री के रूप में मान्यता प्राप्त परीक्षा उत्तीर्ण न किया हो और ऐसी योग्यता धारण नहीं करता/करती हो, जैसा कि अध्यादेश द्वारा विहित किया जाये।

- 1.3 किसी भी व्यक्ति को एम.फिल/पी.एच.डी. में तब तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा जब तक वह समय-समय पर नियामक/परिषद् द्वारा जारी पात्रता मापदण्डों के अनुसार मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर या समकक्ष डिग्री परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर लेता है। समय-समय पर विद्या परिषद् द्वारा पीजी के डिग्री के बराबर और अध्यादेशों द्वारा निर्धारित की जा सकने वाली ऐसी योग्यता प्राप्त होगी।
- 1.4 विश्वविद्यालय में अध्ययन के पाठ्यक्रम में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों को विद्या परिषद् एवं समय-समय पर विवरणिका में प्रकाशित विहित शर्तों को पूर्ण करना होगा।
- 1.5 प्रत्येक पाठ्यक्रम में सीटों की अधिकतम संख्या का निर्धारण यदि एवं जहां आवश्यक हो, विभिन्न संवैधानिक निकायों जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, बी.सी.आई., भारतीय चिकित्सा परिषद् आदि से अनुमोदन एवं पर्याप्त भौतिक सुविधा की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर विद्या परिषद् द्वारा किया जायेगा।

2. प्रवेश हेतु प्रावधान

- 2.1 कोई भी अभ्यर्थी अधिकार के रूप में प्रवेश का दावा करने का हकदार नहीं होगा।
- 2.2 प्रवेश की प्रक्रिया विद्या परिषद् द्वारा समय-समय पर अनुमोदित की जायेगी एवं विवरणिका में प्रकाशित की जायेगी।
- 2.3 अन्यथा उपबंधित को छोड़कर, समस्त पूर्व स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश, मेरिट के आधार पर और/या प्रवेश समिति या उचित निकाय के लागू हो आयोजित प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर दी जायेगी।
- 2.4 प्रत्येक सेमेस्टर/अकादमिक वर्ष में शुरुआत में या विद्या परिषद् द्वारा समय-समय पर विहित अनुसार प्रवेश दिया जायेगा।
- 2.5 प्रवेश हेतु आवेदन के साथ निम्नलिखित संलग्न होंगे –
 - (एक) नियमित विद्यार्थी के रूप में विद्यार्थी द्वारा अंतिम उपस्थिति का संस्था प्रमुख द्वारा हस्ताक्षरित विद्यालय या महाविद्यालय छोड़ने का प्रमाण-पत्र।
 - (दो) मूल प्रति जिसे सत्यापन के पश्चात लौटा दिया जायेगा के साथ अंकसूची की प्रमाणित छायाप्रति जिससे दर्शित होगा कि आवेदक, अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका है और विद्यार्थी जो स्वाध्यायी अभ्यर्थी

के रूप में उत्तीर्ण है की स्थिति में एक प्रमाण पत्र जिसे दो जिम्मेदार व्यक्ति हस्ताक्षर कर प्रमाणित करेंगे कि आवेदक का चरित्र अच्छा है। यदि आवेदक प्रवेश हेतु उपरोक्त कथित अर्हकारी परीक्षा छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल से, भिन्न मण्डल से या इस विश्वविद्यालय से भिन्न अन्य विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण किया है, तो वह पात्रता हेतु विद्यालय या महाविद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र और/या ऐसे मण्डल या विश्वविद्यालय के सचिव या कुलसचिव से आग्रजन प्रमाण पत्र, जैसी भी स्थिति हो, आग्रजन फीस के साथ या विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर जैसा निर्धारित की जाये, प्रस्तुत करेगा। यदि इनमें से कोई कूटरचित, छेड़छाड़ या असत्य पाया जाता है तो विद्यार्थी का प्रवेश स्वतः रद्द हो जायेगा और आवश्यक विधिक कार्यवाही शुरू की जा सकेगी।

- 2.6 विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु आवेदन भेजने की रीति, सीधे/डाक के माध्यम से/विश्वविद्यालय वेबसाइट/ऑनलाईन के माध्यम से हो सकेगी। विश्वविद्यालय में प्रवेश के इच्छुक भारत या विदेश का कोई विद्यार्थी, विश्वविद्यालय के साथ ऑनलाइन बातचीत कर सकता है।
- 2.7 प्रवेश समिति आवेदनों पर कार्यवाही करेगी तथा चयनित अभ्यर्थियों को अनंतिम प्रवेश देगी।
- 2.8 "संविभाग" या पूरक परिणाम के साथ विद्यार्थी को किसी पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष/प्रथम सेमेस्टर में "अनंतिम" प्रवेश दिया जा सकेगा यदि अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसमें वह अन्यथा सामान्य रूप से प्रवेश प्राप्त करता/करती, यदि वह ग्रेड को उत्तीर्ण करता/करती।
- 2.9 प्रवेश के समय, प्रत्येक विद्यार्थी और उसका/उसकी माता-पिता या विधिक पालक से इस आशय का हस्ताक्षरित घोषणा पत्र लेना अपेक्षित होगा कि विश्वविद्यालय के कुलपति एवं अन्य प्राधिकारियों के अनुशासनात्मक और धन संबंधी अधिकारिता के अधीन विद्यार्थी स्वयं को रखेगा।
- 2.10 कोई विद्यार्थी जिसने अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/मान्यता देने वाली निकाय से कोई डिग्री या डिप्लोमा के भाग को उत्तीर्ण किया है को संकाय के अधिष्ठाता द्वारा विभाग प्रमुख के परामर्श से इसकी समतुल्यता सुनिश्चित करने के पश्चात् ऐसी परीक्षा हेतु आगामी उच्च कक्षा में प्रवेश दिया जायेगा।
- 2.11 परंतु यह और कि कुलपति को उपरोक्त दी गई प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद वास्तविक कठिनाई की दशा में प्रवेश प्रदान करने की शक्ति होगी ऐसे सभी विद्यार्थियों की उपस्थिति पाठ्यक्रम प्रारंभ होने की तारीख से गणना की जायेगी।

- 2.12 किसी पाठ्यक्रम में विद्यार्थी का प्रवेश, विशेषीकृत पाठ्यक्रम जिसमें प्रवेश चाही गई है में रिक्त सीट की उपलब्धता के अधीन होगी।
- 2.13 पार्श्व प्रवेश की अनुमति संबंधित नियामक निकाय के मापदण्डों के अनुसार दी जायेगी।

3. कतिपय आधारों पर प्रवेश हेतु प्रतिषेध

- 3.1 कोई विद्यार्थी एक साथ दो नियमित पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं लेगा।
- 3.2 जब तक अन्यथा उपबंधित न हो, कोई विद्यार्थी अंशकालीन या दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकेगा या यदि वह इस उद्देश्य हेतु बनाये गये नियमानुसार प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक अर्हता को पूर्ण करता/करती हो।
- 3.3 विद्यार्थी उसी पाठ्यक्रम को उत्तीर्ण करने के पश्चात् पाठ्यक्रम में प्रवेश लेंगे। तथापि वह उसी संकाय के उच्च पाठ्यक्रम में या उसी स्तर के भिन्न क्षेत्र में अतिरिक्त डिप्लोमा/डिग्री हेतु प्रवेश ले सकता है। किंतु वह पात्रता अपेक्षाओं को पूरा करता हो।
- 3.4 कोई भी श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निलंबित, अस्थायी रूप से निकाला गया हो, रोका गया हो, निष्काषित आदि किया गया हो, उसे किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश का दावा करने से प्रतिषेध किया जायेगा।
- 3.5 यदि अभ्यर्थी द्वारा दी गई कोई जानकारी असत्य/अस्पष्ट पाई जाती है तो विश्वविद्यालय के किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश को किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है।
- 3.6 कोई अभ्यर्थी जो पूर्ण कालिक नियमित विद्यार्थी के रूप में किसी पाठ्यक्रम में गलत जानकारीयों के आधार पर प्रवेश लिया है तो विश्वविद्यालय में भूतपूर्व विद्यार्थी के रूप में उसके अधिकार को समपहरित कर लिया जायेगा तथा भूतपूर्व विद्यार्थी के रूप में विश्वविद्यालय के किसी परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- 3.7 कोई व्यक्ति जिसे किसी अन्य विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा निष्काषण की सजा के अधीन हो या परीक्षा में बैठने के अयोग्य ठहराया गया हो, निष्काषण या अयोग्यता की कालावधि के दौरान इस विश्वविद्यालय के अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
- 3.8 कोई विद्यार्थी जो किसी अन्य विश्वविद्यालय से आव्रजित है उसे संस्थान के किसी कक्षा में तब तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा जब तक कि वह विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हेतु अर्हकारी परीक्षा के यथा समतुल्य विश्वविद्यालय द्वारा उत्तीर्ण घोषित न किया गया हो।

- 3.9 उपर्युक्त उप-खण्ड 2.5 में अंतर्विष्ट प्रावधानों से प्रतिकूलता के बिना, किसी अन्य विश्वविद्यालय से आब्रजित विद्यार्थी का विभाग के किसी कक्षा में प्रवेश जहां ऐसा कोई सामान्य या विशेष निर्देश द्वारा ऐसी अनुमति आवश्यक हो, कुलसचिव की पूर्वानुमति के बिना नहीं दिया जायेगा।
- 3.10 स्नातक डिग्री/ऑनर्स पाठ्यक्रम अग्रसरित करने वाले पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदन तब तक स्वीकार नहीं किये जायेंगे जब तक विशेषीकृत डिग्री परीक्षा हेतु विहित समस्त विषयों में उपस्थित होने हेतु आवेदक तैयार न हो।
- 3.11 विद्यार्थी जिसने किसी अन्य विश्वविद्यालय से डिग्री या स्नातकोत्तर परीक्षा के एक भाग को उत्तीर्ण किया हो उसे कुलपति या पात्रता प्रमाण पत्र प्रदान करने वाले प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना, विश्वविद्यालय में ऐसे परीक्षा हेतु आगामी उच्च कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
- 3.12 अन्य विश्वविद्यालय से स्थानांतरण पर आ रहे अभ्यर्थियों को क्योंकि उनके माता-पिता/पालक या किसी वास्तविक कारणों से स्थानांतरण हो गया है, प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश दिया जा सकेगा।

4. विद्यार्थियों का नामांकन

- 4.1 विभाग/स्कूल प्रमुख प्रवेश की अंतिम तिथि से 45 दिवस के भीतर विहित प्रारूप में, प्रवेशित विद्यार्थियों का विवरण, समस्त सुसंगत मूल दस्तावेजों एवं नामांकन फीस के साथ जैसा कि विद्या परिषद् समय-समय पर विनिर्दिष्ट करें, कुलसचिव को प्रस्तुत करेगा।
- 4.2 किसी व्यक्ति को श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा में तब तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा जब तक वह विश्वविद्यालय के विद्यार्थी के रूप में सही तरीके से नामांकित नहीं हुआ हो।
- 4.3 प्रवेश के समय विद्यार्थी के द्वारा प्रस्तुत स्थानांतरण और आब्रजन प्रमाण पत्र श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय की संपत्ति होगी।
- 4.4 नामांकित विद्यार्थियों को, विश्वविद्यालय छोड़ते समय श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय की मुद्रा के अधीन नया स्थानांतरण प्रमाण पत्र तथा आब्रजन प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।
- 4.5 यदि कोई विद्यार्थी आब्रजन प्रमाण पत्र अन्य विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु लेता है तो विश्वविद्यालय से उसका/उसकी नामांकन ऐसे समय तक समाप्त रहेगा जब तक वह श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय के कुछ अन्य परीक्षा को लेने हेतु उस विश्वविद्यालय से आब्रजन प्रमाण पत्र के साथ वापस नहीं होता/होती है। ऐसे मामलों में नये नामांकन एवं नामांकन शुल्क अनिवार्य होगा।

- 4.6 कुलसचिव, श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों में अध्ययनरत सभी नामांकित छात्रों का पंजीकृत रजिस्टर बनाकर रखेगा। इस रजिस्टर में कुलसचिव को विद्यार्थियों की जन्मतिथि, प्रवेशतिथि, संस्थान छोड़ने और डिग्री/डिप्लोमा प्रमाण पत्र की विभिन्न परीक्षाओं के बारे में भौतिक विवरण रखना होगा।
- 4.7 विद्यार्थियों को नामांकन की सूचना दी जायेगी। नामांकन क्रमांक जिसमें विश्वविद्यालय के नामांकन पंजी में उसका नाम प्रविष्ट किया गया है तथा विश्वविद्यालय के साथ समस्त पत्राचार में विद्यार्थी द्वारा उस नामांकन क्रमांक को उद्धृत किया जायेगा और श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय की परीक्षा में प्रवेश हेतु पश्चातवर्ती आवेदनों में उद्धृत की जायेगी।
- 4.8 कोई नामांकित विद्यार्थी, विहित शुल्क के भुगतान करने पर नामांकन पंजी में उससे संबंधित प्रविष्टियों की सत्यापित प्रति प्राप्त कर सकेगा।

5. नाम परिवर्तन –

- 5.1 विद्यार्थी जो नामांकन विभाग की पंजी में अपना नाम परिवर्तन करने हेतु आवेदन कर रहा हो, संबंधित संकाय के संस्था प्रमुख या विभाग प्रमुख के माध्यम से कुलसचिव को आवेदन के साथ प्रस्तुत करेगा :
- (एक) विहित शुल्क
- (दो) उसका वर्तमान एवं प्रस्तावित नाम से संबंधित शपथपत्र जिसमें अवयस्क की स्थिति में मजिस्ट्रेट या नोटरी की उपस्थिति में उसके माता-पिता या पालक या वयस्क की स्थिति में स्वयं के द्वारा सम्पर्क शपथ दिया गया हो।
- (तीन) समाचार पत्र में प्रकाशित प्रति जिसमें नाम में प्रस्तावित परिवर्तन को विज्ञापित किया जा चुका हो जहां महिला अभ्यर्थी विवाह के पश्चात् अपने नाम में परिवर्तन करना चाहती हो तो ऐसी दशा में प्रकाशन से संबंधित प्रावधान लागू नहीं होंगे।
- कुलसचिव कुलपति के अनुमोदन के पश्चात् ऐसे आवेदनों पर विचार कर उस पर निर्णय लेगा।

6. विषय परिवर्तन –

- 6.1 विद्यार्थी को समान्यतः पाठ्यक्रम के वैकल्पिक/गौण/विशेषज्ञता के विषयों को बदलने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक वह प्रवेश की तिथि से चार सप्ताह के भीतर अनुमति हेतु आवेदन न किया हो। ऐसे आवेदनों को संबंधित विभाग के प्रमुख की सहमति के साथ संस्था या संकाय के प्रमुख के पास जमा करना चाहिये।

7. आरक्षण —

(एक) राज्य शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण नियमों का पालन करते हुए विश्वविद्यालय में संचालित समस्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रदान किया जायेगा।

टीप— विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश से संबंधित पुनरीक्षण से संबंधित किसी अस्पष्टता की दशा में कुलपति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

8. प्रवेश समिति —

8.1 विश्वविद्यालय में प्रवेश के विनियमन हेतु प्रत्येक संकाय/विभाग में एम.फिल. पी. एच.डी, स्नातकोत्तर, स्नातक, डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों हेतु कुलपति द्वारा एक प्रवेश समिति गठित की जायेगी।

8.2 समिति निम्नलिखित कार्य करेगी:

(एक) विद्या परिषद् द्वारा समय-समय पर विहित प्रवेश की शर्तों के अनुसार अभ्यर्थी के प्रवेश हेतु आवेदन प्रपत्रों का परीक्षण करेंगी।

(दो) प्रवेश परीक्षाओं और/या साक्षात्कार का या अन्यथा उपबंधित अनुसार संचालन करेंगी।

(तीन) प्रत्येक परीक्षा और/या साक्षात्कार में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों पर आधार मेरिट सूची तैयार करेगी।

(चार) कमेटी के अध्यक्ष या संबंधित संकाय के संस्थान के प्रमुख द्वारा अनंतिम प्रवेश हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची तैयार करेगी।

(पांच) प्रवेश परीक्षाओं की विश्वसनीयता और गुणवत्ता में सुधार की प्रविधि का सुझाव देगी।

(छः) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिडड़ा वर्ग/ दिव्यांग/बालिका विद्यार्थी श्रेणी से संबंधित विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु निबंधन, शर्त एवं प्रावधानों पर कुलपति को अनुशंसा करेगी।

8.3 पदेन सदस्यों के अलावा समिति के सदस्यगण एक शैक्षणिक वर्ष के कार्यकाल हेतु पद धारित करेंगे।

8.4 कोरम के लिए समिति के सदस्यों की कुल संख्या तीन चौथाई से कम नहीं होना चाहिये।

8.5 परीक्षा के संबंधित अध्यादेश में निहित कुछ भी होने के बावजूद नियमित उम्मीदवार जो सभी सिद्धांत पत्रों, प्रायोगिक, मौखिकी, आंतरिक मूल्यांकन, फील्ड कार्य, प्रोजेक्ट कार्य को अंतिम सेमेस्टर/वार्षिक परीक्षा शामिल होता है और सभी विषयों में से यदि किन्ही तीन विषयों में कुल पांच अंकों से अनुत्तीर्ण हो रहा हो तो उसे डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, स्नातक, स्नातकोत्तर परीक्षा, एम. फिल/पी. एच. डी. कोर्स वर्क में छात्र को अधिकतम पांच अंकों का अनुग्रह अंक प्रदान कर परीक्षा में उत्तीर्ण किया जा सकता है। इन अंकों का गणना कुल योग में नहीं किया जायेगा। अनुग्रह अंक की पात्रता किसी उम्मीदवार का

अधिकार नहीं हैं, बल्कि यह कुलपति का विशेषाधिकार है। यह सुविधा केवल उन उम्मीदवारों को प्रदान की जावेगी, जो संबंधित सेमेस्टर/वार्षिक परीक्षा में पूरी तरह से सभी परीक्षाओं (अर्थात् सैधांतिक व्यावहारिक एवं सेशनल परीक्षा के प्रथम प्रयास) में पॉच अनुग्रह अंक प्राप्त कर पास हो जायेगा।

- 8.6 यदि छात्र को एक अनुग्रह अंक प्रदान करने से श्रेणी में सुधार अर्थात् द्वितीय श्रेणी से प्रथम एवं प्रथम श्रेणी से डिस्टिंक्शन प्राप्त हो सकता है, तो कुलपति यह अंक प्रदान कर सकते हैं, अंक को प्रमाण पत्र में अलग से उल्लेखित किया जायेगा। यह लाभ धारा 8.5 के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने वाले छात्रों को उपलब्ध नहीं होगा।
- 8.7 व्यावहारिक परीक्षा के अलावा किसी अन्य परीक्षा अर्थात् ए.टी.के.टी./पूरक परीक्षा के छात्र को कोई अनुपूरक अंक नहीं दिया जायेगा।

9. अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों का प्रवेश

- 9.1 प्रस्तावना— ये नियम श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों की पात्रता एवं प्रवेश हेतु प्रक्रिया की निश्चित करने के अनुसरण में विरचित किये गये हैं।
- 9.2 कार्यालय— अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों के प्रवेश एवं मार्गदर्शन को संपादित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी सेल स्थापित किया जायेगा। यह सेल न केवल विद्यार्थियों के प्रवेश को नियंत्रित करेगा अपितु प्रवेश को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक मार्गदर्शन एवं काउंसिलिंग भी उपलब्ध करायेगी।
- 9.3 अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु अपेक्षित दस्तावेज —
- (एक) वीजा— समस्त अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों को पूर्णकालिक पाठ्यक्रम को ग्रहण करने हेतु इस संस्थान को पृष्ठांकित करते हुए विद्यार्थी वीसा आवश्यक होगा, अन्य को पृष्ठांकित स्वीकार्य नहीं होगा। विद्यार्थी जो शोध कार्यक्रम को ग्रहण करने का इच्छुक है, इस संस्थान को पृष्ठांकित शोध वीसा अपेक्षित होगा। यह वीसा, पाठ्यक्रम हेतु विहित कालावधि के लिए वैध होना चाहिए। अप्रवासी भारतीय विद्यार्थियों के लिए वीसा अपेक्षित नहीं है। विद्यार्थी जो किसी अन्य संस्थानों में पूर्णकालिक पाठ्यक्रम कर रहे हैं अल्पकालिक पाठ्यक्रम ग्रहण करने हेतु पृथक वीसा की आवश्यकता नहीं होगी परंतु यह कि पाठ्यक्रम की सम्पूर्ण कालावधि हेतु उनका वर्तमान वीसा वैध है।
- (दो) अनापत्ति प्रमाण-पत्र — समस्त अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी जो किसी शोध कार्य करने का इच्छुक हो या कोई विश्वविद्यालय कार्यक्रम ग्रहण करने का इच्छुक है तो उसे गृह या बाह्य मामलों के मंत्रालय से पूर्व सुरक्षा परिशोधन और माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना होगा तथा यह इस संस्थान का पृष्ठांकित शोध वीसा होना चाहिए।
- (तीन) समय—समय पर यथा अपेक्षित कोई अन्य दस्तावेज।

अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी— इन मार्गदर्शनों के अधीन 'अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी' में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे—

(एक) विदेशी विद्यार्थी— विदेशी मुल्कों द्वारा जारी पासपोर्ट धारण करने वाले विद्यार्थी जिसमें भारतीय मूल के लोग भी सम्मिलित हैं जिन्होंने विदेशी मुल्कों की राष्ट्रीयता अर्जित की है विदेशी विद्यार्थी के रूप में सम्मिलित होंगे।

(दो) अप्रवासी भारतीय (एनआरआई)— केवल वे अप्रवासी भारतीय विद्यार्थी जिन्होंने विदेशी मुल्कों में विद्यालयों महाविद्यालयों से अध्ययन किया हो तथा उत्तीर्ण हुए हों, अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी के रूप में सम्मिलित होंगे। इसमें विदेशी मुल्कों में स्थित विद्यालय, महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी भी सम्मिलित होंगे यदि वह भारत में अवस्थित माध्यमिक शिक्षा मंडल या विश्वविद्यालय से संबद्ध हो किन्तु इन विद्यालयों, महाविद्यालयों (भारत में अवस्थित) और विदेशी मुल्कों के माध्यमिक शिक्षा मण्डल या विश्वविद्यालयों से संबद्ध में अध्ययनरत विद्यार्थी सम्मिलित नहीं होंगे। भारत में बाह्य विद्यार्थी एवं अप्रवासी भारतीय के रूप में आश्रित हैं, विदेशी मुल्कों में अवस्थित मण्डलों विश्वविद्यालयों से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी, अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी के रूप में सम्मिलित नहीं होंगे।

देश में प्रवेश पर अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों की प्रवेश स्तरीय प्रास्थिति को अनुरक्षित रखा जायेगा।

9.4 पात्रता योग्यता— विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु पात्रता के लिए आवश्यक योग्यताएं विवरणिका में जांच की जा सकती है। केवल उन विद्यार्थियों को जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए आई यू) द्वारा यथा समकक्ष मान्यता प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालयों या उच्च शिक्षा के मण्डलों से अर्हित है, प्रवेश हेतु पात्र होंगे। जब आवश्यक हो, भारतीय विश्वविद्यालय संघ इसकी समकक्षता की जांच करेगी।

9.5 अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों का प्रवेश — अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों का प्रवेश विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी सेल के माध्यम से होगा। विद्यार्थी को सामान्यतः पाठ्यक्रम के आरंभ में प्रवेश दिया जायेगा। यद्यपि स्थानांतरण की दशा में यदि अभ्यर्थी पात्र है तो अन्य संस्थानों से पाठ्यक्रम के मध्य में भी स्थानांतरण के रूप में विद्यार्थी को प्रवेश दिया जा सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों का प्रवेश दो स्तरों में किया जायेगा। पहले विद्यार्थी, संस्था ग्रहण करने, आवेदन प्रपत्र और संस्थान की विवरणिका और संस्थान के वेबसाइट से आवश्यक पात्रता, उपलब्ध, पाठ्यक्रम और प्रवेश प्रक्रिया

हेतु जानकारी प्राप्त करेगा। अंतिम प्रवेश हेतु आवेदन अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी सेल को प्रस्तुत की जायेगी। सेल पात्रता की जांच कर अंतिम प्रवेश पत्र जारी करेगा। वीसा प्राप्त करने और अन्य औपचारिकताओं को पूर्ण करना अपेक्षित है।

अंतिम प्रवेश प्राप्त करने के पश्चात् विद्यार्थी को वीसा और अन्य समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करना होगा। इसके पश्चात् विद्यार्थी संस्थान में अंतिम प्रवेश हेतु, जहां वह पाठ्यक्रम को ग्रहण करना चाहता/चाहती है प्रतिवेदन देगा। अगले चरण में संबंधित स्थान से आवेदन प्रपत्र भर कर आवश्यक फीस का भुगतान करेगा। इसके पश्चात् विद्यार्थी को चिकित्सा परीक्षण कराना होगा। विद्यार्थी विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा प्राधिकृत/मान्यता प्राप्त कुछ अन्य एजेंसियों द्वारा आयोजित अंग्रेजी दक्षता परीक्षा के लिये उपस्थित हो सकेंगे। यह एक बार हो जाने पर अंतिम प्रवेश दिया जायेगा। अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी यू.एस. डॉलर में फीस का भुगतान करेगा। विशेष प्रकरण में समकक्ष भारतीय रूपये में फीस का भुगतान हेतु अनुमति होगी। अंतिम प्रवेश अर्जित करने हेतु सामान्यतः निम्नलिखित फीस देय होगी। प्रपत्र फीस (बुलेटिन के मूल्य में सम्मिलित, यदि क्रय किया जाता है), पात्रता फीस एवं प्रशासनिक फीस (सीधे प्रवेश एवं स्थानांतरण के मामले के लिए भिन्न हो सकता है)।

- 9.6 अनुपालन पाठ्यक्रम अंग्रेजी में— अंग्रेजी में उपचारात्मक पाठ्यक्रम विद्यार्थी जिसे अंग्रेजी में प्रवीणता या आधार पाठ्यक्रम के अधीन परीक्षा देना आवश्यक है, विहित फीस जैसा लागू हो का भुगतान करेगा। इसका भुगतान विद्यार्थी तब करेगा जब अंतिम रूप से प्रवेश होगा। विभिन्न पाठ्यक्रमों में फीस समय-समय पर भिन्न होगी।

अनंतिम प्रवेश प्राप्त होने के पश्चात् विद्यार्थी ने पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त नहीं लिया है तो बैंक कमीशन और डाक फीस जैसा कि लागू हो, कटौती कर प्रशासनिक फीस को वापस कर दिया जायेगा।

अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी, जिसे भारत के बाहर के विश्वविद्यालय या संवैधानिक मण्डल से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया गया है, किसी अन्य संगठन संस्था द्वारा संचालित अंग्रेजी में प्रवीणता परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकेगा।

विद्यार्थी पाठ्यक्रम को निरंतर करेगा और उसे अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी के लिए उपचारात्मक अंग्रेजी पाठ्यक्रम या आधार पाठ्यक्रम जो भी पहले हो, सफलतापूर्वक पूर्ण करना होगा।

आर.ई.सी.आई.एस. ने ऐसे विद्यार्थियों की आवश्यकता को देखते हुए जो अंग्रेजी भाषा में अपनी प्रवीणता को सुधारना चाहता हो, अंग्रेजी भाषा में पाठ्यक्रम को विशेष रूप से तैयार किया है। इस पाठ्यक्रम को अन्य नियमित पाठ्यक्रमों के साथ-साथ या स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है।

इन्टरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम (आई.इ.एल.टी.एस) को विशेष रूप से अंग्रेजी भाषा में अपनी प्रवीणता में सुधार करने वाले छात्रों के जरूरतों को पूरा करने के लिए अंग्रेजी भाषा पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। यह पाठ्यक्रम अन्य नियमित पाठ्यक्रमों या स्वतंत्र रूप से एक साथ किया जा सकता है।

- 9.7 पाठ्यक्रम का स्थानांतरण या परिवर्तन— अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी जिसे किसी विशेष पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया गया है, पाठ्यक्रम में परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जायेगी। भारत में एक संस्थान से दूसरे में स्थानांतरण की अनुमति भी नहीं दी जायेगी। समान्यतः अपवादिक मामलों में, संस्थान के सक्षम प्राधिकारी की अनुमति एवं पाठ्यक्रम की उपलब्धता, पात्रता नियमों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी सेल अनुमति दे सकेगा।
- 9.8 भारत सरकार के स्कालर— अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी जिसे राष्ट्रीय एजेंसी जैसे कि आई.सी.सी.आर., यू.जी.सी., नई दिल्ली आदि द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की गई है, को प्रवेश देते समय और हॉस्टल की सुविधा हेतु विशेष तौर पर प्राथमिकता दी जायेगी। विभिन्न विदेशी सरकारों से प्रायोजित अभ्यर्थियों को भी प्रशिक्षण, अध्ययन और शोध हेतु उसी तरह से प्राथमिकता दी जायेगी।
- 9.9 अनुशासन— अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी संस्थान के नियमों से बाध्य होंगे तथा भारतीय विद्यार्थी भी आचरण संहिता यदि लागू हो, उसी तरह से बाध्य होंगे।
- 9.10 परीक्षा तथा डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण पत्रों को प्रदान किया जाना— परीक्षा की प्रक्रिया, परीक्षा फीस का भुगतान, अंकसूची जारी करने, उत्तीर्ण प्रमाण पत्रों को जारी करना, डिग्री दिये जाने की प्रक्रिया भी ऐसी होगी, जैसा कि भारतीय विद्यार्थियों के लिए उन पाठ्यक्रमों में है। स्नातक पूर्ण करने हेतु अभ्यर्थी को डिग्री पाठ्यक्रम के दौरान एक बार पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न पत्र को उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। पर्यावरण अध्ययन के अंक किसी भी दशा में श्रेणी को प्रभावित नहीं करेंगे।
- 9.11 उपसंहार — नियमों के निर्वचन पर कोई भिन्नता होने की स्थिति में प्रवेश समिति सेल का अभिमत अंतिम होगा। फीस पुनःरीक्षण के दायित्वहीन होगा, तथा जब लागू हो, विद्यार्थी पुनःरीक्षित फीस का भुगतान करेगा। कोई बिन्दु जो विशेष रूप से स्पष्ट नहीं हुआ हो, कुलपति का निर्णय अंतिम होगा।

10. निर्देश का माध्यम

श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय में निर्देश का माध्यम विशेषीकृत भाषाओं से संबंधित विषयों को छोड़कर अंग्रेजी और/या हिन्दी होगी।

अध्यादेश-2

विश्वविद्यालय की परीक्षाएँ

1. परिभाषाएँ:

- 1.1 “शैक्षणिक कार्यक्रम” से अभिप्रेत है स्नातक डिग्री, स्नातकोत्तर डिग्री, स्नातकोत्तर एवं स्नातक डिप्लोमा, एम.फिल., पी.एच.डी. डिग्री एवं प्रमाणपत्र के लिए अग्रसरित पाठ्यक्रम एवं/या कोई अन्य विषय।
- 1.2 “शैक्षणिक वर्ष” से अभिप्रेत है, शिक्षण एवं संबंधित परीक्षा योजना में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु समर्पित 12 माह की कालावधि।
- 1.3 “सेमेस्टर प्रणाली” से अभिप्रेत है, प्रोग्राम जिसमें प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष जिसमें प्रत्येक छः माह का दो सेमेस्टर में नियत है।
- 1.4 “ए.टी.के.टी. अभ्यर्थी” से अभिप्रेत है, वह अभ्यर्थी जो सेमेस्टर परीक्षा में कुल प्रश्न पत्र में 35% से अधिक अंक अर्जित न होने के कारण असफल हो गया हो, जहाँ 35% की गणना पूर्णांक के रूप में किया जायेगा, तथा उसे पुनः उसी सेमेस्टर की परीक्षा में जो आगामी सेमेस्टर परीक्षा आयोजित किया जा रहा हो, उसमें उपस्थित हो।
- 1.5 “पूरक विद्यार्थी” से अभिप्रेत है, वह अभ्यर्थी जो सेमेस्टर परीक्षा में कुल प्रश्न पत्र में 35% से अधिक न होने के कारण असफल हो गया हो, जहाँ 35% की गणना पूर्णांक के रूप में किया जायेगा।
- 1.6 “अभिप्रमाणित” से अभिप्रेत है, अग्रेषण अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित।
- 1.7 “सह-परीक्षक” से अभिप्रेत है प्रश्नपत्र सेटर से भिन्न लिखित प्रश्नपत्र का सह-परीक्षक।
- 1.8 “पाठ्यक्रम” से अभिप्रेत है, उसके द्वारा समनुदेशित महत्वपूर्ण कोड नम्बर एवं विशिष्ट क्रेडिट/अंक से संबंधित शैक्षणिक कार्यक्रम के संघटक।
- 1.9 “भूतपूर्व विद्यार्थी” से अभिप्रेत है अभ्यर्थी जो नियमित अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा में प्रवेश लिया था तथा उसे उस समय सफल घोषित नहीं किया गया था अथवा प्रवेश पत्र के माध्यम से जो श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया था सही था, परीक्षा में उपस्थित होने में समर्थ नहीं था तथा उक्त परीक्षा में पुनः प्रवेश चाहता है।
- 1.10 “बाह्य परीक्षक” से अभिप्रेत है, परीक्षक जो विश्वविद्यालय या उसकी संस्था/केन्द्र/विभाग के नियोजन में हो।
- 1.11 “अग्रेषण अधिकारी” से अभिप्रेत है, अधिकारी जो विश्वविद्यालय या उसकी संस्था/केन्द्र/विभाग के नियोजन में हो।

- 1.12 “आंतरिक परीक्षक” से अभिप्रेत है, परीक्षक जो विश्वविद्यालय या उसकी संस्था/केन्द्र/विभाग के नियोजन में हो और:
 (एक) सैद्धांतिक प्रश्नपत्र की दशा में, परीक्षक, प्रश्न पत्र सेटर सहित जो विश्वविद्यालय रूप में चिन्हांकित संस्था का शिक्षक हो।
 (दो) प्रायोगिक एवं मौखिक परीक्षा की दशा में, परीक्षक जो संबंधित विषय में विश्वविद्यालय का शिक्षक हो।
- 1.13 “नियमित अभ्यर्थी” से अभिप्रेत है, ऐसा अभ्यर्थी जो श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय के शिक्षण विभाग या संस्था या केन्द्र में अध्ययन पाठ्यक्रम में नियमित रूप से हो, तथा जो इस प्रकार श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय की परीक्षा में प्रवेश चाहता हो।
- 1.14 “नियमित अध्ययन पाठ्यक्रम” से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग या संस्था/केन्द्र में प्रत्येक विषय जिसमें अभ्यर्थी परीक्षा देने का आशय रखता हो, में नियमित अध्ययन पाठ्यक्रम।
- 1.15 “द्वितीय ए.टी.के.टी./पूरक अभ्यर्थी” से अभिप्रेत है, अभ्यर्थी जो सेमेस्टरांत/वार्षिक परीक्षा में कुल प्रश्न पत्र में 35% से अधिक अंक प्राप्त न करने के कारण असफल हो गया हो तथा आगामी सेमेस्टरांत/वार्षिक परीक्षा में आयोजित उसी परीक्षा में उन्हीं प्रश्न पत्रों में उत्तीर्ण होने में पुनः असफल हो गया हो तथा आगामी बैच अर्थात् जूनियर बैच (उससे तत्काल जूनियर बैच) के विद्यार्थियों के लिये आयोजित उसी परीक्षा के नियमित सेमेस्टरांत परीक्षा में उन्हीं प्रश्न पत्रों को उत्तीर्ण करने के लिये द्वितीय एवं अंतिम बार उपस्थित हुआ हो।
- 1.16 “विद्यार्थी” से अभिप्रेत है, इस अध्यादेश के प्रयोज्य अनुसार किसी शैक्षणिक कार्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय एवं उसके सहबद्ध संस्थाओं/केन्द्रों के विभागों में प्रवेशित व्यक्ति।
- 1.17 “पूरक कम्पार्टमेंट” से अभिप्रेत हैं, वह अभ्यर्थी जो सेमेस्टर परीक्षा में कुल प्रश्न पत्र में 35% से अधिक न होने के कारण असफल हो गया हो।
- 1.18 “विश्वविद्यालय” से अभिप्रेत है, श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय।
- 1.19 “गोल्डन चान्स” से अभिप्रेत हैं, गोल्डन ए.टी.के.टी./पूरक। ऐसे विद्यार्थी जो अन्तिम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण कर लिए हो, लेकिन पूर्व की किसी सेमेस्टर/वार्षिक परीक्षा में ए.टी.के.टी./पूरक आ गया हो। उन विद्यार्थियों को गोल्डन ए.टी.के.टी./पूरक में शामिल होने का अवसर प्रदान किया जायेगा, जिसमें कुल विषयों का निर्धारण विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति द्वारा, किया जायेगा।

2. विश्वविद्यालयीन परीक्षा

- 2.1 विश्वविद्यालय, विद्या परिषद् द्वारा यथा अनुमोदित सभी ऐसे शैक्षणिक कार्यक्रम के लिये परीक्षा आयोजित करेगा तथा वह निर्धारित शिक्षण एवं परीक्षा योजना एवं विद्या परिषद् द्वारा यथा अनुमोदित सिलेबस के अनुसार, यथास्थिति, बैचलर/मास्टर डिग्री,

स्नातक/स्नातकोत्तर, डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिये समय-समय पर अधिसूचित कर सकेगा।

- 2.2 विश्वविद्यालय की परीक्षा नियमित विद्यार्थियों, भूतपूर्व विद्यार्थियों एवं पूरक/ए.टी.के.टी विद्यार्थियों के लिए प्रारंभ रहेगा। परंतु विद्या परिषद्, ऐसी शर्तों जैसा कि विद्या परिषद् द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये गये को पूरा करने के अध्यक्षीन रहते हुए किसी विशिष्ट शैक्षणिक कार्यक्रम के लिए विश्वविद्यालयीन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी के किसी अन्य प्रवर्ग को भी अनुज्ञात कर सकेगा।
- 2.3 कोई व्यक्ति, जिसे विश्वविद्यालय से निष्काषित अथवा निस्सारित किया गया है, या विश्वविद्यालयीन परीक्षा में सम्मिलित होने से विवर्जित किया गया हो, को दण्ड के प्रचलित रहने की अवधि के दौरान किसी भी परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। विद्यार्थी को उपस्थिति में कमी के कारण एवं विश्वविद्यालय के किसी अन्य अध्यादेश में यथा उपबंधित अन्य कारण से सेमेस्टर/वर्षांत परीक्षा में उपस्थित होने से विवर्जित किया जा सकेगा।

3. कार्यक्रम विषय-वस्तु एवं अवधि

- 3.1 बैचलर/मास्टर डिग्री, एफ.फिल./पी.एच.डी. डिग्री तथा स्नातक एवं स्नातकोत्तर, डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट कार्यक्रम में शिक्षण एवं परीक्षा योजना तथा विद्या परिषद् द्वारा यथा अनुमोदित संबंधित कार्यक्रम के सिलेबस में यथा विनिर्दिष्ट पाठ्यक्रम एवं/या अन्य विषयवस्तु समाविष्ट होंगे। प्रत्येक पाठ्यक्रम में विनिर्दिष्ट क्रेडिट/अंक के अंतर्गत समय-समय पर अधिमान्यता दी जायेगी।
- 3.2 कार्यक्रम को पूरा करने के लिए अपेक्षित न्यूनतम अवधि में, शिक्षण एवं परीक्षा योजना एवं संबंधित कार्यक्रम के लिये सिलेबस में यथा विनिर्दिष्ट कार्यक्रम अवधि होंगे।
- 3.3 कार्यक्रम जिसके लिए विहित कार्यक्रम अवधि सेमेस्टर में है, को पूरा करने के लिये न्यूनतम अनुज्ञेय अवधि, $(n+4)$ सेमेस्टर के लिए होगा, जहां "n" सेमेस्टर की कुल संख्या है। कार्यक्रम की सभी अपेक्षाएं $(n+4)$ सेमेस्टर में पूरा करना होगा।
- 3.4 कार्यक्रम जिसके लिए विहित कार्यक्रम अवधि वार्षिक में है, को पूरा करने के लिये न्यूनतम अनुज्ञेय अवधि, $(n+2)$ वर्ष के लिये होगा, जहां "n" वार्षिक परीक्षा की कुल संख्या है। कार्यक्रम की सभी अपेक्षाएं $(n+2)$ वर्ष में पूरा करना होगा।

4. सेमेस्टर

- 4.1 शैक्षणिक वर्ष दो सेमेस्टर में होंगे, प्रत्येक सेमेस्टर लगभग 23 सप्ताह की कार्यवधि की होगी।
- 4.2 शैक्षणिक कैलेण्डर, शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने के पूर्व, प्रत्येक वर्ष विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित की जायेगी।
- 4.3 शिक्षण कार्य के लिए समर्पित सेमेस्टर के शैक्षणिक ब्यौरा निम्नानुसार होगा—
- (क) शिक्षण प्रदान करना एवं/या प्रयोगशाला कार्य (क्लास टेस्ट सहित) — 19 सप्ताह
- (ख) तैयारी का अवकाश — 01 सप्ताह
- (ग) सेमेस्टरांत परीक्षा, प्रायोगिक/प्रयोगशाला परीक्षा सहित — 03 सप्ताह

5. आंतरिक अंकों की प्रस्तुति

असाइनमेंट, क्लास टेस्ट का परिणाम एवं उपस्थिति का विवरण, सेमेस्टरांत परीक्षा के प्रारंभ के कम से कम 10 दिनों के पूर्व परीक्षा के नियंत्रक को प्रस्तुत किया जायेगा। क्लास टेस्ट, असाइनमेंट एवं उपस्थिति के विहित अधिमान्यता पर आंतरिक अंक दिया जायेगा।

6. विश्वविद्यालयीन परीक्षा में प्रवेश

- 6.1 समस्त विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के किसी परीक्षा में उपस्थित होने अनुमति के लिए विहित परीक्षा प्रपत्र भरना होगा जो संकाय के विभाग प्रमुख के प्रमुख के माध्यम परीक्षा नियंत्रक को अग्रेषित किया जायेगा।
- 6.2 विश्वविद्यालय परीक्षा में प्रवेश पत्र के लिए परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय नामांकन पंजी से सभी आवेदन पत्रों की जांच करेंगे और अधूरे आवेदन पत्रों को अस्वीकार करने की जिम्मेदारी परीक्षा नियंत्रक की होगी। साथ ही ऐसे प्रकरणों में अस्वीकृत आवेदन पत्रों से जानकारी प्राप्त कर मामले कि वास्तविकता के आधार पर परीक्षा में प्रवेश की अनुमति दे सकते हैं।
- 6.3 नियमित विद्यार्थियों के आवेदन को अग्रेषित करते समय संकाय के संस्था प्रमुख/संबंधित विद्यापीठ या संस्थान का प्रमुख प्रमाणित करेगा कि:
- (एक) अभ्यर्थी ने सक्षम प्राधिकारी से जारी प्रमाणपत्र द्वारा उसे संतुष्ट कर दिया है, कि अभ्यर्थी वह परीक्षा उत्तीर्ण है जिसे अगली परीक्षा हेतु अर्हकारी हेतु माना गया है।
- (दो) अभ्यर्थी विहित कालावधि से अध्ययन के पाठ्यक्रम में नियमित रूप अध्ययनरत है तथा वह आवश्यक उपस्थिति की प्रतिपूर्ति करता है।
- (तीन) उसका आचरण संतोषजनक है।

- 6.4 जैसा कि अध्यादेश में निहित है नियमित/भूतपूर्व विद्यार्थी द्वारा विहित परीक्षा फीस के भुगतान की पावती के साथ परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति हेतु आवेदन पत्र परीक्षक नियंत्रण के कार्यालय पर आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के पूर्व प्रस्तुत करेंगे ।
- 6.5 अभ्यर्थी को विनिर्दिष्ट अंतिम तिथि के 7 दिवस के भीतर परीक्षा फीस एवं विहित विलंब फीस के साथ सेमेस्टर परीक्षा हेतु आवेदन पत्र जमा करने की अनुमति परीक्षा नियंत्रण/कुलसचिव दे सकेगा।
- 6.6 एटीकेटी के लिए पात्र परीक्षार्थी अपना आवेदन पत्र परिणाम घोषित होने के 30 दिनों के अंदर परीक्षा नियंत्रक/कुलसचिव को एटीकेटी परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगे।
- 6.7 द्वितीय एटीकेटी परीक्षा में उपस्थित होने के लिये आवेदन संकाय में संस्था प्रमुख/संस्था प्रमुख या संबंधित विभाग के माध्यम से इसमें विहित एवं विनिर्दिष्ट प्रारूप में नियमित सेमेस्टर प्रारंभ होने के 30 दिवस के पूर्व परीक्षा नियंत्रक के कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए।
- (एक) विषय या विषयों जिसमें वह परीक्षा हेतु प्रस्तुत होने की इच्छा रखता/रखती हो।
- (दो) उसे पूर्व की परीक्षा में प्रवेश दिया गया था इसका आवेदन साक्ष्य प्रस्तुत करेगा।
- (तीन) भूतपूर्व विद्यार्थी को विषयों या वैकल्पिक पत्रों में जिसमें नियमित अभ्यर्थी के रूप में पूर्व में ऑफर दिया गया था, ऑफर दिया जायेगा यदि परीक्षा की योजना में परिवर्तन नहीं होता है तो परीक्षा हेतु परीक्षा या पाठ्यचर्या के योजना का एक भाग बंद होने पर उसके द्वारा प्रश्न पत्र/विषय का ऑफर दिया जायेगा तथा विभिन्न विषय या प्रश्न पत्र के ऑफर के स्थान पर विश्वविद्यालय द्वारा अनुमति दी जायेगी।
- (चार) भूतपूर्व विद्यार्थी को विभिन्न विषयों में अध्ययन के विनिर्दिष्ट महत्व के पाठ्यचर्या के अनुसार परीक्षा में उपस्थित होने की आवश्यकता होगी।
- 6.8 विश्वविद्यालय की परीक्षा में नियमित विद्यार्थी को तब तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा:
- (एक) अध्यादेश के प्रावधानों के अनुसार विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग/संस्थान/ केन्द्र में नियमित विद्यार्थी के रूप में नामांकित न हो।
- (दो) परीक्षा हेतु अध्ययन पाठ्यक्रम को नियमित रूप से नहीं किया हो, जिसमें वह प्रवेश चाहता हो, परीक्षा में प्रवेश हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता धारण न करता हो।

- (तीन) इस अध्यादेश के समस्त अन्य प्रावधानों से संतुष्ट न हो जो उस पर लागू होते हो एवं कोई अन्य अध्यादेशों से नियंत्रित होने वाले प्रवेश परीक्षा जिसमें वह प्रवेश चाहता/चाहती हो।
- 6.9 जहां अभ्यर्थी परीक्षा से संबंधित अध्यादेशों के प्रावधानों के अनुसार परीक्षा हेतु अतिरिक्त विषय का प्रस्ताव करता है, ऐसे अतिरिक्त विषय की दशा में समान रूप में न्यूनतम उपस्थिति की आवश्यकता लागू होगी।
- 6.10 अध्ययन के नियमित पाठ्यक्रम के संबंध में शर्तों को पूरा करने हेतु उपस्थिति की गणना निम्नानुसार होगी:-
- (एक) शैक्षणिक सत्र के दौरान दिये गये व्याख्यानों एवं प्रायोगिक/क्लीनिकल/सत्र में उपस्थिति, यदि कोई हो की गणना होगी।
- (दो) नियमित परीक्षार्थी की उच्च कक्षा में उपस्थिति की गणना उसकी निम्न कक्षा में परीक्षा की पात्रता के निर्धारण हेतु प्रतिशत रूप में की जायेगी जिस कक्षा में द्वितीय ए.टी.के.टी/पूरक परीक्षा में असफल रहने के कारण अवनत किया गया।
- 6.11 अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में तब तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा जब तक कि वह परीक्षा केन्द्र के अधीक्षक या परीक्षक के समक्ष प्रवेश पत्र प्रस्तुत नहीं करता या ऐसे अधिकारियों को संतुष्ट न कर देता है कि प्रवेशपत्र प्रस्तुत करूँगा। अधीक्षक या परीक्षक द्वारा प्रवेशपत्र जब भी मांगा जाये, अभ्यर्थी, प्रस्तुत करेगा।

7. उपस्थिति

- 7.1 अभ्यर्थी विश्वविद्यालय में अध्ययन के नियमित पाठ्यक्रम में शामिल समझा जायेगा, यदि वह व्याख्यान, शिक्षण संबंधी और प्रयोगिक कक्षाओं में 75 प्रतिशत उपस्थित रहता है। परंतु विद्या परिषद विशेष परिस्थितियों में उसके द्वारा अन्यथा उपबंधित को छोड़कर ऐसी उपस्थिति की कमी को माप कर सकेगा।
- 7.2 बीमारी के कारण, एन.सी.सी./एन.एस.एस. के कैम्प और परेड में उपस्थिति, अंतर विश्वविद्यालयीन या अंतरराज्यीय विश्वविद्यालयीन प्रतिस्पर्धा में विश्वविद्यालयीन टीम के सदस्य के रूप में भागीदारी तथा विहित शैक्षणिक यात्रा/फील्ड का दौरा/फील्ड कार्य और कोई अन्य कारण से कुलपति द्वारा विद्यार्थी को कुल उपस्थिति के 15 प्रतिशत की अधिकतम छुट दी जा सकती है, परंतु प्रभारी शिक्षक, सम्यक् हस्ताक्षरित उपस्थिति अभिलेख को संबंधित संस्था प्रमुख को कार्य/ गतिविधि आदि के दो सप्ताह के भीतर, भेजेगा।
- 7.3 परंतु यह और कि बीमारी/चिकित्सकीय अयोग्यता की स्थिति में, माफी का आवेदन पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी/लोक चिकित्सालय द्वारा जारी एवं मुख्य

चिकित्सा अधिकारी (सिविल सर्जन) या विश्वविद्यालय स्वास्थ्य केन्द्र या श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय/संस्थान/विभाग/अध्ययन केन्द्र के पदीय चिकित्सक द्वारा सम्यक रूप से अधिप्रमाणित चिकित्सा प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित होगा। ऐसा आवेदन, इलाज/चिकित्सालय में भर्ती होने की अवधि के दौरान या स्वास्थ्य लाभ होने के दो माह के भीतर प्रस्तुत करना होगा।

8. मूल्यांकन एवं परीक्षा

- 8.1 पाठ्यक्रम का सम्पूर्ण अधिभार तथा शिक्षण एवं परीक्षा योजना का निर्धारण, पाठ्यक्रम के क्रेडिट/अंक के अध्यक्षीन होगा।
- 8.2 पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों के मूल्यांकन के दो तत्व होंगे यदि शिक्षण और परीक्षा तथा पाठ्यचर्या की योजना में अन्यथा कथन विनिर्दिष्ट न हो:
(एक) सेमेस्टरांत परीक्षा अथवा वार्षिक परीक्षा के माध्यम से
(दो) पाठ्यक्रम के शिक्षकों द्वारा नियमित मूल्यांकन
- 8.3 नियमित मूल्यांकन : कुलपति की अनुमति से अध्ययन मण्डल जैसे पाठ्यक्रमों में जहां सतत मूल्यांकन निर्धारित किया गया है वहां कक्षा परीक्षण प्रश्नोत्तरी कार्य, एसाइनमेंट एवं समूह चर्चा आदि पर आधारित होगा, संबंधित अध्ययन मण्डल कुलपति के अनुमोदन से इसकी विस्तृत रूप रेखा का निर्णय ले सकेगा।
- 8.4 एसाइनमेंट (सौंपे गए कार्य)
(एक) एसाइनमेंट की प्रस्तुति एवं उनका मूल्यांकन कराने का दायित्व विभाग प्रमुख का होगा वह एसाइनमेंट की तैयारी और मूल्यांकन में पूर्ण पारदर्शिता रखेगा।
(दो) सम्पूर्ण कक्षा, समूहों में विभाजित होगी। प्रत्येक समूह को न्यूनतम समान्यता के साथ पृथक प्रकार का एसाइनमेंट दिया जायेगा।
(तीन) विद्यार्थी को प्रत्येक सेमेस्टर में प्रत्येक विषय पर निर्धारित न्यूनतम दो या संकाय द्वारा यथानिर्धारित एसाइनमेंट दिये जायेंगे।
(चार) प्रत्येक विद्यार्थी, को प्रस्तुतीकरण/साक्षात्कार की प्रक्रिया के माध्यम से स्वयं द्वारा पूर्ण किये गये एसाइनमेंट का बचाव करना आवश्यक होगा।
(पांच) एसाइनमेंट को विभिन्न विभागों के लिए समय-समय पर विद्या परिषद् द्वारा अनुमोदित मानक प्रारूप अनुसार तैयार किया जायेगा।
(छः) विद्यार्थी को एसाइनमेंट जारी होने की तिथि से दो सप्ताह के भीतर एसाइनमेंट प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

8.5 शोध लेख/थीसिस

स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत शोधलेख/थीसिस का मूल्यांकन कराया जाएगा जहां-कहीं पाठ्यचर्या में विनिर्दिष्ट है, आंतरिक परीक्षकों द्वारा दिये गये अंको

का कुल भार (weightage) 30% माना जायेगा जबकि बाह्य परीक्षको द्वारा दिये गये अंको का 70% भार (weightage) दिया जावेगा । अध्यादेश में जैसा कि विनिर्दिष्ट है, कुलपति उनके समक्ष प्रस्तुत तीन या अधिक नामों के सुझाए गये पैनल से परीक्षको की नियुक्ति कर सकेंगे । किसी प्रकरण में उचित प्रतित होने की दशा में विश्वविद्यालय, शिक्षकों द्वारा किए गये समस्त नियमित मूल्यांकनों के अभिलेख अपने समक्ष बुला सकता है तथा शिक्षको द्वारा किये गये मूल्यांकन को मॉडरेट भी करवा सकता है ।

8.6 सेमेस्टरांत / वार्षिक परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन

स्नातक / स्नातकोत्तर डिग्री / अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा / स्नातकोत्तर डिप्लोमा

अ. सैद्धांतिक पाठ्यक्रम

(एक) सेमेस्टर अंत परीक्षा 70% 70%

(दो) शिक्षकों द्वारा नियमित 30% 30%

मूल्यांकन

ब. प्रयोगिक / प्रयोगशाला

पाठ्यक्रम

(एक) सेमेस्टर अंत परीक्षा 70% 70%

(दो) शिक्षकों द्वारा नियमित 30% 30%

मूल्यांकन

स. शोध लेख / थीसिस

(एक) बाह्य परीक्षक द्वारा

मूल्यांकन 70% 70%

(दो) आंतरिक परीक्षक द्वारा

मूल्यांकन 30% 30%

द. कार्यक्रम के कोई अन्य भाग जो उपरोक्त के अंतर्गत न हो तो अंको के वाछिंत भार शासी निकाय द्वारा पुष्टि के उपरांत अध्ययन मण्डल द्वारा विहित किया जायेगा।

9. श्रुति-लेख की नियुक्ति

9.1. श्रुति लेख निम्नलिखित की दशा में अनुज्ञात किया जायेगा:-

(एक) दृष्टिहीन अभ्यर्थी; और

(दो) अभ्यर्थी जो दुर्घटना या बीमारी के कारण असमर्थ है और स्वयं के हाथों से लिख पाने में असमर्थ है।

उपरोक्त 9.1 (दो) के अधीन अभ्यर्थी को चिकित्सा अधिकारी / जिला चिकित्सा मण्डल से चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

9.2 परीक्षा नियंत्रक, परीक्षा आरंभ होने के एक सप्ताह पूर्व अभ्यर्थी से आवेदन प्राप्त होने पर, श्रुति लेखक की नियुक्ति हेतु व्यवस्था करेगा और संबंधित परीक्षा अधीक्षक को सूचित करेगा।

- 9.3 श्रुति लेखक, संबंधित अभ्यर्थी की अपेक्षा कम योग्यता का व्यक्ति होगा।
- 9.4 परीक्षा अधीक्षक, असमर्थ अभ्यर्थी के लिए समुचित कक्ष की व्यवस्था करेगा तथा परीक्षा नियंत्रक के कार्यालय द्वारा दी गई सूची से विशेष परीक्षक की नियुक्ति करेगा।
- 9.5 दृष्टिहीन अभ्यर्थियों को, 3 घंटे की अवधि की अवधि की परीक्षा में एक घंटे का अतिरिक्त समय दिया जायेगा।
- 9.6 विद्यमान अनुमोदित दर पर परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा श्रुति लेखक को मानदेय दिया जायेगा।

10. एटीकेटी अभ्यर्थियों के लिए पात्रता मापदण्ड :

10.1

(एक) अभ्यर्थी, जो किसी सेमेस्टर/वर्षांत परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया हो और विशिष्ट सेमेस्टर/वर्ष जिसमें प्रायोगिक परीक्षा सम्मिलित है, के प्रश्न पत्रों की कुल संख्या के 35% से अधिक न हो, अगामी एटीकेटी परीक्षा में प्रविष्ट होने के लिये पात्र होंगे।

(दो) परन्तु यदि अभ्यर्थी एटीकेटी के प्रथम प्रयास में किसी भी प्रश्न पत्र में परीक्षा उत्तीर्ण करने में असमर्थ है तो वह द्वितीय एटीकेटी परीक्षा में उपस्थित होने हेतु पात्र होगा।

10.2 एटीकेटी परीक्षा के विषय जिसमें प्रायोगिक परीक्षा भी है, की स्थिति में, अभ्यर्थी को केवल लिखित परीक्षा में, यदि वह मुख्य परीक्षा में प्रायोगिक में उत्तीर्ण हो गया हो और केवल प्रायोगिक में यदि वह लिखित प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण हो, प्रविष्ट होना आवश्यक होगा। अभ्यर्थी जो लिखित प्रश्न पत्र और प्रायोगिक दोनों में अनुत्तीर्ण हो गया हो, को विषय के दोनों भाग में परीक्षा देना होगा। प्रायोगिक और सैद्धांतिक दोनों प्रश्न पत्र में अनुत्तीर्ण होने पर, दो विभिन्न प्रश्न पत्रों में उत्तीर्ण करने में असफल विद्यार्थी माना जावेगा।

10.3 इस अध्यादेश में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, अभ्यर्थी, जिसे एटीकेटी परीक्षा हेतु पात्र घोषित किया जा चुका हो, एटीकेटी परीक्षा के अभ्यर्थी के रूप में तत्काल होनी वाली अगली परीक्षा जिसमें उसे इस प्रकार पात्र घोषित किया गया था, में प्रविष्ट हो सकेगा।

10.4 कोई अभ्यर्थी जो एटीकेटी परीक्षा में उपस्थित हो रहा हो, यदि वह विषय या समूह, जैसी भी स्थिति हो, में इस परीक्षा अध्यादेश में अन्यथा उपबंधित को छोड़कर, न्यूनतम उत्तीर्ण अंक प्राप्त करता हो, परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किया जायेगा। एटीकेटी सेमेस्ट्रांत परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों को, परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा अंतिम डिवीजन का अवधारण करने हेतु गणना में लिया जायेगा।

- 10.5 अभ्यर्थी के प्रथम प्रयास में एटीकेटी/पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण होने में असफल रहने की स्थिति में उसे एक और एटीकेटी/पूरक परीक्षा में प्रविष्ट होने का अवसर उपलब्ध रहेगा। परंतु उसे विश्वविद्यालय द्वारा जब कभी भी ऐसी परीक्षा आयोजित की जावे में, उक्त सभी प्रश्न-पत्र संबंधित सेमेस्टर की नियमित परीक्षा के साथ ही उत्तीर्ण करने होंगे।
- 10.6 यदि ऐसा अभ्यर्थी, द्वितीय एटीकेटी/पूरक परीक्षा के रूप में ज्ञात द्वितीय प्रयास में अपने प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण होने में असफल हो जाता है तो उसे गोल्डन चांस के रूप में सेमेस्टर/वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु प्रदान किया जायेगा बशर्ते कि उसने अपनी अंतिम सेमेस्टर/वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो।
- 11. विश्वविद्यालय परीक्षा का संचालन**
- 11.1 विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाएँ, कुलसचिव के प्रत्यक्ष नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के अधीन परीक्षा नियंत्रक द्वारा संचालित की जायेगी।
- 11.2 परीक्षा की समय-सारणी, विश्वविद्यालयीन परीक्षा के प्रारंभ होने के प्रथम दिन से कम से कम 10 दिन पूर्व परीक्षा नियंत्रक द्वारा अधिसूचित की जायेगी।
- 11.3 सैद्धांतिक के साथ-साथ प्रायोगिक परीक्षाओं एवं शोध लेख/थीसिस/परियोजना प्रतिवेदन/प्रशिक्षण प्रतिवेदन के सभी परीक्षकों की नियुक्ति, कुलपति के अनुमोदन से परीक्षा नियंत्रक द्वारा की जायेगी।
- 11.4 (एक) परीक्षा नियंत्रक प्रश्न पत्रों एवं उसे भेजे गये उत्तर पुस्तिकाओं की सुरक्षित अभिरक्षा के लिये व्यक्तिगत तौर पर उत्तरदायी होगा और उपयोग किये गये एवं अप्रयुक्त प्रश्न पत्रों एवं उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या की सम्पूर्ण रिपोर्ट विश्वविद्यालय कार्यालय को प्रस्तुत करेगा।
- (दो) अधीक्षक, अपने अधीन कार्यरत वीक्षकों के कार्यों का पर्यवेक्षण करेगा तथा विश्वविद्यालय द्वारा उसे जारी किये गये निर्देशों के अनुसार कड़ाई से परीक्षा संचालित करेगा।
- 11.5 कुलपति समय-समय पर, परीक्षा परीक्षकों अंकेक्षण मण्डल की नियुक्ति यह दृष्टिगत रखते हुए कर सकेगा कि अभिकथित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार परीक्षाओं का कड़ाई से संचालन हो रहा हो। परीक्षा आडिटर्स द्वारा नियमों व प्रक्रियाओं का भंग होना पाये जाने पर कुलपति ऐसी कार्यवाही कर सकेगा जैसा कि आवश्यक हो, इसमें केन्द्र में परीक्षा के सम्पूर्ण या किसी भाग को स्थगित या रद्द करना भी सम्मिलित है यदि परीक्षा केन्द्र में आयोजित सभी अथवा कुछ परीक्षाओं के संबंध में ऐसी कार्यवाही

की गई तो तत्संबंधी प्रतिवेदन प्रबंध मण्डल को प्रबंध मण्डल की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जावेगा ।

- 11.6 यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य केन्द्र अधीक्षक का होगा कि यदि परीक्षार्थी वही व्यक्ति है जिसने परीक्षा में उपस्थित होने के लिए आवेदन प्रपत्र भरा हुआ है, साथ उसके आवेदन पत्र पर चस्पा किये गये फोटो की सही तरीके से जाँच अथवा अन्य किसी उचित माध्यम द्वारा किया जा सकेगा ।
- 11.7 परीक्षा अधीक्षक, आवश्यकतानुसार, परीक्षा संचालन, वक्षिकों का प्रदर्शन और परीक्षार्थियों के सामान्य व्यवहार का उल्लेख करते हुए, परीक्षा संचालन के बारे में परीक्षा नियंत्रक को गोपनीय प्रतिवेदन भेजेगा। वह प्रत्येक परीक्षा में उपस्थित हुए परीक्षार्थियों की संख्या, अनुपस्थितों के रोल नम्बर एवं केन्द्र में हुए परीक्षा से संबंधित ऐसी अन्य जानकारी जैसा कि आवश्यक समझा जाये, किसी अन्य मामले के साथ-साथ जिसे वह विश्वविद्यालय की जानकारी में लाना उचित समझे, पर प्रतिदिन प्रतिवेदन भेजेगा। वह, परीक्षा के संचालन के संबंध में प्राप्त अग्रिम राशि और उपगत व्यय के लेखा विवरण संधारित करने हेतु तथा परीक्षा नियंत्रक को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- 11.8 केन्द्र अधीक्षक को पश्चातवर्ती परीक्षा के दिनों पर परीक्षार्थी को निम्न में से किसी भी आधार पर परीक्षा से बाहर करने की शक्ति होगी:
- (एक) परीक्षार्थी ने परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग किया है।
- (दो) परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र में उपद्रव या गंभीर गडबडी किया हो।
- (तीन) परीक्षार्थी ने परीक्षक या परीक्षा कार्य के साथ न्यस्त स्टाफ के सदस्यों के विरुद्ध गंभीर आक्रमक मनोवृत्ति का प्रदर्शन किया हो ।
- (चार) यदि आवश्यक हो, अधीक्षक को पुलिस की सहायता प्राप्त हो सकेगी । जहाँ अभ्यर्थी को बाहर कर दिया गया हो, वहाँ परीक्षा नियंत्रक को तुरन्त सूचना दी जायेगी ।
- (पाँच) अन्यथा निर्देश के सिवाय, केवल विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के शिक्षकों को, अधीक्षक द्वारा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया जायेगा । यदि अपेक्षित हो, अन्य शैक्षणिक संस्थानों से भी परीक्षकों को बुलाया जा सकेगा ।
- (छः) परीक्षार्थी किसी भी प्रयोजन के लिये, परीक्षा प्रारंभ होने के आधा घंटा के भीतर परीक्षा कक्ष को नहीं छोड़ेगा और इसके प्रारंभ होने के आधा घंटा के बाद परीक्षा कक्ष में विलम्ब से पहुंचने वालों को परीक्षा में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

- (सात) परीक्षार्थी को अस्थाई रूप से परीक्षा हाल को छोड़ने की अनुमति 15 मिनट तक ही होगी किसी भी परिस्थिति में इससे ज्यादा की अनुमति नहीं होगी।
- (आठ) यदि अभ्यर्थी प्रश्न पत्र में कोई कमी पाता है तो वह इसकी लिखित सूचना विक्षक के माध्यम से केन्द्र अधिक्षक को देगा ताकि तदनुसार परीक्षक उचित विधी अपना सके। तथापि किसी भी स्थिति में ऐसे प्रकरण में बिना केन्द्र अधिक्षक की अनुमति से परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।
- 11.9 कुलपति, ऐसे सभी केन्द्रों की परीक्षा रद्द कर सकेगा यदि वह संतुष्ट होता है कि प्रश्न पत्र लीक हो गया है ऐसी स्थिति या कोई अन्य अनियमितता कि स्थिति में जिसके लिए उसकी राय में ऐसा कदम उठाना उचित है, तो वह कि गई कार्यवाही का प्रतिवेदन प्रबंध मण्डल की अगली बैठक में प्रस्तुत करेगा।
- 11.10 कुलपति परीक्षा संचालित करने हेतु जैसा कि वह सुचारु संचालन के लिए आवश्यक महसूस करें, सामान्य सूचना जारी कर सकेगा।
- 11.11 विश्वविद्यालय के विभागों में चल रहे कार्यक्रमों के लिये परीक्षक के नामों की अनुशंसा संबंधित अध्ययन मण्डल से प्राप्त की जा सकेगी। अत्यावश्यक होने पर और अध्ययन मण्डल की बैठक न हो पर, अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष, कि क्यों न अध्ययन मण्डल की बैठक न बुलाई जाने के कारणों का स्पष्ट कथन करते उक्त नामों की अनुशंसा कर सकेगा।
- 11.12 प्रश्नपत्र सेटर से प्रश्नपत्र प्राप्त होने के पश्चात्, माडेरेटर द्वारा उसमें सुधार किया जायेगा जो कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक द्वारा कुलपति के अनुमोदन से विषयवार नियुक्त होंगे। परीक्षा नियंत्रक सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक विषय में सही तरीके से सुधार किये न्यूनतम तीन प्रश्न पत्र, प्रश्नपत्र बैंक में उपलब्ध होंगे।
- 11.13 परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रश्न पत्र बनाने हेतु अनुमोदित पैनल में से नियुक्त परीक्षक, विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों का उपयोग करते हुये जहाँ पर लागू हों, केवल प्रश्नपत्र प्ररूप हेतु मार्गदर्शन के रूप में यदि विद्या परिषद द्वारा प्रश्नपत्र के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया गया हो, प्रश्नपत्र सेट करेगा। प्रश्नपत्र पाठ्यक्रम के समस्त पाठ्यचर्या से बनाया जायेगा।
- 11.14 अभ्यर्थी के परीक्षा के मामले में अधिमान्य उपचार प्राप्त करने हेतु, उसके निमित्त या उसके द्वारा कोई प्रयत्न किया गया है तो मामले की रिपोर्ट परीक्षा नियंत्रक को दी जायेगी जो मामले को कुलपति के समक्ष आगे की आवश्यक कार्यवाही हेतु रखेगा।
- 11.15 परीक्षा समिति द्वारा अन्यथा निर्धारित को छोड़कर, परीक्षार्थी द्वारा प्राप्त अंकों के पर्ण और प्रति पर्ण तथा परीक्षा उत्तर पुस्तिका को, तालिका परिणामों को छोड़कर, परीक्षा

के परिणामों की घोषणा की तिथि से 6 माह के पश्चात् नष्ट या अन्यथा नष्ट कर दिया जायेगा। परंतु पुनर्मुल्यांकन के पुनर्मुल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं को पुनर्मुल्यांकन परिणाम के घोषणा के केवल 6 माह के पश्चात् ही नष्ट/खत्म कर दिया जायेगा।

- 11.16 परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय वेबसाईट के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के कार्यालय के सूचना पटल पर विश्वविद्यालयीन परीक्षा के संयुक्त परिणामों को प्रकाशित करेगा।
- 11.17 प्रश्न पत्र सेटर, उत्तर लेखन, मूल्यांकन कर्ताओं, परीक्षकों, अधीक्षकों, सहायक अधीक्षकों, जांचकर्ताओं, तालिकाकारों, कम मिलान कर्ताओं को मानदेय दिया जायेगा तथा उनके द्वारा चूक की गई सूचित होने पर उसमें ऐसी कटौती की जायेगी जैसा कि परीक्षा समिति द्वारा विहित किया जाए।
- 11.18 जहां पुनर्मुल्यांकन हेतु विद्यार्थी आवेदन करता है, विषयों की उत्तर पुस्तिका जिसमें पुनर्मुल्यांकन चाहा गया है, जो पहले मूल्यांकित किया है, से भिन्न दो परीक्षकों को मुल्यांकन हेतु भेजा जायेगा। विद्यार्थी के अंकों में परिवर्तन तभी होगा यदि पूर्व के मूल्यांकन के अंकों एवं पुनर्मुल्यांकन के अंकों के मध्य 10% से अधिक अंतर हो।
- 11.19 परंतु यह कि ऐसे परीक्षक, प्रबंध मण्डल द्वारा यथा विहित मानेदय प्राप्त करेंगे।
- 11.20 कोई भी अभ्यर्थी, एक से अधिक डिग्री परीक्षा या एक से अधिक मास्टर डिग्री परीक्षा में एक से अधिक विषयों में उसी वर्ष में उपस्थित नहीं होगा।
- 11.21 कोई व्यक्ति, जिसे किसी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से निष्काशित या अस्थायी रूप से निकाला गया हो या विश्वविद्यालय की परीक्षा में उपस्थित होने से रोका गया हो, अवधि जिसमें सजा प्रचलन में हो, उस अवधि के दौरान किसी परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
- 11.22 विश्वविद्यालय की परीक्षा में अभ्यर्थियों के प्रवेश से संबंधित अध्यादेशों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कुलपति, विशेष मामलों में, जिसमें वह संतुष्ट हो कि परीक्षा में प्रवेश हेतु आवेदन प्रस्तुत करने में हुआ विलंब, अभ्यर्थी के जागरूकता में कमी या उपेक्षा के कारण से नहीं है ऐसे अभ्यर्थी का आवेदन जो प्रत्येक दृष्टि से पूर्ण है को प्रबंध मण्डल द्वारा समय-समय पर यथाविहित विलंब फीस के साथ अनुज्ञात (स्वीकार) किया जायेगा भले ही वह पूर्वागामी पैरा में उल्लेखित 15 दिन की अवधि के अवसान के बाद ही प्राप्त हो।
- 11.23 किसी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में तब तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा जब तक कि परीक्षा नियंत्रक द्वारा उसे सम्यक रूप से जारी किये गये वैध प्रवेश पत्र प्रस्तुत नहीं करता। परीक्षा नियंत्रक अभ्यर्थी के पक्ष में एक आवेदन पत्र जारी करेगा, यदि –

(एक) अभ्यर्थी का आवेदन सभी तरह से पूर्ण है _____

- (दु) अतुतुथुी दुरलरल तथल वलहलत डुीस कल तुगतलन कलतल कल कुकल हु।
 (तीन) उतलतुथलतल तलनदणुड कुु डुरल करतल हु।

- 11.24 कललल डुरलतुगलक डुरीकुषल, सैदुवलतलक डुरीकुषल कुे डुरुव हुई हु, अतुतुथुी कुु सैदुवलतलक डुरीकुषल तें डुरवेषलत नहुी तलनल कलतुतुगल कलत तक कल डुरीकुषल तें उतलतुथलत हुुने हेतु डुरवेष डुरतुर न कलरी कलतल गतल हु।
- 11.25 डुरीकुषल तें उतलतुथलतल हेतु अतुतुथुी कुे डुरकुष तें कलरी डुरवेष डुरतुर कुु वलडुस ललतल कल सकुुतुगल तदल तल डुरल डुरलतल कल कल:—
 (एक) डुरवेष डुरतुर तुलवश कलरी हुआ थल तल अतुतुथुी, डुरीकुषल तें उतलतुथलत हुुने कल डुरलतुर नहुी थल।
 (दु) अतुतुथुी दुरलरल दी गई कुुई वलवरण तल कलतल कलतल दसुतलवेक तल नलतंकन आवेदन कुे सलथ संसुथलन, तलवलदुवलतलत तल वलदुवलतलत तें डुरवेष असतुतु, डुरकुी तल असुडुषुत थल।
- 11.26 डुरीकुषल नलतुतुरक, तदल वल संतुषुत हुै कल डुरवेष डुरतुर गुत तल नषुत हुु कुकल हुै, वलहलत डुरीस कुे तुगतलन करने डुर डुडुलीकुेत डुरवेष डुरतुर डुरदलन करुतुगल। ऐसी कलरुड तें तलहतुवडुरुणु सुथलन तें "डुडुलीकुेत" शडुडु दरुशलत हुुगल।
- 11.27 कुुई अतुतुथुी कुु वलशुवलदुवलतलत दुरलरल आतुुकलत डुरीकुषल तें उतलतुथलत हुुआ हुु, अडुरने अंकुु कुे डुरनगुणनल अथवल डुरनतुलतुतलंकन हेतु डुरीकुषल नलतुतुरक कुु आवेदन कर सकुुतुगल। ऐसे आवेदन, डुरीकुषल कुे डुरलरलनलत कुे डुरकलशलत हुुने कुे दुु हुडुते कुे तुलतर वलहलत डुरलरुड तें डुरीकुषल नलतुतुरक तक डुरहुंक कलनल कलललल।
- 11.28 डुरनतुलतुतलंकन अथवल डुरनगुणनल कलसी तुल सुथलतल हुु कुे डुरलरलनलतुु कुे संसुकनल अतुतुथुी कुु दी कलतुतुगल।
- 11.29 शुी रलवतडुरल सरकलर वलशुवलदुवलतलत कुे अनुतु अधुतलदेश तें तथल उलुललखलत डुरीस कल तुगतलन करने डुर अनुगलतुी डुरतलण डुरतुर कुे डुडुलीकुेत डुरतल डुरदलन कुे कलतुतुगल।
- 11.30 डुरंतु तल और कल आतुरकन डुरतलणडुरतुर, डुरलगुरी, डुरलडुलुतल कुे डुडुलीकुेत डुरतल, डुरदलन नहुी कलतल कलतुतुगल सलवलतु इसकुे कलसतें कुुलडुरतल संतुषुत हुै कल ततुसतलत डुरवृतुत कलसी वलधल दुरलरल अडुरकुषलत उकलत तुलतुत कुे सुतलतुडु डुरतुर डुर शडुथ डुरतुर डुरसुतुत कलतल हुै कल आवेदक, ने डुरीकुषल तें उतलतुथलत हुुने कुे ललल तुल दसुतलवेकुु कुे उडुरतुगल नहुी कलतल हुै तथल गुत हुु गतल हुै तल वल वलनषुत हुु कुकल हुै तथल आवेदक कुु वलसुतलव तें डुडुलीकुेत डुरतल कुे कलरुरत हुै। डुडुलीकुेत डुरतल कुेवल एक डुरल कलरी कुे कलतुतुगल।
- 11.31 ऐतुीकुेतुी/डुरुक डुरीकुषल कुु कलडुकुडुर डुरतुतुतु अंतलत डुरलगुरी डुरीकुषल तें दस सडुरल अतुतुथुीतुु कुे नलत कलनल कलनहुुने डुरथत शुरेणुी डुरलई हुै, तुेरलडु कुे कुरत तें कुुषलत कलतल कलतुतुगल।

11.32 (एक) संबंधित परीक्षा अध्यादेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, नियमित अभ्यर्थी के रूप में सेमेस्टरांत परीक्षा में समस्त सैद्धांतिक प्रश्न पत्र, प्रायोगिक, साक्षात्कार, आंतरिक मूल्यांकन, क्षेत्र कार्य परियोजना में जो उपस्थित हुये हो और किसी स्नातक परीक्षा में तीन से कम विषयों में अधिकतम कुल पांच अंकों से अनुत्तीर्ण हुए हो, परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु उसे पांच अंकों तक कृपोत्तीर्ण दिया जा सकेगा। इन अंकों की गणना कुल संख्या के रूप में नहीं की जायेगी। कृपोत्तीर्ण को अभ्यर्थी के अधिकार के मामले की तरह स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा यह कुलपति का परमाधिकार है। यह सुविधा उन अभ्यर्थियों जो उस विशिष्ट सेमेस्टर/वर्षान्त परीक्षा (अर्थात् प्रथम प्रयास में सभी सैद्धांतिक, प्रायोगिक एवं सत्रीय में) में 5 कृपोत्तीर्ण अंक प्राप्त करते हुए उत्तीर्ण करता है के लिये उपलब्ध होगा।

(दो) इसी तरह यदि अभ्यर्थी 1 अंक से अपना प्रथम या द्वितीय श्रेणी आने से वंचित रहता है तो उसे अपने श्रेणी सुधार के लिये 1 अंक का कृपोत्तीर्ण दिया जायेगा।

(तीन) सैद्धांतिक प्रश्न पत्र से भिन्न में एवं एटीकेटी/पूरक विद्यार्थियों को कृपोत्तीर्ण अंक नहीं दिया जायेगा।

11.33 प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु परीक्षक मण्डल द्वारा सेमेस्टरांत में प्रायोगिक परीक्षा, आयोजित की जायेगी। मण्डल, एक या अधिक से मिलकर बनेगी। ऐसे मामले में एक परीक्षक मुख्य परीक्षक के रूप में होगा मुख्य परीक्षक परीक्षा के संचालन हेतु मार्गदर्शन देगा जिसका मूल्यांकन में एकरूपता को सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न मण्डलों द्वारा अनुपालन किया जायेगा।

11.34 किसी अन्य प्रकार की परीक्षा हेतु उपरोक्त लागू नहीं होगा। परीक्षा संचालित करने की रीति परीक्षा की पाठ्यचर्या/योजना में विशेष रूप से उपबंधित अनुसार होगा तथा ऐसे उपबंधों की अनुपस्थिति में, संबंधित अध्ययन मण्डल/समन्वय समिति की अनुशंसा पर, कुलपति के अनुमोदन के साथ परीक्षा नियंत्रक द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

11.35 सेमेस्टर का परिणाम, अथवा सेमेस्टर परीक्षा/वार्षिक परीक्षा तथा (सेमेस्टरांत परीक्षा तथा वार्षिक परीक्षा और शिक्षक का नियमित मूल्यांकन दोनों सम्मिलित हैं), परीक्षा नियंत्रक द्वारा घोषित किया जायेगा। परिणाम के बारे में प्राप्त शिकायतों से संबंधित मामलों के बारे में कुलपति के पास उपयुक्त कार्यवाई करने की शक्ति होगी।

11.36 विभिन्न पाठ्यक्रमों में विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंकों को अंतर्विष्ट करते हुए, प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में, परिणाम घोषित करने के पश्चात् परीक्षा नियंत्रक द्वारा अवार्ड सूची जारी की जायेगी।

12. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने, अंकों तथा श्रेणियों के लिए मानदण्ड

- 12.1 सामान्यतः परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिये पूर्व-स्नातक विद्यार्थियों के लिये सेमेस्टरान्त/अवधि अंत/वर्षांत परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। उत्तीर्ण करने के मापदण्ड के लिये विशिष्ट कार्यक्रम के अध्यादेश से संदर्भित होगा। अभ्यर्थी जो सेमेस्टर/वर्ष में प्रश्न पत्र में कुल 35% से कम अंक अर्जित करता है उसे उस विषय में असफल समझा जायेगा। सामान्यतः प्रत्येक प्रश्न पत्र में 40% अंक एवं सभी प्रश्न पत्रों में कुल 40% प्रतिशत अंक अर्जित करना स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिये परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु आवश्यक होगा। प्रश्न पत्रों में 40% से कम अंक अर्जित करने वाले स्नातक/स्नातकोत्तर/स्नातकोत्तर डिप्लोमा/एम.फिल/पी.एच.डी. कोर्स वर्क विद्यार्थियों को उस विषय में असफल समझा जायेगा तथा कुल 40% से कम अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को उस परीक्षा में असफल समझा जायेगा। उत्तीर्ण करने के मापदण्ड के लिये विशिष्ट कार्यक्रम के अध्यादेश से संदर्भित होगा।
- 12.2 विद्यार्थी, परिणाम घोषित होने की तारीख से दो सप्ताह के भीतर, विहित फीस का भुगतान करने पर विनिर्दिष्ट पाठ्यक्रमों के परीक्षा लेख उत्तर पुस्तिका की पुनर्गणना हेतु आवेदन कर सकेगा। पुनर्गणना से अभिप्रेत, यह सत्यापित करना होगा कि क्या सभी प्रश्नों और उनके हिस्से प्रश्न पत्र के अनुसार सम्यक रूप से जांच कर अंक दिये गये हैं और अंकों का कुल योग सही है। भिन्नता पाये जाने की स्थिति दोनों में, समुचित परिवर्तन के साथ-साथ संबंधित सेमेस्टरान्त परीक्षा की अंकसूची में परिशोधन किया जायेगा।
- 12.3 अभ्यर्थी को स्नातक पूर्ण करने हेतु, डिग्री पाठ्यक्रम के दौरान एक बार पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न पत्र को उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। पर्यावरण अध्ययन के अंक, किसी भी स्थिति में श्रेणी को प्रभावित नहीं करेंगे।
- 12.4 यूजीसी एवं अन्य विनियामक प्राधिकारियों के मानदण्ड अनुसार, यदि कोई हो, इस संबंध में, समस्त सुसंगत पाठ्यक्रमों में क्रेडिट स्थानांतरण लागू होंगे।

13 परिणामों की घोषणा

- 13.1 परीक्षा समिति परिणाम की घोषणा के लिए उत्तरदायी होगी।
- 13.2 इस संबंध में परीक्षा समिति के कृत्य व दायित्व निम्नानुसार होंगे:
- (अ) विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाओं के परिणाम की समीक्षा एवं घोषणा, उसके स्वयं की संतुष्टि के पश्चात् कि सभी एवं विभिन्न विषयों का परिणाम प्रचलित मानदण्ड के अनुरूप है और किसी प्रकरण में जहां परिणाम असंतुलित है में की जाने वाली कार्यवाही के लिये कुलपति को अनुशंसा करेगी।

(ब) प्रश्न पत्रों के विरुद्ध की गई शिकायत की जांच एवं आवश्यक कार्यवाही करेगी।
(स) अभ्यर्थी जिसका उत्तर पुस्तिका परिवहन में गुम गई है के मामले का निपटारा करेगी।

(द) विद्या परिषद द्वारा समय-समय पर यथा प्रत्यायोजित अन्य शक्तियों का प्रयोग कर सकेगी।

(ई) यदि किसी परीक्षक, केन्द्र अधीक्षक या जांचकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही हो तो मामले को परीक्षा समिति की अनुशंसा के साथ विद्या परिषद को सौंपा जायेगा।

14. अनुचित साधनों का प्रयोग एवं दुर्व्यवहार:

- 14.1 कोई अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में परीक्षा से संबंधित किसी पुस्तक, प्रश्न पत्र, नोट्स, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री या अन्य सामग्री अपने साथ नहीं लायेगा न ही वह विनिर्दिष्ट अनुमति को छोड़कर परीक्षा कक्ष में किसी जानकारी को किसी अभ्यर्थी या व्यक्ति को देगा, न ही स्वीकार करेगा।
- 14.2 कोई अभ्यर्थी स्याही सोखने वाले पत्र या प्रश्न पत्र पर या किसी अन्य वस्तु/सामग्री पर उसे दिये गये उत्तर पुस्तिका को छोड़कर कुछ भी टीप या लेख नहीं करेगा।
- 14.3 कोई अभ्यर्थी परीक्षा में किसी अन्य अभ्यर्थी या व्यक्ति को न तो सहयोग देगा या नहीं सहयोग लेगा अथवा परीक्षा से संबंधित गलत या अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करेगा।
- 14.4 किसी अभ्यर्थी को परीक्षा के संबंध नकल करते या कोई गलत या अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पाया जाता है तो परीक्षा अधीक्षक या जांचकर्ता या विश्वविद्यालय के कर्मचारी के माध्यम से, जैसी भी स्थिति हो, परीक्षा नियंत्रक को संसूचित करेगा। परीक्षा नियंत्रक उपरोक्त मामले को परीक्षा समिति के समक्ष विचारार्थ रख सकेगा। संतुष्ट होने पर कि आरोप के तथ्य सही हैं अभ्यर्थी पर पूर्व चिन्तन किया जायेगा। परीक्षा में उत्तीर्ण होने से अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित किया जायेगा तथा किसी विश्वविद्यालय की परीक्षा में उपस्थित होने के तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए रोक दिया जायेगा।
- 14.5 किसी अभ्यर्थी जो परीक्षा अधीक्षक की राय में परीक्षा कक्ष में किये दुर्व्यवहार के लिए दोषी पाया गया है इस अध्यादेश के उपरोक्त उप-पैरा 14.1 से 14.4 को छोड़कर, परीक्षा अधीक्षक उसी प्रश्न पत्र में निष्काषित कर सकेगा। तथा परीक्षा नियंत्रक द्वारा परीक्षा समिति को संसूचित किया जायेगा। उक्त समिति यदि संतुष्ट है कि लगाये गये आरोप के तथ्य सही हैं एक वर्ष के लिए परीक्षा में उत्तीर्ण होने से उसे अयोग्य ठहरा सकेगा।
- 14.6 कोई परीक्षार्थी, परीक्षक या परीक्षा से संबंधित कर्मचारी को प्रभावित करने का प्रयास करता है तो अपराध माना जायेगा। ऐसे मामलों को परीक्षा नियंत्रक के माध्यम से संबंधित व्यक्ति द्वारा परीक्षा समिति को संसूचित किया जायेगा। परीक्षा समिति, यदि संतुष्ट है कि आरोप के तथ्य सही हैं, अभ्यर्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने से अयोग्य

- करार दे सकेगा तथा उसे एक वर्ष से अनधिक कालावधि के लिए किसी परीक्षा में बैठने से वंचित कर सकेगा।
- 14.7 कोई अभ्यर्थी, किसी परीक्षा अधीक्षक या जांचकर्ता या विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी को परीक्षा आयोजित करने के उसके कर्तव्यों के संबंध में बल प्रयोग करते हुए साधनों या प्रताड़ित या दबावपूर्वक या उपयोग करते हुए या धमकी देते हुए उसे कर्तव्य निर्वाह में बाध्यता का दोषी पाया जाता है तो उसे अनुचित साधन का प्रयोग माना जायेगा और गंभीर दुर्व्यवहार में लिप्त माना जायेगा। ऐसे मामलों को, परीक्षा नियंत्रक के माध्यम से संबंधित अधिकारी द्वारा परीक्षा समिति को संसूचित किया जायेगा। परीक्षा समिति यदि संतुष्ट है कि आरोप के तथ्य सही हैं, अभ्यर्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने से अयोग्य करार दिया जायेगा और/या विश्वविद्यालय से निकाल दिया जायेगा। तथा विश्वविद्यालय के भविष्य की किसी परीक्षा में प्रवेश के लिए उसे सही एवं उपयुक्त व्यक्ति नहीं होना घोषित किया जायेगा।
- 14.8 कोई अभ्यर्थी जिसे उपरोक्त उप-पैरा 14.5 से 14.7 के अधीन दण्डित किया जा चुका हो, नियमित विद्यार्थी के रूप में किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। ऐसे विद्यार्थी को केवल अगले वर्ष की परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दी जा सकेगी, जिसमें दण्डावधि के अवसान होने के पश्चात् भूतपूर्व विद्यार्थी के रूप में वह उपस्थित होने का हकदार रहा/रही हो।
- 14.9 यदि कोई विद्यार्थी केन्द्र में अधीक्षक या किसी जांचकर्ता के सामने हिंसक तरीके या बल प्रयोग या बल का प्रदर्शन करता है या व्यक्तिगत सुरक्षा को संकट के दायरे में ला देता है या इस तरीके से दोनों ही करता है, उनके कर्तव्यों के उचित निर्वहन में प्राधिकारियों को रोकता है, तो अधीक्षक अभ्यर्थी को निष्काषित कर सकेगा और पुलिस की सहायता ले सकेगा।
- 14.10 यदि कोई परीक्षा केन्द्र की परिसीमा के भीतर कोई घातक हथियार लेकर आता है तो उसे केन्द्र से निष्काषित किया जा सकेगा और/या अधीक्षक द्वारा पुलिस के हवाले किया जा सकेगा।
- 14.11 उपरोक्त 14.8, 14.9 एवं 14.10 में उल्लिखित किसी आधार पर निष्काषित किये गये अभ्यर्थी को बाद के प्रश्न पत्र में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- 14.12 प्रत्येक मामले में जहां उपरोक्त 14.10, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14 के अधीन अधीक्षक द्वारा कार्यवाही की गई है की विस्तृत प्रतिवेदन विश्वविद्यालय को भेजा जायेगा तथा कार्य परिषद् अपराध की गंभीरता के अनुसार उसे और दण्डित कर सकेगा। अभ्यर्थी को कारण दर्शित करने का अवसर देने के पश्चात् एवं अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये किसी स्पष्टीकरण पर विचार करने के बाद अभ्यर्थी के परीक्षा को रद्द करते हुए और/या एक या अधिक वर्षों के लिए विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा में उपस्थित होने से रोक सकेगा।

- 14.13 कोई व्यक्ति, जो वास्तविक अभ्यर्थी नहीं है कि स्थिति में, वास्तविक अभ्यर्थी के स्थान पर परीक्षा देते हुए पाया जाता है, उपधारणा की जायेगी कि यह प्रतिरूपण घटना कारित किया है और वास्तविक अभ्यर्थी के साथ दुरभि सन्धि किया है तथा ऐसे व्यक्ति एवं ऐसे वास्तविक अभ्यर्थी के विरुद्ध कार्यवाही नीचे दिये गये अनुसार की जायेगी:
- (एक) वास्तविक अभ्यर्थी जिसने स्वयं परीक्षा नहीं दिया है भविष्य में विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा में उपस्थित होने या अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम करने से रोक दिया जायेगा तथा उसे समुचित कार्यवाही हेतु पुलिस के हवाले किया जा सकेगा।
- (दो) व्यक्ति जो वास्तविक अभ्यर्थी का प्रतिरूप है, विश्वविद्यालय का विद्यार्थी है तो उसे भविष्य में विश्वविद्यालय के किसी परीक्षा को देने से रोका जायेगा तथा समुचित कार्यवाही हेतु उसे पुलिस के हवाले किया जा सकेगा।
- (तीन) यदि कोई व्यक्ति जो वास्तविक अभ्यर्थी का प्रतिरूप है, विश्वविद्यालय का विद्यार्थी नहीं है, समुचित कार्यवाही हेतु उसे पुलिस के हवाले किया जा सकेगा।
- 14.14 कोई अभ्यर्थी अंकों के श्रेणी/प्रतिशत में सुधार हेतु परीक्षा में उपस्थित हो रहा है और अनुचित साधनों के उपयोग करते पकड़ा जाता है तो उसके ऐसे प्रश्न पत्रों के परीक्षा परिणाम जिससे वह पहले उपस्थित हो चुका है भी रद्द किये जायेगे।
- 14.15 दोषी विद्यार्थी पर पृथक से कोई सजा, उसके द्वारा प्रस्तुत बचाव पर सम्यक विचार करने के पश्चात् दिया जायेगा।
- 14.16 परीक्षा अधीक्षक, परीक्षार्थी के विरुद्ध, जिसने परीक्षा हॉल या परीक्षा केन्द्र की परिसीमा के भीतर परीक्षा के घंटों के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग या प्रयोग करने का प्रयास किया है, निम्नलिखित रीति से कार्यवाही की जायेगी।
- (एक) परीक्षार्थी को उसके कब्जे में प्राप्त समस्त आपत्तिजनक सामग्री जिसमें उत्तर पुस्तिका भी सम्मिलित है के साथ समर्पण करने बुलाया जायेगा और इस संबंध में तारीख व समय दर्शाते हुए एक मेमोरेन्डम तैयार किया जावेगा।
- (दो) परीक्षार्थी और जांचकर्ता के बयान को अभिलिखित किया जायेगा।
- (तीन) परीक्षार्थी को 'अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए डुप्लीकेट' मार्क की हुई उत्तर पुस्तिका जारी की जायेगी, जिस पर वह परीक्षा हेतु विहित शेष समय के भीतर उत्तर देने का प्रयास करेगा।
- (चार) संग्रहित किये गये सभी सामग्री और समस्त साक्ष्यों के साथ परीक्षार्थी के बयान और दोनो उत्तर पुस्तिका को सम्यक रूप से हस्ताक्षरित कर, अधीक्षक के अवलोकन के साथ पैकेट में अनुचित साधन चिन्हित कर पंजीकृत पृथक गोपनीय मुहर लगाकर, कुलसचिव को, अग्रेषित किया जायेगा।
- (पांच) परीक्षार्थी से एकत्र की गई सामग्री के साथ-साथ दोनों उत्तर पुस्तिकाओं अर्थात् अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर एकत्र की गई उत्तर पुस्तिका और उसके बाद दी गई अन्य पुस्तिका को, कुलसचिव द्वारा परीक्षक को पृथक से दोनों

उत्तर पुस्तिकाओं को मूल्यांकन हेतु भेजी जायेगी। परीक्षक एकत्र की गई सामग्री को देखते हुए यदि परीक्षार्थी ने अनुचित साधनों का प्रयोग किया है अथवा नहीं इस आशय का प्रतिवेदन देगा।

(छः) परीक्षा केन्द्र में अनुचित साधनों के उपयोग के मामलों को, परीक्षक के प्रतिवेदन के साथ केन्द्र अधीक्षक द्वारा यथा संसूचित किया जायेगा और परीक्षा समिति द्वारा परीक्षण किया जायेगा। समिति, मामलों के परीक्षण पश्चात् समक्ष प्राधिकारी के माध्यम से प्रबंध मण्डल को अवगत करायेगा तथा प्रत्येक मामले में कार्यवाही करने का निर्णय लेगा।

(सात) कोई अभ्यर्थी परीक्षा घंटों के दौरान बातचीत करते हुए पाये जाने पर, ऐसा नहीं करने की चेतावनी दी जायेगी। यदि जांचकर्ता द्वारा चेतावनी दिये जाने के बावजूद अभ्यर्थी निरंतर ऐसा करता है तो ऐसे परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका जब्त कर ली जायेगी और द्वितीय उत्तर पुस्तिका दी जायेगी। तथा उसके पहले उत्तर पुस्तिका को रद्द कर परीक्षा नियंत्रक को सौंप दी जायेगी। विद्यार्थी को परीक्षा अधीक्षक द्वारा उसी परीक्षा में चेतावनी देने की स्थिति में कोई दूसरी उत्तर पुस्तिका की प्रति नहीं दी जायेगी एवं उसे परीक्षा से निष्काशित कर दिया जायेगा।

- 14.17 यदि अभ्यर्थी, परीक्षा में अनुचित साधन का करने का या उपयोग करने के प्रयास का दोषी पाया गया है जैसे उसी पुस्तिका या नोट्स से नकल करना या किसी अन्य अभ्यर्थी के उत्तर पुस्तिका से नकल करना या किसी अन्य अभ्यर्थी के मदद लेना या मदद प्राप्त करना या परीक्षा से संबंधित सामग्री को परीक्षा कक्ष में रखना या कोई अन्य कार्य चाहे जो भी हो वहां परीक्षा समिति या परीक्षा समिति द्वारा नियुक्त समिति, परीक्षा को रद्द कर सकेगा तथा विश्वविद्यालय के किसी परीक्षा में उपस्थित होने के लिये, अपराध की प्रकृति के अनुसार एक या अधिक वर्ष के लिये उसे विवर्जित कर सकेगा।
- 14.18 परीक्षा समिति, अभ्यर्थी की परीक्षा को रद्द और/या उसे विश्वविद्यालय के किसी परीक्षा में उपस्थित होने से एक या अधिक वर्ष के लिए विवर्जित कर सकेगा। यदि उसके बाद के अन्वेषण में यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी ने अपने परीक्षा के संबंध में किसी रीति से दुर्व्यवहार और/या उपकरणों में छेड़छाड़ का दोषी था और/या विश्वविद्यालय के दस्तावेजों में छेड़छाड़ करने जिसमें उत्तर पुस्तिका, अंकसूची, नियमावली, डिप्लोमा और इसी तरह अन्य भी सम्मिलित है, दुष्प्रेरण किया था।
- 14.19 परीक्षा समिति, अभ्यर्थी के परीक्षा को रद्द तथा विश्वविद्यालय के किसी परीक्षा में उपस्थित होने से उसे एक या दो वर्ष के लिए विवर्जित कर सकेगा यदि उसके बाद के अन्वेषण में यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी ने तथ्यों की गलत प्रस्तुति द्वारा या फर्जी प्रमाणपत्र/दस्तावेजों से प्रवेश प्राप्त किया गया था।

14.20 परीक्षा के समस्त दस्तावेज और परिणाम, लिखित उत्तर पुस्तिका को छोड़कर संबंधित परीक्षा के परिणामों की घोषणा की तारीख से तीन वर्ष की अधिकतम अवधि हेतु विश्वविद्यालय द्वारा रखा जायेगा।

15. विद्यार्थी शिकायत समिति

विद्यार्थियों से परीक्षा पूर्ण होने से सात दिवस के भीतर लिखित में अभ्यावेदन/शिकायत संकाय के संस्था प्रमुख/संस्थान के निदेशक के विनिर्दिष्ट अनुशंसाओं के साथ, प्राप्त हुई हो उसे कुलपति द्वारा गठित विद्यार्थी शिकायत समिति द्वारा विचार किया जायेगा। कुलपति, परीक्षा के परिणामों की घोषणा करने के पूर्व विद्यार्थी शिकायत समिति की अनुशंसा पर, समुचित निर्णय लेगा।

16. परीक्षकों की नियुक्ति

16.1 संबंधित अधिष्ठाता, अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष एवं कुलपति द्वारा नामांकित एक संकाय सदस्य को मिलाकर एक समिति होगी जो विभिन्न प्रश्न पत्रों, प्रायोगिक मौखिकी, शोध निबंध आदि के लिये परीक्षकों का पेनल तैयार करेंगे। परीक्षा नियंत्रक विभिन्न परीक्षाओं के लिये परीक्षकों की अंतिम नियुक्ति के लिये कुलपति को परीक्षकों का पेनल भेजेगा।

16.2 विश्वविद्यालय के कुलपति परीक्षा समिति द्वारा सामान्यतः अनुशंसित व्यक्तियों के बीच से प्रश्नपत्र सेटर, सह-परीक्षक, प्रायोगिक/मौखिक परीक्षक की नियुक्ति करेंगे तथापि वह व्यक्ति जिसका नाम परीक्षा समिति द्वारा अनुशंसित नामों की सूची में सम्मिलित नहीं है को भी नियुक्त कर सकेगा यदि वह संतुष्ट हो कि व्यक्ति न्यूनतम अर्हता रखता है तथा उसकी नियुक्ति से निम्नलिखित पैरा के प्रावधानों का उल्लंघन न हो।

16.3 विभिन्न परीक्षाओं हेतु प्रश्नत्र सेटर एवं सह परीक्षक की अर्हता का निर्धारण विद्या परिषद द्वारा संबंधित फेकल्टी के साथ विचार उपरान्त निर्धारित किया जावेगा।

16.4 सह-परीक्षक

अर्हता वही होगी जो प्रश्नपत्र सेटर के लिये है किन्तु अपेक्षित न्यूनतम शिक्षण/व्यवसायिक अनुभव, प्रश्नपत्र सेटर के मामलों में विहित से भिन्न दो वर्ष कम किया जा सकेगा।

परन्तु यह कि डिग्री परीक्षा जहां आंतरिक सह-परीक्षक की पर्याप्त संख्या संबंधित विषय में पूर्वोक्त अर्हता के साथ उपलब्ध न हो, की दशा में विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों, विभागों एवं संस्थानों के शिक्षक, संबंधित विषय में

डिग्री/स्नातकोत्तर स्तर में कम से कम तीन वर्ष के अनुभव के साथ, सह-परीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिये पात्र होंगे ।

- 16.5 एक. स्नातकोत्तर स्तर में प्रायोगिक एवं मौखिक परीक्षा की दशा में, बाह्य परीक्षक ऐसा व्यक्ति होगा जो एसोशिएट प्रोफेसर की श्रेणी से निम्न का न हो ।
 दो. डिग्री स्तर में प्रायोगिक एवं मौखिक परीक्षा की दशा में, बाह्य परीक्षक संबंधित विषय का शिक्षक होगा जिसके पास डिग्री और/या स्नातकोत्तर स्तर में संबंधित विषय में कम से कम तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव हो ।
 तीन. स्नातक एवं स्नातकोत्तर तथा डिप्लोमा दोनों स्तर में प्रायोगिक परीक्षा की दशा में, आंतरिक परीक्षक की नियुक्ति विश्वविद्यालय के शिक्षकों के बीच से की जायेगी ।
 चार. स्नातकोत्तर स्तर पर प्रायोगिक/मौखिक परीक्षा की दशा में बाह्य परीक्षक, सामान्यतः विश्वविद्यालय के विभाग के शिक्षक नहीं होंगे ।
17. सामान्यतः स्नातकोत्तर एवं प्रथम डिग्री परीक्षा में 50% प्रश्नपत्र सेटर, बाह्य होंगे ।
18. यदि किसी प्रश्नपत्र के लिये एक से अधिक परीक्षक नियुक्त किये गये हो तो प्रश्नपत्र सेटर मुख्य परीक्षक होगा । प्रश्न पत्र सेटर से भिन्न परीक्षक सह-परीक्षक होंगे ।
19. प्रश्न पत्र सेटर एवं सह-परीक्षक के रूप में नियुक्ति हेतु, सामान्यतः विश्वविद्यालय के विभाग के शिक्षक पर ऐसी नियुक्ति के लिये अन्य शर्तों को पूरा करने के अध्यक्षीन रहते हुये वरिष्ठता के आधार पर विचार किया जायेगा ।
20. विश्वविद्यालय द्वारा प्रायोगिक परीक्षाओं तथा बाह्य परीक्षकों की संख्या, छात्र संख्या तथा विषय संबंधी अन्य आपेक्षाओं को ध्यान में रखकर निर्धारित कि जावेगी ।
21. पाठ्यक्रम, जहां अंग्रेजी विषय, परीक्षा का एकमात्र माध्यम नहीं है, में परीक्षक के नामों की अनुशंसा करते समय, परीक्षा समिति यह सुनिश्चित करेगी कि अनुशंसित परीक्षक, हिन्दी में लिखित लेख का मूल्यांकन कर सकेंगे ।
22. उपरोक्त उप-पैरा (2) के प्रावधान इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, फार्मसी आदि संकायों में परीक्षा की दशा में लागू नहीं होंगे ।
23. परीक्षक की नियुक्ति एक वर्ष की अवधि की परीक्षाओं के लिये किया जायेगा किन्तु वे पुनर्नियुक्ति के लिये पात्र होंगे ।
24. कोई व्यक्ति जिसने निरंतर तीन वर्ष के लिये परीक्षक, प्रश्न पत्र सेटर, सह-परीक्षक या बाह्य मौखिक परीक्षक के रूप में कार्य किया हो सामान्यतः पुनर्नियुक्ति के लिये तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वर्ष जिसमें वह परीक्षक के रूप में अंतिम रूप

से कार्य किया हो एवं वर्ष जिसमें वह पुनर्नियुक्त किया गया हो के बीच, एक वर्ष की अवधि व्यतीत न हुआ हो ।

परन्तु यह कि ऐसा अंतराल आंतरिक परीक्षा की दशा में आवश्यक नहीं होगी यदि संबंधित विषय में उपलब्ध पात्र परीक्षकों संख्या, अपेक्षित आंतरिक परीक्षकों की संख्या से कम हो ।

परन्तु यह भी कि परीक्षा समिति की अनुशंसा पर विशेषज्ञ, अंतराल के बिना तीन वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् दो और वर्ष के लिये निरंतर बने रह सकेंगे ।

25. किसी भी परीक्षक को तीन वर्ष की अवधि के अवसान के पूर्व किसी भी समय रोका जा सकता है यदि परीक्षा समिति की राय में उसका कार्य असंतोष जनक पाया जाता हो ।

26. परीक्षकों का कार्य असंतोष जनक समझा जायेगा, यदि—

(एक) वह, ऐसी प्रकृति की त्रुटि, जो जांच एवं छानबीन के क्रम में उसके कार्य में पाया गया हो जिससे परिणाम प्रभावित होता हो, या

(दो) वह, बिना किसी सही कारण के कार्य में विलंब करते हुये, परीक्षा समिति द्वारा पाया गया हो, या

(तीन) मुख्य परीक्षक से विपरीत प्रतिवेदन हो, या

(चार) परीक्षा समिति की राय में उसकी प्रमाणिकता या संदिग्धता के बारे में कोई युक्तियुक्त संदेह हो कि वह परीक्षार्थी या उसके नातेदारी के पहुंच में है, और

(पांच) यदि उसके प्रश्नपत्र के विरुद्ध कोई गंभीर प्रकृति की शिकायत करता हो उदाहरण के लिये, यह प्रश्न पत्र, विहित मानक से बहुत अधिक या बहुत निम्न है या विहित पाठ्यक्रम या शाखा के बाहर का प्रश्न अंतर्विष्ट है या परीक्षा समिति द्वारा विहित किसी शर्त के बाहर से प्रश्न पत्र है ।

27. प्रश्न पत्र सेटर, सह-परीक्षक के मार्गदर्शन के लिये निर्देशिका ज्ञापन अधिकथित करेगा ताकि उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन औपचारिक मानक के अनुरूप किया जा सके ।

28. यदि किसी कारण से परीक्षक, प्रश्न पत्र सेट करने के पश्चात् मुख्य परीक्षक के कर्तव्यों का निर्वहन करने या उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने में असमर्थ है तो वह प्रश्न पत्र सेट करने हेतु फीस की राशि के केवल आधी राशि प्राप्त करने का हकदार होगा और शेष राशि ऐसे परीक्षक को देय होगी जो तत्पश्चात् मुख्य परीक्षक की कर्तव्यों का निर्वहन करता हो ।

- परन्तु यदि प्रश्न पत्र सेटर की मृत्यु, उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन प्रारंभ करने या मूल्यांकन पूर्ण करने के पूर्व हो जाती है तो प्रश्न पत्र सेट करने के लिये विहित संपूर्ण फीस उसके उत्तराधिकारियों को दी जायेगी ।
29. किसी विषय जिसमें मौखिक परीक्षा प्रावधानिक है में दो परीक्षकों की समिति होगी जिसमें से एक बाह्य परीक्षक होगा एवं अन्य आंतरिक परीक्षक होगा ।
30. परीक्षा जैसे एमबीए, एमकॉम, एमफिल, एमए इत्यादि की दशा में जहां थीसिस प्रश्न पत्र या परियोजना कार्य के बदले में अनुज्ञेय है वहां थीसिस के मूल्यांकन के लिये दो परीक्षकों की समिति होगी । थीसिस के लिये अंको की अधिकतम संख्या, दो परीक्षकों के बीच बराबर विभाजित की जायेगी जिसमें से प्रत्येक स्वतंत्र रूप से थीसिस को अंक देंगे । यदि इन दो परीक्षकों का मूल्यांकन 20 प्रतिशत से भिन्न हो तो थीसिस को तीसरे परीक्षक (विश्वविद्यालय के शिक्षक से भिन्न) को निर्दिष्ट की जायेगी, जो थीसिस के लिये अधिकतम अंकों के आधे अंक में से अंक देंगे । दिये गये दो (तीन में से) का कुल योग जो, एक दूसरे के निकटस्थ हो उसे अभ्यर्थी के सर्वोत्तम लाभ के लिये, सही मूल्यांकन के रूप में लिया जायेगा ।
31. कोई भी व्यक्ति या तो सैद्धांतिक, मौखिक या प्रायोगिक परीक्षा में प्रश्न पत्र सेटर या परीक्षक के रूप में कार्य नहीं करेगा यदि उसका कोई भी नातेदार परीक्षा दे रहा हो । परन्तु यह प्रावधान, उस केन्द्र, जिसमें उसका नातेदार उपस्थित हो रहा हो, से भिन्न केन्द्र में प्रायोगिक परीक्षा के लिये परीक्षक के रूप में कार्य करने से विवर्जित नहीं करेगी ।
32. कोई भी व्यक्ति, किसी परीक्षा के लिये मॉडरेटर या टेब्यूलेटर के रूप में कार्य नहीं करेगा यदि उसका कोई नातेदार उसी परीक्षा में उपस्थित हो रहा हो या उपस्थित हुआ हो ।
33. इस अध्यादेश में अंतर्विष्ट प्रावधानों के होते हुये भी, विद्या परिषद् एवं परीक्षा समिति के परामर्श से कुलपति, जहां तक हो सके, विशिष्ट परीक्षा की, कमियों को पूरा करने के लिये सभी या कतिपय नियमों में उपांतरण कर सकेगा ।

अध्यादेश - 3

विज्ञान में स्नातकोत्तर (एम.एस.सी.)

- 1 शीर्षक : : विज्ञान में स्नातकोत्तर
(भौतिकी, रसायन, गणित, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, सूक्ष्मविज्ञान, बायो-टेक्नालॉजी, योगा साइंस एण्ड थैरीपी आदि जैसा अधिनियम 12 में सम्मिलित है ।
- 2 संकाय : : विज्ञान
- 3 अवधि : : दो वर्ष वार्षिक प्रणाली
- 4 पात्रता : : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातक या समकक्ष ।
- 5 शैक्षणिक वर्ष : : जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा ।
- 6 सीट : : आधार इकाई 30 सीटों का होगा इसके गुणक में प्रबंधन बोर्ड द्वारा ईकाई भी स्थापित की जा सकती है ।
- 7 प्रवेश प्रक्रिया : : अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी गयी है। तथा आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी समस्त निर्देशों का अनुपालन किया गया है।
- 8 चयन प्रक्रिया : : विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष प्रारंभ होने के पूर्व विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर एवं अन्य लोकप्रिय मीडिया में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु प्रविण्य आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी या उनके प्रवेश के बारे में विद्यार्थियों को प्रत्यक्षतः सूचित किया जायेगा । चयनित विद्यार्थियों की सूची को विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित किया जायेगा । अभ्यर्थी जिनका परिणाम प्रतीक्षा में हो, वे भी आवेदन कर सकेंगे । तथापि ऐसे अभ्यर्थी को अर्हकारी परीक्षा की अंतिम वर्ष में उपस्थित होने का साक्ष्य अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा, परंतु यदि अभ्यर्थी अपेक्षित प्रतिशत के साथ अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहता है तो उसका प्रवेश निरस्त माना जायेगा। परंतु यह और है की परीक्षा फार्म भरने के पूर्व अभ्यर्थी को अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। प्रवेश प्रक्रिया में आरक्षण से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।

- 9 प्रवेश का निरस्तीकरण : विद्यार्थी का प्रवेश निम्नलिखित परिस्थितियों में निरस्त किया जा सकेगा
- i. किसी चरण में, यदि विद्यार्थी शासन के मानदण्ड/निर्देश या विश्वविद्यालय द्वारा विहित अर्हता मानदण्ड के अनुसार कार्यक्रम हेतु अर्हकारी नहीं पाया जाता है।
 - ii. संस्थान/ विश्वविद्यालय में आशिष्टता या अनुशासनहीनता में संलिप्त रहता है।
 - iii. प्रवेश पाने हेतु मिथ्या या कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किया है या अनुचित साधनों का प्रयोग किया है।
 - iv. शुल्क का भुगतान नहीं किया है।
 - v. किसी भी तरह से आवेदन प्रपत्र अपूर्ण है।
 - vi. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो।
- प्रस्तुत सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा।
- 10 फीस : पाठ्यक्रम शुल्क, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से प्रबंध मण्डल द्वारा समय समय पर निर्धारित की जायेगी।
- 11 उत्तीर्ण करने हेतु : विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 2 उपखण्ड 12(1) के अनुसार ।
- 12 पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना : अध्ययन बोर्ड द्वारा प्रस्तावित एवं अकादमिक परिषद द्वारा अनुमोदित ।
- 13 मूल्यांकन एवं परीक्षा : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार ।
- 14 पूरक के लिए पात्रता मापदण्ड : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार।
- 15 सामान्य : अध्ययन मण्डल द्वारा प्रत्येक पेपर हेतु विस्तृत पाठ्यक्रम तैयार किया जायेगा जो विद्या परिषद एवं कुलपति द्वारा विधिवत् अनुमोदित किया जायेगा ।
पाठ्यक्रम से संबंधित विषयों में विश्वविद्यालय के कुलपति का विनिश्च अंतिम होगा । तथापि विद्या परिषद की अनुशंसा पर कुलपति परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा । पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु समय-समय पर परिवर्तन के अध्यक्षीन रहेगा ।

अध्यादेश - 4

विज्ञान में स्नातक (बी.एस.सी.)

- 1 शीर्षक : : विज्ञान में स्नातक (बी.एस.सी.)
- 2 संकाय : : विज्ञान
- 3 अवधि : : तीन वर्ष वार्षिक प्रणाली
- 4 पात्रता: : किसी भी संकाय में किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 10+2 या समकक्ष, जिसमें से विज्ञान, कक्षा बारहवीं में एक मुख्य विषय के रूप में हो।
- 5 सीट आधार इकाई 60 सीटों का होगा इसके गुणक में प्रबंधन बोर्ड द्वारा ईकाई भी स्थापित की जा सकती है।
- 6 प्रवेश प्रक्रिया अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी गयी है। तथा आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी समस्त निर्देशों का अनुपालन किया गया है।
- 7 शैक्षणिक वर्ष: जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा।
- 8 चयन प्रक्रिया : विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष प्रारंभ होने के पूर्व विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर एवं अन्य लोकप्रिय मीडिया में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु प्रविण्य आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी या उनके प्रवेश के बारे में विद्यार्थियों को प्रत्यक्षतः सूचित किया जायेगा। चयनित विद्यार्थियों की सूची को विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित किया जायेगा। अभ्यर्थी जिनका परिणाम प्रतीक्षा में हो, वे भी आवेदन कर सकेंगे। तथापि ऐसे अभ्यर्थी को अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने का साक्ष्य अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा, परंतु यदि अभ्यर्थी अपेक्षित प्रतिशत के साथ अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहता है तो उसका प्रवेश निरस्त माना जायेगा। परंतु यह और है की परीक्षा फार्म भरने के पूर्व अभ्यर्थी को अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। प्रवेश प्रक्रिया में आरक्षण से

संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।

9 प्रवेश का निरस्तीकरण :

विद्यार्थी का प्रवेश निम्नलिखित परिस्थितियों में निरस्त किया जा सकेगा

- i. किसी चरण में, यदि विद्यार्थी शासन के मानदण्ड/निर्देश या विश्वविद्यालय द्वारा विहित अर्हता मानदण्ड के अनुसार कार्यक्रम हेतु अर्हकारी नहीं पाया जाता है।
- ii. संस्थान/ विश्वविद्यालय में आशिष्टता या अनुशासनहीनता में संलिप्त रहता है।
- iii. प्रवेश पाने हेतु मिथ्या या कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किया है या अनुचित साधनों का प्रयोग किया है।
- iv. शुल्क का भुगतान नहीं किया है।
- v. किसी भी तरह से आवेदन प्रपत्र अपूर्ण है।
- vi. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो।

प्रस्तुत सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा।

10 फीस :

पाठ्यक्रम शुल्क, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से प्रबंध मण्डल द्वारा समय समय पर निर्धारित की जायेगी।

11 पाठ्यक्रम संरचना एवं :
परीक्षा योजना

अध्ययन बोर्ड द्वारा प्रस्तावित एवं अकादमिक परिषद द्वारा अनुमोदित।

अनिवार्य विषय :- 1 पर्यावरण अध्ययन 2 अंग्रेजी भाषा
3 हिन्दी भाषा/भारतीय संस्कृति

विशेषज्ञता के विभिन्न संयोजना की विस्तृत पाठ्यक्रम संरचना और परीक्षा योजना, अध्ययन बोर्ड और अकादमिक परिषद के अनुमोदन के बाद पाठ्यक्रम के प्रारंभ के समय रखी जाएगी।

12 उत्तीर्ण करने हेतु :

विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 2 उपखण्ड 12(1) के अनुसार।

13 मूल्यांकन एवं परीक्षा :

विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार।

14 पूरक के लिए
पात्रता मापदण्ड

: विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार ।

15 सामान्य

:

अध्ययन मण्डल द्वारा प्रत्येक पेपर हेतु विस्तृत पाठ्यक्रम तैयार किया जायेगा जो विद्या परिषद एवं कुलपति द्वारा विधिवत् अनुमोदित किया जायेगा ।

पाठ्यक्रम से संबंधित विषयों में विश्वविद्यालय के कुलपति का विनिश्च अंतिम होगा । तथापि विद्या परिषद की अनुशंसा पर कुलपति परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा । पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु समय-समय पर परिवर्तन के अध्वधीन रहेगा ।

अध्यादेश – 5

विज्ञान में स्नातक-आनर्स बी.एस.सी.(आनर्स)

- 1 शीर्षक : : विज्ञान में स्नातक (आनर्स)
(भौतिकी, रसायन, गणित, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, सूक्ष्मविज्ञान, बायो-टेक्नालॉजी, योगा साइंस एण्ड थैरीपी आदि जैसा अधिनियम 12 में सम्मिलित है ।
- 2 संकाय : : विज्ञान
- 3 अवधि : : तीन वर्ष वार्षिक प्रणाली
- 4 पात्रता: : किसी भी संकाय में किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 10+2 या समकक्ष, जिसमें से विज्ञान, कक्षा बारहवी में एक मुख्य विषय के रूप में हो।
- 5 सीट आधार इकाई 60 सीटों का होगा इसके गुणक में प्रबंधन बोर्ड द्वारा ईकाई भी स्थापित की जा सकती है ।
- 6 प्रवेश प्रक्रिया अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी गयी है। तथा आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी समस्त निर्देशों का अनुपालन किया गया है।
- 7 शैक्षणिक वर्ष: जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा ।
- 8 चयन प्रक्रिया : विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष प्रारंभ होने के पूर्व विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर एवं अन्य लोकप्रिय मीडिया में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु प्रविण्य आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी या उनके प्रवेश के बारे में विद्यार्थियों को प्रत्यक्षतः सूचित किया जायेगा । चयनित विद्यार्थियों की सूची को विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित किया जायेगा । अभ्यर्थी जिनका परिणाम प्रतीक्षा में हो, वे भी आवेदन कर सकेंगे । तथापि ऐसे अभ्यर्थी को अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने का साक्ष्य अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा, परंतु यदि अभ्यर्थी अपेक्षित प्रतिशत के साथ अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहता है तो उसका प्रवेश निरस्त माना जायेगा। परंतु यह और है की परीक्षा फार्म भरने के पूर्व

अभ्यर्थी को अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। प्रवेश प्रक्रिया में आरक्षण से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।

9 प्रवेश का निरस्ती करण :

विद्यार्थी का प्रवेश निम्नलिखित परिस्थितियों में निरस्त किया जा सकेगा

- i. किसी चरण में, यदि विद्यार्थी शासन के मानदण्ड/निर्देश या विश्वविद्यालय द्वारा विहित अर्हता मानदण्ड के अनुसार कार्यक्रम हेतु अर्हकारी नहीं पाया जाता है।
- ii. संस्थान/ विश्वविद्यालय में आशिष्टता या अनुशासनहीनता में संलिप्त रहता है।
- iii. प्रवेश पाने हेतु मिथ्या या कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किया है या अनुचित साधनों का प्रयोग किया है।
- iv. शुल्क का भुगतान नहीं किया है।
- v. किसी भी तरह से आवेदन प्रपत्र अपूर्ण है।
- vi. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो।

प्रस्तुत सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा।

10 फीस :

पाठ्यक्रम शुल्क, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से प्रबंध मण्डल द्वारा समय समय पर निर्धारित की जायेगी।

11 पाठ्यक्रम संरचना एवं :
परीक्षा योजना

अध्ययन बोर्ड द्वारा प्रस्तावित एवं अकादमिक परिषद द्वारा अनुमोदित ।

अनिवार्य विषय :- 1 पर्यावरण अध्ययन 2 अंग्रेजी भाषा
3 हिन्दी भाषा/भारतीय संस्कृति

विशेषज्ञता के विभिन्न संयोजना की विस्तृत पाठ्यक्रम संरचना और परीक्षा योजना, अध्ययन बोर्ड और अकादमिक परिषद के अनुमोदन के बाद पाठ्यक्रम के प्रारंभ के समय रखी जाएगी ।

12 उत्तीर्ण करने हेतु :

विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 2 उपखण्ड 12(1) के अनुसार।

- 13 मूल्यांकन एवं परीक्षा : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार ।
- 14 पूरक के लिए
पात्रता मापदण्ड : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार ।
- 15 सामान्य : अध्ययन मण्डल द्वारा प्रत्येक पेपर हेतु विस्तृत पाठ्यक्रम तैयार किया जायेगा जो विद्या परिषद एवं कुलपति द्वारा विधिवत् अनुमोदित किया जायेगा ।
पाठ्यक्रम से संबंधित विषयों में विश्वविद्यालय के कुलपति का विनिश्च अंतिम होगा । तथापि विद्या परिषद की अनुशांसा पर कुलपति परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा । पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु समय-समय पर परिवर्तन के अधधीन रहेगा ।

अध्यादेश - 6

कम्प्युटर एप्लीकेशन में स्नातक (बी.सी.ए.)

- 1 शीर्षक : : कम्प्युटर एप्लीकेशन में स्नातक (बी.सी.ए.)
- 2 संकाय : : विज्ञान
- 3 अवधि : : तीन वर्ष के छः सेमेस्टर
- 4 पात्रता: : किसी भी संकाय में किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 10+2 जिसमें से गणित, कक्षा बारहवी में एक मुख्य विषय के रूप में रहा हो। यदि अभ्यर्थी का, कक्षा बारहवी में गणित एक मुख्य विषय के रूप में न रहा हो तो तीन प्रयास में छः सेमेस्टर के दौरान गणित का विशेष प्रश्नपत्र उत्तीर्ण करना होगा, ऐसा करने में असफल रहने की दशा में, अभ्यर्थी, बीसीए की डिग्री प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होगा।
- 5 पार्श्व प्रवेश : : बीसीए द्वितीय वर्ष या तीसरे सेमेस्टर में पार्श्व प्रवेश, ऐसे विद्यार्थी को दिया जायेगा जो डीसीए (10+2 के बाद) या डी.ओ.ई.ए.सी.सी. "ओ" लेवल परीक्षा या विश्वविद्यालय द्वारा समतुल्य घोषित किसी अन्य परीक्षा की अर्हता रखता हो।
- 6 सीट : : आधार इकाई 60 सीटों की होगी या इसके गुणक में प्रबंधन बोर्ड द्वारा अतिरिक्त इकाइया भी स्थापित की जा सकती है।
- 7 प्रवेश प्रक्रिया : : अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी गयी है। तथा आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी समस्त निर्देशों का अनुपालन किया गया है।
- 8 शैक्षणिक वर्ष: : जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा।
- 9 चयन प्रक्रिया : : विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष प्रारंभ होने के पूर्व विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर एवं अन्य लोकप्रिय मीडिया में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु प्रविण्य आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी या उनके प्रवेश के बारे में

विद्यार्थियों को प्रत्यक्षतः सूचित किया जायेगा । चयनित विद्यार्थियों की सूची को विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित किया जायेगा । अभ्यर्थी जिनका परिणाम प्रतीक्षा में हो, वे भी आवेदन कर सकेंगे । तथापि ऐसे अभ्यर्थी को अर्हकारी परीक्षा की अंतिम वर्ष में उपस्थित होने का साक्ष्य अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा, परंतु यदि अभ्यर्थी अपेक्षित प्रतिशत के साथ अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहता है तो उसका प्रवेश निरस्त माना जायेगा। परंतु यह और है की परीक्षा फार्म भरने के पूर्व अभ्यर्थी को अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। प्रवेश प्रक्रिया में आरक्षण से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।

10 प्रवेश का निरस्तीकरण :

विद्यार्थी का प्रवेश निम्नलिखित परिस्थितियों में निरस्त किया जा सकेगा

- i. किसी चरण में, यदि विद्यार्थी शासन के मानदण्ड/निर्देश या विश्वविद्यालय द्वारा विहित अर्हता मानदण्ड के अनुसार कार्यक्रम हेतु अर्हकारी नहीं पाया जाता है।
- ii. संस्थान/ विश्वविद्यालय में आशिष्टता या अनुशासनहीनता में संलिप्त रहता है।
- iii. प्रवेश पाने हेतु मिथ्या या कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किया है या अनुचित साधनों का प्रयोग किया है।
- iv. शुल्क का भुगतान नहीं किया है।
- v. किसी भी तरह से आवेदन प्रपत्र अपूर्ण है।
- vi. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो।

प्रस्तुत सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा।

11 फीस

: पाठ्यक्रम शुल्क, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से प्रबंध मण्डल द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जायेगा।

- 12 उत्तीर्ण करने हेतु : विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 2 उपखण्ड 12(1) के अनुसार।
- 13 पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना : अध्ययन बोर्ड द्वारा प्रस्तावित एवं अकादमिक परिषद द्वारा अनुमोदित।
अनिवार्य विषय :- 1 पर्यावरण अध्ययन 2 अंग्रेजी भाषा 3 हिन्दी भाषा/भारतीय संस्कृति
विशेषज्ञता के विभिन्न संयोजना का विस्तृत पाठ्यक्रम संरचना और परीक्षा योजना अध्ययन बोर्ड और अकादमिक परिषद के अनुमोदन के बाद पाठ्यक्रम के प्रारंभ के समय रखी जाएगी।
- 14 मूल्यांकन एवं परीक्षा : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार।
- 15 ए.टी.के.टी. के लिए पात्रता मापदण्ड : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार।
- 16 सामान्य : अध्ययन मण्डल द्वारा प्रत्येक पेपर हेतु विस्तृत पाठ्यक्रम तैयार किया जायेगा जो विद्या परिषद एवं कुलपति द्वारा विधिवत् अनुमोदित किया जायेगा।
पाठ्यक्रम से संबंधित विषयों में विश्वविद्यालय के कुलपति का विनिश्च अंतिम होगा। तथापि विद्या परिषद की अनुशंसा पर कुलपति परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा। पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु समय-समय पर परिवर्तन के अध्याधीन रहेगा।

अध्यादेश - 7

कम्प्युटर एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर (एम.सी.ए)

- 1 शीर्षक : : कम्प्युटर एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर
- 2 संकाय : : विज्ञान
- 3 अवधि : : तीन वर्ष के छः सेमेस्टर
- 4 पात्रता: : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ कक्षा बारहवीं में या स्नातक में गणित अनिवार्य विषय के रूप में हो।
- 5 पार्श्व प्रवेश : कम से कम 50 प्रतिशत अंक (45 प्रतिशत अंक आरक्षित वर्ग हेतु) योग्यता परीक्षा में।
सीट रिक्त होने की दशा में प्रवेश के लिये न्यूनतम अपेक्षित प्रतिशत में कुलपति की अनुमति से 5 प्रतिशत कम किया जा सकेगा।
विद्यार्थी को एम.सी.ए. द्वितीय वर्ष या तृतीय सेमेस्टर में पार्श्व प्रवेश, दिया जायेगा, जो बी.सी.ए./बी.एस.सी. (आईटी/सी.एस) गणित के साथ 10+2 स्तर पर या स्नातक स्तर पर या पी.जी.डी.सी.ए. (स्नातक के बाद) की अर्हता या डी.ओ.ई.ए.सी.सी. 'ए' स्तर परीक्षा या समतुल्य माने गये कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण हो।
कम से कम 50 प्रतिशत अंक (45 प्रतिशत आरक्षित वर्ग हेतु) योग्यता परीक्षा।
सीट रिक्त होने की दशा में प्रवेश के लिये न्यूनतम अपेक्षित प्रतिशत में कुलपति की अनुमति से 5 प्रतिशत कमी कि जा सकेगी।
- 6 सीट : बुनियादी इकाई 60 सीटों का होगा। इस इकाई के एकाधिक इकाई भी, प्रबंध मण्डल द्वारा समय-समय पर स्थापित किया जा सकेगी।
- 7 प्रवेश प्रक्रिया : अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी तथा आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी समस्त निर्देशों का अनुपालन किया जावेगा।
- 8 शैक्षणिक वर्ष: : जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा।

9 चयन प्रक्रिया

: विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष प्रारंभ होने के पूर्व विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर एवं अन्य लोकप्रिय मीडिया में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु प्रविण्य आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी या उनके प्रवेश के बारे में विद्यार्थियों को प्रत्यक्षतः सूचित किया जायेगा। चयनित विद्यार्थियों की सूची को विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित किया जायेगा। अभ्यर्थी जिनका परिणाम प्रतीक्षा में हो, वे भी आवेदन कर सकेंगे। तथापि ऐसे अभ्यर्थी को अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने का साक्ष्य अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा, परंतु यदि अभ्यर्थी अपेक्षित प्रतिशत के साथ अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहता है तो उसका प्रवेश निरस्त माना जायेगा। परंतु यह और है की परीक्षा फार्म भरने के पूर्व अभ्यर्थी को अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। प्रवेश प्रक्रिया में आरक्षण से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।

10 प्रवेश का निरस्ती करण :

विद्यार्थी का प्रवेश निम्नलिखित परिस्थितियों में निरस्त किया जा सकेगा

- i. किसी चरण में, यदि विद्यार्थी शासन के मानदण्ड/निर्देश या विश्वविद्यालय द्वारा विहित अर्हता मानदण्ड के अनुसार कार्यक्रम हेतु अर्हकारी नहीं पाया जाता है।
- ii. संस्थान/ विश्वविद्यालय में आशिष्टता या अनुशासनहीनता में संलिप्त रहता है।
- iii. प्रवेश पाने हेतु मिथ्या या कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किया है या अनुचित साधनों का प्रयोग किया है।
- iv. शुल्क का भुगतान नहीं किया है।
- v. किसी भी तरह से आवेदन प्रपत्र अपूर्ण है।
- vi. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो।

- प्रस्तुत सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा।
- 11 फीस : पाठ्यक्रम शुल्क, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से प्रबंध मण्डल द्वारा समय समय पर निर्धारित की जायेगी।
- 12 उत्तीर्ण करने हेतु : विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 2 उपखण्ड 12(1) के अनुसार।
- 13 पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना : अध्ययन बोर्ड द्वारा प्रस्तावित एवं अकादमिक परिषद द्वारा अनुमोदित।
- 14 मूल्यांकन एवं परीक्षा : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार।
- 15 ए.टी.के.टी. के लिए पात्रता मापदण्ड : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार।
- 16 सामान्य : अध्ययन मण्डल द्वारा प्रत्येक पेपर हेतु विस्तृत पाठ्यक्रम तैयार किया जायेगा जो विद्या परिषद एवं कुलपति द्वारा विधिवत् अनुमोदित किया जायेगा।
पाठ्यक्रम से संबंधित विषयों में विश्वविद्यालय के कुलपति का विनिश्च अंतिम होगा। तथापि विद्या परिषद की अनुशंसा पर कुलपति परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा। पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु समय-समय पर परिवर्तन के अधधीन रहेगा।

अध्यादेश – 8

डिप्लोमा इन फार्मसी (डी.फार्म)

- 1 शीर्षक : डिप्लोमा इन फार्मसी
- 2 संकाय : विज्ञान
- 3 अवधि : दो वर्ष वार्षिक प्रणाली
- 4 पात्रता : 12 वी कक्षा उत्तीर्ण, भौतिक एवं रसायन शास्त्र अनिवार्य विषय के रूप में एवं गणित/जीव विज्ञान (वनस्पति विज्ञान और प्राणी शास्त्र) में से कोई एक या उपयुक्त परीक्षा के बराबर नियामक परिषद द्वारा अनुमोदित कोई अन्य योग्यता ।
- 5 सीट आधार इकाई 60 सीटों का होगा इसके गुणक में प्रबंधन बोर्ड द्वारा इकाई भी स्थापित की जा सकती है ।
- 6 प्रवेश प्रक्रिया अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी गयी है। तथा आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी समस्त निर्देशों का अनुपालन किया गया है।
- 7 शैक्षणिक वर्ष: जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा।
- 8 चयन प्रक्रिया : विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष प्रारंभ होने के पूर्व विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर एवं अन्य लोकप्रिय मीडिया में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु प्रविण्य आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी या उनके प्रवेश के बारे में विद्यार्थियों को प्रत्यक्षतः सूचित किया जायेगा । चयनित विद्यार्थियों की सूची को विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित किया जायेगा । अभ्यर्थी जिनका परिणाम प्रतीक्षा में हो, वे भी आवेदन कर सकेंगे । तथापि ऐसे अभ्यर्थी को अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने का साक्ष्य अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा, परंतु यदि अभ्यर्थी अपेक्षित प्रतिशत के साथ अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहता है तो उसका प्रवेश निरस्त माना जायेगा। परंतु यह और है की परीक्षा फार्म भरने के पूर्व अभ्यर्थी को अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। प्रवेश प्रक्रिया में आरक्षण से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।

- 9 प्रवेश का निरस्ती करण : विद्यार्थी का प्रवेश निम्नलिखित परिस्थितियों में निरस्त किया जा सकेगा
- i. किसी चरण में, यदि विद्यार्थी शासन के मानदण्ड/निर्देश या विश्वविद्यालय द्वारा विहित अर्हता मानदण्ड के अनुसार कार्यक्रम हेतु अर्हकारी नहीं पाया जाता है।
 - ii. संस्थान/ विश्वविद्यालय में आशिष्टता या अनुशासनहीनता में संलिप्त रहता है।
 - iii. प्रवेश पाने हेतु मिथ्या या कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किया है या अनुचित साधनों का प्रयोग किया है।
 - iv. शुल्क का भुगतान नहीं किया है।
 - v. किसी भी तरह से आवेदन प्रपत्र अपूर्ण है।
 - vi. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो।
- प्रस्तुत सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा।
- 10 फीस : पाठ्यक्रम शुल्क, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से प्रबंध मण्डल द्वारा समय समय पर निर्धारित की जायेगी।
- 12 उत्तीर्ण करने हेतु : विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 2 उपखण्ड 12(1) के अनुसार।
- 11 पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना : अध्ययन बोर्ड द्वारा प्रस्तावित एवं अकादमिक परिषद द्वारा अनुमोदित।
- 13 मूल्यांकन एवं परीक्षा : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार।
- 14 पूरक के लिए पात्रता मापदण्ड : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार।
- 15 सामान्य : अध्ययन मण्डल द्वारा प्रत्येक पेपर हेतु विस्तृत पाठ्यक्रम तैयार किया जायेगा जो विद्या परिषद एवं कुलपति द्वारा विधिवत् अनुमोदित किया जायेगा।
पाठ्यक्रम से संबंधित विषयों में विश्वविद्यालय के कुलपति का विनिश्च अंतिम होगा। तथापि विद्या परिषद की अनुशंसा पर कुलपति परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा। पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु समय-समय पर परिवर्तन के अध्यधीन रहेगा।

अध्यादेश - 9

बैचलर इन फार्मसी (बी.फार्म)

- 1 शीर्षक : बैचलर इन फार्मसी
- 2 संकाय : विज्ञान
- 3 अवधि : चार वर्ष के आठ सेमेस्टर
- 4 पात्रता: 10+2 या समकक्ष, भौतिकी, रसायन विज्ञान अनिवार्य विषय के रूप में एवं गणित या जीव विज्ञान वैकल्पिक विषय के रूप में । उपर्युक्त विषयों में कम से कम 45 प्रतिशत (आरक्षित श्रेणी के 40 प्रतिशत) प्राप्त हो ।
- 5 पार्श्व प्रवेश डिप्लोमा में उत्तीर्ण छात्र पार्श्व प्रवेश हेतु तीसरे सेमेस्टर में पात्र होगा छात्र को कम से कम 45 प्रतिशत (40 प्रतिशत आरक्षित वर्ग हेतु) में उत्तीर्ण होना होगा ।
- 6 सीट आधार इकाई 60 सीटों की होगी इसके गुणक में प्रबंधन बोर्ड द्वारा अतिरिक्त इकाई भी स्थापित की जा सकती है।
- 7 प्रवेश प्रक्रिया अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी गयी है। तथा आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी समस्त निर्देशों का अनुपालन किया गया है।
- 8 शैक्षणिक वर्ष: जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा।
- 9 चयन प्रक्रिया : विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष प्रारंभ होने के पूर्व विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर एवं अन्य लोकप्रिय मीडिया में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु प्रविण्य आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी या उनके प्रवेश के बारे में विद्यार्थियों को प्रत्यक्षतः सूचित किया जायेगा । चयनित विद्यार्थियों की सूची को विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित किया जायेगा । अभ्यर्थी जिनका परिणाम प्रतीक्षा में हो, वे भी आवेदन कर सकेंगे । तथापि ऐसे अभ्यर्थी को अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने का साक्ष्य अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा, परंतु यदि अभ्यर्थी अपेक्षित प्रतिशत के साथ अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहता है तो उसका प्रवेश निरस्त माना जायेगा। परंतु यह और है कि परीक्षा फार्म भरने के पूर्व अभ्यर्थी को अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। प्रवेश प्रक्रिया में आरक्षण से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।

- 10 प्रवेश का निरस्तीकरण : विद्यार्थी का प्रवेश निम्नलिखित परिस्थितियों में निरस्त किया जा सकेगा
- i. किसी चरण में, यदि विद्यार्थी शासन के मानदण्ड/निर्देश या विश्वविद्यालय द्वारा विहित अर्हता मानदण्ड के अनुसार कार्यक्रम हेतु अर्हकारी नहीं पाया जाता है।
 - ii. संस्थान/ विश्वविद्यालय में आशिष्टता या अनुशासनहीनता में संलिप्त रहता है।
 - iii. प्रवेश पाने हेतु मिथ्या या कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किया है या अनुचित साधनों का प्रयोग किया है।
 - iv. शुल्क का भुगतान नहीं किया है।
 - v. किसी भी तरह से आवेदन प्रपत्र अपूर्ण है।
 - vi. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो।
- प्रस्तुत सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा।
- 11 फीस : पाठ्यक्रम शुल्क, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से प्रबंध मण्डल द्वारा समय समय पर निर्धारित की जायेगी।
- 12 उत्तीर्ण करने हेतु : विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 2 उपखण्ड 12(1) के अनुसार।
- 13 पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना : अध्ययन बोर्ड द्वारा प्रस्तावित एवं अकादमिक परिषद द्वारा अनुमोदित।
- 14 मूल्यांकन एवं परीक्षा : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार।
- 15 ए.टी.के.टी. के लिए पात्रता मापदण्ड : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार।
- 16 सामान्य : अध्ययन मण्डल द्वारा प्रत्येक पेपर हेतु विस्तृत पाठ्यक्रम तैयार किया जायेगा जो विद्या परिषद एवं कुलपति द्वारा विधिवत् अनुमोदित किया जायेगा।
पाठ्यक्रम से संबंधित विषयों में विश्वविद्यालय के कुलपति का विनिश्च अंतिम होगा। तथापि विद्या परिषद की अनुशंसा पर कुलपति परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा। पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु समय-समय पर परिवर्तन के अध्यक्षीन रहेगा।

अध्यादेश - 10

मास्टर ऑफ फार्मसी (एम.फार्म)

- 1 शीर्षक : मास्टर ऑफ फार्मसी
(फार्मोसुटिकल केमेस्ट्री, फार्मोसुटिकल, फार्मोकोलॉजी, फार्मोसुटिकल मैनेजमेंट, फार्मोकोबोनेसी, फार्मोसुटिकल क्वालिटी, असोरेंस आदि ।
- 2 संकाय : विज्ञान
- 3 अवधि : दो वर्ष के चार सेमेस्टर
- 4 पात्रता : किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से बी.फार्मा में या प्रसांगिक विषय में कम से कम 55 प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण किया हो (आरक्षित वर्ग हेतु 50 प्रतिशत) ।
सीट रिक्त होने की दशा में प्रवेश के लिये न्यूनतम अपेक्षित प्रतिशत में कुलपति की अनुमति से 5 प्रतिशत कम किया जा सकेगा ।
- 5 सीट आधार इकाई 30 सीटों की होगा इसके गुणक में प्रबंधन बोर्ड द्वारा अतिरिक्त इकाई भी स्थापित की जा सकती है ।
- 6 प्रवेश प्रक्रिया अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी गयी है। तथा आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी समस्त निर्देशों का अनुपालन किया गया है ।
- 7 शैक्षणिक वर्ष : जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा ।
- 8 चयन प्रक्रिया : विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष प्रारंभ होने के पूर्व विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर एवं अन्य लोकप्रिय मीडिया में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु प्रविण्य आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी या उनके प्रवेश के बारे में विद्यार्थियों को प्रत्यक्षतः सूचित किया जायेगा । चयनित विद्यार्थियों की सूची को विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित किया जायेगा । अभ्यर्थी जिनका परिणाम प्रतीक्षा में हो, वे भी आवेदन कर सकेंगे । तथापि ऐसे अभ्यर्थी को अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने का साक्ष्य अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा, परंतु यदि अभ्यर्थी अपेक्षित प्रतिशत के साथ अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहता है तो उसका प्रवेश निरस्त माना जायेगा। परंतु यह और है कि परीक्षा फार्म भरने के पूर्व अभ्यर्थी को अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। प्रवेश प्रक्रिया में आरक्षण से

- संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।
- 9 प्रवेश का निरस्तीकरण : विद्यार्थी का प्रवेश निम्नलिखित परिस्थितियों में निरस्त किया जा सकेगा
- i. किसी चरण में, यदि विद्यार्थी शासन के मानदण्ड/निर्देश या विश्वविद्यालय द्वारा विहित अर्हता मानदण्ड के अनुसार कार्यक्रम हेतु अर्हकारी नहीं पाया जाता है।
 - ii. संस्थान/ विश्वविद्यालय में आशिष्टता या अनुशासनहीनता में संलिप्त रहता है।
 - iii. प्रवेश पाने हेतु मिथ्या या कुट्टरचित दस्तावेज प्रस्तुत किया है या अनुचित साधनों का प्रयोग किया है।
 - iv. शुल्क का भुगतान नहीं किया है।
 - v. किसी भी तरह से आवेदन प्रपत्र अपूर्ण है।
 - vi. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो।
- प्रस्तुत सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा।
- 10 फीस : पाठ्यक्रम शुल्क, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से प्रबंध मण्डल द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जायेगी।
- 11 उत्तीर्ण करने हेतु : विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 2 उपखण्ड 12(1) के अनुसार।
- 12 पाठ्यक्रम संरचना एवं : अध्ययन बोर्ड द्वारा प्रस्तावित एवं अकादमिक परिषद परीक्षा योजना द्वारा अनुमोदित।
- 13 मूल्यांकन एवं परीक्षा : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार।
- 14 ए.टी.के.टी. के लिए : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार।
पात्रता मापदण्ड
- 15 सामान्य : अध्ययन मण्डल द्वारा प्रत्येक पेपर हेतु विस्तृत पाठ्यक्रम तैयार किया जायेगा जो विद्या परिषद एवं कुलपति द्वारा विधिवत् अनुमोदित किया जायेगा।
पाठ्यक्रम से संबंधित विषयों में विश्वविद्यालय के कुलपति का विनिश्च अंतिम होगा। तथापि विद्या परिषद की अनुशंसा पर कुलपति परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा। पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु समय-समय पर परिवर्तन के अध्याधीन रहेगा।

अध्यादेश – 11

डिप्लोमा इन योगा एण्ड नैचरोपैथी / योगा और आध्यात्मिकता / योगा साइंस एण्ड थैरेपी
/ योगा और चेतना

- 1 शीर्षक : : डिप्लोमा इन योगा एण्ड नैचरोपैथी / योगा और आध्यात्मिकता / योगा साइंस एण्ड थैरेपी / योग और चेतना ।
- 2 संकाय : : कला
- 3 अवधि : : दो वर्ष वार्षिक प्रणाली
- 4 पात्रता: : किसी भी संकाय में किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 10 या समकक्ष, ।
- 5 सीट आधार इकाई 60 सीटों का होगा इसके गुणक में प्रबंधन बोर्ड द्वारा अतिरिक्त ईकाई भी स्थापित की जा सकती है ।
- 6 प्रवेश प्रक्रिया अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी तथा आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी समस्त निर्देशों का अनुपालन किया जावेगा ।
- 7 शैक्षणिक वर्ष: जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा ।
- 8 चयन प्रक्रिया : विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष प्रारंभ होने के पूर्व विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर एवं अन्य लोकप्रिय मीडिया में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु प्रविण्य आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी या उनके प्रवेश के बारे में विद्यार्थियों को प्रत्यक्षतः सूचित किया जायेगा । चयनित विद्यार्थियों की सूची को विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित किया जायेगा । अभ्यर्थी जिनका परिणाम प्रतिक्षा में हो, वे भी आवेदन कर सकेंगे । तथापि ऐसे अभ्यर्थी को अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने का साक्ष्य अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा, परंतु यदि अभ्यर्थी अपेक्षित प्रतिशत के साथ अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहता है तो उसका प्रवेश निरस्त माना जायेगा। परंतु यह और है की परीक्षा फार्म भरने के पूर्व अभ्यर्थी को अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। प्रवेश प्रक्रिया में आरक्षण से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।

- 9 प्रवेश का निरस्ती करण : विद्यार्थी का प्रवेश निम्नलिखित परिस्थितियों में निरस्त किया जा सकेगा
- i. किसी चरण में, यदि विद्यार्थी शासन के मानदण्ड/निर्देश या विश्वविद्यालय द्वारा विहित अर्हता मानदण्ड के अनुसार कार्यक्रम हेतु अर्हकारी नहीं पाया जाता है।
 - ii. संस्थान/ विश्वविद्यालय में आशिष्ट अनुशासनहीनता में संलिप्त रहता है।
 - iii. प्रवेश पाने हेतु मिथ्या या कुट्टरचित दस्तावेज प्रस्तुत किया है या अनुचित साधनों का प्रयोग किया है।
 - iv. शुल्क का भुगतान नहीं किया है।
 - v. किसी भी तरह से आवेदन प्रपत्र अपूर्ण है।
 - vi. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो।
- प्रस्तुत सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा।
- 10 फीस : पाठ्यक्रम शुल्क, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से प्रबंध मण्डल द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जायेगा।
- 11 पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना : अध्ययन बोर्ड द्वारा प्रस्तावित एवं अकादमिक परिषद द्वारा अनुमोदित।
- 12 उत्तीर्ण करने हेतु : विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 2 उपखण्ड 12(1) के अनुसार।
- 13 मूल्यांकन एवं परीक्षा : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार।
- 14 पूरक के लिए पात्रता मापदण्ड : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार।
- 15 सामान्य : अध्ययन मण्डल द्वारा प्रत्येक पेपर हेतु विस्तृत पाठ्यक्रम तैयार किया जायेगा जो विद्या परिषद एवं कुलपति द्वारा विधिवत् अनुमोदित किया जायेगा।
पाठ्यक्रम से संबंधित विषयों में विश्वविद्यालय के कुलपति का विनिश्च अंतिम होगा। तथापि विद्या परिषद की अनुशंसा पर कुलपति परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा। पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु समय-समय पर परिवर्तन के अध्याधीन रहेगा।

अध्यादेश – 12

पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन योगा एण्ड नैचरोपैथी/योगा और आध्यात्मिकता/योगा साइंस एण्ड थैरेपी/योगा और चेतना

- 1 शीर्षक : : पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन योगा एण्ड नैचरोपैथी/योगा और आध्यात्मिकता /योगा साइंस एण्ड थैरेपी/योगा और चेतना ।
- 2 संकाय : : कला
- 3 अवधि : : एक वर्ष वार्षिक प्रणाली
- 4 पात्रता: : किसी मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण किया हो ।
- 5 सीट आधार इकाई 60 सीटो का होगा इसके गुणक में प्रबंधन बोर्ड द्वारा अतिरिक्त ईकाई भी स्थापित की जा सकती है ।
- 6 प्रवेश प्रक्रिया अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी तथा आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी समस्त निर्देशों का अनुपालन किया जावेगा ।
- 7 शैक्षणिक वर्ष: जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा ।
- 8 चयन प्रक्रिया : विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष प्रारंभ होने के पूर्व विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर एवं अन्य लोकप्रिय मीडिया में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु प्रविण्य आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी या उनके प्रवेश के बारे में विद्यार्थियों को प्रत्यक्षतः सूचित किया जायेगा । चयनित विद्यार्थियों की सूची को विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित किया जायेगा । अभ्यर्थी जिनका परिणाम प्रतीक्षा में हो, वे भी आवेदन कर सकेंगे । तथापि ऐसे अभ्यर्थी को अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने का साक्ष्य अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा, परंतु यदि अभ्यर्थी अपेक्षित प्रतिशत के साथ अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहता है तो उसका प्रवेश निरस्त माना जायेगा। परंतु यह और है की परीक्षा फार्म भरने के पूर्व अभ्यर्थी को अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। प्रवेश प्रक्रिया में आरक्षण से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।

- 9 प्रवेश का निरस्तीकरण : विद्यार्थी का प्रवेश निम्नलिखित परिस्थितियों में निरस्त किया जा सकेगा
- i. किसी चरण में, यदि विद्यार्थी शासन के मानदण्ड/निर्देश या विश्वविद्यालय द्वारा विहित अर्हता मानदण्ड के अनुसार कार्यक्रम हेतु अर्हकारी नहीं पाया जाता है।
 - ii. संस्थान/ विश्वविद्यालय में आशिष्ट अनुशासनहीनता में संलिप्त रहता है।
 - iii. प्रवेश पाने हेतु मिथ्या या कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किया है या अनुचित साधनों का प्रयोग किया है।
 - iv. शुल्क का भुगतान नहीं किया है।
 - v. किसी भी तरह से आवेदन प्रपत्र अपूर्ण है।
 - vi. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो।
प्रस्तुत सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा।
- 10 फीस : पाठ्यक्रम शुल्क, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से प्रबंध मण्डल द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जायेगा।
- 11 पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना : अध्ययन बोर्ड द्वारा प्रस्तावित एवं अकादमिक परिषद द्वारा अनुमोदित।
- 12 उत्तीर्ण करने हेतु : विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 2 उपखण्ड 12(1) के अनुसार।
- 13 मूल्यांकन एवं परीक्षा : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार।
- 14 पूरक के लिए पात्रता मापदण्ड : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार।
- 15 सामान्य : अध्ययन मण्डल द्वारा प्रत्येक पेपर हेतु विस्तृत पाठ्यक्रम तैयार किया जायेगा जो विद्या परिषद एवं कुलपति द्वारा विधिवत् अनुमोदित किया जायेगा।
पाठ्यक्रम से संबंधित विषयों में विश्वविद्यालय के कुलपति का विनिश्चय अंतिम होगा। तथापि विद्या परिषद की अनुशंसा पर कुलपति परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा। पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु समय-समय पर परिवर्तन के अध्याधीन रहेगा।

अध्यादेश – 13

बैचलर ऑफ जर्नलिज्म (बी.जे.)

- 1 शीर्षक : : बैचलर ऑफ जर्नलिज्म (बी.जे.)
- 2 संकाय : : कला
- 3 अवधि : : एक वर्ष वार्षिक प्रणाली
- 4 पात्रता : : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष ।
- 5 सीट आधार इकाई 60 सीटों का होगा इसके गुणक में प्रबंधन बोर्ड द्वारा अतिरिक्त ईकाई भी स्थापित की जा सकती है ।
- 6 प्रवेश प्रक्रिया अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी गयी है। तथा आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी समस्त निर्देशों का अनुपालन किया गया है।
- 7 शैक्षणिक वर्ष: जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा।
- 8 चयन प्रक्रिया : विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष प्रारंभ होने के पूर्व विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर एवं अन्य लोकप्रिय मीडिया में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु प्रविण्य आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी या उनके प्रवेश के बारे में विद्यार्थियों को प्रत्यक्षतः सूचित किया जायेगा । चयनित विद्यार्थियों की सूची को विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित किया जायेगा । अभ्यर्थी जिनका परिणाम प्रतीक्षा में हो, वे भी आवेदन कर सकेंगे । तथापि ऐसे अभ्यर्थी को अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने का साक्ष्य अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा, परंतु यदि अभ्यर्थी अपेक्षित प्रतिशत के साथ अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहता है तो उसका प्रवेश निरस्त माना जायेगा। परंतु यह और है की परीक्षा फार्म भरने के पूर्व अभ्यर्थी को अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। प्रवेश प्रक्रिया में आरक्षण से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।
- 9 प्रवेश का निरस्ती करण : विद्यार्थी का प्रवेश निम्नलिखित परिस्थितियों में निरस्त किया जा सकेगा

- i. किसी चरण में, यदि विद्यार्थी शासन के मानदण्ड/निर्देश या विश्वविद्यालय द्वारा विहित अर्हता मानदण्ड के अनुसार कार्यक्रम हेतु अर्हकारी नहीं पाया जाता है।
 - ii. संस्थान/ विश्वविद्यालय में आशिष्ट अनुशासनहीनता में संलिप्त रहता है।
 - iii. प्रवेश पाने हेतु मिथ्या या कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किया है या अनुचित साधनों का प्रयोग किया है।
 - iv. शुल्क का भुगतान नहीं किया है।
 - v. किसी भी तरह से आवेदन प्रपत्र अपूर्ण है।
 - vi. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो।
- प्रस्तुत सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा।

- 10 फीस : पाठ्यक्रम शुल्क, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से प्रबंध मण्डल द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जायेगा।
- 11 उत्तीर्ण करने हेतु : विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 2 उपखण्ड 12(1) के अनुसार।
- 12 पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना : अध्ययन बोर्ड द्वारा प्रस्तावित एवं अकादमिक परिषद द्वारा अनुमोदित।
- 13 मूल्यांकन एवं परीक्षा : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार।
- 14 पूरक के लिए पात्रता मापदण्ड : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार।
- 15 सामान्य : अध्ययन मण्डल द्वारा प्रत्येक पेपर हेतु विस्तृत पाठ्यक्रम तैयार किया जायेगा जो विद्या परिषद एवं कुलपति द्वारा विधिवत् अनुमोदित किया जायेगा।
पाठ्यक्रम से संबंधित विषयों में विश्वविद्यालय के कुलपति का विनिश्च अंतिम होगा। तथापि विद्या परिषद की अनुशंसा पर कुलपति परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा। पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु समय-समय पर परिवर्तन के अध्याधीन रहेगा।

अध्यादेश - 14

मास्टर ऑफ जर्नलिज्म (एम.जे.)

- 1 शीर्षक : : मास्टर ऑफ जर्नलिज्म (एम.जे.)
- 2 संकाय : : कला
- 3 अवधि : : एक वर्ष वार्षिक प्रणाली
- 4 पात्रता: : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से स्नातक के बाद बैचलर ऑफ जर्नलिज्म (बी.जे.) या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण या (बी.ए. पत्रकारिता और जनसंचार) किसी भी संस्था / विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण हो।
- 5 सीट आधार इकाई 60 सीटों का होगा इसके गुणक में प्रबंधन बोर्ड द्वारा अतिरिक्त ईकाई भी स्थापित की जा सकती है।
- 6 प्रवेश प्रक्रिया अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी गयी है। तथा आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी समस्त निर्देशों का अनुपालन किया गया है।
- 7 शैक्षणिक वर्ष: जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा।
- 8 चयन प्रक्रिया : विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष प्रारंभ होने के पूर्व विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर एवं अन्य लोकप्रिय मीडिया में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु प्रविण्य आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी या उनके प्रवेश के बारे में विद्यार्थियों को प्रत्यक्षतः सूचित किया जायेगा। चयनित विद्यार्थियों की सूची को विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित किया जायेगा। अभ्यर्थी जिनका परिणाम प्रतीक्षा में हो, वे भी आवेदन कर सकेंगे। तथापि ऐसे अभ्यर्थी को अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने का साक्ष्य अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा, परंतु यदि अभ्यर्थी अपेक्षित प्रतिशत के साथ अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहता है तो उसका प्रवेश निरस्त माना जायेगा। परंतु यह और है की परीक्षा फार्म भरने के पूर्व अभ्यर्थी को अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। प्रवेश प्रक्रिया में आरक्षण से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।

- 9 प्रवेश का निरस्ती करण : विद्यार्थी का प्रवेश निम्नलिखित परिस्थितियों में निरस्त किया जा सकेगा
- i. किसी चरण में, यदि विद्यार्थी शासन के मानदण्ड/निर्देश या विश्वविद्यालय द्वारा विहित अर्हता मानदण्ड के अनुसार कार्यक्रम हेतु अर्हकारी नहीं पाया जाता है।
 - ii. संस्थान/ विश्वविद्यालय में आशिष्ट अनुशासनहीनता में संलिप्त रहता है।
 - iii. प्रवेश पाने हेतु मिथ्या या कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किया है या अनुचित साधनों का प्रयोग किया है।
 - iv. शुल्क का भुगतान नहीं किया है।
 - v. किसी भी तरह से आवेदन प्रपत्र अपूर्ण है।
 - vi. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो।
- प्रस्तुत सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा।
- 10 फीस : पाठ्यक्रम शुल्क, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से प्रबंध मण्डल द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जायेगा।
- 11 उत्तीर्ण करने हेतु : विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 2 उपखण्ड 12(1) के अनुसार।
- 12 पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना : अध्ययन बोर्ड द्वारा प्रस्तावित एवं अकादमिक परिषद द्वारा अनुमोदित।
- 13 मूल्यांकन एवं परीक्षा : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार।
- 14 पूरक के लिए पात्रता मापदण्ड : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार।
- 15 सामान्य : अध्ययन मण्डल द्वारा प्रत्येक पेपर हेतु विस्तृत पाठ्यक्रम तैयार किया जायेगा जो विद्या परिषद एवं कुलपति द्वारा विधिवत् अनुमोदित किया जायेगा।
पाठ्यक्रम से संबंधित विषयों में विश्वविद्यालय के कुलपति का विनिश्च अंतिम होगा। तथापि विद्या परिषद की अनुशंसा पर कुलपति परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा। पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु समय-समय पर परिवर्तन के अध्वधीन रहेगा।

अध्यादेश - 15

कम्प्युटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा (डी.सी.ए.)

- 1 शीर्षक : : कम्प्युटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा
- 2 संकाय : : विज्ञान
- 3 अवधि : : एक वर्ष वार्षिक प्रणाली
- 4 पात्रता : : किसी भी संकाय में किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 10+2 या समकक्ष, ।
- 5 सीट आधार इकाई 60 सीटों का होगा इसके गुणक में प्रबंधन बोर्ड द्वारा अतिरिक्त इकाई भी स्थापित की जा सकती है।
- 6 प्रवेश प्रक्रिया अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी तथा आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी समस्त निर्देशों का अनुपालन किया जावेगा ।
- 7 शैक्षणिक वर्ष: जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा।
- 8 चयन प्रक्रिया : विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष प्रारंभ होने के पूर्व विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर एवं अन्य लोकप्रिय मीडिया में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु प्रविण्य आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी या उनके प्रवेश के बारे में विद्यार्थियों को प्रत्यक्षतः सूचित किया जायेगा । चयनित विद्यार्थियों की सूची को विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित किया जायेगा । अभ्यर्थी जिनका परिणाम प्रतीक्षा में हो, वे भी आवेदन कर सकेंगे । तथापि ऐसे अभ्यर्थी को अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने का साक्ष्य अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा, परंतु यदि अभ्यर्थी अपेक्षित प्रतिशत के साथ अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहता है तो उसका प्रवेश निरस्त माना जायेगा। परंतु यह और है की परीक्षा फार्म भरने के पूर्व अभ्यर्थी को अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। प्रवेश प्रक्रिया में आरक्षण से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।
- 9 प्रवेश का निरस्तीकरण : विद्यार्थी का प्रवेश निम्नलिखित परिस्थितियों में निरस्त किया जा सकेगा

- vii. किसी चरण में, यदि विद्यार्थी शासन के मानदण्ड/निर्देश या विश्वविद्यालय द्वारा विहित अर्हता मानदण्ड के अनुसार कार्यक्रम हेतु अर्हकारी नहीं पाया जाता है।
- viii. संस्थान/ विश्वविद्यालय में आशिष्ट अनुशासनहीनता में संलिप्त रहता है।
- ix. प्रवेश पाने हेतु मिथ्या या कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किया है या अनुचित साधनों का प्रयोग किया है।
- x. शुल्क का भुगतान नहीं किया है।
- xi. किसी भी तरह से आवेदन प्रपत्र अपूर्ण है।
- xii. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो।
प्रस्तुत सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा।
- 10 फीस : पाठ्यक्रम शुल्क, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से प्रबंध मण्डल द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जायेगा।
- 11 पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना : अध्ययन बोर्ड द्वारा प्रस्तावित एवं अकादमिक परिषद द्वारा अनुमोदित।
- 12 उत्तीर्ण करने हेतु : विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 2 उपखण्ड 12(1) के अनुसार।
- 13 मूल्यांकन एवं परीक्षा : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार।
- 14 पूरक के लिए पात्रता मापदण्ड : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार।
- 15 सामान्य : अध्ययन मण्डल द्वारा प्रत्येक पेपर हेतु विस्तृत पाठ्यक्रम तैयार किया जायेगा जो विद्या परिषद एवं कुलपति द्वारा विधिवत् अनुमोदित किया जायेगा।
पाठ्यक्रम से संबंधित विषयों में विश्वविद्यालय के कुलपति का विनिश्च अंतिम होगा। तथापि विद्या परिषद की अनुशंसा पर कुलपति परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा। पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु समय-समय पर परिवर्तन के अध्यक्षीन रहेगा।

अध्यादेश – 16

कम्प्युटर एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पी.जी.डी.सी.ए.)

- 1 शीर्षक : : कम्प्युटर एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा
- 2 संकाय : : विज्ञान
- 3 अवधि : : एक वर्ष वार्षिक प्रणाली
- 4 पात्रता: : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष ।
- 5 सीट आधार इकाई 60 सीटों का होगा इसके गुणक में प्रबंधन बोर्ड द्वारा अतिरिक्त ईकाई भी स्थापित की जा सकती है।
- 6 प्रवेश प्रक्रिया अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी गयी है। तथा आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी समस्त निर्देशों का अनुपालन किया गया है।
- 7 शैक्षणिक वर्ष: जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा।
- 8 चयन प्रक्रिया : विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष प्रारंभ होने के पूर्व विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर एवं अन्य लोकप्रिय मीडिया में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु प्रविण्य आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी या उनके प्रवेश के बारे में विद्यार्थियों को प्रत्यक्षतः सूचित किया जायेगा । चयनित विद्यार्थियों की सूची को विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित किया जायेगा । अभ्यर्थी जिनका परिणाम प्रतिक्षा में हो, वे भी आवेदन कर सकेंगे । तथापि ऐसे अभ्यर्थी को अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने का साक्ष्य अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा, परंतु यदि अभ्यर्थी अपेक्षित प्रतिशत के साथ अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहता है तो उसका प्रवेश निरस्त माना जायेगा। परंतु यह और है की परीक्षा फार्म भरने के पूर्व अभ्यर्थी को अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। प्रवेश प्रक्रिया में आरक्षण से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।
- 9 प्रवेश का निरस्ती करण : विद्यार्थी का प्रवेश निम्नलिखित परिस्थितियों में निरस्त किया जा सकेगा

- vii. किसी चरण में, यदि विद्यार्थी शासन के मानदण्ड/निर्देश या विश्वविद्यालय द्वारा विहित अर्हता मानदण्ड के अनुसार कार्यक्रम हेतु अर्हकारी नहीं पाया जाता है।
- viii. संस्थान/ विश्वविद्यालय में आशिष्ट अनुशासनहीनता में संलिप्त रहता है।
- ix. प्रवेश पाने हेतु मिथ्या या कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किया है या अनुचित साधनों का प्रयोग किया है।
- x. शुल्क का भुगतान नहीं किया है।
- xi. किसी भी तरह से आवेदन प्रपत्र अपूर्ण है।
- xii. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो।
प्रस्तुत सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा।
- 10 फीस : पाठ्यक्रम शुल्क, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से प्रबंध मण्डल द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जायेगा।
- 11 उत्तीर्ण करने हेतु : विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 2 उपखण्ड 12(1) के अनुसार।
- 12 पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना : अध्ययन बोर्ड द्वारा प्रस्तावित एवं अकादमिक परिषद द्वारा अनुमोदित।
- 13 मूल्यांकन एवं परीक्षा : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार।
- 14 पूरक के लिए पात्रता मापदण्ड : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार।
- 15 सामान्य : अध्ययन मण्डल द्वारा प्रत्येक पेपर हेतु विस्तृत पाठ्यक्रम तैयार किया जायेगा जो विद्या परिषद एवं कुलपति द्वारा विधिवत् अनुमोदित किया जायेगा।
पाठ्यक्रम से संबंधित विषयों में विश्वविद्यालय के कुलपति का विनिश्चय अंतिम होगा। तथापि विद्या परिषद की अनुशंसा पर कुलपति परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा। पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु समय-समय पर परिवर्तन के अध्यक्षीन रहेगा।

अध्यादेश – 17

व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर (एम.बी.ए.)

- 1 शीर्षक : : व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर
- 2 संकाय : : प्रबंधन
- 3 अवधि : : दो वर्ष के चार सेमेस्टर
- 4 पात्रता: : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक उत्तीर्ण या समकक्ष ।
- 5 पार्श्व प्रवेश दूसरे वर्ष या तीसरे सेमेस्टर में प्रवेश के लिए छात्र को स्नातक होने के बाद प्रसंगिक विषय में पी.जी. डिप्लोमा अनिवार्य ।
- 6 सीट आधार इकाई 60 सीटों की होगा इसके गुणक में प्रबंधन बोर्ड द्वारा अतिरिक्त इकाई भी स्थापित की जा सकती है।
- 7 प्रवेश प्रक्रिया अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी गयी है। तथा आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी समस्त निर्देशों का अनुपालन किया गया है।
- 8 शैक्षणिक वर्ष: जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा।
- 9 चयन प्रक्रिया : विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष प्रारंभ होने के पूर्व विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर एवं अन्य लोकप्रिय मीडिया में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु प्रविण्य आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी या उनके प्रवेश के बारे में विद्यार्थियों को प्रत्यक्षतः सूचित किया जायेगा । चयनित विद्यार्थियों की सूची को विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित किया जायेगा । अभ्यर्थी जिनका परिणाम प्रतिक्षा में हो, वे भी आवेदन कर सकेंगे । तथापि ऐसे अभ्यर्थी को अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने का साक्ष्य अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा, परंतु यदि अभ्यर्थी अपेक्षित प्रतिशत के साथ अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहता है तो उसका प्रवेश निरस्त माना जायेगा। परंतु यह और है की परीक्षा फार्म भरने के पूर्व अभ्यर्थी को अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। प्रवेश प्रक्रिया में आरक्षण से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।

- 10 प्रवेश का निरस्तीकरण : विद्यार्थी का प्रवेश निम्नलिखित परिस्थितियों में निरस्त किया जा सकेगा
- i. किसी चरण में, यदि विद्यार्थी शासन के मानदण्ड/निर्देश या विश्वविद्यालय द्वारा विहित अर्हता मानदण्ड के अनुसार कार्यक्रम हेतु अर्हकारी नहीं पाया जाता है।
 - ii. संस्थान/ विश्वविद्यालय में आशिष्ट अनुशासनहीनता में संलिप्त रहता है।
 - iii. प्रवेश पाने हेतु मिथ्या या कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किया है या अनुचित साधनों का प्रयोग किया है।
 - iv. शुल्क का भुगतान नहीं किया है।
 - v. किसी भी तरह से आवेदन प्रपत्र अपूर्ण है।
 - vi. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो।
- प्रस्तुत सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा।
- 11 फीस : पाठ्यक्रम शुल्क, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से प्रबंध मण्डल द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जायेगा।
- 12 उत्तीर्ण करने हेतु : विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 2 उपखण्ड 12(1) के अनुसार ।
- 13 पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना : अध्ययन बोर्ड द्वारा प्रस्तावित एवं अकादमिक परिषद द्वारा अनुमोदित।
- 14 मूल्यांकन एवं परीक्षा : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार ।
- 15 ए.टी.के.टी. के लिए पात्रता मापदण्ड : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार ।
- 16 सामान्य : अध्ययन मण्डल द्वारा प्रत्येक पेपर हेतु विस्तृत पाठ्यक्रम तैयार किया जायेगा जो विद्या परिषद एवं कुलपति द्वारा विधिवत् अनुमोदित किया जायेगा ।
पाठ्यक्रम से संबंधित विषयों में विश्वविद्यालय के कुलपति का विनिश्च अंतिम होगा । तथापि विद्या परिषद की अनुशंसा पर कुलपति परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा । पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु समय-समय पर परिवर्तन के अध्यक्षीन रहेगा ।

अध्यादेश - 18

व्यवसाय प्रशासन में स्नातक (बी.बी.ए.)

- 1 शीर्षक : : व्यवसाय प्रशासन में स्नातक
- 2 संकाय : : प्रबंधन
- 3 अवधि : : तीन वर्ष के छः सेमेस्टर
- 4 पात्रता : : मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण ।
- 5 सीट : : आधार इकाई 60 सीटों का होगा इसके गुणक में प्रबंधन बोर्ड द्वारा अतिरिक्त इकाई भी स्थापित की जा सकती है।
- 6 प्रवेश प्रक्रिया : : अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी गयी है। तथा आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी समस्त निर्देशों का अनुपालन किया गया है।
- 7 शैक्षणिक वर्ष : : जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा।
- 8 चयन प्रक्रिया : : विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष प्रारंभ होने के पूर्व विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर एवं अन्य लोकप्रिय मीडिया में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु प्रविण्य आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी या उनके प्रवेश के बारे में विद्यार्थियों को प्रत्यक्षतः सूचित किया जायेगा । चयनित विद्यार्थियों की सूची को विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित किया जायेगा । अभ्यर्थी जिनका परिणाम प्रतीक्षा में हो, वे भी आवेदन कर सकेंगे । तथापि ऐसे अभ्यर्थी को अर्हकारी परीक्षा की अंतिम वर्ष में उपस्थित होने का साक्ष्य अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा, परंतु यदि अभ्यर्थी अपेक्षित प्रतिशत के साथ अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहता है तो उसका प्रवेश निरस्त माना जायेगा। परंतु यह और है के परीक्षा फार्म भरने के पूर्व अभ्यर्थी को अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। प्रवेश प्रक्रिया में आरक्षण से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।
- 9 प्रवेश का निरस्ती करण : : विद्यार्थी का प्रवेश निम्नलिखित परिस्थितियों में निरस्त किया जा सकेगा

- i. किसी चरण में, यदि विद्यार्थी शासन के मानदण्ड/निर्देश या विश्वविद्यालय द्वारा विहित अर्हता

- मानदण्ड के अनुसार कार्यक्रम हेतु अर्हकारी नहीं पाया जाता है।
- ii. संस्थान/ विश्वविद्यालय में आशिष्ट अनुशासनहीनता में संलिप्त रहता है।
 - iii. प्रवेश पाने हेतु मिथ्या या कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किया है या अनुचित साधनों का प्रयोग किया है।
 - iv. शुल्क का भुगतान नहीं किया है।
 - v. किसी भी तरह से आवेदन प्रपत्र अपूर्ण है।
 - vi. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो।
- प्रस्तुत सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा।
- 10 फीस : पाठ्यक्रम शुल्क, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से प्रबंध मण्डल द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जायेगा।
- 11 उत्तीर्ण करने हेतु : विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 2 उपखण्ड 12(1) के अनुसार।
- 12 पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना : अध्ययन बोर्ड द्वारा प्रस्तावित एवं अकादमिक परिषद द्वारा अनुमोदित।
- 13 मूल्यांकन एवं परीक्षा : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार।
- 14 ए.टी.के.टी. के लिए पात्रता मापदण्ड : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार।
- 15 सामान्य : अध्ययन मण्डल द्वारा प्रत्येक पेपर हेतु विस्तृत पाठ्यक्रम तैयार किया जायेगा जो विद्या परिषद एवं कुलपति द्वारा विधिवत् अनुमोदित किया जायेगा।
पाठ्यक्रम से संबंधित विषयों में विश्वविद्यालय के कुलपति का विनिश्च अंतिम होगा। तथापि विद्या परिषद की अनुशंसा पर कुलपति परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा। पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु समय-समय पर परिवर्तन के अध्याधीन रहेगा।

अध्यादेश – 19

बैचलर एण्ड मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (बी.बी.ए.+एम.बी.ए.) एकीकृत

- 1 शीर्षक : : बैचलर एण्ड मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (बी.बी.ए.+एम.बी.ए.) एकीकृत
- 2 संकाय : : प्रबंधन
- 3 अवधि : : चार वर्ष के आठ सेमेस्टर
- 4 पात्रता: : मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण ।
- 5 सीट आधार इकाई 60 सीटों का होगा इसके गुणक में प्रबंधन बोर्ड द्वारा अतिरिक्त ईकाई भी स्थापित की जा सकती है।
- 6 प्रवेश प्रक्रिया : : अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी गयी है। तथा आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी समस्त निर्देशों का अनुपालन किया गया है।
- 7 शैक्षणिक वर्ष: जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा।
- 8 चयन प्रक्रिया : : विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष प्रारंभ होने के पूर्व विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर एवं अन्य लोकप्रिय मीडिया में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु प्रविष्ट आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची वेबसाईट पर प्रदर्शित की जायेगी या उनके प्रवेश के बारे में विद्यार्थियों को प्रत्यक्षतः सूचित किया जायेगा । चयनित विद्यार्थियों की सूची को विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित किया जायेगा । अभ्यर्थी जिनका परिणाम प्रतिक्षा में हो, वे भी आवेदन कर सकेंगे । तथापि ऐसे अभ्यर्थी को अर्हकारी परीक्षा की अंतिम वर्ष में उपस्थित होने का साक्ष्य अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा, परंतु यदि अभ्यर्थी अपेक्षित प्रतिशत के साथ अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहता है तो उसका प्रवेश निरस्त माना जायेगा। परंतु यह और है की परीक्षा फार्म भरने के पूर्व अभ्यर्थी को अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। प्रवेश प्रक्रिया में आरक्षण से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।
- 9 प्रवेश का निरस्ती करण : : विद्यार्थी का प्रवेश निम्नलिखित परिस्थितियों में निरस्त किया जा सकेगा

- i. किसी चरण में, यदि विद्यार्थी शासन के मानदण्ड/निर्देश या विश्वविद्यालय द्वारा विहित अर्हता मानदण्ड के अनुसार कार्यक्रम हेतु अर्हकारी नहीं पाया जाता है।
 - ii. संस्थान/ विश्वविद्यालय में आशिष्ट अनुशासनहीनता में संलिप्त रहता है।
 - iii. प्रवेश पाने हेतु मिथ्या या कुटुरचित दस्तावेज प्रस्तुत किया है या अनुचित साधनों का प्रयोग किया है।
 - iv. शुल्क का भुगतान नहीं किया है।
 - v. किसी भी तरह से आवेदन प्रपत्र अपूर्ण है।
 - vi. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो।
- प्रस्तुत सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा।
- 10 फीस : पाठ्यक्रम शुल्क, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से प्रबंध मण्डल द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जायेगा।
- 11 उत्तीर्ण करने हेतु : विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 2 उपखण्ड 12(1) के अनुसार।
- 12 पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना : अध्ययन बोर्ड द्वारा प्रस्तावित एवं अकादमिक परिषद द्वारा अनुमोदित।
- 13 मूल्यांकन एवं परीक्षा : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार।
- 14 ए.टी.के.टी. के लिए पात्रता मापदण्ड : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार।
- 15 सामान्य : अध्ययन मण्डल द्वारा प्रत्येक पेपर हेतु विस्तृत पाठ्यक्रम तैयार किया जायेगा जो विद्या परिषद एवं कुलपति द्वारा विधिवत् अनुमोदित किया जायेगा।
- पाठ्यक्रम से संबंधित विषयों में विश्वविद्यालय के कुलपति का विनिश्च अंतिम होगा। तथापि विद्या परिषद की अनुशंसा पर कुलपति परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा। पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु समय-समय पर परिवर्तन के अध्यक्षीन रहेगा।

अध्यादेश - 20

एकज्युकेटीव-मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (ई-एम.बी.ए.)

- 1 शीर्षक : : एकज्युकेटीव-मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन
- 2 संकाय : : प्रबंधन
- 3 अवधि : : 18 माह के तीन सेमेस्टर
- 4 पात्रता : : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष एवं 2 वर्ष का कार्यानुभव ।
- 5 सीट आधार इकाई 60 सीटों का होगा इसके गुणक में प्रबंधन बोर्ड द्वारा अतिरिक्त ईकाई भी स्थापित की जा सकती है ।
- 6 प्रवेश प्रक्रिया अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी गयी है। तथा आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी समस्त निर्देशों का अनुपालन किया गया है।
- 7 शैक्षणिक वर्ष: जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा।
- 8 चयन प्रक्रिया : विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष प्रारंभ होने के पूर्व विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर एवं अन्य लोकप्रिय मीडिया में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु प्रविण्य आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची वेबसाईट पर प्रदर्शित की जायेगी या उनके प्रवेश के बारे में विद्यार्थियों को प्रत्यक्षतः सूचित किया जायेगा । चयनित विद्यार्थियों की सूची को विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित किया जायेगा । अभ्यर्थी जिनका परिणाम प्रतिक्षा में हो, वे भी आवेदन कर सकेंगे । तथापि ऐसे अभ्यर्थी को अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने का साक्ष्य अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा, परंतु यदि अभ्यर्थी अपेक्षित प्रतिशत के साथ अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहता है तो उसका प्रवेश निरस्त माना जायेगा। परंतु यह और है की परीक्षा फार्म भरने के पूर्व अभ्यर्थी को अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। प्रवेश प्रक्रिया में आरक्षण से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।
- 9 प्रवेश का निरस्ती करण : विद्यार्थी का प्रवेश निम्नलिखित परिस्थितियों में निरस्त किया जा सकेगा

- i. किसी चरण में, यदि विद्यार्थी शासन के मानदण्ड/निर्देश या विश्वविद्यालय द्वारा विहित अर्हता मानदण्ड के अनुसार कार्यक्रम हेतु अर्हकारी नहीं पाया जाता है।
 - ii. संस्थान/ विश्वविद्यालय में आशिष्ट अनुशासनहीनता में संलिप्त रहता है।
 - iii. प्रवेश पाने हेतु मिथ्या या कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किया है या अनुचित साधनों का प्रयोग किया है।
 - iv. शुल्क का भुगतान नहीं किया है।
 - v. किसी भी तरह से आवेदन प्रपत्र अपूर्ण है।
 - vi. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो।
- प्रस्तुत सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा।
- 10 फीस : पाठ्यक्रम शुल्क, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से प्रबंध मण्डल द्वारा समय समय पर निर्धारित की जायेगी।
- 11 उत्तीर्ण करने हेतु : विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 2 उपखण्ड 12(1) के अनुसार।
- 12 पाठ्यक्रम संरचना एवं : अध्ययन बोर्ड द्वारा प्रस्तावित एवं अकादमिक परिषद
परीक्षा योजना द्वारा अनुमोदित।
- 13 मूल्यांकन एवं परीक्षा : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार।
- 14 ए.टी.के.टी. के लिए : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार।
पात्रता मापदण्ड
- 15 सामान्य : अध्ययन मण्डल द्वारा प्रत्येक पेपर हेतु विस्तृत पाठ्यक्रम तैयार किया जायेगा जो विद्या परिषद एवं कुलपति द्वारा विधिवत् अनुमोदित किया जायेगा।
पाठ्यक्रम से संबंधित विषयों में विश्वविद्यालय के कुलपति का विनिश्च अंतिम होगा। तथापि विद्या परिषद की अनुशंसा पर कुलपति परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा। पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु समय-समय पर परिवर्तन के अधधीन रहेगा।

अध्यादेश - 21

पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा अन्डर

व्यवसाय प्रबंधन (पीजीडी)

- 1 शीर्षक : पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा
एयर लाईस एण्ड एयरपोर्ट मैनेजमेंट, इंटरनेशनल
मैनेजमेंट, लाजिस्टीक एण्ड सप्लाय चैन मैनेजमेंट,
फिटनेस मैनेजमेंट, इंश्योरेंस मैनेजमेंट, वेयर हाउसिंग एण्ड
इनवेंटरी मैनेजमेंट, सिपिंग एण्ड बोर्ड मैनेजमेंट, मार्केटिंग
मैनेजमेंट, फायनेशियल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट,
इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी, ऑपरेशन एण्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट,
इंटरप्रेन्योशिप मैनेजमेंट, एन.जी.ओ. मैनेजमेंट, पब्लीक
रिलेशन, इंडियन स्टॉक मार्केट, रिटेल मैनेजमेंट, हास्पिटल
मैनेजमेंट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, इंस्टिट्यूट
एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट, इ.आर.पी. (इंटरप्राइजेस रिसोर्स
प्लानिंग, आदि, जैसा परिनियम क्र 12 में उल्लेखित है ।
- 2 संकाय : प्रबंधन
- 3 अवधि : एक वर्ष के दो सेमेस्टर
- 4 पात्रता : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से स्नातक या
समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण
- 5 सीट आधार इकाई 60 सीटों का होगा इसके गुणक में प्रबंधन
बोर्ड द्वारा अतिरिक्त ईकाई भी स्थापित की जा सकती
है ।
- 6 प्रवेश प्रक्रिया अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के
स्थानीय विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी गयी है। तथा
आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी समस्त
निर्देशों का अनुपालन किया गया है।
- 7 शैक्षणिक वर्ष : जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा ।
- 8 चयन प्रक्रिया : विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष प्रारंभ होने के पूर्व
विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर एवं अन्य लोकप्रिय
मीडिया में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु
प्रविण्य आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट
पर प्रदर्शित की जायेगी या उनके प्रवेश के बारे में
विद्यार्थियों को प्रत्यक्षतः सूचित किया जायेगा । चयनित
विद्यार्थियों की सूची को विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर
भी प्रदर्शित किया जायेगा । अभ्यर्थी जिनका परिणाम
प्रतिक्षा में हो, वे भी आवेदन कर सकेंगे । तथापि ऐसे
अभ्यर्थी को अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित

होने का साक्ष्य अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा, परंतु यदि अभ्यर्थी अपेक्षित प्रतिशत के साथ अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहता है तो उसका प्रवेश निरस्त माना जायेगा। परंतु यह और है की परीक्षा फार्म भरने के पूर्व अभ्यर्थी को अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। प्रवेश प्रक्रिया में आरक्षण से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।

9 प्रवेश का निरस्ती करण :

विद्यार्थी का प्रवेश निम्नलिखित परिस्थितियों में निरस्त किया जा सकेगा

- i. किसी चरण में, यदि विद्यार्थी शासन के मानदण्ड/निर्देश या विश्वविद्यालय द्वारा विहित अर्हता मानदण्ड के अनुसार कार्यक्रम हेतु अर्हकारी नहीं पाया जाता है।
- ii. संस्थान/ विश्वविद्यालय में आशिष्ट अनुशासनहीनता में संलिप्त रहता है।
- iii. प्रवेश पाने हेतु मिथ्या या कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किया है या अनुचित साधनों का प्रयोग किया है।
- iv. शुल्क का भुगतान नहीं किया है।
- v. किसी भी तरह से आवेदन प्रपत्र अपूर्ण है।
- vi. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो।

प्रस्तुत सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा।

10 फीस

: पाठ्यक्रम शुल्क, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से प्रबंध मण्डल द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जायेगा।

11 उत्तीर्ण करने हेतु

: विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 2 उपखण्ड 12(1) के अनुसार।

12 पाठ्यक्रम संरचना एवं : परीक्षा योजना

परिनियम 12 में अंकित विभिन्न विषयों में पाठ्यक्रम संरचना, अध्ययन बोर्ड द्वारा तैयार किया जायेगा। उम्मीदवार किसी भी निम्नलिखित एक विषय में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर सकता है।

13 मूल्यांकन एवं परीक्षा :

विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार।

- 14 ए.टी.के.टी. के लिए पात्रता मापदण्ड : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार।
- 15 सामान्य : अध्ययन मण्डल द्वारा प्रत्येक पेपर हेतु विस्तृत पाठ्यक्रम तैयार किया जायेगा जो विद्या परिषद एवं कुलपति द्वारा विधिवत् अनुमोदित किया जायेगा।
पाठ्यक्रम से संबंधित विषयों में विश्वविद्यालय के कुलपति का विनिश्च अंतिम होगा। तथापि विद्या परिषद की अनुशंसा पर कुलपति परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा। पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु समय-समय पर परिवर्तन के अध्याधीन रहेगा।

अध्यादेश – 22

वाणिज्य में स्नातकोत्तर (एम.कॉम.)

- 1 शीर्षक : : वाणिज्य में स्नातकोत्तर (एम.कॉम.)
- 2 संकाय : : वाणिज्य
- 3 अवधि : : दो वर्ष वार्षिक प्रणाली
- 4 पात्रता: : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से बी.कॉम या समकक्ष उत्तीर्ण हो ।
- 5 सीट आधार इकाई 30 सीटों का होगा इसके गुणक में प्रबंधन बोर्ड द्वारा अतिरिक्त ईकाई भी स्थापित की जा सकती है।
- 6 प्रवेश प्रक्रिया : : अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी गयी है। तथा आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी समस्त निर्देशों का अनुपालन किया गया है।
- 7 शैक्षणिक वर्ष: जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा।
- 8 चयन प्रक्रिया : : विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष प्रारंभ होने के पूर्व विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर एवं अन्य लोकप्रिय मीडिया में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु प्रविण्य आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची वेबसाईट पर प्रदर्शित की जायेगी या उनके प्रवेश के बारे में विद्यार्थियों को प्रत्यक्षतः सूचित किया जायेगा । चयनित विद्यार्थियों की सूची को विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित किया जायेगा । अभ्यर्थी जिनका परिणाम प्रतीक्षा में हो, वे भी आवेदन कर सकेंगे । तथापि ऐसे अभ्यर्थी को अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने का साक्ष्य अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा, परंतु यदि अभ्यर्थी अपेक्षित प्रतिशत के साथ अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहता है तो उसका प्रवेश निरस्त माना जायेगा। परंतु यह और है की परीक्षा फार्म भरने के पूर्व अभ्यर्थी को अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। प्रवेश प्रक्रिया में आरक्षण से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।
- 9 प्रवेश का निरस्तीकरण : : विद्यार्थी का प्रवेश निम्नलिखित परिस्थितियों में निरस्त किया जा सकेगा

- i. किसी चरण में, यदि विद्यार्थी शासन के मानदण्ड/निर्देश या विश्वविद्यालय द्वारा विहित अर्हता मानदण्ड के अनुसार कार्यक्रम हेतु अर्हकारी नहीं पाया जाता है।
- ii. संस्थान/ विश्वविद्यालय में आशिष्टता या अनुशासनहीनता में संलिप्त रहता है।
- iii. प्रवेश पाने हेतु मिथ्या या कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किया है या अनुचित साधनों का प्रयोग किया है।
- iv. शुल्क का भुगतान नहीं किया है।
- v. किसी भी तरह से आवेदन प्रपत्र अपूर्ण है।
- vi. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो।

प्रस्तुत सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा।

- 10 फीस : पाठ्यक्रम शुल्क, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से प्रबंध मण्डल द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जावेगा।
- 11 उत्तीर्ण करने हेतु : विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 2 उपखण्ड 12(1) के अनुसार।
- 12 पाठ्यक्रम संरचना एवं : अध्ययन बोर्ड द्वारा प्रस्तावित एवं अकादमिक परिषद
परीक्षा योजना द्वारा अनुमोदित।
- 13 मूल्यांकन एवं परीक्षा : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार।
- 14 पूरक के लिए : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार।
पात्रता मापदण्ड
- 15 सामान्य : अध्ययन मण्डल द्वारा प्रत्येक पेपर हेतु विस्तृत पाठ्यक्रम तैयार किया जायेगा जो विद्या परिषद एवं कुलपति द्वारा विधिवत् अनुमोदित किया जायेगा।
पाठ्यक्रम से संबंधित विषयों में विश्वविद्यालय के कुलपति का विनिश्च अंतिम होगा। तथापि विद्या परिषद की अनुशंसा पर कुलपति परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा। पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु समय-समय पर परिवर्तन के अध्यक्षीन रहेगा।

अध्यादेश – 23

वाणिज्य में स्नातक (बी.कॉम.)

- 1 शीर्षक : : वाणिज्य में स्नातक (बी.कॉम.)
- 2 संकाय : : वाणिज्य
- 3 अवधि : : तीन वर्ष वार्षिक प्रणाली
- 4 पात्रता : : मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण ।
- 5 सीट : : आधार इकाई 60 सीटों की होगी इसके गुणक में प्रबंधन बोर्ड द्वारा अतिरिक्त ईकाई भी स्थापित की जा सकती है।
- 6 प्रवेश प्रक्रिया : : अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी गयी है। तथा आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी समस्त निर्देशों का अनुपालन किया गया है।
- 7 शैक्षणिक वर्ष : : जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा।
- 8 चयन प्रक्रिया : : विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष प्रारंभ होने के पूर्व विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर एवं अन्य लोकप्रिय मीडिया में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु प्रविण्य आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी या उनके प्रवेश के बारे में विद्यार्थियों को प्रत्यक्षतः सूचित किया जायेगा । चयनित विद्यार्थियों की सूची को विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित किया जायेगा । अभ्यर्थी जिनका परिणाम प्रतिक्षा में हो, वे भी आवेदन कर सकेंगे । तथापि ऐसे अभ्यर्थी को अर्हकारी परीक्षा की अंतिम वर्ष में उपस्थित होने का साक्ष्य अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा, परंतु यदि अभ्यर्थी अपेक्षित प्रतिशत के साथ अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहता है तो उसका प्रवेश निरस्त माना जायेगा। परंतु यह और है की परीक्षा फार्म भरने के पूर्व अभ्यर्थी को अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। प्रवेश प्रक्रिया में आरक्षण से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।

- 9 प्रवेश का निरस्ती करण : विद्यार्थी का प्रवेश निम्नलिखित परिस्थितियों में निरस्त किया जा सकेगा
- किसी चरण में, यदि विद्यार्थी शासन के मानदण्ड/निर्देश या विश्वविद्यालय द्वारा विहित अर्हता मानदण्ड के अनुसार कार्यक्रम हेतु अर्हकारी नहीं पाया जाता है।
 - संस्थान/ विश्वविद्यालय में आशिष्ट अनुशासनहीनता में संलिप्त रहता है।
 - प्रवेश पाने हेतु मिथ्या या कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किया है या अनुचित साधनों का प्रयोग किया है।
 - शुल्क का भुगतान नहीं किया है।
 - किसी भी तरह से आवेदन प्रपत्र अपूर्ण है।
 - प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो।
प्रस्तुत सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा।
- 10 फीस : पाठ्यक्रम शुल्क, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से प्रबंध मण्डल द्वारा समय समय पर निर्धारित की जायेगी।
- 11 उत्तीर्ण करने हेतु : विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 2 उपखण्ड 12(1) के अनुसार।
- 12 पाठ्यक्रम संरचना एवं : अध्ययन बोर्ड द्वारा प्रस्तावित एवं अकादमिक परिषद
परीक्षा योजना द्वारा अनुमोदित ।
- 13 मूल्यांकन एवं परीक्षा : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार।
- 14 पूरक के लिए : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार।
पात्रता मापदण्ड
- 15 सामान्य : अध्ययन मण्डल द्वारा प्रत्येक पेपर हेतु विस्तृत पाठ्यक्रम तैयार किया जायेगा जो विद्या परिषद एवं कुलपति द्वारा विधिवत् अनुमोदित किया जायेगा ।
पाठ्यक्रम से संबंधित विषयों में विश्वविद्यालय के कुलपति का विनिश्च अंतिम होगा । तथापि विद्या परिषद की अनुशंसा पर कुलपति परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा । पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु समय-समय पर परिवर्तन के अधधीन रहेगा ।

अध्यादेश - 24

वाणिज्य में स्नातक (आनर्स) बी.कॉम (आनर्स)

- 1 शीर्षक : : वाणिज्य में स्नातक (आनर्स)
- 2 संकाय : : वाणिज्य
- 3 अवधि : : तीन वर्ष वार्षिक प्रणाली
- 4 पात्रता: : मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण ।
- 5 सीट : आधार इकाई 60 सीटों की होगी इसके गुणक में प्रबंधन बोर्ड द्वारा अतिरिक्त इकाई भी स्थापित की जा सकती है।
- 6 प्रवेश प्रक्रिया : अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी गयी है। तथा आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी समस्त निर्देशों का अनुपालन किया गया है।
- 7 शैक्षणिक वर्ष: जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा।
- 8 चयन प्रक्रिया : विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष प्रारंभ होने के पूर्व विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर एवं अन्य लोकप्रिय मीडिया में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु प्रविण्य आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी या उनके प्रवेश के बारे में विद्यार्थियों को प्रत्यक्षतः सूचित किया जायेगा । चयनित विद्यार्थियों की सूची को विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित किया जायेगा । अभ्यर्थी जिनका परिणाम प्रतीक्षा में हो, वे भी आवेदन कर सकेंगे । तथापि ऐसे अभ्यर्थी को अर्हकारी परीक्षा की अंतिम वर्ष में उपस्थित होने का साक्ष्य अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा, परंतु यदि अभ्यर्थी अपेक्षित प्रतिशत के साथ अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहता है तो उसका प्रवेश निरस्त माना जायेगा। परंतु यह और है की परीक्षा फार्म भरने के पूर्व अभ्यर्थी को अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। प्रवेश प्रक्रिया में आरक्षण से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।

- 9 प्रवेश का निरस्तीकरण : विद्यार्थी का प्रवेश निम्नलिखित परिस्थितियों में निरस्त किया जा सकेगा
- i. किसी चरण में, यदि विद्यार्थी शासन के मानदण्ड/निर्देश या विश्वविद्यालय द्वारा विहित अर्हता मानदण्ड के अनुसार कार्यक्रम हेतु अर्हकारी नहीं पाया जाता है।
 - ii. संस्थान/ विश्वविद्यालय में आशिष्ट अनुशासनहीनता में संलिप्त रहता है।
 - iii. प्रवेश पाने हेतु मिथ्या या कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किया है या अनुचित साधनों का प्रयोग किया है।
 - iv. शुल्क का भुगतान नहीं किया है।
 - v. किसी भी तरह से आवेदन प्रपत्र अपूर्ण है।
 - vi. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो।
- प्रस्तुत सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा।
- 10 फीस : पाठ्यक्रम शुल्क, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से प्रबंध मण्डल द्वारा समय समय पर निर्धारित की जायेगी।
- 11 उत्तीर्ण करने हेतु : विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 2 उपखण्ड 12(1) के अनुसार।
- 12 पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना : अध्ययन बोर्ड द्वारा प्रस्तावित एवं अकादमिक परिषद द्वारा अनुमोदित।
- 13 मूल्यांकन एवं परीक्षा : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार।
- 14 पूरक के लिए पात्रता मापदण्ड : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार।
- 15 सामान्य : अध्ययन मण्डल द्वारा प्रत्येक पेपर हेतु विस्तृत पाठ्यक्रम तैयार किया जायेगा जो विद्या परिषद एवं कुलपति द्वारा विधिवत् अनुमोदित किया जायेगा।
पाठ्यक्रम से संबंधित विषयों में विश्वविद्यालय के कुलपति का विनिश्च अंतिम होगा। तथापि विद्या परिषद की अनुशंसा पर कुलपति परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा। पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु समय-समय पर परिवर्तन के अध्यक्षीन रहेगा।

अध्यादेश – 25

बैचलर ऑफ टेक्नालॉजी (बी.टेक)

- 1 शीर्षक : : बैचलर ऑफ टेक्नालॉजी
(इस बी.टेक में सिविल इंजिनियरिंग, कम्प्युटर साईंस इंजिनियरिंग, फायर टेक्नोलॉजी एवं सेफ्टी, ईलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्प्युनिकेशन, मैकनिकल इंजिनियरिंग, बायोटेक्नालॉजी, माईनिंग इंजिनियरिंग, ईलेक्ट्रीकल इंजिनियरिंग, आदि परिनियम 12 में शामिल है)
- 2 संकाय : : अभियांत्रिकी
- 3 अवधि : : चार वर्ष के आठ सेमेस्टर
- 4 पात्रता: : मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 या समकक्ष, गणित भौतिकी अनिवार्य विषय के रूप में एवं रसायन/ जीव विज्ञान/ व्यवसायिक विषय वैकल्पिक विषय । बायोटेक्नालॉजी ब्रांच के लिए गणित, भौतिकी एवं जीव विज्ञान अनिवार्य विषय और समय-समय पर बोर्ड ऑफ काउंसिल द्वारा जारी पात्रता ।
कम से कम 45 प्रतिशत (आरक्षित वर्ग हेतु 40 प्रतिशत) मे उपरोक्त विषय एक साथ लिया हो ।
सीट रिक्त होने की दशा में प्रवेश के लिये न्यूनतम अपेक्षित प्रतिशत से कुलपति की अनुमति द्वारा न्यूनतम आवश्यक प्रतिशत से 5 प्रतिशत कम किया जा सकेगा ।
- 5 पार्श्व प्रवेश डिप्लोमा इन इंजिनियरिंग किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से पास छात्र को तीसरे सेमेस्टर (संबंधित शाखा) में पार्श्व प्रवेश दिया जायेगा ।
- 6 सीट आधार इकाई 60 सीटो की होगा इसके गुणक में प्रबंधन बोर्ड द्वारा अतिरिक्त ईकाई भी स्थापित की जा सकती है ।
- 7 प्रवेश प्रक्रिया अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी गयी है। तथा आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी समस्त निर्देशों का अनुपालन किया गया है।
- 8 शैक्षणिक वर्ष: जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा ।

- 9 चयन प्रक्रिया : विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष प्रारंभ होने के पूर्व विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर एवं अन्य लोकप्रिय मीडिया में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु प्रविण्य आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची वेबसाईट पर प्रदर्शित की जायेगी या उनके प्रवेश के बारे में विद्यार्थियों को प्रत्यक्षतः सूचित किया जायेगा। चयनित विद्यार्थियों की सूची को विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित किया जायेगा। अभ्यर्थी जिनका परिणाम प्रतीक्षा में हो, वे भी आवेदन कर सकेंगे। तथापि ऐसे अभ्यर्थी को अर्हकारी परीक्षा की अंतिम वर्ष में उपस्थित होने का साक्ष्य अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा, परंतु यदि अभ्यर्थी अपेक्षित प्रतिशत के साथ अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहता है तो उसका प्रवेश निरस्त माना जायेगा। परंतु यह और है की परीक्षा फार्म भरने के पूर्व अभ्यर्थी को अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। प्रवेश प्रक्रिया में आरक्षण से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।
- 10 प्रवेश का निरस्तीकरण : विद्यार्थी का प्रवेश निम्नलिखित परिस्थितियों में निरस्त किया जा सकेगा
- i. किसी चरण में, यदि विद्यार्थी शासन के मानदण्ड/निर्देश या विश्वविद्यालय द्वारा विहित अर्हता मानदण्ड के अनुसार कार्यक्रम हेतु अर्हकारी नहीं पाया जाता है।
 - ii. संस्थान/ विश्वविद्यालय में आशिष्ट अनुशासनहीनता में संलिप्त रहता है।
 - iii. प्रवेश पाने हेतु मिथ्या या कुटुरचित दस्तावेज प्रस्तुत किया है या अनुचित साधनों का प्रयोग किया है।
 - iv. शुल्क का भुगतान नहीं किया है।
 - v. किसी भी तरह से आवेदन प्रपत्र अपूर्ण है।
 - vi. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो।
- प्रस्तुत सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा।

- 11 फीस : पाठ्यक्रम शुल्क, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से प्रबंध मण्डल द्वारा समय समय पर निर्धारित की जायेगी।
- 12 उत्तीर्ण करने हेतु : विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 2 उपखण्ड 12(1) के अनुसार।
- 13 पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना : परिनियम 12 में अंकित विभिन्न विषयों में पाठ्यक्रम संरचना, अध्ययन बोर्ड द्वारा तैयार किया जायेगा।
- 14 मूल्यांकन एवं परीक्षा : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार।
- 15 ए.टी.के.टी. के लिए पात्रता मापदण्ड : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार।
- 16 सामान्य : अध्ययन मण्डल द्वारा प्रत्येक पेपर हेतु विस्तृत पाठ्यक्रम तैयार किया जायेगा जो विद्या परिषद एवं कुलपति द्वारा विधिवत् अनुमोदित किया जायेगा।
पाठ्यक्रम से संबंधित विषयों में विश्वविद्यालय के कुलपति का विनिश्च अंतिम होगा। तथापि विद्या परिषद की अनुशंसा पर कुलपति परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा। पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु समय-समय पर परिवर्तन के अध्याधीन रहेगा।

अध्यादेश – 26

मास्टर ऑफ टेक्नालॉजी (एम.टेक)

- 1 शीर्षक : : मास्टर ऑफ टेक्नालॉजी
(इस एम.टेक में सिविल इंजिनियरिंग, कम्प्युटर साइंस इंजिनियरिंग, फायर टेक्नोलॉजी एवं सेफ्टी, ईलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्युनिकेशन, मैकनिकल इंजिनियरिंग, बायोटेक्नालॉजी, माईनिंग इंजिनियरिंग, ईलेक्ट्रीकल इंजिनियरिंग, आदि परिनियम 12 में शामिल है)
- 2 संकाय : : अभियांत्रिकी
- 3 अवधि : : दो वर्ष के चार सेमेटर
- 4 पात्रता: : बैचलर डिग्री या समकक्ष या एम.एस.सी. प्रासंगिक विषय में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको से उत्तीर्ण की हो (45 प्रतिशत आरक्षित वर्ग हेतु)
सीट रिक्त होने की दशा में प्रवेश के लिये न्यूनतम अपेक्षित प्रतिशत से कुलपति की अनुमति द्वारा न्यूनतम आवश्यक प्रतिशत से 5 प्रतिशत कम किया जा सकेगा।
- 5 सीट आधार इकाई 30 सीटों का होगा इसके गुणक में प्रबंधन बोर्ड द्वारा अतिरिक्त ईकाई भी स्थापित की जा सकती है।
- 6 प्रवेश प्रक्रिया अध्यादेश क. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी गयी है। तथा आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी समस्त निर्देशों का अनुपालन किया गया है।
- 7 शैक्षणिक वर्ष: जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा।
- 8 चयन प्रक्रिया : विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष प्रारंभ होने के पूर्व विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर एवं अन्य लोकप्रिय मीडिया में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु प्रविण्य आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी या उनके प्रवेश के बारे में विद्यार्थियों को प्रत्यक्षतः सूचित किया जायेगा। चयनित विद्यार्थियों की सूची को विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित किया जायेगा। अभ्यर्थी जिनका परिणाम प्रतिक्षा में हो, वे भी आवेदन कर सकेंगे। तथापि ऐसे अभ्यर्थी को अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित

होने का साक्ष्य अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा, परंतु यदि अभ्यर्थी अपेक्षित प्रतिशत के साथ अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहता है तो उसका प्रवेश निरस्त माना जायेगा। परंतु यह और है की परीक्षा फार्म भरने के पूर्व अभ्यर्थी को अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। प्रवेश प्रक्रिया में आरक्षण से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।

9 प्रवेश का निरस्ती करण :

विद्यार्थी का प्रवेश निम्नलिखित परिस्थितियों में निरस्त किया जा सकेगा

- i. किसी चरण में, यदि विद्यार्थी शासन के मानदण्ड/निर्देश या विश्वविद्यालय द्वारा विहित अर्हता मानदण्ड के अनुसार कार्यक्रम हेतु अर्हकारी नहीं पाया जाता है।
- ii. संस्थान/ विश्वविद्यालय में आशिष्ट अनुशासनहीनता में संलिप्त रहता है।
- iii. प्रवेश पाने हेतु मिथ्या या कुटुरचित दस्तावेज प्रस्तुत किया है या अनुचित साधनों का प्रयोग किया है।
- iv. शुल्क का भुगतान नहीं किया है।
- v. किसी भी तरह से आवेदन प्रपत्र अपूर्ण है।
- vi. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो।

प्रस्तुत सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा।

10 फीस

: पाठ्यक्रम शुल्क, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से प्रबंध मण्डल द्वारा समय समय पर निर्धारित की जायेगी।

11 उत्तीर्ण करने हेतु

: विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 2 उपखण्ड 12(1) के अनुसार।

12 पाठ्यक्रम संरचना एवं : परीक्षा योजना

परिनियम 12 में अंकित विभिन्न विषयों में पाठ्यक्रम संरचना, अध्ययन बोर्ड द्वारा तैयार किया जायेगा।

13 मूल्यांकन एवं परीक्षा :

विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार।

14 ए.टी.के.टी. के लिए :

विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार।

पात्रता मापदण्ड

15 सामान्य

: अध्ययन मण्डल द्वारा प्रत्येक पेपर हेतु विस्तृत पाठ्यक्रम तैयार किया जायेगा जो विद्या परिषद एवं कुलपति द्वारा विधिवत् अनुमोदित किया जायेगा ।
पाठ्यक्रम से संबंधित विषयों में विश्वविद्यालय के कुलपति का विनिश्च अंतिम होगा । तथापि विद्या परिषद की अनुशंसा पर कुलपति परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा । पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु समय-समय पर परिवर्तन के अध्यक्षीन रहेगा ।

अध्यादेश – 27

तीन वर्षीय डिप्लोमा इन इंजिनियरिंग

- 1 शीर्षक : : तीन वर्षीय डिप्लोमा इन इंजिनियरिंग
(इस में सिविल इंजिनियरिंग, कम्प्युटर साईंस इंजिनियरिंग, ईलेक्ट्रीकल एण्ड ईलेक्ट्रानिक्स, ईलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्प्युनिकेशन, मैकनिकल इंजिनियरिंग, माईनिंग इंजिनियरिंग, ईलेक्ट्रीकल इंजिनियरिंग आदि परिनियम 12 में शामिल है)
- 2 संकाय : : अभियांत्रिकी
- 3 अवधि : : तीन वर्ष के छः सेमेस्टर
- 4 पात्रता: : ए.आई.सी.टी. ई. मापदण्डों के अनुसार ।
- 5 पार्श्व प्रवेश : पार्श्व प्रवेश के लिए उम्मीदवार को भौतिकी एवं रसायन के साथ 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण विषयों के रूप में गणित/जीव विज्ञान (वनस्पति विज्ञान और प्राणी शास्त्र) के साथ उत्तीर्ण करें द्वितीय वर्ष प्रवेश के लिए पात्र ।
या
12 वी विज्ञान (विषय के रूप में गणित के साथ) या 12 वी विज्ञान के साथ व्यवसायिक या 12 वी विज्ञान के साथ तकनीकी विषय द्वितीय वर्ष प्रवेश के लिए पात्र ।
या
10 वी + (दो वर्ष आई.टी.आई.) संबंधित विषय में पार्श्व प्रवेश के लिए द्वितीय वर्ष प्रवेश के लिए पात्र ।
- 6 सीट : आधार इकाई 60 सीटों का होगा इसके गुणक में प्रबंधन बोर्ड द्वारा अतिरिक्त इकाई भी स्थापित की जा सकती है।
- 7 प्रवेश प्रक्रिया : अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी गयी है। तथा आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी समस्त निर्देशों का अनुपालन किया गया है।
- 8 शैक्षणिक वर्ष: जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा ।

9 चयन प्रक्रिया

: विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष प्रारंभ होने के पूर्व विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर एवं अन्य लोकप्रिय मीडिया में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु प्रविण्य आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची वेबसाईट पर प्रदर्शित की जायेगी या उनके प्रवेश के बारे में विद्यार्थियों को प्रत्यक्षतः सूचित किया जायेगा। चयनित विद्यार्थियों की सूची को विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित किया जायेगा। अभ्यर्थी जिनका परिणाम प्रतीक्षा में हो, वे भी आवेदन कर सकेंगे। तथापि ऐसे अभ्यर्थी को अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने का साक्ष्य अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा, परंतु यदि अभ्यर्थी अपेक्षित प्रतिशत के साथ अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहता है तो उसका प्रवेश निरस्त माना जायेगा। परंतु यह और है की परीक्षा फार्म भरने के पूर्व अभ्यर्थी को अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। प्रवेश प्रक्रिया में आरक्षण से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।

10 प्रवेश का निरस्ती करण :

- विद्यार्थी का प्रवेश निम्नलिखित परिस्थितियों में निरस्त किया जा सकेगा
- i. किसी चरण में, यदि विद्यार्थी शासन के मानदण्ड/निर्देश या विश्वविद्यालय द्वारा विहित अर्हता मानदण्ड के अनुसार कार्यक्रम हेतु अर्हकारी नहीं पाया जाता है।
 - ii. संस्थान/ विश्वविद्यालय में आशिष्ट अनुशासनहीनता में संलिप्त रहता है।
 - iii. प्रवेश पाने हेतु मिथ्या या कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किया है या अनुचित साधनों का प्रयोग किया है।
 - iv. शुल्क का भुगतान नहीं किया है।
 - v. किसी भी तरह से आवेदन प्रपत्र अपूर्ण है।
 - vi. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो।

- प्रस्तुत सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा।
- 11 फीस : पाठ्यक्रम शुल्क, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से प्रबंध मण्डल द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जावेगा।
- 12 उत्तीर्ण करने हेतु : विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 2 उपखण्ड 12(1) के अनुसार।
- 13 पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना : परिनियम 12 में अंकित विभिन्न विषयों में पाठ्यक्रम संरचना अध्ययन बोर्ड द्वारा तैयार किया जायेगा।
- 14 मूल्यांकन एवं परीक्षा : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार।
- 15 ए.टी.के.टी. के लिए पात्रता मापदण्ड : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार।
- 16 सामान्य : अध्ययन मण्डल द्वारा प्रत्येक पेपर हेतु विस्तृत पाठ्यक्रम तैयार की जायेगी तथा विद्या परिषद एवं कुलपति द्वारा विधिवत् अनुमोदित की जायेगी।
पाठ्यक्रम से संबंधित विषयों में विश्वविद्यालय के कुलपति का विनिश्च अंतिम होगा। तथापि विद्या परिषद की अनुशंसा पर कुलपति परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा। पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु समय-समय पर परिवर्तन के अध्याधीन रहेगा।

अध्यादेश - 28

बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर (बी.आर्च)

- 1 शीर्षक : : बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर
- 2 संकाय : : अभियांत्रिकी
- 3 अवधि : : पाच वर्ष के दस सेमेस्टर
- 4 पात्रता : : भौतिकी के साथ 10+2 या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो और रसायन विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी/जीव विज्ञान/तकनीकी व्यवसाय विषय में किसी एक के साथ अनिवार्य विषय के रूप में गणित हो ।
या
गणित के साथ 10+3 डिप्लोमा परीक्षा अनिवार्य रूप से कम से कम 50 प्रतिशत अंको (आरक्षित श्रेणी के लिए 45 प्रतिशत) उत्तीर्ण हो ।
या
राज्य सरकार या केन्द्र प्रदेश द्वारा आयोजित कोई अन्य योग्यता परीक्षा या नाटा योग्यता परीक्षा ।
- 5 पार्श्व प्रवेश : डिप्लोमा इन इंजिनियरिंग किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से पास छात्र को तीसरे सेमेस्टर (संबंधित शाखा) में पार्श्व प्रवेश दिया जायेगा ।
- 6 सीट : आधार इकाई 40 सीटों का होगा इसके गुणक में प्रबंधन बोर्ड द्वारा अतिरिक्त ईकाई भी स्थापित की जा सकती है ।
- 7 शैक्षणिक वर्ष : जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा ।
- 8 चयन प्रक्रिया : विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष प्रारंभ होने के पूर्व विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर एवं अन्य लोकप्रिय मीडिया में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु प्रविण्य आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी या उनके प्रवेश के बारे में विद्यार्थियों को प्रत्यक्षतः सूचित किया जायेगा । चयनित विद्यार्थियों की सूची को विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित किया जायेगा । अभ्यर्थी जिनका परिणाम प्रतिका में हो, वे भी आवेदन कर सकेंगे । तथापि ऐसे अभ्यर्थी को अर्हकारी परीक्षा की अंतिम वर्ष में उपस्थित होने का साक्ष्य अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा, परंतु यदि अभ्यर्थी अपेक्षित प्रतिशत के साथ अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहता है तो उसका प्रवेश निरस्त माना जायेगा। परंतु यह और है की परीक्षा फार्म भरने के पूर्व अभ्यर्थी को अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। प्रवेश प्रक्रिया में आरक्षण से

- संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।
- 9 प्रवेश का निरस्तीकरण : विद्यार्थी का प्रवेश निम्नलिखित परिस्थितियों में निरस्त किया जा सकेगा
- किसी चरण में, यदि विद्यार्थी शासन के मानदण्ड/निर्देश या विश्वविद्यालय द्वारा विहित अर्हता मानदण्ड के अनुसार कार्यक्रम हेतु अर्हकारी नहीं पाया जाता है।
 - संस्थान/ विश्वविद्यालय में आशिष्ट अनुशासनहीनता में संलिप्त रहता है।
 - प्रवेश पाने हेतु मिथ्या या कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किया है या अनुचित साधनों का प्रयोग किया है।
 - शुल्क का भुगतान नहीं किया है।
 - किसी भी तरह से आवेदन प्रपत्र अपूर्ण है।
 - प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो।
- प्रस्तुत सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा।
- 10 फीस : पाठ्यक्रम शुल्क, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से प्रबंध मण्डल द्वारा समय समय पर निर्धारित की जायेगी।
- 11 उत्तीर्ण करने हेतु : विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 2 उपखण्ड 12(1) के अनुसार ।
- 12 पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना : परिनियम 12 में अंकित विभिन्न विषयों में पाठ्यक्रम संरचना, अध्ययन बोर्ड द्वारा तैयार किया जायेगा ।
- 13 मूल्यांकन एवं परीक्षा : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार ।
- 14 ए.टी.के.टी. के लिए पात्रता मापदण्ड : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार ।
- 15 सामान्य : अध्ययन मण्डल द्वारा प्रत्येक पेपर हेतु विस्तृत पाठ्यक्रम तैयार किया जायेगा जो विद्या परिषद एवं कुलपति द्वारा विधिवत् अनुमोदित किया जायेगा ।
पाठ्यक्रम से संबंधित विषयों में विश्वविद्यालय के कुलपति का विनिश्च अंतिम होगा । तथापि विद्या परिषद की अनुशंसा पर कुलपति परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा । पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु समय-समय पर परिवर्तन के अध्याधीन रहेगा ।

अध्यादेश - 29

मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर (एम.आर्च)

- 1 शीर्षक : : मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर
- 2 संकाय : : अभियांत्रिकी
- 3 अवधि : : दो वर्ष के चार सेमेस्टर
- 4 पात्रता : : अर्किटेक्चर में स्नातक या समकक्ष कम से कम 50 प्रतिशत (45 प्रतिशत आरक्षित वर्ग हेतु) के साथ उत्तीर्ण । सीट रिक्त होने की दशा में प्रवेश के लिये न्यूनतम अपेक्षित प्रतिशत से कुलपति की अनुमति द्वारा न्यूनतम आवश्यक प्रतिशत से 5 प्रतिशत कम किया जा सकेगा ।
- 5 सीट : आधार इकाई 20 सीटों की होगी इसके गुणक में प्रबंधन बोर्ड द्वारा अतिरिक्त ईकाई भी स्थापित की जा सकती है ।
- 6 प्रवेश प्रक्रिया : अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी गयी है । तथा आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी समस्त निर्देशों का अनुपालन किया गया है ।
- 7 शैक्षणिक वर्ष : जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा ।
- 8 चयन प्रक्रिया : विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष प्रारंभ होने के पूर्व विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर एवं अन्य लोकप्रिय मीडिया में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा । प्रवेश हेतु प्रविण्य आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची वेबसाईट पर प्रदर्शित की जायेगी या उनके प्रवेश के बारे में विद्यार्थियों को प्रत्यक्षतः सूचित किया जायेगा । चयनित विद्यार्थियों की सूची को विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित किया जायेगा । अभ्यर्थी जिनका परिणाम प्रतीक्षा में हो, वे भी आवेदन कर सकेंगे । तथापि ऐसे अभ्यर्थी को अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने का साक्ष्य अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा, परंतु यदि अभ्यर्थी अपेक्षित प्रतिशत के साथ अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहता है तो उसका प्रवेश निरस्त माना जायेगा । परंतु यह और है की परीक्षा फार्म भरने के पूर्व अभ्यर्थी को अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा । प्रवेश प्रक्रिया में आरक्षण से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन किया जायेगा ।

- 9 प्रवेश का निरस्ती करण : विद्यार्थी का प्रवेश निम्नलिखित परिस्थितियों में निरस्त किया जा सकेगा
- i. किसी चरण में, यदि विद्यार्थी शासन के मानदण्ड/निर्देश या विश्वविद्यालय द्वारा विहित अर्हता मानदण्ड के अनुसार कार्यक्रम हेतु अर्हकारी नहीं पाया जाता है।
 - ii. संस्थान/ विश्वविद्यालय में आशिष्ट अनुशासनहीनता में संलिप्त रहता है।
 - iii. प्रवेश पाने हेतु मिथ्या या कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किया है या अनुचित साधनों का प्रयोग किया है।
 - iv. शुल्क का भुगतान नहीं किया है।
 - v. किसी भी तरह से आवेदन प्रपत्र अपूर्ण है।
 - vi. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो।
- प्रस्तुत सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा।
- 10 फीस : पाठ्यक्रम शुल्क, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से प्रबंध मण्डल द्वारा समय समय पर निर्धारित की जायेगी।
- 11 उत्तीर्ण करने हेतु : विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 2 उपखण्ड 12(1) के अनुसार ।
- 12 पाठ्यक्रम संरचना एवं : परिनियम 12 में अंकित विभिन्न विषयों में पाठ्यक्रम
परीक्षा योजना संरचना, अध्ययन बोर्ड द्वारा तैयार किया जायेगा ।
- 13 मूल्यांकन एवं परीक्षा : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार ।
- 14 ए.टी.के.टी. के लिए : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार ।
पात्रता मापदण्ड
- 15 सामान्य : अध्ययन मण्डल द्वारा प्रत्येक पेपर हेतु विस्तृत पाठ्यक्रम तैयार किया जायेगा जो विद्या परिषद एवं कुलपति द्वारा विधिवत् अनुमोदित किया जायेगा ।
पाठ्यक्रम से संबंधित विषयों में विश्वविद्यालय के कुलपति का विनिश्च अंतिम होगा । तथापि विद्या परिषद की अनुशंसा पर कुलपति परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा । पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु समय-समय पर परिवर्तन के अध्यक्षीन रहेगा ।

अध्यादेश – 30

बैचलर ऑफ डिजाइनिंग (बी.डेस)

- 1 शीर्षक : : बैचलर ऑफ डिजाइनिंग
- 2 संकाय : : अभियांत्रिकी
- 3 अवधि : : चार वर्ष के आठ सेमेस्टर
- 4 पात्रता : : प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 या समकक्ष उत्तीर्ण हो ।
- 5 पार्श्व प्रवेश : तीसरे सेमेस्टर में प्रवेश के लिए उम्मीदवार को केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 03(तीन) वर्षीय डिप्लोमा पास हो या 12 के बाद एक वर्षीय डिप्लोमा इन इंटरियर डिजाईन/आर्किटेक्चर या समकक्ष किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से उत्तीर्ण हो ।
बी.एस.सी. उत्तीर्ण छात्र दूसरे वर्ष में प्रवेश हेतु इंजिनियरिंग ग्राफिक्स/इंजिनियरिंग ड्राइंग एवं इंजिनियरिंग मैकेनिक का विषय उत्तीर्ण करना (दूसरे वर्ष में होगा)।
- 6 सीट : आधार इकाई 40 सीटों का होगा इसके गुणक में प्रबंधन बोर्ड द्वारा अतिरिक्त ईकाई भी स्थापित की जा सकती है।
- 7 प्रवेश प्रक्रिया : अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी गयी है। तथा आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी समस्त निर्देशों का अनुपालन किया गया है।
- 8 शैक्षणिक वर्ष : जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा।
- 9 चयन प्रक्रिया : विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष प्रारंभ होने के पूर्व विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर एवं अन्य लोकप्रिय मीडिया में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु प्रविण्य आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी या उनके प्रवेश के बारे में विद्यार्थियों को प्रत्यक्षतः सूचित किया जायेगा । चयनित विद्यार्थियों की सूची को विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर

भी प्रदर्शित किया जायेगा । अभ्यर्थी जिनका परिणाम प्रतिका में हो, वे भी आवेदन कर सकेंगे । तथापि ऐसे अभ्यर्थी को अर्हकारी परीक्षा की अंतिम वर्ष में उपस्थित होने का साक्ष्य अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा, परंतु यदि अभ्यर्थी अपेक्षित प्रतिशत के साथ अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहता है तो उसका प्रवेश निरस्त माना जायेगा । परंतु यह और है की परीक्षा फार्म भरने के पूर्व अभ्यर्थी को अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा । प्रवेश प्रक्रिया में आरक्षण से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन किया जायेगा ।

10 प्रवेश का निरस्तीकरण :

विद्यार्थी का प्रवेश निम्नलिखित परिस्थितियों में निरस्त किया जा सकेगा

- i. किसी चरण में, यदि विद्यार्थी शासन के मानदण्ड/निर्देश या विश्वविद्यालय द्वारा विहित अर्हता मानदण्ड के अनुसार कार्यक्रम हेतु अर्हकारी नहीं पाया जाता है ।
- ii. संस्थान/ विश्वविद्यालय में आशिष्ट अनुशासनहीनता में संलिप्त रहता है ।
- iii. प्रवेश पाने हेतु मिथ्या या कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किया है या अनुचित साधनों का प्रयोग किया है ।
- iv. शुल्क का भुगतान नहीं किया है ।
- v. किसी भी तरह से आवेदन प्रपत्र अपूर्ण है ।
- vi. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो ।

प्रस्तुत सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा ।

11 फीस

: पाठ्यक्रम शुल्क, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से प्रबंध मण्डल द्वारा समय समय पर निर्धारित की जायेगी ।

- 12 उत्तीर्ण करने हेतु : विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 2 उपखण्ड 12(1) के अनुसार।
- 13 पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना : परिनियम 12 में अंकित विभिन्न विषयों में पाठ्यक्रम संरचना, अध्ययन बोर्ड द्वारा तैयार किया जायेगा।
- 14 मूल्यांकन एवं परीक्षा : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार।
- 15 ए.टी.के.टी. के लिए पात्रता मापदण्ड : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार।
- 16 सामान्य : अध्ययन मण्डल द्वारा प्रत्येक पेपर हेतु विस्तृत पाठ्यक्रम तैयार किया जायेगा जो विद्या परिषद एवं कुलपति द्वारा विधिवत् अनुमोदित किया जायेगा।
पाठ्यक्रम से संबंधित विषयों में विश्वविद्यालय के कुलपति का विनिश्च अंतिम होगा। तथापि विद्या परिषद की अनुशंसा पर कुलपति परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा। पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु समय-समय पर परिवर्तन के अध्याधीन रहेगा।

अध्यादेश – 31

मास्टर ऑफ डिजाईन (एम.डेस.)

- 1 शीर्षक : : मास्टर ऑफ डिजाईन
- 2 संकाय : : अभियांत्रिकी
- 3 अवधि : : दो वर्ष के चार सेमेस्टर
- 4 पात्रता: : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से अभ्यर्थी बी. डिजाईन/बी.आई.डी./बी.आर्च में या समकक्ष उत्तीर्ण हो ।
- 5 सीट आधार इकाई 20 सीटो का होगा इसके गुणक में प्रबंधन बोर्ड द्वारा अतिरिक्त ईकाई भी स्थापित की जा सकती है।
- 6 प्रवेश प्रक्रिया अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी गयी है। तथा आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी समस्त निर्देशों का अनुपालन किया गया है।
- 7 शैक्षणिक वर्ष: जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा।
- 8 चयन प्रक्रिया : विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष प्रारंभ होने के पूर्व विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर एवं अन्य लोकप्रिय मीडिया में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु प्रविष्ट आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची वेबसाईट पर प्रदर्शित की जायेगी या उनके प्रवेश के बारे में विद्यार्थियों को प्रत्यक्षतः सूचित किया जायेगा । चयनित विद्यार्थियों की सूची को विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित किया जायेगा । अभ्यर्थी जिनका परिणाम प्रतिक्षा में हो, वे भी आवेदन कर सकेंगे । तथापि ऐसे अभ्यर्थी को अर्हकारी परीक्षा की अंतिम वर्ष में उपस्थित होने का साक्ष्य अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा, परंतु यदि अभ्यर्थी अपेक्षित प्रतिशत के साथ अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहता है तो उसका प्रवेश निरस्त माना जायेगा। परंतु यह और है की परीक्षा फार्म भरने के पूर्व अभ्यर्थी को अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। प्रवेश प्रक्रिया में आरक्षण से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशो का पालन किया जायेगा।

- 9 प्रवेश का निरस्ती करण : विद्यार्थी का प्रवेश निम्नलिखित परिस्थितियों में निरस्त किया जा सकेगा
- किसी चरण में, यदि विद्यार्थी शासन के मानदण्ड/निर्देश या विश्वविद्यालय द्वारा विहित अर्हता मानदण्ड के अनुसार कार्यक्रम हेतु अर्हकारी नहीं पाया जाता है।
 - संस्थान/ विश्वविद्यालय में आशिष्ट अनुशासनहीनता में संलिप्त रहता है।
 - प्रवेश पाने हेतु मिथ्या या कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किया है या अनुचित साधनों का प्रयोग किया है।
 - शुल्क का भुगतान नहीं किया है।
 - किसी भी तरह से आवेदन प्रपत्र अपूर्ण है।
 - प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो।
- प्रस्तुत सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा।
- 10 फीस : पाठ्यक्रम शुल्क, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से प्रबंध मण्डल द्वारा समय समय पर निर्धारित की जायेगी।
- 11 उत्तीर्ण करने हेतु : विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 2 उपखण्ड 12(1) के अनुसार।
- 12 पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना : विभिन्न विषयों में पाठ्यक्रम संरचना, अध्ययन बोर्ड द्वारा तैयार किया जायेगा।
- 13 मूल्यांकन एवं परीक्षा : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार।
- 14 ए.टी.के.टी. के लिए पात्रता मापदण्ड : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार।
- 15 सामान्य : अध्ययन मण्डल द्वारा प्रत्येक पेपर हेतु विस्तृत पाठ्यक्रम तैयार किया जायेगा जो विद्या परिषद एवं कुलपति द्वारा विधिवत् अनुमोदित किया जायेगा।
पाठ्यक्रम से संबंधित विषयों में विश्वविद्यालय के कुलपति का विनिश्चय अंतिम होगा। तथापि विद्या परिषद की अनुशंसा पर कुलपति परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा। पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु समय-समय पर परिवर्तन के अध्वधीन रहेगा।

अध्यादेश - 32

मास्टर ऑफ आर्ट्स (एम.ए.)

- 1 शीर्षक : : मास्टर ऑफ आर्ट्स
अंग्रेजी, हिन्दी, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, लोक प्रशासन, समाजशास्त्र और समाजिक अध्ययन, मनोविज्ञान, पत्रकारिता एवं जनसंचार, योग अध्ययन, योग और अध्यात्मिकता, योग और चेतना, योग विज्ञान एण्ड थैरेपी प्राकृतिक चिकित्सा आदि परिनियम 12 में सम्मिल है ।
- 2 संकाय : : कला
- 3 अवधि : : दो वर्ष वार्षिक प्रणाली
- 4 पात्रता: : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से स्नातक या समकक्ष उत्तीर्ण हो ।
- 5 सीट आधार इकाई 30 सीटों का होगा इसके गुणक में प्रबंधन बोर्ड द्वारा अतिरिक्त ईकाई भी स्थापित की जा सकती है ।
- 6 प्रवेश प्रक्रिया अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी गयी है। तथा आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी समस्त निर्देशों का अनुपालन किया गया है ।
- 7 शैक्षणिक वर्ष: जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा ।
- 8 चयन प्रक्रिया : विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष प्रारंभ होने के पूर्व विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर एवं अन्य लोकप्रिय मीडिया में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु प्रविष्ट आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची वेबसाईट पर प्रदर्शित की जायेगी या उनके प्रवेश के बारे में विद्यार्थियों को प्रत्यक्षतः सूचित किया जायेगा । चयनित विद्यार्थियों की सूची को विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित किया जायेगा । अभ्यर्थी जिनका परिणाम प्रतीक्षा में हो, वे भी आवेदन कर सकेंगे । तथापि ऐसे अभ्यर्थी को अर्हकारी परीक्षा की अंतिम वर्ष में उपस्थित होने का साक्ष्य अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा, परंतु यदि अभ्यर्थी अपेक्षित प्रतिशत के साथ अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहता है तो उसका प्रवेश निरस्त माना जायेगा। परंतु यह और है की परीक्षा फार्म भरने के पूर्व अभ्यर्थी को अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। प्रवेश प्रक्रिया में आरक्षण से

- संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।
- 9 प्रवेश का निरस्तीकरण : विद्यार्थी का प्रवेश निम्नलिखित परिस्थितियों में निरस्त किया जा सकेगा
- किसी चरण में, यदि विद्यार्थी शासन के मानदण्ड/निर्देश या विश्वविद्यालय द्वारा विहित अर्हता मानदण्ड के अनुसार कार्यक्रम हेतु अर्हकारी नहीं पाया जाता है।
 - संस्थान/ विश्वविद्यालय में आशिष्ट अनुशासनहीनता में संलिप्त रहता है।
 - प्रवेश पाने हेतु मिथ्या या कुटुरचित दस्तावेज प्रस्तुत किया है या अनुचित साधनों का प्रयोग किया है।
 - शुल्क का भुगतान नहीं किया है।
 - किसी भी तरह से आवेदन प्रपत्र अपूर्ण है।
 - प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो।
- प्रस्तुत सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा।
- 10 फीस : पाठ्यक्रम शुल्क, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से प्रबंध मण्डल द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जावेगा।
- 11 उत्तीर्ण करने हेतु : विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 2 उपखण्ड 12(1) के अनुसार।
- 12 पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना : परिनियम 12 में अंकित विभिन्न विषयों में पाठ्यक्रम संरचना, अध्ययन बोर्ड द्वारा तैयार किया जायेगा।
- 13 मूल्यांकन एवं परीक्षा : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार।
- 14 पूरक के लिए पात्रता मापदण्ड : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार।
- 15 सामान्य : अध्ययन मण्डल द्वारा प्रत्येक पेपर हेतु विस्तृत पाठ्यक्रम तैयार किया जायेगा जो विद्या परिषद एवं कुलपति द्वारा विधिवत् अनुमोदित किया जायेगा।
- पाठ्यक्रम से संबंधित विषयों में विश्वविद्यालय के कुलपति का विनिश्च अंतिम होगा। तथापि विद्या परिषद की अनुशंसा पर कुलपति परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा। पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु समय-समय पर परिवर्तन के अध्वधीन रहेगा।

अध्यादेश – 33

बैचलर ऑफ आर्टस (बी.ए.)

- 1 शीर्षक : : बैचलर ऑफ आर्टस (बी.ए.)
- 2 संकाय : : कला
- 3 अवधि : : तीन वर्ष वार्षिक प्रणाली
- 4 पात्रता: : किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 10+2 या समकक्ष, परीक्षा उत्तीर्ण हो ।
- 5 सीट आधार इकाई 60 सीटों की होगी इसके गुणक में प्रबंधन बोर्ड द्वारा अतिरिक्त इकाई भी स्थापित की जा सकती है।
- 6 प्रवेश प्रक्रिया अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी गयी है। तथा आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी समस्त निर्देशों का अनुपालन किया गया है।
- 7 शैक्षणिक वर्ष: जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा।
- 8 चयन प्रक्रिया : विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष प्रारंभ होने के पूर्व विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर एवं अन्य लोकप्रिय मीडिया में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु प्रविष्ट आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी या उनके प्रवेश के बारे में विद्यार्थियों को प्रत्यक्षतः सूचित किया जायेगा । चयनित विद्यार्थियों की सूची को विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित किया जायेगा । अभ्यर्थी जिनका परिणाम प्रतिक्षा में हो, वे भी आवेदन कर सकेंगे । तथापि ऐसे अभ्यर्थी को अर्हकारी परीक्षा की अंतिम वर्ष में उपस्थित होने का साक्ष्य अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा, परंतु यदि अभ्यर्थी अपेक्षित प्रतिशत के साथ अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहता है तो उसका प्रवेश निरस्त माना जायेगा। परंतु यह और है की परीक्षा फार्म भरने के पूर्व अभ्यर्थी को अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। प्रवेश प्रक्रिया में आरक्षण से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।

- 9 प्रवेश का निरस्ती करण : विद्यार्थी का प्रवेश निम्नलिखित परिस्थितियों में निरस्त किया जा सकेगा
- किसी चरण में, यदि विद्यार्थी शासन के मानदण्ड/निर्देश या विश्वविद्यालय द्वारा विहित अर्हता मानदण्ड के अनुसार कार्यक्रम हेतु अर्हकारी नहीं पाया जाता है।
 - संस्थान/ विश्वविद्यालय में आशिष्ट अनुशासनहीनता में संलिप्त रहता है।
 - प्रवेश पाने हेतु मिथ्या या कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किया है या अनुचित साधनों का प्रयोग किया है।
 - शुल्क का भुगतान नहीं किया है।
 - किसी भी तरह से आवेदन प्रपत्र अपूर्ण है।
 - प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो।
- प्रस्तुत सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा।
- 10 फीस : पाठ्यक्रम शुल्क, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से प्रबंध मण्डल द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जायेगा।
- 11 उत्तीर्ण करने हेतु : विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 2 उपखण्ड 12(1) के अनुसार।
- 12 पाठ्यक्रम संरचना एवं : परिनियम 12 में अंकित विभिन्न विषयों में पाठ्यक्रम संरचना, अध्ययन बोर्ड द्वारा तैयार किया जायेगा।
परीक्षा योजना
- 13 मूल्यांकन एवं परीक्षा : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार।
- 14 पूरक के लिए : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार।
पात्रता मापदण्ड
- 15 सामान्य : अध्ययन मण्डल द्वारा प्रत्येक पेपर हेतु विस्तृत पाठ्यक्रम तैयार किया जायेगा जो विद्या परिषद एवं कुलपति द्वारा विधिवत् अनुमोदित किया जायेगा।
पाठ्यक्रम से संबंधित विषयों में विश्वविद्यालय के कुलपति का विनिश्च अंतिम होगा। तथापि विद्या परिषद की अनुशंसा पर कुलपति परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा। पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु समय-समय पर परिवर्तन के अध्यक्षीन रहेगा।

अध्यादेश - 34

बैचलर ऑफ आर्टस (आनर्स) बी.ए. (आनर्स)

- 1 शीर्षक : : बैचलर ऑफ आर्टस (आनर्स) बी.ए. (आनर्स)
अंग्रेजी, हिन्दी, राजनिती विज्ञान, अर्थशास्त्र, लोक प्रशासन, समाजशास्त्र और समाजिक अध्ययन, मनोविज्ञान, पत्रकारिता एवं जनसंचार, योग अध्ययन, योग और अध्यात्मिकता, योग और चेतना, योग विज्ञान एण्ड थैरेपी प्राकृतिक चिकित्सा आदि परिनियम 12 में सम्मिल है ।
- 2 संकाय : : कला
- 3 अवधि : : तीन वर्ष वार्षिक प्रणाली
- 4 पात्रता: : किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 10+2 या समकक्ष, परीक्षा उत्तीर्ण हो ।
- 5 सीट आधार इकाई 60 सीटों की होगी इसके गुणक में प्रबंधन बोर्ड द्वारा अतिरिक्त इकाई भी स्थापित की जा सकती है।
- 6 प्रवेश प्रक्रिया अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी गयी है। तथा आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी समस्त निर्देशों का अनुपालन किया गया है।
- 7 शैक्षणिक वर्ष: जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा।
- 8 चयन प्रक्रिया : विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष प्रारंभ होने के पूर्व विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर एवं अन्य लोकप्रिय मीडिया में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु प्रविष्ट आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी या उनके प्रवेश के बारे में विद्यार्थियों को प्रत्यक्षतः सूचित किया जायेगा । चयनित विद्यार्थियों की सूची को विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित किया जायेगा । अभ्यर्थी जिनका परिणाम प्रतीक्षा में हो, वे भी आवेदन कर सकेंगे । तथापि ऐसे अभ्यर्थी को अर्हकारी परीक्षा की अंतिम वर्ष में उपस्थित होने का साक्ष्य अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा, परंतु यदि अभ्यर्थी अपेक्षित प्रतिशत के साथ अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहता है तो उसका प्रवेश निरस्त माना जायेगा। परंतु यह और है की परीक्षा फार्म भरने के पूर्व अभ्यर्थी को अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची को अनिवार्य

- रूप से प्रस्तुत करना होगा। प्रवेश प्रक्रिया में आरक्षण से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।
- 9 प्रवेश का निरस्ती करण : विद्यार्थी का प्रवेश निम्नलिखित परिस्थितियों में निरस्त किया जा सकेगा
- किसी चरण में, यदि विद्यार्थी शासन के मानदण्ड/निर्देश या विश्वविद्यालय द्वारा विहित अर्हता मानदण्ड के अनुसार कार्यक्रम हेतु अर्हकारी नहीं पाया जाता है।
 - संस्थान/ विश्वविद्यालय में आशिष्ट अनुशासनहीनता में संलिप्त रहता है।
 - प्रवेश पाने हेतु मिथ्या या कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किया है या अनुचित साधनों का प्रयोग किया है।
 - शुल्क का भुगतान नहीं किया है।
 - किसी भी तरह से आवेदन प्रपत्र अपूर्ण है।
 - प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो।
- प्रस्तुत सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा।
- 10 फीस : पाठ्यक्रम शुल्क, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से प्रबंध मण्डल द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जायेगा।
- 11 उत्तीर्ण करने हेतु : विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 2 उपखण्ड 12(1) के अनुसार।
- 12 पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना : परिनियम 12 में अंकित विभिन्न विषयों में पाठ्यक्रम संरचना, अध्ययन बोर्ड द्वारा तैयार किया जायेगा।
- 13 मूल्यांकन एवं परीक्षा : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार।
- 14 पूरक के लिए पात्रता मापदण्ड : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार।
- 15 सामान्य : अध्ययन मण्डल द्वारा प्रत्येक पेपर हेतु विस्तृत पाठ्यक्रम तैयार किया जायेगा जो विद्या परिषद एवं कुलपति द्वारा विधिवत् अनुमोदित किया जायेगा।
- पाठ्यक्रम से संबंधित विषयों में विश्वविद्यालय के कुलपति का विनिश्च अंतिम होगा। तथापि विद्या परिषद की अनुशंसा पर कुलपति परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा। पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु समय-समय पर परिवर्तन के अध्याधीन रहेगा।

अध्यादेश - 35

मास्टर ऑफ शोसल वर्क (एम.एस.डब्लू)

- 1 शीर्षक : : मास्टर ऑफ शोसल वर्क
- 2 संकाय : : कला
- 3 अवधि : : दो वर्ष वार्षिक प्रणाली
- 4 पात्रता: : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से स्नातक या समकक्ष उत्तीर्ण हो ।
- 5 सीट आधार इकाई 60 सीटों का होगा इसके गुणक में प्रबंधन बोर्ड द्वारा अतिरिक्त ईकाई भी स्थापित की जा सकती है।
- 6 प्रवेश प्रक्रिया : अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी गयी है। तथा आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी समस्त निर्देशों का अनुपालन किया गया है।
- 7 शैक्षणिक वर्ष: जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा।
- 8 चयन प्रक्रिया : विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष प्रारंभ होने के पूर्व विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर एवं अन्य लोकप्रिय मीडिया में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु प्रविष्ट आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी या उनके प्रवेश के बारे में विद्यार्थियों को प्रत्यक्षतः सूचित किया जायेगा । चयनित विद्यार्थियों की सूची को विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित किया जायेगा । अभ्यर्थी जिनका परिणाम प्रतीक्षा में हो, वे भी आवेदन कर सकेंगे । तथापि ऐसे अभ्यर्थी को अर्हकारी परीक्षा की अंतिम वर्ष में उपस्थित होने का साक्ष्य अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा, परंतु यदि अभ्यर्थी अपेक्षित प्रतिशत के साथ अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहता है तो उसका प्रवेश निरस्त माना जायेगा। परंतु यह और है की परीक्षा फार्म भरने के पूर्व अभ्यर्थी को अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। प्रवेश प्रक्रिया में आरक्षण से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।
- 9 प्रवेश का निरस्तीकरण : विद्यार्थी का प्रवेश निम्नलिखित परिस्थितियों में निरस्त किया जा सकेगा

- i. किसी चरण में, यदि विद्यार्थी शासन के मानदण्ड/निर्देश या विश्वविद्यालय द्वारा विहित अर्हता मानदण्ड के अनुसार कार्यक्रम हेतु अर्हकारी नहीं पाया जाता है।
 - ii. संस्थान/ विश्वविद्यालय में आशिष्ट अनुशासनहीनता में संलिप्त रहता है।
 - iii. प्रवेश पाने हेतु मिथ्या या कुट्टरचित दस्तावेज प्रस्तुत किया है या अनुचित साधनों का प्रयोग किया है।
 - iv. शुल्क का भुगतान नहीं किया है।
 - v. किसी भी तरह से आवेदन प्रपत्र अपूर्ण है।
 - vi. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो।
- प्रस्तुत सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा।

- 10 फीस : पाठ्यक्रम शुल्क, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से प्रबंध मण्डल द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जायेगा।
- 11 उत्तीर्ण करने हेतु : विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 2 उपखण्ड 12(1) के अनुसार।
- 12 पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना : परिनियम 12 में अंकित विभिन्न विषयों में पाठ्यक्रम संरचना, अध्ययन बोर्ड द्वारा तैयार किया जायेगा।
- 13 मूल्यांकन एवं परीक्षा : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार।
- 14 पूरक के लिए पात्रता मापदण्ड : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार।
- 15 सामान्य : अध्ययन मण्डल द्वारा प्रत्येक पेपर हेतु विस्तृत पाठ्यक्रम तैयार की जायेगी तथा विद्या परिषद एवं कुलपति द्वारा विधिवत् अनुमोदित की जायेगी।
- पाठ्यक्रम से संबंधित विषयों में विश्वविद्यालय के कुलपति का विनिश्च अंतिम होगा। तथापि विद्या परिषद की अनुशंसा पर कुलपति परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा। पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु समय-समय पर परिवर्तन के अध्वधीन रहेगा।

अध्यादेश – 36

बैचलर ऑफ शोसल वर्क (बी.एस.डब्ल्यू)

- 1 शीर्षक : : बैचलर ऑफ शोसल वर्क
- 2 संकाय : : कला
- 3 अवधि : : तीन वर्ष वार्षिक प्रणाली
- 4 पात्रता: : किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 10+2 या समकक्ष, परीक्षा उत्तीर्ण हो ।
- 5 सीट आधार इकाई 60 सीटो का होगा इसके गुणक में प्रबंधन बोर्ड द्वारा अतिरिक्त ईकाई भी स्थापित की जा सकती है।
- 6 प्रवेश प्रक्रिया अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी गयी है। तथा आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी समस्त निर्देशों का अनुपालन किया गया है।
- 7 शैक्षणिक वर्ष: जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा।
- 8 चयन प्रक्रिया : विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष प्रारंभ होने के पूर्व विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर एवं अन्य लोकप्रिय मीडिया में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु प्रविण्य आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी या उनके प्रवेश के बारे में विद्यार्थियों को प्रत्यक्षतः सूचित किया जायेगा । चयनित विद्यार्थियों की सूची को विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित किया जायेगा । अभ्यर्थी जिनका परिणाम प्रतीक्षा में हो, वे भी आवेदन कर सकेंगे । तथापि ऐसे अभ्यर्थी को अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने का साक्ष्य अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा, परंतु यदि अभ्यर्थी अपेक्षित प्रतिशत के साथ अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहता है तो उसका प्रवेश निरस्त माना जायेगा। परंतु यह और है की परीक्षा फार्म भरने के पूर्व अभ्यर्थी को अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। प्रवेश प्रक्रिया में आरक्षण से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।
- 9 प्रवेश का निरस्तीकरण : विद्यार्थी का प्रवेश निम्नलिखित परिस्थितियों में निरस्त किया जा सकेगा

- i. किसी चरण में, यदि विद्यार्थी शासन के मानदण्ड/निर्देश या विश्वविद्यालय द्वारा विहित अर्हता मानदण्ड के अनुसार कार्यक्रम हेतु अर्हकारी नहीं पाया जाता है।
- ii. संस्थान/ विश्वविद्यालय में आशिष्ट अनुशासनहीनता में संलिप्त रहता है।
- iii. प्रवेश पाने हेतु मिथ्या या कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किया है या अनुचित साधनों का प्रयोग किया है।
- iv. शुल्क का भुगतान नहीं किया है।
- v. किसी भी तरह से आवेदन प्रपत्र अपूर्ण है।
- vi. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो।
प्रस्तुत सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा।

- 10 फीस : पाठ्यक्रम शुल्क, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से प्रबंध मण्डल द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जावेगा।
- 11 उत्तीर्ण करने हेतु : विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 2 उपखण्ड 12(1) के अनुसार।
- 12 पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना : अध्ययन बोर्ड द्वारा प्रस्तावित एवं अकादमिक परिषद द्वारा अनुमोदित।
- 13 मूल्यांकन एवं परीक्षा : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार।
- 14 पूरक के लिए पात्रता मापदण्ड : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार।
- 15 सामान्य : अध्ययन मण्डल द्वारा प्रत्येक पेपर हेतु विस्तृत पाठ्यक्रम तैयार किया जायेगा जो विद्या परिषद एवं कुलपति द्वारा विधिवत् अनुमोदित किया जायेगा।
पाठ्यक्रम से संबंधित विषयों में विश्वविद्यालय के कुलपति का विनिश्च अंतिम होगा। तथापि विद्या परिषद की अनुशंसा पर कुलपति परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा। पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु समय-समय पर परिवर्तन के अध्यक्षीन रहेगा।

अध्यादेश – 37

बैचलर ऑफ लायब्रेरी एण्ड इन्फॉर्मेशन साईस (बी.लिब.एण्ड आई.साईस)

- 1 शीर्षक : : बैचलर ऑफ लायब्रेरी एण्ड इन्फॉर्मेशन साईस
- 2 संकाय : : कला
- 3 अवधि : : एक वर्ष वार्षिक प्रणाली
- 4 पात्रता: : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से स्नातक या समकक्ष उत्तीर्ण हो ।
- 5 सीट आधार इकाई 60 सीटो का होगा इसके गुणक में प्रबंधन बोर्ड द्वारा अतिरिक्त ईकाई भी स्थापित की जा सकती है।
- 6 प्रवेश प्रक्रिया अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी गयी है। तथा आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी समस्त निर्देशों का अनुपालन किया गया है।
- 7 शैक्षणिक वर्ष: जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा।
- 8 चयन प्रक्रिया : विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष प्रारंभ होने के पूर्व विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर एवं अन्य लोकप्रिय मीडिया में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु प्रविण्य आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी या उनके प्रवेश के बारे में विद्यार्थियों को प्रत्यक्षतः सूचित किया जायेगा । चयनित विद्यार्थियों की सूची को विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित किया जायेगा । अभ्यर्थी जिनका परिणाम प्रतीक्षा में हो, वे भी आवेदन कर सकेंगे । तथापि ऐसे अभ्यर्थी को अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने का साक्ष्य अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा, परंतु यदि अभ्यर्थी अपेक्षित प्रतिशत के साथ अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहता है तो उसका प्रवेश निरस्त माना जायेगा। परंतु यह और है की परीक्षा फार्म भरने के पूर्व अभ्यर्थी को अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। प्रवेश प्रक्रिया में आरक्षण से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशो का पालन किया जायेगा।
- 9 प्रवेश का निरस्ती करण : विद्यार्थी का प्रवेश निम्नलिखित परिस्थितियों में निरस्त किया जा सकेगा

- i. किसी चरण में, यदि विद्यार्थी शासन के मानदण्ड/निर्देश या विश्वविद्यालय द्वारा विहित अर्हता मानदण्ड के अनुसार कार्यक्रम हेतु अर्हकारी नहीं पाया जाता है।
 - ii. संस्थान/ विश्वविद्यालय में आशिष्ट अनुशासनहीनता में संलिप्त रहता है।
 - iii. प्रवेश पाने हेतु मिथ्या या कुटुरचित दस्तावेज प्रस्तुत किया है या अनुचित साधनों का प्रयोग किया है।
 - iv. शुल्क का भुगतान नहीं किया है।
 - v. किसी भी तरह से आवेदन प्रपत्र अपूर्ण है।
 - vi. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो।
- प्रस्तुत सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा।

- 10 फीस : पाठ्यक्रम शुल्क, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से प्रबंध मण्डल द्वारा समय समय पर निर्धारित की जायेगी।
- 11 उत्तीर्ण करने हेतु : विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 2 उपखण्ड 12(1) के अनुसार।
- 12 पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना : अध्ययन बोर्ड द्वारा प्रस्तावित एवं अकादमिक परिषद द्वारा अनुमोदित।
- 13 मूल्यांकन एवं परीक्षा : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार।
- 14 पूरक के लिए पात्रता मापदण्ड : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार।
- 15 सामान्य : अध्ययन मण्डल द्वारा प्रत्येक पेपर हेतु विस्तृत पाठ्यक्रम तैयार किया जायेगा जो विद्या परिषद एवं कुलपति द्वारा विधिवत् अनुमोदित किया जायेगा।
- पाठ्यक्रम से संबंधित विषयों में विश्वविद्यालय के कुलपति का विनिश्च अंतिम होगा। तथापि विद्या परिषद की अनुशंसा पर कुलपति परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा। पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु समय-समय पर परिवर्तन के अध्यक्षीन रहेगा।

अध्यादेश – 38

मास्टर ऑफ लायब्रेरी एण्ड इन्फॉर्मेशन साईस (एम.लिब.एण्ड आई.साईस)

- 1 शीर्षक : : मास्टर ऑफ लायब्रेरी एण्ड इन्फॉर्मेशन साईस
- 2 संकाय : : कला
- 3 अवधि : : एक वर्ष वार्षिक प्रणाली
- 4 पात्रता : : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से स्नातक या समकक्ष के बाद पुस्तकालय विज्ञान स्नातक में उत्तीर्ण हो ।
- 5 सीट आधार इकाई 30 सीटो का होगा इसके गुणक में प्रबंधन बोर्ड द्वारा अतिरिक्त ईकाई भी स्थापित की जा सकती है।
- 6 प्रवेश प्रक्रिया अध्यादेश क. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी गयी है। तथा आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी समस्त निर्देशों का अनुपालन किया गया है।
- 7 शैक्षणिक वर्ष: जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा
- 8 चयन प्रक्रिया : विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष प्रारंभ होने के पूर्व विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर एवं अन्य लोकप्रिय मीडिया में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु प्रविण्य आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची वेबसाईट पर प्रदर्शित की जायेगी या उनके प्रवेश के बारे में विद्यार्थियों को प्रत्यक्षतः सूचित किया जायेगा । चयनित विद्यार्थियों की सूची को विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित किया जायेगा । अभ्यर्थी जिनका परिणाम प्रतीक्षा में हो, वे भी आवेदन कर सकेंगे । तथापि ऐसे अभ्यर्थी को अर्हकारी परीक्षा की अंतिम वर्ष में उपस्थित होने का साक्ष्य अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा, परंतु यदि अभ्यर्थी अपेक्षित प्रतिशत के साथ अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहता है तो उसका प्रवेश निरस्त माना जायेगा। परंतु यह और है की परीक्षा फार्म भरने के पूर्व अभ्यर्थी को अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। प्रवेश प्रक्रिया में आरक्षण से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशो का पालन किया जायेगा।

- 9 प्रवेश का निरस्ती करण : विद्यार्थी का प्रवेश निम्नलिखित परिस्थितियों में निरस्त किया जा सकेगा
- i. किसी चरण में, यदि विद्यार्थी शासन के मानदण्ड/निर्देश या विश्वविद्यालय द्वारा विहित अर्हता मानदण्ड के अनुसार कार्यक्रम हेतु अर्हकारी नहीं पाया जाता है।
 - ii. संस्थान/ विश्वविद्यालय में आशिष्ट अनुशासनहीनता में संलिप्त रहता है।
 - iii. प्रवेश पाने हेतु मिथ्या या कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किया है या अनुचित साधनों का प्रयोग किया है।
 - iv. शुल्क का भुगतान नहीं किया है।
 - v. किसी भी तरह से आवेदन प्रपत्र अपूर्ण है।
 - vi. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो।
- प्रस्तुत सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा।
- 10 फीस : पाठ्यक्रम शुल्क, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से प्रबंध मण्डल द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जावेगा।
- 11 उत्तीर्ण करने हेतु : विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 2 उपखण्ड 12(1) के अनुसार।
- 12 पाठ्यक्रम संरचना एवं : अध्ययन बोर्ड द्वारा प्रस्तावित एवं अकादमिक परिषद परीक्षा योजना द्वारा अनुमोदित।
- 13 मूल्यांकन एवं परीक्षा : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार।
- 14 पूरक के लिए : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार।
पात्रता मापदण्ड
- 15 सामान्य : अध्ययन मण्डल द्वारा प्रत्येक पेपर हेतु विस्तृत पाठ्यक्रम तैयार किया जायेगा जो विद्या परिषद एवं कुलपति द्वारा विधिवत् अनुमोदित किया जायेगा।
पाठ्यक्रम से संबंधित विषयों में विश्वविद्यालय के कुलपति का विनिश्च अंतिम होगा। तथापि विद्या परिषद की अनुशंसा पर कुलपति परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा। पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु समय-समय पर परिवर्तन के अध्यक्षीन रहेगा।

अध्यादेश – 39

बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट एण्ड कैंटरिन टेक्नालॉजी (बी.एच.एम.सी.टी.)

- 1 शीर्षक : : बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट एण्ड कैंटरिन टेक्नालॉजी
- 2 संकाय : : होटल प्रबंधन
- 3 अवधि : : चार वर्ष के आठ सेमेस्टर
- 4 पात्रता : : किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 10+2 या समकक्ष, परीक्षा उत्तीर्ण हो ।
- 5 सीट आधार इकाई 60 सीटों का होगा इसके गुणक में प्रबंधन बोर्ड द्वारा अतिरिक्त ईकाई भी स्थापित की जा सकती है।
- 6 प्रवेश प्रक्रिया : : अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी गयी है। तथा आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी समस्त निर्देशों का अनुपालन किया गया है।
- 7 शैक्षणिक वर्ष : : जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा।
- 8 चयन प्रक्रिया : : विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष प्रारंभ होने के पूर्व विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर एवं अन्य लोकप्रिय मीडिया में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु प्रविण्य आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी या उनके प्रवेश के बारे में विद्यार्थियों को प्रत्यक्षतः सूचित किया जायेगा । चयनित विद्यार्थियों की सूची को विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित किया जायेगा । अभ्यर्थी जिनका परिणाम प्रतीक्षा में हो, वे भी आवेदन कर सकेंगे । तथापि ऐसे अभ्यर्थी को अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने का साक्ष्य अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा, परंतु यदि अभ्यर्थी अपेक्षित प्रतिशत के साथ अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहता है तो उसका प्रवेश निरस्त माना जायेगा। परंतु यह और है की परीक्षा फार्म भरने के पूर्व अभ्यर्थी को अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। प्रवेश प्रक्रिया में आरक्षण से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।
- 9 प्रवेश का निरस्तीकरण : : विद्यार्थी का प्रवेश निम्नलिखित परिस्थितियों में निरस्त किया जा सकेगा

- i. किसी चरण में, यदि विद्यार्थी शासन के मानदण्ड/निर्देश या विश्वविद्यालय द्वारा विहित अर्हता मानदण्ड के अनुसार कार्यक्रम हेतु अर्हकारी नहीं पाया जाता है।
- ii. संस्थान/ विश्वविद्यालय में आशिष्ट अनुशासनहीनता में संलिप्त रहता है।
- iii. प्रवेश पाने हेतु मिथ्या या कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किया है या अनुचित साधनों का प्रयोग किया है।
- iv. शुल्क का भुगतान नहीं किया है।
- v. किसी भी तरह से आवेदन प्रपत्र अपूर्ण है।
- vi. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो।

प्रस्तुत सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा।

- 10 फीस : पाठ्यक्रम शुल्क, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से प्रबंध मण्डल द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जावेगा।
- 11 उत्तीर्ण करने हेतु : विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 2 उपखण्ड 12(1) के अनुसार।
- 12 पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना : अध्ययन बोर्ड द्वारा प्रस्तावित एवं अकादमिक परिषद द्वारा अनुमोदित।
- 13 मूल्यांकन एवं परीक्षा : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार।
- 14 ए.टी.के.टी. के लिए पात्रता मापदण्ड : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार।
- 15 सामान्य : अध्ययन मण्डल द्वारा प्रत्येक पेपर हेतु विस्तृत पाठ्यक्रम तैयार किया जायेगा जो विद्या परिषद एवं कुलपति द्वारा विधिवत् अनुमोदित किया जायेगा।
पाठ्यक्रम से संबंधित विषयों में विश्वविद्यालय के कुलपति का विनिश्च अंतिम होगा। तथापि विद्या परिषद की अनुशंसा पर कुलपति परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा। पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु समय-समय पर परिवर्तन के अध्यधीन रहेगा।

अध्यादेश – 40

डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट (डी.एच.एम.)

- 1 शीर्षक : डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट
- 2 संकाय : होटल प्रबंधन
- 3 अवधि : एक वर्ष वार्षिक प्रणाली
- 4 पात्रता : किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 10+2 या समकक्ष, परीक्षा उत्तीर्ण हो ।
- 5 सीट आधार इकाई 60 सीटों का होगा इसके गुणक में प्रबंधन बोर्ड द्वारा अतिरिक्त ईकाई भी स्थापित की जा सकती है।
- 6 प्रवेश प्रक्रिया अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी गयी है। तथा आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी समस्त निर्देशों का अनुपालन किया गया है।
- 7 शैक्षणिक वर्ष: जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा।
- 8 चयन प्रक्रिया : विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष प्रारंभ होने के पूर्व विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर एवं अन्य लोकप्रिय मीडिया में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु प्रविण्य आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी या उनके प्रवेश के बारे में विद्यार्थियों को प्रत्यक्षतः सूचित किया जायेगा । चयनित विद्यार्थियों की सूची को विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित किया जायेगा । अभ्यर्थी जिनका परिणाम प्रतीक्षा में हो, वे भी आवेदन कर सकेंगे । तथापि ऐसे अभ्यर्थी को अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने का साक्ष्य अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा, परंतु यदि अभ्यर्थी अपेक्षित प्रतिशत के साथ अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहता है तो उसका प्रवेश निरस्त माना जायेगा। परंतु यह और है की परीक्षा फार्म भरने के पूर्व अभ्यर्थी को अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। प्रवेश प्रक्रिया में आरक्षण से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।
- 9 प्रवेश का निरस्तीकरण : विद्यार्थी का प्रवेश निम्नलिखित परिस्थितियों में निरस्त किया जा सकेगा

- i. किसी चरण में, यदि विद्यार्थी शासन के मानदण्ड/निर्देश या विश्वविद्यालय द्वारा विहित अर्हता मानदण्ड के अनुसार कार्यक्रम हेतु अर्हकारी नहीं पाया जाता है।
 - ii. संस्थान/ विश्वविद्यालय में आशिष्ट अनुशासनहीनता में संलिप्त रहता है।
 - iii. प्रवेश पाने हेतु मिथ्या या कुटुरचित दस्तावेज प्रस्तुत किया है या अनुचित साधनों का प्रयोग किया है।
 - iv. शुल्क का भुगतान नहीं किया है।
 - v. किसी भी तरह से आवेदन प्रपत्र अपूर्ण है।
 - vi. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो।
- प्रस्तुत सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा।

- 10 फीस : पाठ्यक्रम शुल्क, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से प्रबंध मण्डल द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जावेगा।
- 11 उत्तीर्ण करने हेतु : विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 2 उपखण्ड 12(1) के अनुसार।
- 12 पाठ्यक्रम संरचना एवं : अध्ययन बोर्ड द्वारा प्रस्तावित एवं अकादमिक परिषद
परीक्षा योजना द्वारा अनुमोदित।
- 13 मूल्यांकन एवं परीक्षा : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार।
- 14 पूरक के लिए : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार।
पात्रता मापदण्ड
- 15 सामान्य : अध्ययन मण्डल द्वारा प्रत्येक पेपर हेतु विस्तृत पाठ्यक्रम तैयार किया जायेगा जो विद्या परिषद एवं कुलपति द्वारा विधिवत् अनुमोदित किया जायेगा।
पाठ्यक्रम से संबंधित विषयों में विश्वविद्यालय के कुलपति का विनिश्च अंतिम होगा। तथापि विद्या परिषद की अनुशंसा पर कुलपति परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा। पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु समय-समय पर परिवर्तन के अध्यक्षीन रहेगा।

अध्यादेश - 41

बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (होटल मैनेजमेंट)

- 1 शीर्षक : : बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एच.एम.)
- 2 संकाय : : होटल प्रबंधन
- 3 अवधि : : तीन वर्ष के छ सेमेस्टर
- 4 पात्रता : : किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 10+2 या समकक्ष, परीक्षा उत्तीर्ण हो ।
- 5 सीट आधार इकाई 60 सीटों का होगा इसके गुणक में प्रबंधन बोर्ड द्वारा अतिरिक्त ईकाई भी स्थापित की जा सकती है।
- 6 प्रवेश प्रक्रिया अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी गयी है। तथा आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी समस्त निर्देशों का अनुपालन किया गया है।
- 7 शैक्षणिक वर्ष: जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा।
- 8 चयन प्रक्रिया : विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष प्रारंभ होने के पूर्व विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर एवं अन्य लोकप्रिय मीडिया में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु प्रविष्ट आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी या उनके प्रवेश के बारे में विद्यार्थियों को प्रत्यक्षतः सूचित किया जायेगा । चयनित विद्यार्थियों की सूची को विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित किया जायेगा । अभ्यर्थी जिनका परिणाम प्रतीक्षा में हो, वे भी आवेदन कर सकेंगे । तथापि ऐसे अभ्यर्थी को अर्हकारी परीक्षा की अंतिम वर्ष में उपस्थित होने का साक्ष्य अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा, परंतु यदि अभ्यर्थी अपेक्षित प्रतिशत के साथ अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहता है तो उसका प्रवेश निरस्त माना जायेगा। परंतु यह और है की परीक्षा फार्म भरने के पूर्व अभ्यर्थी को अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। प्रवेश प्रक्रिया में आरक्षण से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।
- 9 प्रवेश का निरस्तीकरण : विद्यार्थी का प्रवेश निम्नलिखित परिस्थितियों में निरस्त किया जा सकेगा

- i. किसी चरण में, यदि विद्यार्थी शासन के मानदण्ड/निर्देश या विश्वविद्यालय द्वारा विहित अर्हता मानदण्ड के अनुसार कार्यक्रम हेतु अर्हकारी नहीं पाया जाता है।
 - ii. संस्थान/ विश्वविद्यालय में आशिष्टता या अनुशासनहीनता में संलिप्त रहता है।
 - iii. प्रवेश पाने हेतु मिथ्या या कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किया है या अनुचित साधनों का प्रयोग किया है।
 - iv. शुल्क का भुगतान नहीं किया है।
 - v. किसी भी तरह से आवेदन प्रपत्र अपूर्ण है।
 - vi. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो।
- प्रस्तुत सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा।

- 10 फीस : पाठ्यक्रम शुल्क, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से प्रबंध मण्डल द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जायेगा।
- 11 उत्तीर्ण करने हेतु : विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 2 उपखण्ड 12(1) के अनुसार।
- 12 पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना : अध्ययन बोर्ड द्वारा प्रस्तावित एवं अकादमिक परिषद द्वारा अनुमोदित।
- 13 मूल्यांकन एवं परीक्षा : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार।
- 14 ए.टी.के.टी. के लिए पात्रता मापदण्ड : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार।
- 15 सामान्य : अध्ययन मण्डल द्वारा प्रत्येक पेपर हेतु विस्तृत पाठ्यक्रम तैयार किया जायेगा जो विद्या परिषद एवं कुलपति द्वारा विधिवत् अनुमोदित किया जायेगा।
पाठ्यक्रम से संबंधित विषयों में विश्वविद्यालय के कुलपति का विनिश्च अंतिम होगा। तथापि विद्या परिषद की अनुशंसा पर कुलपति परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा। पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु समय-समय पर परिवर्तन के अध्यक्षीन रहेगा।

अध्यादेश - 42

बैचलर ऑफ साइंस (फैशन डिजाईन/फैशन टेक्नालॉजी/टैक्सटाईल/इंटरियर डिजाईन)

- 1 शीर्षक : : बैचलर ऑफ साइंस
(फैशन डिजाईन/फैशन टेक्नालॉजी/ टैक्सटाईल/
इंटरियर डिजाईन)
- 2 संकाय : : फैशन डिजाईन
- 3 अवधि : : तीन वर्ष वार्षिक प्रणाली
- 4 पात्रता: : किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 10+2 या
समकक्ष, परीक्षा उत्तीर्ण हो ।
- 5 सीट आधार इकाई 60 सीटों का होगा इसके गुणक में प्रबंधन
बोर्ड द्वारा अतिरिक्त ईकाई भी स्थापित की जा सकती है।
- 6 प्रवेश प्रक्रिया : : अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के
स्थानीय विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी गयी है। तथा
आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी समस्त
निर्देशों का अनुपालन किया गया है।
- 7 शैक्षणिक वर्ष: जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा।
- 8 चयन प्रक्रिया : : विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष प्रारंभ होने के पूर्व
विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर एवं अन्य लोकप्रिय
मीडिया में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु
प्रविण्य आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट
पर प्रदर्शित की जायेगी या उनके प्रवेश के बारे में
विद्यार्थियों को प्रत्यक्षतः सूचित किया जायेगा । चयनित
विद्यार्थियों की सूची को विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर
भी प्रदर्शित किया जायेगा । अभ्यर्थी जिनका परिणाम
प्रतिक्षा में हो, वे भी आवेदन कर सकेंगे । तथापि ऐसे
अभ्यर्थी को अर्हकारी परीक्षा की अंतिम वर्ष में उपस्थित
होने का साक्ष्य अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा, परंतु यदि
अभ्यर्थी अपेक्षित प्रतिशत के साथ अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण
करने में असफल रहता है तो उसका प्रवेश निरस्त माना
जायेगा। परंतु यह और है की परीक्षा फार्म भरने के पूर्व
अभ्यर्थी को अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची को अनिवार्य
रूप से प्रस्तुत करना होगा। प्रवेश प्रक्रिया में आरक्षण से
संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर
जारी किये गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।

- 9 प्रवेश का निरस्तीकरण : विद्यार्थी का प्रवेश निम्नलिखित परिस्थितियों में निरस्त किया जा सकेगा
- किसी चरण में, यदि विद्यार्थी शासन के मानदण्ड/निर्देश या विश्वविद्यालय द्वारा विहित अर्हता मानदण्ड के अनुसार कार्यक्रम हेतु अर्हकारी नहीं पाया जाता है।
 - संस्थान/ विश्वविद्यालय में आशिष्ट अनुशासनहीनता में संलिप्त रहता है।
 - प्रवेश पाने हेतु मिथ्या या कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किया है या अनुचित साधनों का प्रयोग किया है।
 - शुल्क का भुगतान नहीं किया है।
 - किसी भी तरह से आवेदन प्रपत्र अपूर्ण है।
 - प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो।
- प्रस्तुत सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा।
- 10 फीस : पाठ्यक्रम शुल्क, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से प्रबंध मण्डल द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जावेगा।
- 11 उत्तीर्ण करने हेतु : विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 2 उपखण्ड 12(1) के अनुसार।
- 12 पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना : अध्ययन बोर्ड द्वारा प्रस्तावित एवं अकादमिक परिषद द्वारा अनुमोदित।
- 13 मूल्यांकन एवं परीक्षा : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार।
- 14 पूरक के लिए पात्रता मापदण्ड : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार।
- 15 सामान्य : अध्ययन मण्डल द्वारा प्रत्येक पेपर हेतु विस्तृत पाठ्यक्रम तैयार की जायेगी तथा विद्या परिषद एवं कुलपति द्वारा विधिवत् अनुमोदित की जायेगी।
पाठ्यक्रम से संबंधित विषयों में विश्वविद्यालय के कुलपति का विनिश्च अंतिम होगा। तथापि विद्या परिषद की अनुशंसा पर कुलपति परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा। पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु समय-समय पर परिवर्तन के अध्याधीन रहेगा।

अध्यादेश - 43

मास्टर ऑफ साइंस (फैशन डिजाईन/फैशन टेक्नालॉजी/टैक्सटाईल/इंटरियर डिजाईन)

- 1 शीर्षक : : मास्टर ऑफ साइंस
(फैशन डिजाईन/फैशन टेक्नालॉजी/ टैक्सटाईल/
इंटरियर डिजाईन)
- 2 संकाय : : फैशन डिजाईन
- 3 अवधि : : दो वर्ष वार्षिक प्रणाली
- 4 पात्रता: : अभ्यर्थी को फैशन डिजाईन/फैशन
टेक्नालॉजी/टैक्सटाईल्स/ इंटरियर डिजाईन में स्नातक
या समकक्ष, परीक्षा उत्तीर्ण हो ।
- 5 पार्श्व प्रवेश दूसरे वर्ष या तीसरे सेमेस्टर में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को
प्रासंगिक विषय में स्नातक के बाद पी.जी. डिप्लोमा पास
होना आवश्यक है ।
- 6 सीट आधार इकाई 30 सीटों का होगा इसके गुणक में प्रबंधन
बोर्ड द्वारा अतिरिक्त ईकाई भी स्थापित की जा सकती है।
- 7 प्रवेश प्रक्रिया अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के
स्थानीय विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी गयी है। तथा
आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी समस्त
निर्देशों का अनुपालन किया गया है।
- 8 शैक्षणिक वर्ष: जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा।
- 9 चयन प्रक्रिया : विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष प्रारंभ होने के पूर्व
विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर एवं अन्य लोकप्रिय
मीडिया में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु
प्रविष्ट आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट
पर प्रदर्शित की जायेगी या उनके प्रवेश के बारे में
विद्यार्थियों को प्रत्यक्षतः सूचित किया जायेगा । चयनित
विद्यार्थियों की सूची को विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर
भी प्रदर्शित किया जायेगा । अभ्यर्थी जिनका परिणाम
प्रतिक्षा में हो, वे भी आवेदन कर सकेंगे । तथापि ऐसे
अभ्यर्थी को अर्हकारी परीक्षा की अंतिम वर्ष में उपस्थित
होने का साक्ष्य अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा, परंतु यदि
अभ्यर्थी अपेक्षित प्रतिशत के साथ अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण
करने में असफल रहता है तो उसका प्रवेश निरस्त माना
जायेगा। परंतु यह और है की परीक्षा फार्म भरने के पूर्व
अभ्यर्थी को अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची को अनिवार्य
रूप से प्रस्तुत करना होगा। प्रवेश प्रक्रिया में आरक्षण से
संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर
जारी किये गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।

- 10 प्रवेश का निरस्ती करण : विद्यार्थी का प्रवेश निम्नलिखित परिस्थितियों में निरस्त किया जा सकेगा
- i. किसी चरण में, यदि विद्यार्थी शासन के मानदण्ड/निर्देश या विश्वविद्यालय द्वारा विहित अर्हता मानदण्ड के अनुसार कार्यक्रम हेतु अर्हकारी नहीं पाया जाता है।
 - ii. संस्थान/ विश्वविद्यालय में आशिष्ट अनुशासनहीनता में संलिप्त रहता है।
 - iii. प्रवेश पाने हेतु मिथ्या या कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किया है या अनुचित साधनों का प्रयोग किया है।
 - iv. शुल्क का भुगतान नहीं किया है।
 - v. किसी भी तरह से आवेदन प्रपत्र अपूर्ण है।
 - vi. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो।
- प्रस्तुत सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा।
- 11 फीस : पाठ्यक्रम शुल्क, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से प्रबंध मण्डल द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जावेगा।
- 12 उत्तीर्ण करने हेतु : विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 2 उपखण्ड 12(1) के अनुसार।
- 13 पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना : अध्ययन बोर्ड द्वारा प्रस्तावित एवं अकादमिक परिषद द्वारा अनुमोदित।
- 14 मूल्यांकन एवं परीक्षा : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार।
- 15 पूरक के लिए पात्रता मापदण्ड : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार।
- 16 सामान्य : अध्ययन मण्डल द्वारा प्रत्येक पेपर हेतु विस्तृत पाठ्यक्रम तैयार किया जायेगा जो विद्या परिषद एवं कुलपति द्वारा विधिवत् अनुमोदित किया जायेगा।
पाठ्यक्रम से संबंधित विषयों में विश्वविद्यालय के कुलपति का विनिश्च अंतिम होगा। तथापि विद्या परिषद की अनुशंसा पर कुलपति परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा। पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु समय-समय पर परिवर्तन के अध्याधीन रहेगा।

अध्यादेश - 44

डिप्लोमा इन फैशन डिजाईन/फैशन टेक्नालॉजी/टैक्सटाईल्स/इंटरियर

- 1 शीर्षक : डिप्लोमा इन फैशन
- 2 संकाय : फैशन डिजाईन
- 3 अवधि : एक वर्ष वार्षिक प्रणाली
- 4 पात्रता : किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 10+2 या समकक्ष, परीक्षा उत्तीर्ण हो ।
- 5 सीट आधार इकाई 60 सीटो का होगा इसके गुणक में प्रबंधन बोर्ड द्वारा अतिरिक्त इकाई भी स्थापित की जा सकती है ।
- 6 प्रवेश प्रक्रिया अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी गयी है। तथा आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी समस्त निर्देशों का अनुपालन किया गया है।
- 7 शैक्षणिक वर्ष : जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा ।
- 8 चयन प्रक्रिया : विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष प्रारंभ होने के पूर्व विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर एवं अन्य लोकप्रिय मीडिया में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु प्रविष्ट आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी या उनके प्रवेश के बारे में विद्यार्थियों को प्रत्यक्षतः सूचित किया जायेगा । चयनित विद्यार्थियों की सूची को विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित किया जायेगा । अभ्यर्थी जिनका परिणाम प्रतीक्षा में हो, वे भी आवेदन कर सकेंगे । तथापि ऐसे अभ्यर्थी को अर्हकारी परीक्षा की अंतिम वर्ष में उपस्थित होने का साक्ष्य अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा, परंतु यदि अभ्यर्थी अपेक्षित प्रतिशत के साथ अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहता है तो उसका प्रवेश निरस्त माना जायेगा। परंतु यह और है की परीक्षा फार्म भरने के पूर्व अभ्यर्थी को अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। प्रवेश प्रक्रिया में आरक्षण से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशो का पालन किया जायेगा।
- 9 प्रवेश का निरस्ती करण : विद्यार्थी का प्रवेश निम्नलिखित परिस्थितियों में निरस्त किया जा सकेगा

- i. किसी चरण में, यदि विद्यार्थी शासन के मानदण्ड/निर्देश या विश्वविद्यालय द्वारा विहित अर्हता मानदण्ड के अनुसार कार्यक्रम हेतु अर्हकारी नहीं पाया जाता है।
- ii. संस्थान/ विश्वविद्यालय में आशिष्टता या अनुशासनहीनता में संलिप्त रहता है।
- iii. प्रवेश पाने हेतु मिथ्या या कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किया है या अनुचित साधनों का प्रयोग किया है।
- iv. शुल्क का भुगतान नहीं किया है।
- v. किसी भी तरह से आवेदन प्रपत्र अपूर्ण है।
- vi. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो।

प्रस्तुत सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा।

- 10 फीस : पाठ्यक्रम शुल्क, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से प्रबंध मण्डल द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जावेगा।
- 11 उत्तीर्ण करने हेतु : विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 2 उपखण्ड 12(1) के अनुसार।
- 12 पाठ्यक्रम संरचना एवं परीक्षा योजना : अध्ययन बोर्ड द्वारा प्रस्तावित एवं अकादमिक परिषद द्वारा अनुमोदित।
- 13 मूल्यांकन एवं परीक्षा : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार।
- 14 पूरक के लिए पात्रता मापदण्ड : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार।
- 15 सामान्य : अध्ययन मण्डल द्वारा प्रत्येक पेपर हेतु विस्तृत पाठ्यक्रम तैयार किया जायेगा जो विद्या परिषद एवं कुलपति द्वारा विधिवत् अनुमोदित किया जायेगा।
पाठ्यक्रम से संबंधित विषयों में विश्वविद्यालय के कुलपति का विनिश्च अंतिम होगा। तथापि विद्या परिषद की अनुशंसा पर कुलपति परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा। पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु समय-समय पर परिवर्तन के अध्याधीन रहेगा।

अध्यादेश - 45

पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन फैशन डिजाईन/फैशन टेक्नालॉजी/

टैक्सटाईल्स/इंटरियर डिजाईन

- 1 शीर्षक : पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन फैशन डिजाईन/फैशन टेक्नालॉजी / टैक्सटाईल्स/ इंटरियर डिजाईन
- 2 संकाय : : फैशन डिजाईन
- 3 अवधि : : एक वर्ष वार्षिक प्रणाली
- 4 पात्रता: : किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय स्नातक या समकक्ष, परीक्षा उत्तीर्ण हो ।
- 5 सीट आधार इकाई 60 सीटों का होगा इसके गुणक में प्रबंधन बोर्ड द्वारा अतिरिक्त इकाई भी स्थापित की जा सकती है।
- 6 प्रवेश प्रक्रिया अध्यादेश क्र. 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी गयी है। तथा आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी समस्त निर्देशों का अनुपालन किया गया है।
- 7 शैक्षणिक वर्ष: जुलाई से जून तक एक शैक्षणिक वर्ष होगा।
- 8 चयन प्रक्रिया : विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष प्रारंभ होने के पूर्व विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर एवं अन्य लोकप्रिय मीडिया में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। प्रवेश हेतु प्रविण्य आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी या उनके प्रवेश के बारे में विद्यार्थियों को प्रत्यक्षतः सूचित किया जायेगा । चयनित विद्यार्थियों की सूची को विश्वविद्यालय के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित किया जायेगा । अभ्यर्थी जिनका परिणाम प्रतीक्षा में हो, वे भी आवेदन कर सकेंगे । तथापि ऐसे अभ्यर्थी को अर्हकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उपस्थित होने का साक्ष्य अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा, परंतु यदि अभ्यर्थी अपेक्षित प्रतिशत के साथ अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहता है तो उसका प्रवेश निरस्त माना जायेगा। परंतु यह और है की परीक्षा फार्म भरने के पूर्व अभ्यर्थी को अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। प्रवेश प्रक्रिया में आरक्षण से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।
- 9 प्रवेश का निरस्ती करण : विद्यार्थी का प्रवेश निम्नलिखित परिस्थितियों में निरस्त किया जा सकेगा

- i. किसी चरण में, यदि विद्यार्थी शासन के मानदण्ड/निर्देश या विश्वविद्यालय द्वारा विहित अर्हता मानदण्ड के अनुसार कार्यक्रम हेतु अर्हकारी नहीं पाया जाता है।
 - ii. संस्थान/ विश्वविद्यालय में आशिष्टता अनुशासनहीनता में संलिप्त रहता है।
 - iii. प्रवेश पाने हेतु मिथ्या या कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किया है या अनुचित साधनों का प्रयोग किया है।
 - iv. शुल्क का भुगतान नहीं किया है।
 - v. किसी भी तरह से आवेदन प्रपत्र अपूर्ण है।
 - vi. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो।
- प्रस्तुत सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा।

- 10 फीस : पाठ्यक्रम शुल्क, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्व अनुमोदन से प्रबंध मण्डल द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जावेगा।
- 11 उत्तीर्ण करने हेतु : विश्वविद्यालय के अध्यादेश संख्या 2 उपखण्ड 12(1) के अनुसार।
- 12 पाठ्यक्रम संरचना एवं : अध्ययन बोर्ड द्वारा प्रस्तावित एवं अकादमिक परिषद
परीक्षा योजना द्वारा अनुमोदित।
- 13 मूल्यांकन एवं परीक्षा : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार।
- 14 पूरक के लिए : विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 2 के अनुसार।
पात्रता मापदण्ड
- 15 सामान्य : अध्ययन मण्डल द्वारा प्रत्येक पेपर हेतु विस्तृत पाठ्यक्रम तैयार किया जायेगा जो विद्या परिषद एवं कुलपति द्वारा विधिवत् अनुमोदित किया जायेगा।
पाठ्यक्रम से संबंधित विषयों में विश्वविद्यालय के कुलपति का विनिश्च अंतिम होगा। तथापि विद्या परिषद की अनुशंसा पर कुलपति परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा। पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु समय-समय पर परिवर्तन के अध्याधीन रहेगा।

अध्यादेश-46

मास्टर ऑफ फिलॉसफी (एम.फिल)

1. एम.फिल. कार्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता मानदण्ड :

- 1.1 एम.फिल. कार्यक्रम में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि अथवा तत्संबंधी वैधानिक विनियामक निकाय द्वारा स्नातकोत्तर उपाधि के समतुल्य घोषित व्यवसायिक उपाधि के साथ-साथ कुल न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक या यूजीसी 7 पाइंट स्केल में उसका समकक्ष श्रेणी (या पाइंट स्केल में समकक्ष ग्रेड जब कभी भी ग्रेडिंग पद्धति का अनुपालन किया जाता हो) या मूल्यांकन प्रत्यायन एजेंसी शैक्षणिक संस्थाओं के गुणवत्ता एवं मानक के निर्धारण, प्रत्यायन या प्रत्याभूत करने के प्रयोजन के लिए स्वदेश में विधि के अधीन स्थापित या निगमित प्राधिकारी द्वारा अथवा उस देश के किसी अन्य वैधानिक प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित, मान्यता प्राप्त या प्राधिकृत हो, के द्वारा प्रत्यायित विदेशी शैक्षणिक संस्थान से समकक्ष उपाधि होना चाहिए।
- 1.2 प्रवेश हेतु अहर्ता में 5 प्रतिशत की छुट अर्थात् 55 प्रतिशत अंक के स्थान पर 50 प्रतिशत अंक या ग्रेड में समकक्ष छुट उस वर्ग के अभ्यर्थियों को उपलब्ध होगी जो संबंधित आयोग द्वारा समय-समय पर लिए गए निर्णय के अनुसार अजा/अजजा/अपिव (non creamy layer)/दिव्यांग या (differantlyabled) अन्य विशेष वर्ग से संबंधित है या यह छुट ऐसे अभ्यर्थियों को भी प्राप्त होगी जिनके द्वारा स्नातकोत्तर उपाधि 19 सितम्बर 1991 से पूर्ण अर्जित कर ली गई थी। कुल 55 प्रतिशत के अहर्ता प्राप्तांक (या प्वाइंट स्केल पर समकक्ष ग्रेड जहाँ कहीं ग्रेडिंग विधि प्रचलित हो) पर 5 प्रतिशत की छुट केवल प्राप्तांक पर ही आधारित होगी जिसमें कृपांक (grace marks) शामिल नहीं किए जावेंगे।

2. कार्यक्रम की अवधि :

- 2.1 एम.फिल. कार्यक्रम न्यूनतम दो लगातार सेमेस्टर/एक वर्ष और अधिकतम चार (4) लगातार सेमेस्टर/दो वर्ष के लिए होगा।
- 2.2 उपरोक्त सीमाओं से परे अपवादित मामलों में शोध परामर्श कमेटी के अनुशंसा एवं शैक्षणिक परिषद के अनुमोदन से विस्तारण दिया जायेगा।
- 2.3 महिला अभ्यर्थियों एवं दिव्यांगों (40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता) को अधिकतम अवधि में एम.फिल. हेतु एक वर्ष की छुट दी जा सकेगी। इसके अतिरिक्त महिला अभ्यर्थियों को एम.फिल. की संपूर्ण अवधि में 240 दिनों तक के लिए एक बार मातृत्व अवकाश/शिशु देखभाल अवकाश प्रदान किया जायेगा।

3. प्रवेश हेतु प्रक्रिया :

- 3.1 विश्वविद्यालय स्वयं के द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से एम.फिल. के विद्यार्थियों को प्रवेश देगा।
- 3.2 विश्वविद्यालय
- (एक) स्कॉलर-शिक्षक अनुपात (पैरा 4.5 में यथा दर्शित) प्रयोगशाला, पुस्तकालय एवं ऐसी अन्य सुविधाओं संबंधी मापदण्डों को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध शोध पर्यवेक्षकों की संख्या एवं अन्य शैक्षणिक तथा उपलब्ध भौतिक सुविधाओं के आधार पर प्रवेश दिये जाने वाले एम.फिल. स्कॉलरों की संख्या का पूर्व निर्धारण एवं प्रबंधन के लिये अपने विद्या परिषद् के माध्यम से वार्षिक आधार पर निर्णय करेगा।
- (दो) प्रवेश के लिये सीटों की संख्या उपलब्ध सीटों के विषय/संकायवार वितरण, प्रवेश के लिये मानदण्ड, प्रवेश के लिये प्रक्रिया, परीक्षा केन्द्र जहां परीक्षा आयोजित किया जायेगा एवं अभ्यर्थी के हित के सभी अन्य सुसंगत जानकारी को संस्थान के वेबसाइट में अग्रिम में तथा कम से कम दो राष्ट्रीय समाचार पत्रों में जिसमें से कम से कम एक क्षेत्रीय भाषा में हो, में विज्ञापन के माध्यम से अधिसूचित करेगा।
- (तीन) राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय आरक्षण नीति जैसा कि लागू हो का अनुसरण किया जायेगा।
- 3.3 विश्वविद्यालय दो चरण प्रक्रिया के माध्यम से अभ्यर्थियों को प्रवेश देगा:
- (एक) प्रवेश परीक्षा में अभ्यर्थियों को न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। प्रवेश परीक्षा का पाठ्यक्रम शोध पद्धति शास्त्र का 50 प्रतिशत तथा विशेषीकृत विषय में 50 प्रतिशत से मिलकर बनेगा। प्रवेश परीक्षा अग्रिम में अधिसूचित कर (केन्द्र में परिवर्तन यदि कोई हो तो भी अग्रिम में अधिसूचित करना होगा) आयोजित की जायेगी।
- (दो) अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा विधिवत रूप से गठित विभागीय शोध समिति के समक्ष आयोजित साक्षात्कार/मौखिक कार्यक्रम में अपनी शोध अभिरूची/शोध क्षेत्र पर प्रस्तुति देना लेगी।
- 3.4 साक्षात्कार/मौखिकी में निम्नलिखित पक्षों पर भी विचार किया जायेगा जैसे, क्या :
- (एक) अभ्यर्थी प्रस्तावित शोध हेतु सक्षमता रखता है।
- (दो) शोध कार्य संस्थान/महाविद्यालय में उपयुक्त रूप से किया जा सकेगा।
- (तीन) शोध का प्रस्तावित क्षेत्र नये/अतिरिक्त ज्ञान के लिये योगदान कर सकता है।
4. शोध पर्यवेक्षक का आबंटन : शोध पर्यवेक्षक, सह-पर्यवेक्षक, पर्यवेक्षकों के अनुसार अनुज्ञेय एम.फिल. स्कॉलर के नाम आदि के लिए पात्रता मानदण्ड।

- 4.1 निर्दिष्ट जनरल में कम से कम पांच प्रकाशन के साथ विश्वविद्यालय/महाविद्यालय माने गये विश्वविद्यालय/संस्थान के किसी नियमित प्रोफेसर तथा निर्दिष्ट जर्नल में कम से कम दो शोध प्रकाशन सहित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के रूप में माने गये विश्वविद्यालय/संस्थान के किसी पी.एच.डी. उपाधि प्राप्त नियमित सह/सहायक प्रोफेसर को शोध पर्यवेक्षक के रूप में मान्यता दी जा सकेंगी। परन्तु क्षेत्र/संकाय जहां निर्दिष्ट जर्नल की संख्या न हो या केवल सीमित संख्या हो तो संस्थान लिखित में कारणों को लेखबद्ध करते हुए शोध पर्यवेक्षक के रूप में व्यक्ति की मान्यता के लिये उपरोक्त शर्त को शिथिल कर सकेगा।
- 4.2 केवल विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय के रूप में माने गये संस्थान/महाविद्यालय के पूर्णकालिक नियमित शिक्षक ही पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करेंगे। बाह्य पर्यवेक्षक को अनुमति नहीं होगी। तथापि सह-पर्यवेक्षक को शोध सलाहकार समिति के अनुमोदन से उसी संस्थान के अन्य विभाग में अथवा अन्य संबंधित संस्थान को अंतरानुशासनिक क्षेत्रों में अनुमति होगी।
- 4.3 चयनित शोध स्कॉलर के लिये शोध पर्यवेक्षक का आबंटन संबंधित विभाग द्वारा प्रत्येक शोध पर्यवेक्षक पर स्कॉलरों की संख्या पर्यवेक्षकों के बीच उपलब्ध विशेषज्ञता तथा साक्षात्कार/मौखिकी के समय उनके द्वारा यथा दर्शित स्कॉलरों के शोध में अभिरूचि के आधार पर किया जायेगा।
- 4.4 ऐसे मामलों में जिसमें अंतरानुशासनिक प्रकृति का शीर्षक हो जहां संबंधित विभाग महसूस करता हो कि विभाग में विशेषज्ञता बाहर से अनुपूरित किया जाये विभाग स्वयं से शोध पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर सकेगा जो शोध पर्यवेक्षक के रूप जाना जायेगा एवं बाह्य विभाग/संकाय/महाविद्यालय/संस्थान से ऐसे निबंधन और शर्त पर जैसा कि संस्थान/महाविद्यालयों की सहमति से विनिर्दिष्ट एवं सहमत हो नियुक्त हो सकेगा।
- 4.5 कोई शोध पर्यवेक्षक/सह-पर्यवेक्षक जो प्रोफेसर है दिये गये समय बिन्दु में तीन (3) एम.फिल. स्कॉलरों से अधिक को गार्ड नहीं कर सकेगा। शोध पर्यवेक्षक के रूप में सहायक प्रोफेसर अधिकतम एक (1) तक एम.फिल. स्कॉलर को गार्ड कर सकेगा।
- 4.6 विवाह या अन्यथा के कारण किसी एम.फिल. महिला स्कॉलर के स्थान परिवर्तन की दशा में विश्वविद्यालय जिसमें स्कॉलर स्थान परिवर्तन हेतु इच्छुक है, में शोध डाटा स्थानांतरित करने की अनुमति दी जायेगी परन्तु इन नियमों में सभी अन्य शर्तों का अक्षरशः अनुपालन होता है किया जायेगा एवं शोध कार्य, मूल संस्था/मूल पर्यवेक्षक द्वारा/स्वयं किसी फंडिंग एजेंसी से प्राप्त परियोजना से संबंधित नहीं हो। तथापि स्कॉलर स्थान परिवर्तन से पूर्व में किये गये शोध के भाग के लिए मूल गार्ड एवं मूल संस्था को विधिवत् क्षेय देगा।

5. पाठ्यक्रम कार्य – अपेक्षित क्रेडिट संख्या अवधि, पाठ्यक्रम पूर्णता हेतु न्यूनतम मानक आदि।

5.1 एम.फिल. पाठ्यक्रम कार्य को समनुदेशित क्रेडिट न्यूनतम 08 क्रेडिट एवं अधिकतम 16 क्रेडिट होगा।

5.2 पाठ्यक्रम कार्य को एम.फिल. की तैयारी के लिये पूर्वापेक्षा के रूप में माना जायेगा। न्यूनतम चार क्रेडिट शोध पद्धतिशास्त्र पर एक या अधिक पाठ्यक्रमों के लिए समनुदेशित किया जायेगा। जिसमें ऐसे क्षेत्र हो सकेंगे जैसे कि परिभाषात्मक रीति, कम्प्यूटर एप्लीकेशन, सुसंगत क्षेत्र में शोध आचार एवं प्रकाशित शोध की समीक्षा प्रशिक्षण क्षेत्र कार्य आदि होंगे। अन्य पाठ्यक्रम, एम. फिल. की उपाधि के लिये तैयारी करने वाले विद्यार्थियों हेतु उच्च स्तरीय पाठ्यक्रम होगा।

5.3 एम.फिल. पाठ्यक्रम कार्य हेतु विहित सभी पाठ्यक्रम क्रेडिट घंटे अनुदेशात्मक (शैक्षणिक) आवश्यकता के सुसंगत होंगे एवं विषयवस्तु शैक्षणिक और निर्धारण रीति, विनिर्दिष्ट करेंगे जो प्राधिकृत शैक्षणिक निकाय द्वारा विधिवत अनुमोदित होंगे।

5.4 विभाग जहां स्कॉलर अपने शोध का अनुशीलन करता है, के द्वारा शोध सलाहकार समिति की अनुशंसा पर स्कालर के लिये पाठ्यक्रम विहित करेगा जैसा कि नीचे दी गई उप-खण्ड 8.1 के अधीन नियत है।

5.5 एम.फिल. कार्यक्रम में प्रवेशित सभी अभ्यर्थियों से आरंभिक एक या दो सेमेस्टर के दौरान विभाग द्वारा विहित पाठ्यक्रम कार्य पूर्ण करने की अपेक्षा की जायेगी।

5.6 शोध पद्धति शास्त्र पाठ्यक्रम सहित कार्य में ग्रेड का शोध सलाहकार समिति एवं विभाग द्वारा संयुक्त निर्धारण किया जाकर अंतिम रूप दिया जायेगा तथा अंतिम ग्रेड संस्था/महाविद्यालय को संसूचित किया जायेगा।

5.7 पाठ्यक्रम में निरंतर पात्र होने के लिये पाठ्यक्रम कार्य में यूजीसी 7 पाइंट स्केल में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक या इसके समकक्ष श्रेणी एम.फिल. स्कॉलर को अभिप्राप्त करना होगा तथा शोध निबंध/थीसिस प्रस्तुत करना होगा।

6. शोध सलाहकार समिति और इसके कार्य –

6.1 प्रत्येक एम.फिल. स्कॉलर के लिये एक शोध सलाहकार समिति होगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे—

- (एक) कुलपति या उसका नामिति
- (दो) संबंधित संकाय का संस्था प्रमुख
- (तीन) संबंधित विषय में विश्वविद्यालय अध्यापन विभाग का प्रमुख
- (चार) संबंधित विषय के अध्ययन मंडल को अध्यक्ष
- (पांच) अध्ययन मंडल के अध्यक्ष द्वारा दिये गये पांच विशेषज्ञों के पैनल में से कुलपति द्वारा नियुक्त विश्वविद्यालय के प्रोफेसर की श्रेणी का एक बाह्य विषय विशेषज्ञ।

बाह्य विशेषज्ञ एवं दो अन्य सदस्यों से गण पूर्ति होगी।

टीप :-

1. पर्यवेक्षक के अनुरोध पर कुलपति उसे अनुमति दे सकेगा कि यह आर.डी.सी. बैठक में उस अभ्यर्थी के मौखिक प्रस्तुति के दौरान अवलोकनकर्ता के रूप में उपस्थित रहें।
 2. शोध उपाधि समिति की बैठक में उपस्थिति के लिए अभ्यर्थी एवं पर्यवेक्षक को कोई वाहन भत्ता एवं महंगाई भत्ता देय नहीं होगा।
(छः) स्कॉलर का शोध पर्यवेक्षक इस समिति का अयोजक होगा। इस समिति के पास निम्नलिखित दायित्व होंगे।
- (क) शोध प्रस्ताव की समीक्षा करना एवं शोध के शीर्षक को अंतिम रूप देना।
- (ख) अध्ययन रूपरेखा एवं शोध पद्धतिशास्त्र का विकास करने के लिए शोध स्कॉलर को गाइड करना एवं पाठ्यक्रम जिसमें वह करना चाहता है, का चिन्हांकन करना।
- (ग) शोध स्कॉलर को शोध कार्य की प्रगति की सवधिक समीक्षा करना एवं उसमें सहायता करना।
- 6.2 शोध स्कॉलर, मूल्यांकन एवं अग्रसर मार्गदर्शन के लिए उसके कार्य की प्रगति प्रस्तुति के लिए 6 माह में एक बार शोध सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित होगा। छःमाही प्रगति रिपोर्ट, शोध स्कॉलर को एक प्रति सहित, संस्थान/महाविद्यालय को शोध सलाहकार समिति द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा।
- 6.3 यदि शोध स्कॉलर की प्रगति असंतोषजनक है तो शोध सलाहकार समिति उसके लिये कारण अभिलिखित करेगी और उपयुक्त उपयों हेतु सुझाव देगी। यदि शोध स्कॉलर इन उपयुक्त उपयों को क्रियान्वित करने में असफल रहता है तो शोध

- सलाहकार समिति शोध स्कॉलर के पंजीयन को रद्द करने के लिये विशिष्ट रूप से कारण दर्शाते हुए विश्वविद्यालय को अनुशंसा कर सकेगी।
- 6.4 शोध निबंध/थीसिस के प्रस्तुति के पूर्व, स्कॉलर संबंधित संस्थान के शोध सलाहकार समिति के समक्ष विभाग में प्रस्तुति देगा। जो सभी सदस्यों एवं अन्य शोध स्कॉलरों के लिए खुला रहेगा। उनसे प्राप्त फीडबैक एवं टिप्पणी को सलाहकार समिति से परामर्श कर शोध निबंध/थीसिस प्रारूप में उपयुक्त रूप से निगमित कर सकेगा।
- 6.5 एम.फिल. स्कॉलर/ सम्मेलन/सेमीनार में कम से कम एक शोध पेपर में उपस्थित रहेगा तथा निर्णय के लिये शोध निबंध/थीसिस की प्रस्तुति के पूर्व सम्मेलन/सेमीनार में दो पेपर में प्रस्तुति देगा। प्रस्तुति प्रमाणपत्र और/या पुनः मुद्रण के रूप में उसके लिये सदस्य प्रस्तुत करेगा।
- 6.6 विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् बेहतर विकसित साफ्टवेयर प्रयुक्त यंत्र एवं साहित्यिक चोरी को तथा शैक्षिक बेइमानी के अन्य रूप को पकड़ने वाले गैजेट शामिल करेगा। मूल्यांकन के लिये प्रस्तुति के समय शोध निबंध/थीसिस के लिए शोध स्कॉलर से वचन पत्र तथा शोध पर्यवेक्षक से कार्य प्रत्ययन की मूलता की सत्यता के वचन स्वरूप प्रमाणपत्र लिये जावेगे कि यह साहित्यिक चोरी नहीं है तथा उस संस्थान जहां वह कार्य क्रियान्वित किया गया है या किसी अन्य संस्थान में किसी अन्य उपाधि / पत्रोपाधि प्रदान करने हेतु यह कार्य पूर्व में प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- 6.7 शोध स्कॉलर द्वारा प्रस्तुत एम.फिल. शोध निबंध का मूल्यांकन उसके शोध पर्यवेक्षक द्वारा और कम से कम एक बाह्य परीक्षक जो महाविद्यालय के नियोजन में न हो के द्वारा किया जायेगा। मूल्यांकन रिपोर्ट में दी गई आलोचना पर, किन्हीं अन्य बातों के आधार पर, मौखिक परीक्षा उसमें से दोनों द्वारा आयोजित की जायेगी तथा शोध सलाहकार समिति के सदस्य, विभाग के सभी संकाय सदस्य, अन्य शोध स्कॉलर एवं अन्य रुचि रखने वाले विशेषज्ञों/शोधकर्ताओं की उपस्थिति के लिये खुला रहेगा।
- 6.8 शोध निबंध/थीसिस के परिरक्षण के लिये शोध स्कॉलर का सार्वजनिक मौखिकी परीक्षा संचालित की जायेगी यदि शोध निबंध/थीसिस पर बाह्य परीक्षकों के द्वारा प्रस्तुत मूल्यांकन रिपोर्ट संतुष्टि पूर्ण हो तथा मौखिकी परीक्षा संचालन के लिए विशिष्ट अनुशंसा शामिल है। यदि एम.फिल शोध निबंध के मामले में बाह्य परीक्षक की मूल्यांकन रिपोर्ट असंतुष्टि पूर्ण है तथा मौखिकी की अनुशंसा नहीं की गई है तो विश्वविद्यालय परीक्षकों के अनुमोदित पैनल में से दूसरे बाह्य परीक्षक को शोध निबंध भेजेगा तथा मौखिकी परीक्षा तभी आयोजित की जायेगी

यदि अंतिम परीक्षक का रिपोर्ट संतुष्टि पूर्वक है। यदि अंतिम परीक्षक की रिपोर्ट असंतुष्टि पूर्व है तो शोध निबंध/थीसिस निरस्त कर दी जायेगी और शोध स्कॉलर को उपाधि प्राप्त करने के लिए अपात्र घोषित कर दिया जायेगा।

6.9 विश्वविद्यालय ऐसी युक्तियुक्त पद्धति विकसित करेगा जिससे शोध निबंध/थीसिस के प्रस्तुति की तिथि से 6 माह की अवधि के भीतर एम.फिल. शोध निबंध के मूल्यांकन की संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण हो सके।

7. दूरस्थ पद्धति/अंशकालीन माध्यम से एम.फिल. का संचालन

7.1 इन विनियमों का तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य नियम या विनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी विश्वविद्यालय दूरस्थ पद्धति पर एम.फिल. कार्यक्रम संचालित नहीं करेगा।

8. इन्फलिबनेट के साथ निक्षेपागार

8.1 मूल्यांकन प्रक्रिया के सफलतापूर्वक पूर्ण करने एवं एम.फिल. उपाधि के अवार्ड के घोषित होने के पूर्व, संबंधित संस्थान उसी की मेजबानी के लिए इन्फलिबनेट को एम.फिल. शोध निबंध की इलेक्ट्रॉनिक प्रति ऐसे प्रस्तुत करेगा जिससे सभी संस्थान/महाविद्यालय के लिये अवलोकन सुगम हो।

8.2 उपाधि के वास्तविक अवार्ड के पूर्व इस आशय का अनंतिम प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय जारी करेगा कि उपाधि, यूजीसी विनियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रदान किया गया है।

अध्यादेश – 47

डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (पी.एच.डी.)

1. पी.एच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता मानदण्ड
इन विनियमों में नियत शर्तों के अधीन रहते हुए निम्नलिखित व्यक्ति पी.एच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश होने हेतु पात्र है—
 - 1.1 पी.एच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि अथवा तत्संबंधी वैधानिक विनियामक निकाय द्वारा स्नातकोत्तर उपाधि के समतुल्य घोषित व्यवसायिक उपाधि के साथ-साथ कुल न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक या यूजीसी 7 पाइंट स्केल में उसका समकक्ष श्रेणी (या पाइंट स्केल में समकक्ष ग्रेड जब कभी भी ग्रेडिंग पद्धति का अनुपालन किया जाता हो) या मूल्यांकन प्रत्यायन एजेंसी शैक्षणिक संस्थाओं के गुणवत्ता एवं मानक के निर्धारण, प्रत्यायन या प्रत्याभूत करने के प्रयोजन के लिए स्वदेश में विधि के अधीन स्थापित या निगमित प्राधिकारी द्वारा अथवा उस देश के किसी अन्य वैधानिक प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित, मान्यता प्राप्त या प्राधिकृत हो, के द्वारा प्रत्यायित विदेशी शैक्षणिक संस्थान से समकक्ष उपाधि होना चाहिए।
प्रवेश हेतु अहर्ता में 5 प्रतिशत की छूट अर्थात् 55 प्रतिशत अंक के स्थान पर 50 प्रतिशत अंक या ग्रेड में समकक्ष छूट उस वर्ग के अभ्यर्थियों को उपलब्ध होगी जो संबंधित आयोग द्वारा समय-समय पर लिए गए निर्णय के अनुसार अजा/अजजा/अपिव (non creamy layer)/दिव्यांग या (differantlyabled) अन्य विशेष वर्ग से संबंधित है या यह छूट ऐसे अभ्यर्थियों को भी प्राप्त होगी जिनके द्वारा स्नातकोत्तर उपाधि 19 सितम्बर 1991 से पूर्ण अर्जित कर ली गई थी। कुल 55 प्रतिशत के अहर्ता प्राप्तांक (या प्वाइंट स्केल पर समकक्ष ग्रेड जहाँ कहीं ग्रेडिंग विधि प्रचलित हो) पर 5 प्रतिशत की छूट केवल प्राप्तांको पर ही आधारित होगी जिसमें कृपांक (grace marks) शामिल नहीं किए जावेंगे ।
 - 1.2 अभ्यर्थियों जो कुल न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक या यूजीसी 7 पाइंट स्केल में उसका समकक्ष श्रेणी (या पाइंट स्केल में समकक्ष ग्रेड जब कभी भी ग्रेडिंग पद्धति का अनुपालन किया जाता हो) एम.फिल. पाठ्यक्रम कार्य उत्तीर्ण हो तथा जो एम. फिल. उपाधि सफलता पूर्वक पूरा करता हो वह एकीकृत कार्यक्रम में उसी संस्था में पी.एच.डी. उपाधि शोध कार्य करने हेतु पात्र होगा।
55 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक, 5 प्रतिशत अंकों की छूट या श्रेणी के समकक्ष छूट, आयोग के समय-समय पर किये निर्णयों के अनुसार अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./ (गैर क्रीमिलेयर)/दिव्यांग एवं अन्य प्रवर्ग से संबंधित अभ्यर्थियों के लिये अनुज्ञात किया जा सकेगा।

- 1.3 व्यक्ति जिसने एम.फिल. शोध निबंध मूल्यांकित किया है एवं मौखिकी लंबित है, उसी संस्थान के पी.एचडी. कार्यक्रम में प्रवेश ले सकेगा।
- 1.4 अभ्यर्थी, जो भारतीय संस्थान के एम.फिल. उपाधि के समकक्ष विचारणीय उपाधि, मूल्यांकन एवं प्रत्यायन एजेंसी जो शैक्षणिक संस्थाओं के गुणवत्ता एवं मानक के निर्धारण प्रत्यायन या प्रत्याभूत करने के प्रयोजन के लिए स्वदेश में विधि के अधीन स्थापित या निगमित प्राधिकारी द्वारा अथवा उस देश के किसी अन्य वैधानिक प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित, मान्यता प्राप्त या प्राधिकृत हो, के द्वारा प्रत्यायित विदेशी शैक्षणिक संस्थान से होना चाहिए, पी.एचडी. कार्यक्रम में प्रवेश के लिये पात्र होंगे।

2. कार्यक्रम की अवधि :

- 2.1 पी.एचडी. कार्यक्रम न्यूनतम दो लगातार सेमेस्टर/एक वर्ष और अधिकतम चार (4) लगातार सेमेस्टर/दो वर्ष के लिए होगा।
- 2.2 उपरोक्त सीमाओं से परे अपवादित मामलों में शोध परामर्श कमेटी के अनुशंसा एवं शैक्षणिक परिषद के अनुमोदन से विस्तारण दिया जायेगा।
- 2.3 महिला अभ्यर्थियों एवं दिव्यांगों (40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता) को अधिकतम अवधि में पी.एचडी. हेतु एक वर्ष की छूट दी जा सकेगी। इसके अतिरिक्त महिला अभ्यर्थियों को पी.एचडी. की संपूर्ण अवधि में 240 दिनों तक के लिए एक बार मातृत्व अवकाश/शिशु देखभाल अवकाश प्रदान किया जायेगा।

3. प्रवेश हेतु प्रक्रिया :

- 3.1 विश्वविद्यालय स्वयं के द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से पी.एचडी. के विद्यार्थियों को प्रवेश देगा। विश्वविद्यालय का शासी परिषद् उन विद्यार्थियों जो यूजीसी-नेट (जेआरएफ सहित)/यूजीसी-सीएसआईआर नेट (जेआरएफ सहित)/स्लेट/गेट/शिक्षक फलोशिप धारक या एम.फिल. कार्यक्रम उत्तीर्ण के लिये पृथक से निबंधन एवं शर्तें विनिश्चित करेगा।
- 3.2 विश्वविद्यालय
 - 3.2.1 स्कॉलर-शिक्षक अनुपात (4.5 में यथा दर्शित), प्रयोगशाला, पुस्तकालय एवं ऐसी अन्य सुविधाओं संबंधी मापदण्डों को ध्यान में रखते हुये उपलब्ध शोध पर्यवेक्षकों की संख्या एवं अन्य शैक्षणिक तथा उपलब्ध भौतिक सुविधाओं के आधार पर प्रवेश दिये जाने वाले पी.एचडी. स्कॉलरों की संख्या का पूर्व निर्धारण एवं प्रबंधन के लिये अपने शासी परिषद् के माध्यम से वार्षिक आधार पर निर्णय करेगा।
 - 3.2.2 प्रवेश के लिये सीटों की संख्या उपलब्ध सीटों के विषय/संकायवार वितरण प्रवेश के लिये मानदण्ड, प्रवेश के लिये प्रक्रिया परीक्षा केन्द्र जहां परीक्षा आयोजित किया जायेगा एवं अभ्यर्थी के हित के सभी अन्य सुसंगत जानकारी को संस्थान के वेबसाइट में अग्रिम में तथा कम से कम दो राष्ट्रीय समाचार

पत्रों में जिसमें से कम से कम एक क्षेत्रीय भाषा में हो, में विज्ञापन के माध्यम से अधिसूचित करेगा।

3.2.3 राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय आरक्षण नीति जैसा कि लागू हो, का अनुसरण किया जायेगा।

3.3 प्रवेश यूजीसी एवं तत्संबंधी अन्य वैधानिक निकायों द्वारा इस संबंध में जारी निर्देशों/मानकों को ध्यान में रखते हुये विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित मानदण्ड पर आधारित होंगे तथा केन्द्र/राज्य शासन की आरक्षण नीतियों को ध्यान में रखा जायेगा।

3.4 विश्वविद्यालय, दो चरण प्रक्रिया के माध्यम से अभ्यर्थियों को प्रवेश देगा।

(एक) प्रवेश परीक्षा में अभ्यर्थियों को न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अर्जित करने होंगे। प्रवेश परीक्षा का पाठ्यक्रम शोध पद्धति शास्त्र का 50 प्रतिशत तथा विशेषीकृत विषय में 50 प्रतिशत से मिलकर बनेगा। प्रवेश परीक्षा अग्रिम में अधिसूचित कर केन्द्र में (केन्द्र में परिवर्तन यदि कोई हो तो भी अग्रिम में अधिसूचित करना होगा) आयोजित की जायेगी।

(दो) अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा विधिवत रूप से गठित विभागीय शोध समिति के समक्ष आयोजित साक्षात्कारों/मौखिकी कार्यक्रम में अपनी शोध अभिरूची/क्षेत्र पर प्रस्तुति देनी होगी।

3.5 साक्षात्कार/मौखिकी में निम्नलिखित पक्षों पर भी विचार किया जायेगा, जैसे, क्या—

(एक) अभ्यर्थी प्रस्तावित शोध हेतु सक्षमता रखता है,

(दो) शोध कार्य संस्थान/महाविद्यालय में उपयुक्त रूप से किया जा सकेगा।

(तीन) शोध का प्रस्तावित क्षेत्र नये/अतिरिक्त ज्ञान के लिये योगदान कर सकता है।

3.6 विश्वविद्यालय वर्गवार के आधार पर सभी पी.एच.डी. पंजीकृत विद्यार्थियों की सूची संधारित करेगा। सूची में पंजीकृत अभ्यर्थियों के नाम, नामांकन/पंजीकरण का दिनांक सम्मिलित होगा।

4. शोध पर्यवेक्षक का आबंटन— शोध पर्यवेक्षक, सह-पर्यवेक्षक के अनुसार अनुज्ञेय पी. एच.डी. स्कॉलर के नाम आदि के लिए पात्रता मानदण्ड।

4.1 निर्दिष्ट जर्नल में कम से कम पांच शोध प्रकाशन के साथ विश्वविद्यालय/महाविद्यालय माने गये विश्वविद्यालय/संस्थान के किसी नियमित प्रोफेसर तथा पी.एच.डी. उपाधि तथा निर्दिष्ट जर्नल में कम से कम दो शोध प्रकाशन सहित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के रूप में माने गये विश्वविद्यालय/संस्थान के किसी पी.एच.डी. उपाधि प्राप्त नियमित सह/सहायक प्रोफेसर को शोध पर्यवेक्षक के रूप में मान्यता दी जा सकेगी। परंतु क्षेत्र/संकाय जहां निर्दिष्ट जर्नल की संख्या न हो या केवल सीमित

- संख्या हो तो संस्थान लिखित के कारणों को लेखबद्ध करते हुए शोध पर्यवेक्षक के रूप में व्यक्ति की मान्यता के लिये उपरोक्त शर्त को शिथिल कर सकेगा।
- 4.2 केवल विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय के रूप में माने गये संस्थान/महाविद्यालय के केवल पूर्णकालिक नियमित शिक्षक ही पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करेंगे। बाह्य पर्यवेक्षक को अनुमति नहीं होगी। तथापि सह-पर्यवेक्षक को शोध सलाहकार समिति के अनुमोदन से उसी संस्थान के अन्य विभाग अथवा अन्य संबंधित संस्थान के अंतरानुशासनिक क्षेत्रों में अनुमति होगी।
- 4.3 चयनित शोध स्कॉलर के लिये शोध पर्यवेक्षक का आबंटन संबंधित विभाग द्वारा पर प्रत्येक शोध पर्यवेक्षक पर स्कॉलरों की संख्या पर्यवेक्षकों के बीच उपलब्ध विशेषज्ञता तथ साक्षात्कार मौखिकी के समय उनके द्वारा यथा दर्शित स्कॉलरों के शोध में अभिरुचि के आधार पर किया जायेगा।
- 4.4 ऐसे मामलों में जिसमें अंतरानुशासनिक प्रकृति का शीर्षक हो जहां संबंधित विभाग महसूस करता हो कि विभाग में विशेषज्ञता बाहर से अनुपूरित किया जाये, विभाग स्वयं से शोध पर्यवेक्षक की नियुक्ति कर सकेगा, जो शोध पर्यवेक्षक के रूप जाना जायेगा एवं बाह्य विभाग/संकाय/महाविद्यालय/संस्थान से ऐसे निबंधन और शर्त पर जैसा कि संस्थान/महाविद्यालयों की सहमति से विनिर्दिष्ट एवं सहमत हो, नियुक्त हो सकेगा।
- 4.5 कोई शोध पर्यवेक्षक/सह-पर्यवेक्षक जो प्रोफेसर है दिये गये समय बिन्दु में आठ (8) पी.एचडी. स्कॉलरों से अधिक को गार्ड नहीं कर सकेगा। शोध पर्यवेक्षक के रूप में सह-प्रोफेसर अधिकतम छः(6) तक पी.एचडी. स्कॉलरों को गार्ड कर सकेगा तथा शोध पर्यवेक्षक के रूप में सहायक प्रोफेसर अधिकतम चार (4) तक पी.एचडी. स्कॉलर को गार्ड कर सकेगा।
- 4.6 विवाह या अन्यथा के कारण किसी पी.एचडी. महिला स्कॉलर के स्थान परिवर्तन की दशा में विश्वविद्यालय जिसमें स्कॉलर स्थान परिवर्तन हेतु इच्छा रखता है में शोध डाटा स्थानांतरित करने की अनुमति दी जायेगी परंतु इन नियमों में सभी अन्य शर्तों का अनुपालन अक्षरशः किया जायेगा एवं शोध कार्य मूल संस्था/मूल पर्यवेक्षक द्वारा स्वयं किसी फंडिंग एजेंसी से प्राप्त परियोजना से संबंधित नहीं हो। तथापि स्कॉलर पूर्व में किये गये शोध के भाग के लिये मूल गार्ड एवं संस्था को विधिवत् क्रेडिट देगा।
5. पाठ्यक्रम कार्य :-अपेक्षित क्रेडिट, संख्या, अवधि, पाठ्यक्रम पूर्णता हेतु न्यूनतम मानक आदि।
- 5.1 पी.एचडी. पाठ्यक्रम कार्य को समनुदेशित क्रेडिट न्यूनतम 08 क्रेडिट एवं अधिकतम 16 क्रेडिट होगा।

- 5.2 पाठ्यक्रम कार्य को पी.एचडी. की तैयारी के लिये पूर्वापेक्षा के रूप में माना जायेगा। न्यूनतम चार क्रेडिट शोध पद्धतिशास्त्र पर एक या अधिक पाठ्यक्रमों के लिये समनुदेशित किया जायेगा। जिसमें ऐसे क्षेत्र हों सकेंगे जैसे कि परिमाणात्मक रीति, कम्प्यूटर एप्लीकेशन, सुसंगत क्षेत्र में शोध आचार एवं प्रकाशित शोध की समीक्षा प्रशिक्षण क्षेत्र कार्य आदि होंगे। अन्य पाठ्यक्रम पी.एचडी. की उपाधि के लिये तैयारी करने वाले विद्यार्थियों हेतु उच्च स्तरीय पाठ्यक्रम होगा।
- 5.3 पी.एचडी. पाठ्यक्रम कार्य हेतु विहित सभी पाठ्यक्रम क्रेडिट घंटे अनुदेशात्मक (शैक्षणिक) आवश्यकता के सुसंगत होंगे एवं विषयवस्तु शैक्षणिक और निर्धारण रीति विनिर्दिष्ट करेंगे। प्राधिकृत शैक्षणिक निकाय द्वारा विधिवत अनुमोदित होंगे।
- 5.4 विभाग जहां स्कॉलर अपने शोध का अनुशीलन करता है, के द्वारा शोध सलाहकार समिति की अनुशंसा पर स्कॉलर के लिये पाठ्यक्रम विहित करेगा। जैसा कि नीच दी गई उप-खण्ड 8.1 के अधीन नियत है।
- 5.5 पी.एचडी. कार्यक्रम में प्रवेशित सभी अभ्यर्थियों से आरंभिक एक या दो सेमेस्टर के दौरान विभाग द्वारा विहित पाठ्यक्रम कार्य पूर्ण करने की अपेक्षा की जायेगी।
- 5.6 पहले से एम.फिल. उपाधि धारक अभ्यर्थी जिन्हें पी.एचडी. पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त हो गया है अथवा जिन्होंने पूर्व से ही एम.फिल. में पाठ्यक्रम कार्य पूर्ण कर लिया है तथा जिन्हें पी.एचडी. एकीकृत पाठ्यक्रम में प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई है उन्हें विभाग द्वारा पी.एचडी. पाठ्यक्रम कार्य में छूट प्रदान की जा सकती है। अन्य सभी अभ्यर्थी जिन्हें पी.एचडी. पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया गया है उन्हें विभाग द्वारा विहित पी.एचडी. पाठ्यक्रम कार्य को पूर्ण करना अपेक्षित होगा।
- 5.7 शोध पद्धति शास्त्र पाठ्यक्रम सहित पाठ्यक्रम कार्य में ग्रेड का शोध सलाहकार समिति एवं विभाग द्वारा संयुक्त निर्धारण किया जाकर अंतिम रूप दिया जायेगा तथा अंतिम ग्रेड संस्था/महाविद्यालय को संसूचित किया जायेगा।
- 5.8 पाठ्यक्रम में निरंतर पात्र होने के लिए पाठ्यक्रम कार्य में यूजीसी 7 पाईट स्केल में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक या इसके समकक्ष श्रेणी पी.एचडी. स्कॉलर को अभिप्राप्त करना होगा तथा शोध निबंध/थीसिस प्रस्तुत करना होगा।
6. शोध सलाहकार समिति और इसके कार्य –

6.1 प्रत्येक पी.एचडी. स्कॉलर के लिये एक शोध सलाहकार समिति होगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे—

(एक) कुलपति या उसका नामित

(दो) संबंधित संकाय का संस्था प्रमुख

(तीन) संबंधित विषय में विश्वविद्यालय अध्यापन विभाग का प्रमुख

(चार) संबंधित विषय के अध्ययन मंडल के अध्यक्ष

(पांच) अध्ययन मंडल के अध्यक्ष द्वारा दिये गये पांचा विशेषज्ञों के पैनल में से कुलपति द्वारा नियुक्त विश्वविद्यालय के प्रोफेसर की श्रेणी का एक बाह्य विषय विशेषज्ञ। बाह्य विशेषज्ञ एवं दो अन्य सदस्यों से गण पूर्ति होगी।

- टीप: 1. पर्यवेक्षक के अनुरोध पर, कुलपति उसे अनुमति दे सकेगा कि वह आर. डी.सी. बैठक में उस अभ्यर्थी के मौखिक प्रस्तुति के दौरान अवलोकनकर्ता के रूप में उपस्थित रहे।
2. शोध उपाधि समिति की बैठक में उपस्थिति के लिए अभ्यर्थी एवं पर्यवेक्षक को कोई वाहन भत्ता एवं महंगाई भत्ता देय नहीं होगा। स्कॉलर का शोध पर्यवेक्षक इस समिति का आयोजक होगा।

इस समिति के पास निम्नलिखित दायित्व होंगे—

(एक) शोध प्रस्ताव की समीक्षा करना एवं शोध के शीर्षक को अंतिम रूप देगा।

(दो) अध्ययन रूपरेखा एवं शोध पद्धतिशास्त्र का विकास करने के लिए शोध स्कॉलर को गाइड करना एवं पाठ्यक्रम जिसमें वह करना चाहता है का चिन्हांकन करना।

(तीन) शोध स्कॉलर को शोध कार्य की प्रगति की सावधिक समीक्षा करना एवं उसमें सहायता करना।

6.2 शोध स्कॉलर मूल्यांकन एवं अग्रतर मार्गदर्शन के लिए उसके कार्य की प्रगति प्रस्तुति के लिए 6 माह में एक बार शोध सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित होगा। छःमाही प्रगति रिपोर्ट, शोध स्कॉलर को एक प्रति सहित संस्थान/महाविद्यालय को शोध सलाहकार समिति द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा

6.3 यदि शोध स्कॉलर की प्रगति असंतोषजनक है तो शोध सलाहकार समिति उसके लिये कारण अभिलिखित करेगी और उपयुक्त उपायों हेतु सुझाव देगी। यदि शोध स्कॉलर इन उपयुक्त उपायों को क्रियान्वित करने में असफल रहता है तो शोध सलाहकार समिति, शोध स्कॉलर का पंजीयन रद्द करने के लिये विशिष्ट रूप से कारण दर्शाते हुये विश्वविद्यालय को अनुशंसा कर सकेगी।

7 उपाधि प्रदान करने के लिये मूल्यांकन एवं निर्धारण पद्धति न्यूनतम मानक एवं क्रेडिट—

7.1 पाठ्यक्रम कार्य के संतुष्टिपूर्वक पूर्ण नहीं होने पर तथा उपखण्ड 7.8 में विहित अंक/ग्रेड प्राप्त होने पर जैसा भी स्थिति हो, पी.एचडी. स्कॉलर से शोध कार्य करने तथा इन विनियमों के अनुसार संबंधित संस्था द्वारा नियत युक्तियुक्त समय के भीतर शोध निबंध/थीसिस प्रारूप प्रस्तुत करने की अपेक्षा होगी।

7.2 शोध निबंध/थीसिस के प्रस्तुति के पूर्व, स्कॉलर, संबंधित संस्थान के शोध सलाहकार समिति के समक्ष विभाग में प्रस्तुति देगा। जो सभी संकाय सदस्यों

- एवं अन्य शोध स्कॉलरों के लिए खुला रहेगा। उनसे प्राप्त फीडबैक एवं टिप्पणी को सलाहकार समिति से परामर्श कर शोध निबंध/थीसिस प्रारूप में उपयुक्त रूप से निगमित कर सकेगा।
- 7.3 पी.एचडी. स्कॉलर सम्मेलन/सेमीनार में कम से कम एक शोध पेपर में उपस्थित रहेगा तथा निर्णय के लिये शोध निबंध/थीसिस के प्रस्तुति के पूर्व सम्मेलन/सेमीनार में दो पेपर में प्रस्तुति देगा। प्रस्तुति प्रमाणपत्र और/या पुनः मुद्रण के रूप में उसके लिये सदस्य प्रस्तुत करेगा।
- 7.4 विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् बेहतर विकसित साफ्टवेयर प्रयुक्त यंत्र एवं साहित्यिक चोरी को तथा शैक्षिक बेइमानी के अन्य रूप को पकड़ने वाले गजट शामिल करेगा। मूल्यांकन के लिये प्रस्तुति के समय शोध निबंध/थीसिस के लिए शोध स्कॉलर से वचन पत्र तथा शोध पर्यवेक्षक से कार्य प्रत्ययन की मूलता की सत्यता के वचन स्वरूप प्रमाणपत्र लिये जावेंगे कि यह साहित्यिक चोरी नहीं है तथा उस संस्थान जहां वह कार्य क्रियान्वित किया गया है या किसी अन्य संस्थान में किसी अन्य उपाधि / पत्रोपाधि प्रदान करने हेतु यह कार्य पूर्व में प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- 7.5 शोध स्कॉलर द्वारा प्रस्तुत पी.एचडी. शोध निबंध का मूल्यांकन उसके शोध पर्यवेक्षक द्वारा और कम से कम एक बाह्य परीक्षक जो संस्थान/महाविद्यालय के नियोजन में न हो के द्वारा किया जायेगा। मूल्यांकन रिपोर्ट में दी गई आलोचना पर, किन्हीं अन्य बातों के आधार पर, मौखिक परीक्षा उसमें से दोनों द्वारा आयोजित की जायेगी तथा शोध सलाहकार समिति के सदस्य, विभाग के सभी संकाय सदस्य, अन्य शोध स्कॉलर एवं अन्य रूचि रखने वाले विशेषज्ञों/शोधकर्ताओं की उपस्थिति के लिये खुला रहेगा।
- 7.6 शोध निबंध/थीसिस के परिरक्षण के लिये शोध स्कॉलर का सार्वजनिक मौखिकी परीक्षा संचालित की जायेगी यदि शोध निबंध/थीसिस पर बाह्य परीक्षकों के द्वारा प्रस्तुत मूल्यांकन रिपोर्ट संतुष्टि पूर्ण हो तथा मौखिकी परीक्षा संचालन के लिए विशिष्ट अनुशंसा शामिल है। यदि पी.एचडी. शोध निबंध के मामले में बाह्य परीक्षक का मूल्यांकन रिपोर्ट असंतुष्टि पूर्ण है तथा मौखिकी की अनुशंसा नहीं की गई है तो विश्वविद्यालय परीक्षकों के अनुमोदित पैनल में से दूसरे बाह्य परीक्षक को शोध निबंध भेजेगा तथा मौखिकी परीक्षा तभी आयोजित की जायेगी यदि अंतिम परीक्षक की रिपोर्ट संतुष्टि पूर्वक है। यदि अंतिम परीक्षक का रिपोर्ट असंतुष्टि पूर्व है तो शोध निबंध/थीसिस निरस्त कर दी जायेगी। और शोध स्कॉलर को उपाधि प्राप्त करने के लिए अपात्र घोषित कर दिया जायेगा।

7.7 विश्वविद्यालय ऐसे युक्तियुक्त पद्धति विकसित करेगा जिससे शोध निबंध/थीसिस के प्रस्तुति की तिथि से 6 माह की अवधि के भीतर पी.एचडी. शोध निबंध के मूल्यांकन की संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण हो सके।

8. दूरस्थ पद्धति/अंशकालीन माध्यम से पी.एचडी. का संचालन:

8.1 इन विनियमों का तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य नियम या विनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी विश्वविद्यालय दूरस्थ पद्धति पर पी.एचडी. कार्यक्रम संचालित नहीं करेगा।

9. इन्फलिबनेट के साथ निक्षेपागार:

9.1 मूल्यांकन प्रक्रिया के सफलतापूर्वक पूर्ण करने एवं पी.एचडी. उपाधि के अवार्ड के घोषित होने के पूर्व, संबंधित संस्थान उसी की मेजबानी(होस्ट करने) के लिए इन्फलिबनेट को पी.एचडी. शोध निबंध की इलेक्ट्रानिक प्रति ऐसे प्रस्तुत करेगा जिससे सभी संस्थान/महाविद्यालय के लिये अवलोकन सुगम हो।

9.2 उपाधि के वास्तविक अवार्ड के पूर्व इस आशय का अनंतिम प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय जारी करेगा कि उपाधि, यूजीसी विनियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रदान किया गया है।

अध्यादेश-48

डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र एवं अन्य शैक्षणिक विशिष्टियों का प्रदान किया जाना

1. अभ्यर्थी, विशिष्ट प्रमाणपत्र, डिप्लोमा या डिग्री के लिए विहित परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात्, यथास्थिति, क्रमशः उक्त प्रमाणपत्र, डिप्लोमा या डिग्री प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।
2. कुलसचिव, परिणाम घोषित होने के पश्चात् तत्काल विद्या परिषद् के समक्ष प्रमाणपत्र, डिप्लोमा या डिग्री प्रदान करने के लिए सभी सफल अभ्यर्थियों के नाम रखेगा। विद्या परिषद् द्वारा अनुमोदन होने पर अनंतिम प्रमाणपत्र, डिप्लोमा तथा डिग्री, कुलसचिव द्वारा क्रमशः अभ्यर्थियों को जारी किया जायेगा।
3. प्रमाणपत्र, डिप्लोमा, डिग्री एवं परास्नातक, एम.फिल, पी.एचडी. आदि कुलपति द्वारा हस्ताक्षरित होगा।
4. प्रमाणपत्र, डिप्लोमा, डिग्री, परास्नातक, एम.फिल, पी.एचडी या कोई अन्य विशिष्टिता/अवार्ड प्रदान करने के लिये विद्या परिषद् द्वारा अनुमोदन को प्रबंध मण्डल के समक्ष उसकी सहमति के लिये रखेगा। प्रबंध मण्डल द्वारा सहमत होने पर, डिप्लोमा, डिग्री एवं प्रमाणपत्र दीक्षांत समारोह में सफल अभ्यर्थियों को प्रदान किया जाएगा।
5. डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाणपत्र/परास्नातक/एम.फिल/पी.एचडी के नामकरण की शब्दावली, अध्यादेश क्रमांक 2 एवं संबंधित कोर्स के अध्यादेश में दर्शित विभिन्न विभागों/संस्था/केन्द्र के माध्यम से विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया जायेगा।

अध्यादेश-49

फेलोशिप, स्कालरशिप, स्टायफंड, मेडल और पुरस्कारों को प्रदान करने हेतु मापदण्ड

1. (क) विश्वविद्यालय, फेलोशिप, शोध, स्कालरशिप एवं विद्यार्थी स्कालरशिप समाचार पत्र में/ऑनलाइन अधिसूचना के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित कर सकेगा।
- (ख) फेलोशिप, शोध स्कालरशिप एवं अन्य स्कालरशिप के सभी अवार्ड एक समिति की अनुशंसा पर दी जायेगी, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:-
 - (एक) कुलाधिपति - अध्यक्ष
 - (दो) कुलपति - सदस्य
 - (तीन) प्रबंध मण्डल/ विद्या परिषद द्वारा प्रतिवर्ष नियुक्त संकाय/विभाग के कोई तीन संस्थान प्रमुख ।
 - (चार) कुलसचिव - सदस्य सचिव । .
2. नीचे पैरा 4 में वर्णित सभी शोध फेलोशिप एवं स्कालरशिप पर लागू सामान्य शर्तों के अधीन रहते हुए, अखिल भारतीय फेलोशिप प्रदान करने के लिए मूल्य, अवधि एवं शर्तें ऐसी होंगी जैसा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/सीएसआईआर/डीएसटी/बीआरएनएस/अन्य विनियामक निकाय द्वारा वर्णित हों।
3. विश्वविद्यालय के शासी निकाय द्वारा स्थापित स्कालरशिप /फेलोशिप की बहुमूल्यता एवं अवधि विद्या परिषद द्वारा उल्लिखित तथा प्रबंध मण्डल द्वारा अनुमोदित की जायेगी। अभ्यर्थियों का चयन प्रबंध मण्डल द्वारा समय-समय पर उल्लिखित विनियमों के अनुसार किया जायेगा।
 - (एक) फेलो/स्कॉलर का श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित विषय पर गार्ड के अनुमोदन के अधीन शोध कार्य पूर्णकालिक होगा।
 - (दो) फेलो/स्कॉलर, अवार्ड की अवधि के दौरान कोई नियुक्ति स्वीकार या धारित नहीं करेगा या अन्यथा या किसी अन्य स्रोत से परिलाभ, वेतन, छात्रवृत्ति आदि प्राप्त नहीं करेगा, न ही उस अवधि के दौरान किसी व्यवसाय या व्यापार में स्वयं को संलग्न करेगा। तथापि वह, संस्था में एक सप्ताह में 9 घंटे से अनधिक का अध्यापन कार्य प्राप्त कर सकेगा, जहाँ वह कोई पारिश्रमिक स्वीकार्य किये बिना कार्य करेगा।

(तीन) फेलो/स्कॉलर, फेलोशिप/स्कालरशिप के अधीन कार्य प्रारंभ करने के पश्चात् कोई अन्य अध्ययन पाठ्यक्रम ग्रहण नहीं करेगा अथवा किसी परीक्षा में उपस्थित नहीं होगा। परंतु कुलपति, फेलो/स्कॉलर को गाईड की अनुशंसा पर, भाषा/कम्प्यूटर डिप्लोमा कोर्स ग्रहण करने तथा परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दे सकेगा।

परंतु यह और कि उनके लिये छूट दिया जा सकेगा जो परीक्षा में उपस्थित होने के या डिग्री के लिये अनुरोध के बिना, शोध कार्य की समस्या से संबंधित विषय में सम्मिलित होने के इच्छुक हो।

(चार) फेलो/स्कॉलर को किसी अन्य स्थान में विनिर्दिष्ट अवधि के लिये कार्य करने के लिये गाईड द्वारा तब तक अनुमति नहीं दी जायेगी जब तक कि संस्था में जहां वह सभी कार्य दिवसों पर कार्य के लिये है, उसकी उपस्थिति आवश्यक न हो।

(पांच) यदि फेलो/स्कॉलर द्वारा उसके आवेदन में प्रस्तुत कोई जानकारी गलत अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण पाया जाता है तो उसे सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् विद्या परिषद् द्वारा अवार्ड को प्रतिबंधित किया जा सकता है।

(छः) यदि किसी भी समय विश्वविद्यालय को प्रतीत होता है कि फेलो/स्कॉलर का कार्यक्रम का संचालन संतुष्टिपूर्ण नहीं है तो फेलोशिप/स्कालरशिप को विद्या परिषद्/स्थायी समिति द्वारा निलंबित या वापस लिया जा सकता है।

(सात) (क) सामान्य अवकाश के अतिरिक्त वर्ष में अधिकतम 30 दिवस का अवकाश गाईड एवं कुलपति के अनुमोदन से फेलो/स्कॉलर द्वारा लिया जा सकेगा। तथापि सामान्य अवकाश अवधि अर्थात् ग्रीष्म, दशहरा, दीपावली एवं क्रिसमस अवकाश सम्मिलित नहीं है। फेलो/स्कॉलर को कोई अन्य अवकाश अनुज्ञेय नहीं होगी।

परंतु महिला को अवार्ड की अवधि के दौरान एक बार तीन माह से अनधिक की अवधि के लिये पूर्णकालिक दर पर प्रसुति अवकाश की पात्रता होगी।

(ख) फेलो/स्कॉलर को विशेष प्रकरण में गाईड की अनुशंसा पर अवार्ड की अवधि के दौरान तीन माह से अनाधिक अवधि के लिये फेलोशिप/स्कालरशिप के बिना श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय द्वारा अवकाश दिया जा सकेगा।

(आठ) फेलो/स्कॉलर को संस्थान, जहां वह कार्य कर रहा है, द्वारा विहित फीस भुगतान करना अपेक्षित होगा।

4. विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्कालरशिप सामान्यतः प्रथम वर्ष में दो शैक्षणिक सत्र अर्थात् 12 माह के लिये मान्य होगी तथा द्वितीय वर्ष में दस माह की, इस शर्त पर कि स्कालरशिप धारक अध्ययन विषय में संस्था प्रमुख से अध्ययन की दक्षता का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें।
5. स्कालरशिप, 1 अगस्त से मान्य होगी यदि छात्रवृत्ति धारक ग्रीष्म अवकाश के पश्चात् विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के खुलने की तारीख से 1 माह के भीतर पाठ्यक्रम ग्रहण करता है तथा सत्र के प्रारंभ से ट्यूशन फीस भुगतान करता है। किसी अन्य स्थिति में यह ऐसी तारीख से मान्य होगा जिस पर अभ्यर्थी पाठ्यक्रम ग्रहण करता है।
6. स्कालरशिप, आगामी वर्ष में प्रत्याहरित हो जायेगी यदि छात्रवृत्ति धारक संबंधित पाठ्यक्रम की पूर्व परीक्षा में कम से कम 60 प्रतिशत अंक अर्जित करने में विफल रहता है।
7. यदि स्कालरशिप धारक बीमारी या किसी अन्य कारण से पूर्व परीक्षा में उपस्थित होने में असमर्थ है तो स्कालरशिप तभी भुगतान की जायेगी यदि संस्था प्रमुख प्रमाणित करता है कि स्कालर ने परीक्षा के लिये सम्यक तत्परता से अध्ययन किया है किन्तु उसके नियंत्रण के परे कारण से परीक्षा देने में असमर्थ था ऐसा स्कालर आगामी सत्र के दौरान स्कालरशिप प्राप्त नहीं करेगा किन्तु उत्तरगामी वर्ष के लिये स्कालरशिप प्राप्त करने का हकदार होगा यदि स्कालर प्रथम प्रयास में उत्तरवर्ती वर्ष में अपेक्षित मानक के साथ पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण करता हो।
8. स्कालरशिप धारक सदैव अच्छा व्यवहार प्रदर्शित करेगा तथा अनुशासन के सभी नियमों का पालन करेगा।
- 9.1 स्कालरशिप समाप्त करने के लिये उत्तरदायी होंगे यदि—
(एक) स्कालरशिप धारक मध्यवर्ती सत्र के दौरान अध्ययन निरंतर चालू नहीं रखता है
या
(दो) स्कालरशिप धारक को, विद्या परिषद् की राय में इस अध्यादेश के पैरा (8) के उल्लंघन का दोषी पाये जाने पर, उसके आचरण हेतु स्पष्टीकरण देने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात तथा यदि विद्या परिषद् इस प्रकार निर्देशित करे तो स्कालरशिप धारक, उसके द्वारा आहरित स्कालरशिप की राशि वापस करने हेतु भी जिम्मेदार होगा।
- 9.2 विद्या परिषद् द्वारा पारित समाप्ति (टर्मिनेशन) का आदेश अंतिम होगा।

अध्यादेश-50

विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु प्रभारित किये जाने वाले परीक्षा शुल्क

1. विश्वविद्यालय का परीक्षा नियंत्रक/कुलसचिव, कुलपति द्वारा अनुमोदन के पश्चात परीक्षा के विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिये विद्यार्थी द्वारा देय फीस अधिसूचित करेगा। विद्यार्थी जिसने परीक्षा के प्रारंभ के पूर्व विहित फीस का भुगतान नहीं किया है परीक्षा में उपस्थित होने के लिये सामान्य तौर पर पात्र नहीं होगा। कुलाधिपति, अपने विवेकानुसार, कतिपय वास्तविक कठिनाईयों के मामले में, फीस के भुगतान करने की अंतिम तारीख में, वृद्धि कर सकेगा, तथापि ऐसे विद्यार्थी का परिणाम सभी देयकों के भुगतान होने तक रोका जायेगा।
2. परीक्षा फीस विद्या परिषद् द्वारा प्रस्तावित तथा प्रबंध मण्डल द्वारा समय-समय पर अनुमोदित की जायेगी तथा फीस की राशि छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग (छग पीयूआरसी) द्वारा अनुमोदित की जायेगी।
3. अभ्यर्थी जो परीक्षा में उपस्थित होने में विफल रहता है फीस की किसी वापसी का पात्र नहीं होगा अथवा उसे आगामी परीक्षा के लिये जमा के रूप नहीं रखा जायेगा। तथापि यदि महिला अभ्यर्थी प्रसूति कारणवश परीक्षा में उपस्थित होने में असमर्थ रहती है तो उसकी फीस आगामी परीक्षा के लिये रखी जा सकेगी। (परन्तु आगामी परीक्षा के लिये फीस जमा करने हेतु आवेदन, संबंधित परीक्षा के पूर्ण होने के तीन माह के भीतर परीक्षा हेतु, विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक/कुलसचिव को आवेदन करेगा तथा यह चिकित्सा प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित होगा)।
4. परन्तु, तथापि अभ्यर्थी परीक्षा फीस के समायोजन के लिये पात्र नहीं होगा यदि वह स्नातकोत्तर परीक्षा में अपना संकाय या अपना विषय परिवर्तित करता है।
5. नियमित अभ्यर्थी, जिसे व्याख्यान/प्रायोगिक में उपस्थिति की कमी के कारण परीक्षा में उपस्थित होने से विवर्जित किया गया हो के द्वारा प्रदत्त फीस, किन्ही भी परिस्थिति में वापस नहीं होगी।
6. अभ्यर्थी के अंकों में परिवर्तन के होते हुए भी पुनर्मूल्यांकन फीस वापस नहीं होगी।
7. अभ्यर्थी, जो बीमारी या अन्य कारण से परीक्षा में अपनी उपस्थिति देने में असमर्थ हो फीस की वापसी नहीं होगी। परन्तु विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक/कुलसचिव की अनुशंसा पर कुलपति, तथ्यों का विचारण करते हुए, उसकी वास्तविकता या गुणागुण के बारे में, संतुष्ट होने के पश्चात तथा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की अपेक्षित जाँच करने के पश्चात ठीक आगामी परीक्षा के फीस के उस भाग के समायोजन के लिये आदेश दे सकेगा।
8. अभ्यर्थी जिसका परीक्षा में उपस्थित होने के पूर्व आकस्मिक निधन हो गया हो की परीक्षा फीस उसके पालक या उत्तराधिकारी को पूर्णतः वापस की जा सकेगी।
9. अभ्यर्थी जिसका परीक्षा में उपस्थित होने संबंधी आवेदन, मिथ्यापूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करने या मिथ्या जानकारी देने के कारण निरस्त कर दिया गया हो की सभी फीस समपहरित हो जायेगी।

अध्यादेश – 51

विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के आवास हेतु मानदण्ड

1. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/विभाग द्वारा बनाये गये छात्रावास, प्रेरणादायक एवं सम्पूर्ण रूप से रहवासी पर्यावरण युक्त होगा जो बेहतर शैक्षणिक प्रदर्शन के लिये महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह सभी स्तर पर विश्वविद्यालय के लक्ष्य के सम्पूरक होगा।
2. सभी समयों में प्रत्येक छात्रावासी, अनुशासन स्तर को उच्च बनाये रखेगा तथा विद्यार्थी, प्रस्थिति को उपयुक्त बनाये रखेगा।
3. छात्रावास में प्रवेश के इच्छुक प्रत्येक विद्यार्थी, विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में प्रवेश के पश्चात् प्रवेश प्रमाण के साथ मुख्य वार्डन को विहित प्रारूप में अपना आवेदन प्रस्तुत करेगा। वह व्यक्तिगत तौर पर अपने माता पिता/स्थानीय पालक तथा मूल दस्तावेजों के साथ छात्रावास समिति के समक्ष उपस्थित होगा।
4. छात्रावास में प्रवेश की अनुज्ञा मुख्य वार्डन के परामर्श से वार्डन के विवेकानुसार प्रदान की जायेगी। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के द्वारा वास सुविधा लेने पर स्पेशल केयर की सुविधा होगी।
5. छात्रावास में प्रवेश पर, माता-पिता अपेक्षित प्रारूप भरेंगे, स्थानीय पालक तथा छात्रावास में अनुज्ञात विजिटर (आने वाले) का नाम नामांकित करेंगे।
6. विद्यार्थी उसको आवंटित कक्ष का उपयोग करेगा। वह छात्रावास वार्डन की अनुज्ञा के बिना अपना कक्ष परिवर्तित नहीं करेगा या फर्निचर शिफ्ट नहीं करेगा।
7. रहवासी फाइल फर्निचर, फर्निशिंग, फिक्सचर आदि की देखभाल एवं रख-रखाव हेतु जिम्मेदार होगा, छात्रावास की सम्पत्ति कसे किसी प्रकार का नुकसान होने पर रहवासी ही उसे सुधार करेगा।
8. रहवासी, उपलब्ध कराये गये या वार्डन द्वारा लिखित में विशेष रूप से अनुज्ञप्त से मिनन् किसी विद्युत उपकरणों का प्रयोग करने से विवर्जित होगा।
9. फायर आर्क्स, हथियार या खतरनाक अस्त्र-शस्त्र रखने के लिए विद्यार्थी पर प्रतिबंध रहेगा। डिफाल्टर को गंभीरता से लिया जाकर निष्काषित किया जायेगा।
10. ड्रग्स/अल्कोहल/एन्टोक्सीकेंट/स्मोकिंग का उपयोग छात्रावास परिसर में कठोरता से प्रतिबंधित होगा। डिफाल्टर को निष्काषित कर दिया जायेगा।
11. रहवासी जो छात्रावास परिसर के भीतर बर्बरता/हिंसा/यौन प्रभावित व्यवहार/उत्पीड़न में लिप्त रहते हो, उन्हें गंभीरता पूर्वक लेते हुए निष्काषित किया जायेगा।
12. विश्वविद्यालय के छात्रावास में रहने वाला विद्यार्थी ऐसी फीस का भुगतान करेगा जैसा कि प्रबंधन द्वारा समय-समय पर विहित किया जायें।
13. प्रत्येक छात्रावास में वार्डन होगा जो तीन वर्ष की कालावधि के लिये, शासी निकाय की अनुशंसा पर कुलपति द्वारा ऐसे निर्बंधनों एवं शर्तों पर नियुक्त किया जायेगा जैसा कि प्रबंध मण्डल द्वारा समय-समय पर विहित किया जाये।

अध्यादेश-52

विद्यार्थियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के संबंध में प्रावधान

1. विश्वविद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी सदैव अच्छा आचरण करेगा अध्ययन में लगन प्रदर्शित करेगा, शिष्टता एवं गरिमा बनाये रखेगा, सह-पाठ्यचर्या गतिविधियों में समुचित रुचि लेगा, वह राष्ट्रीय उच्चता के संस्थान के विद्यार्थी के रूप में कैम्पस के भीतर एवं बाहर आचरण संहिता का अनुसरण करेगा तथा विश्वविद्यालय का संस्थान जिसका वह विद्यार्थी है के अनुशासन के सभी नियमों का अनुसरण करेगा ।
2. प्रत्येक विद्यार्थी, संस्थान के भीतर एवं बाहर शिक्षकों, प्रशासकों एवं अन्य कर्मचारियों को सम्यक आदर देगा एवं विनम्रता प्रकट करेगा तथा अपने साथी विद्यार्थियों के साथ बेहतर निकटस्थ व्यवहार करेगा ।
3. विद्यार्थी द्वारा विश्वविद्यालय की आचरण संहिता का कोई उल्लंघन या किसी नियम या विनियम का उल्लंघन अनुशासनहीनता का कार्य माना जायेगा तथा वह अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिये उत्तरदायी होगा ।
4. निम्नलिखित कार्य गंभीर अनुशासनहीनता का कार्य माना जायेगा और निम्नलिखित में से किन्हीं में लिप्त विद्यार्थी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिये वह स्वयं उत्तरदायी होगा:
 - (एक) विश्वविद्यालय परिसर के भीतर एवं बाहर शिक्षकों के आदेश का अपालन एवं दुर्व्यवहार प्रदर्शित करना ।
 - (दो) विश्वविद्यालय तथा/या सार्वजनिक संपत्ति या साथी विद्यार्थी की संपत्ति को नुकसान पहुँचाना एवं बर्बरता/हिंसा/यौन अन्तर्निहित व्यवहार/उत्पीड़न में लिप्त होना ।
 - (तीन) ऑफ लाईन एवं ऑन लाईन दोनों माध्यम से अपने शिक्षकों/कर्मचारियों/कैंटिन एवं मेस के संबंध में विश्वविद्यालय परिसर में झगड़ा, लड़ाई करना एवं अपमानजनक शब्द व्यक्त करना
 - (चार) फायर आमर्स, अस्त्र शस्त्र एवं गंभीर रूप से खतरनाक उपकरण आदि रखना एवं उपयोग करना ।
 - (पाँच) ड्रग्स/अल्कोहल/एन्टोक्सीकेन्ट/टोबोको/पोर्नोग्राफी का किसी भी रूप में उपभोग करना एवं विक्रय करना ।
 - (छः) रैगिंग जो सुप्रीम कोर्ट के नियमानुसार कठोरता से प्रतिबंधित है में लिप्त रहना ।
 - (सात) कोई अन्य कार्य जो अनुशासनात्मक समिति द्वारा अवांछनीय अवधारित किया जाये ।
5. जब कोई विद्यार्थी विश्वविद्यालय या संस्थान के परिसर के भीतर या बाहर अनुशासन के उल्लंघन का दोषी पाया गया है अथवा लगातार आलस्यता अथवा कदाचरण का दोषी पाया गया है तो विद्यार्थी जिसमें अध्ययनरत है के संबंधित विभाग/संस्थान प्रमुख

द्वारा अनुशासनात्मक समिति एवं कुलपति सहित कुलसचिव को सूचना देगा । अपराध की प्रकृति एवं गंभीरता के अनुसार कुलपति के अनुमोदन से अनुशासनात्मक समिति निम्नानुसार कार्यवाही कर सकेगी -

(एक) ऐसे विद्यार्थी को तीन सप्ताह से अनधिक के लिये कक्षा में उपस्थित होने से निलंबित कर सकेगी ।

(दो) संस्थान से ऐसे विद्यार्थी को निष्कासित कर सकेगी ।

(तीन) ऐसे विद्यार्थी को आगामी परीक्षा में उपस्थित होने से अनर्ह कर सकेगी ।

(चार) ऐसे विद्यार्थी को निष्कासित कर सकेगी ।

6. पूर्वोक्त के अनुसार ऐसा दण्ड देने के पूर्व, संबंधित विभाग/संस्था प्रमुख संबंधित विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से सुनवाई का अवसर देंगे तथा दण्ड देने के कारणों को लिखित में लेखबद्ध करेंगे ।
7. ऐसे समय जैसा कि कथित अपराध के संबंध में उसके आचरण की जाँच के लिये आवश्यक हो के लिये, विद्यार्थी को संस्था से अस्थायी तौर पर निलंबित करने की शक्ति संबंधित संस्था प्रमुख को होगी ।
8. अवधि जिसके दौरान विद्यार्थी जाँच को पूर्ण करने के दौरान निलंबित रहता है, उस अवधि को परीक्षा में उपस्थित होने के लिये उसकी उपस्थिति की गणना में सम्मिलित किया जायेगा यदि वह निर्दोष पाया जाता है ।
9. संस्थान से विद्यार्थी का निष्कासन होने पर नामांकित विद्यार्थी के रजिस्टर से उसके नाम को हटाया जायेगा ।
10. विश्वविद्यालय से निष्कासित विद्यार्थी की फीस व्यपगत हो जायेगी ।
11. इस प्रकार निष्कासित विद्यार्थी को उसके निष्कासन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि या विहित अवधि (जो भी पहले हो) के पूर्ण होने के पूर्व विश्वविद्यालय में पुनः प्रवेश नहीं दिया जायेगा । निष्कासित विद्यार्थी उसके निष्कासन की तारीख से विहित अवधि के पश्चात पुनः प्रवेश चाहता है तो उससे विश्वविद्यालय में रहने के दौरान विद्यार्थी के रूप में अच्छा व्यवहार करने का शपथ पत्र लिया जायेगा ।
12. विद्यार्थी कल्याण के प्राक्टर/डीन (डीएसडब्ल्यू) की नियुक्ति, अनुशासन बनाये रखने के लिये दो वर्ष की अवधि के लिये कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय/विभागों एवं संस्थाओं के शिक्षण स्टॉफ के बीच से किया जायेगा । सक्षमता को दृष्टिगत रखते हुए, संबंधित शिक्षक को कुलपति के अनुमोदन से नियुक्त किया जा सकेगा ।
14. विद्यार्थी कल्याण के प्राक्टर/डीन (डीएसडब्ल्यू) की शक्तियाँ एवं कर्तव्य, कुलपति द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जायेगी ।

अध्यादेश 53

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जीवन के उन्नयन हेतु अन्य निकायों का सृजन

1. विश्वविद्यालय के पास विश्वविद्यालय के शैक्षणिक गुणवत्ता के उन्नयन हेतु निम्नलिखित निकाय होगा –
 - (एक) शिक्षा नीति समिति
 - (दो) गुणवत्ता प्रबंध समिति
 - (तीन) मानद डिग्री अवार्ड समिति
2. शिक्षा नीति समिति में निम्नलिखित होंगे:
 - (एक) कुलपति – अध्यक्ष
 - (दो) प्रतिकुलपति
 - (तीन) डीन शैक्षणिक कार्य
 - (चार) अध्यक्ष पूर्व स्नातक अध्ययन
 - (पाँच) अध्यक्ष स्नातकोत्तर अध्ययन
 - (छः) तीन डीन/सह-डीन/चक्रानुक्रम में संकायों से या कुलपति द्वारा नामांकित
 - (सात) कुलपति द्वारा नामांकित दो विद्यार्थी
 - (आठ) नामांकित संकाय सदस्य में से एक कनवीनर का कार्य करेगा। प्रतिकुलपति, कुलपति की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता करेगा।
3. समिति निम्नलिखित पर विचार करेगी –
 - (एक) राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सभी संकायों में नवाचार दृष्टिकोण पर विचार करना ।
 - (दो) विद्या परिषद एवं किसी विभाग/संस्था के कोई अन्य समिति/विद्या परिषद द्वारा उसको निर्दिष्ट शिक्षा नीति के सभी मूलभूत मामलों पर विचार करना ।
 - (तीन) सिलेबस में उपान्तरण एवं उसके उन्नयन पर विचार करना एवं उस पर कार्यवाही करना
 - (चार) भावी शोध गतिविधि पर रिपोर्ट का परीक्षण करना
 - (पाँच) यूजीसी/एनकेसी/राज्य शासन द्वारा बनाये गये शिक्षा नीति को अंगीकार करना ।
4. गुणवत्ता प्रबंध मण्डल
 - 4.1 गुणवत्ता प्रबंध मण्डल में निम्नलिखित सदस्य होंगे—
 - (एक) प्रायोजित निकाय द्वारा नियुक्त दो नामिति
 - (दो) कुलाधिपति द्वारा नियुक्त दो नामिति
 - (तीन) डीन शिक्षा प्रबंधन
 - (चार) मुख्य वित्त एवं आडिटर अधिकारी, वित्त एवं प्रचालन
 - (पाँच) विश्वविद्यालय का रजिस्टार

(छः) महानिदेशक

4.2 गुणवत्ता प्रबंध मण्डल का कृत्य निम्नानुसार होगा:

विश्वविद्यालय प्रबंधन के निम्नलिखित पहलुओं पर निष्कर्षों का, कुलाधिपति/प्रायोजित निकाय को विश्लेषण, आचार एवं प्रतिवेदन करना:

(एक) वित्त, क्रय; स्टॉक/वस्तु सूची से संबंधित मुद्दे

(दो) प्रबंधन एवं रखरखाव से संबंधित सुविधायें

(तीन) विश्वविद्यालय की प्रमाणिकता, नैतिकता के मुद्दे एवं मानव संसाधन प्रबंधन के मुद्दे

(चार) स्टॉफ एवं विद्यार्थियों की शिकायतें

(पाँच) आईटी प्रणाली का प्रबंधन

(छः) आईएसओ एवं एनएएसी के दिशा निर्देशों के अनुसार एवं राज्य के एवं राष्ट्रीय नियामक निकायों के दिशा निर्देशों के अनुसार शिक्षा एवं प्रक्रिया प्रबंधन

5. मानद डिग्री अवार्ड समिति:

5.1 समिति का गठन निम्नानुसार होगा:

(एक) अध्यक्ष / कुलाधिपति –अध्यक्ष

(दो) कुलपति

(तीन) डीन शैक्षणिक कार्य

(चार) कुलसचिव

(पाँच) महानिदेशक

5.2 समिति उन विशिष्ट नामों पर विचार करेगी जिनके द्वारा संस्था के लक्ष्य प्राप्ति से संबंधित क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के ध्यान को अमिट रूप से केन्द्रीत किया गया है अथवा जो समाज के विभिन्न वर्गों को प्रेरित करने में सफल रहे हैं अथवा अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण उत्कृष्ट योगदान दिया है।

5.3 समिति इस प्रकार विचार किये गये नामों को विद्या परिषद् को अंतिम निर्णय हेतु अग्रेषित करेगी।

अध्यादेश- 54**अन्य विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षा के संस्थानों के साथ समन्वय एवं सहयोग की रीति**

1. विश्वविद्यालय, विद्यमान विश्वविद्यालय एवं भारत के और विदेश के उच्च शिक्षा संस्थान के साथ समन्वय एवं सहयोग करेगा एवं समझौता ज्ञापन (एमओयू) निष्पादित करेगा जिसमें आपसी सहमति से समन्वय एवं सहयोग का विस्तार क्षेत्र उल्लेखित होगा।
2. विश्वविद्यालय, आविर्भावित एवं प्रथागत अध्ययन क्षेत्र में उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य में अपने स्वयं का दूरस्थ शिक्षा अध्ययन केन्द्र, दूरस्थ प्रादेशिक शिक्षा/शैक्षणिक केन्द्र खोलेगा।
3. विश्वविद्यालय, शोध एवं परामर्शी कार्य हेतु समय-समय पर देश एवं विदेश में उच्च शिक्षा में संलग्न उत्कृष्ट विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं के साथ सहयोग कर सकेगा।
4. विश्वविद्यालय, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों को तथा राज्य के विद्यालय एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों को प्रशिक्षण, शिक्षण एवं मार्गदर्शन प्रदान करने के लिये शासन के संस्थाओं के साथ सहयोग कर सकेगा।

Atal Nagar, the 29th September 2018

NOTIFICATION

No. F 3-8/2018/38-2. — Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission, Raipur vide its letter No. 966/प्र.परि./प्र.अ./रा.स.यु./2018/8937, Dated 26-09-2018 has approved the First Statutes No. 01 to 26 and First Ordinances No. 01 to 54 of Sri Rawatpura Sarkar University, Near Shadani Darbar, Village-Dhaneli, Post Office-Mana, Dhantari Road, Tehsil and District-Raipur (Chhattisgarh) Under Section 26 and Section 28 of Chhattisgarh Private Universities (Establishment & Operation) Act, 2005.

2. The State Government hereby gives its approval for notification of these Statutes and Ordinances in Official Gazette.
3. The above Statutes and Ordinances shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SURENDRA KUMAR JAISWAL, Secretary.

FIRST STATUTES, 2018

In exercise of the powers conferred by the sub-section (2) of section 26 of Chhattisgarh Private Universities (Established and Operation) Act 2005, the Governing Body makes the following First Statutes

(I) Short title and commencement:

1. These Statutes may be called the Shri Rawatpura Sarkar University First Statutes 2018.
2. They shall come into force from the date of its publication in the official gazette.

(II) Definition:

In these Statutes unless the context otherwise requires:

- (1) "Act" means the "Chhattisgarh Private Universities (Establishment & Operation) Act, 2005"
- (2) "Academic Year" means a Period of nearly twelve month devoted to completion of requirements specified in the scheme and curriculum of the concerned course(s) and apportioned into "terms" as stipulated in the Ordinances.
- (3) "Board of Studies" means the Board of Studies of the different subjects of the University.
- (4) "CGPURC" means Chhattisgarh Private University Regulatory Commission.
- (5) "Convocation" means the convocation of the University.
- (6) "Course(s)" means prescribed area(s) or course(s) of study or programme(s) and/or any other components(s) leading to the conferment or award of degree, diploma, certificate or any other academic distinction or title of the University.
- (7) "Employee" means any person working on the payroll of the University, made under the provisions of the Act.
- (8) "Faculty" means Faculty of the University.
- (9) "Regular Education" means and includes a system in which delivering instruction, teaching, learning, educating, and related to students in the classes or otherwise at the campus of the University and for which an attendance of seventy five percent of lectures and practical's separately is required.
- (10) "Regulation" means regulations of the University.
- (10) "Rules" means the "Chhattisgarh Private Universities (Establishment & Operation) Rule, 2005".
- (11) "Scheme and Curriculum" means and includes nature, duration, pedagogy, syllabus, eligibility and such other related details (by whatever name it may be called) for the concerned courses(s) of the University.
- (12) "Seal" means the common seal of the University.
- (13) "Subject" means the basic unit(s) of instruction, teaching, training, research etc., by whatever name it may be called, as prescribed under the scheme and curriculum.
- (14) "University", means Shri Rawatpura Sarkar University.
- (15) All words and expressions used herein and defined in the Act and the Rules shall have the meaning respectively assigned to them in the Act and the Rules.

(III) The first Statutes on the subjects enumerated below are as hereunder:

Statutes	Title
Statute No. 1	Objectives of the University
Statute No. 2	Seal and Emblems of the University
Statute No. 3	Appointment Terms & Conditions and Powers of the Chancellor
Statute No. 4	Appointment Terms & Conditions and Powers of the Vice-Chancellor
Statute No. 5	Appointment Terms & Conditions and Powers of the Registrar
Statute No. 6	Appointment Terms & Conditions and Powers of the Chief Finance & Accounts Officer
Statute No. 7	Powers & Functions of the Governing Body
Statute No. 8	Powers & Functions of the Board of Management
Statute No. 9	Formation, Powers and Function of Academic Council
Statute No. 10	Powers & Functions of the Finance Committee
Statute No. 11	Other Officers of the University
Statute No. 12	Faculties
Statute No. 13	Constitution, Power and Functions of the Faculties
Statute No. 14	Powers & Functions of the Dean of the Faculties
Statute No. 15	Appointment of Teachers in the University
Statute No. 16	Appointment of Non-teaching employees in the University
Statute No. 17	Standing Committee of Governing Body/Board of Management/Academic Council
Statute No. 18	Board And Committees
Statute No. 19	Examination committee
Statute No. 20	Board of Studies
Statute No. 21	Provision regarding fee to be charged from the students
Statute No. 22	Conferment of honorary degrees and academic distinctions
Statute No. 23	Administration of endowment for the award of fellowship, scholarship, medals & prizes in the University
Statute No. 24	Admission of students
Statute No. 25	No. of seats in different courses/subjects
Statute No. 26	Annual Report

STATUTE No. 01**OBJECTIVES OF THE UNIVERSITY**

Apart from the objectives of the University described in section 3 of the Act, University shall also have the following objectives:

- (1) To collaborate with other Universities, Research Institutions, Industries, Government and Non-Government Organizations towards fulfillment of the University objectives.

STATUTE No. 02**SEAL AND EMBLEMS OF THE UNIVERSITY**

- (1) The University shall have a common seal to be used for the purpose of the University and the design of the seal shall be as decided by the University, subject to further change or amendment as deemed necessary from time to time after obtaining the approval of the CGPURC.
- (2) The University may also decide to make and use such Flag, Anthem, Insignia, Vehicle Flag and other symbolic graphic expressions, abbreviations or likewise, for such purposes as deemed necessary from time to time, and which are not of such nature that are not permitted by the State or the Central Government.

STATUTE No. 03**APPOINTMENT, TERMS & CONDITIONS AND POWERS OF THE CHANCELLOR**

[Refer Section 16 of Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005]

- (1) The Chancellor of University shall be appointed for the period of three years as per the provisions laid down in section 16 of the Act.
- (2) The Chancellor shall exercise powers as specified in section 16 of the Act.
- (3) In case of unforeseen exigencies like illness, absence or death of the Chancellor, the Vice-Chancellor shall perform the duties of the Chancellor till the Chancellor reassumes his office or the New Chancellor is appointed, as the case may be, however this period shall not exceed six months.
- (4) It shall be the duty of the Chancellor to ensure that the Act, the Rules, the Statutes, and the Ordinances and the Regulations are faithfully observed.
- (5) The Chancellor shall exercise general control over the affairs of the University.
- (6) The Chancellor shall be entitled to receive salary/honorarium, expenses and allowances as may be decided by the Sponsoring Body.
- (7) In a special meeting called for the purpose, the Sponsoring body may consider a "No Confidence motion" against the Chancellor and, if passed by two third majority, can recommend to the visitor for the removal of the Chancellor.
- (8) The Chancellor may resign from his office by a hand-written letter, addressed to the visitor. A copy of the same shall be sent to the chairperson of the sponsoring body.
- (9) The Chancellor shall preside over the meetings of the governing body and shall, when the visitor is not present, preside over the convocation for degrees, diplomas, and other academic meetings.

STATUTE No. 04**APPOINTMENT, TERMS & CONDITIONS AND POWERS OF THE VICE-CHANCELLOR**
[Refer Section 17 of Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005]

- (1) The Vice-Chancellor shall be the principal academic and administrative officer of the University and shall be the whole time salaried officer.
- (2) The qualifications of the Vice-Chancellor shall be as per the prevailing UGC norms.
- (3) The Vice-Chancellor shall, subject to the provisions contained in sub section (10) hold office for a term of four years. On the expiry of term, the Vice-Chancellor shall be eligible for reappointment for one more term only.
- (4) In case of unforeseen exigencies like illness, long absence, suspension, termination, resignation, or death of the Vice-Chancellor, the Chancellor shall assign the responsibilities and duties of the Vice-Chancellor to Pro Vice-Chancellor or a Senior Professor of the University, or the Registrar of the University. However, this period of interim arrangement shall not exceed more than six months.
- (5) In addition to all such powers as described in section 17 of the Act, the Vice-Chancellor shall also exercise powers prescribed in the various Statutes and Ordinances of the University.
- (6) The Vice-Chancellor shall receive pay as per UGC norms as approved by the State Government and other allowances as decided by the sponsoring body from time to time.
- (7) The Vice-Chancellor shall be an ex-officio member and Chairperson of Board of Management.
- (8) The Vice-Chancellor shall ensure that the Statute or Ordinance and Rules, Regulations and any other instructions, given by the Government and UGC are strictly followed.
- (9) The Vice-Chancellor shall convene the meeting of all authorities and bodies as prescribed in the Act.
 - (i) The Vice-Chancellor shall be empowered to take decision, which he deems fit, in emergency situation, such decision shall be reported to the concerned authority or committee for approval and in the event of difference of opinion; it shall be referred to Chancellor, whose decision shall be final.
 - (ii) The Vice-Chancellor shall have the power to constitute committee/s which he deems fit for the performance of the duty assigned to him by the Act, Rules, Statutes, Ordinance, and Regulation.
 - (iii) The Vice-Chancellor may resign, from his office by a hand-written letter, addressed to the Visitor. A copy of the same should be send to the Chancellor.
- (10) Age of superannuation for the Vice Chancellor will be as per norms mentioned by UGC from time to time.

STATUTE No. 05**APPOINTMENT, TERMS & CONDITIONS AND POWERS OF THE REGISTRAR**

[Refer Section 18 of Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005]

- (1) The Registrar shall be a whole-time salaried officer of the University and shall discharge his duty under the Act, subject to the general superintendence of the Vice-Chancellor.
- (2) The qualification of Registrar shall be as per the UGC norms.
- (3) The Registrar shall receive pay as per State Government Norms and other allowances as decided by the Chancellor from time to time.

(4) The Expert committee for selection of Registrar shall consist of:

- (i) Vice Chancellor - Chairman
- (ii) Nominee of the Chancellor-Member
- (iii) One expert nominated by the Sponsoring Body - Member.
- (iv) One expert member nominated by the CGPURC not below the rank of a Professor – Member.

(5) Selection of Registrar:

Following procedure shall be adopted for selection of the Registrar:

- (i) The University shall invite applications for the post through the process of an advertisement in news paper of wider circulation, and/or other mediums.
- (ii) The expert committee shall interview and adjudge the merit of each candidate and send its final recommendation to the Governing Body.
- (iii) If a suitable candidate is not found in the first advertisement, subsequent advertisements shall be issued.
- (iv) The expert committee shall interview and adjudge the merit of each candidate and shall prepare a panel of three candidates in the order of merit and place the same in a sealed envelope, which shall be sent to the Governing Body for the final decision about the appointment of the Registrar.
- (v) The approved panel shall be valid for one year from the date of recommendation by the expert committee.
- (vi) If a suitable candidate is not found, then interim arrangement can be made by Chancellor through Deputation or contract appointment, after obtains concurrence from CGPURC.
- (vii) When the office of the Registrar falls vacant or when the Registrar is, by reason of illness or long absence or due to any other reason, unable to perform his duties of the office, the duties of the office shall be performed by such person as the Chancellor may appoint for the purpose.

(6) Duties and Powers of the Registrar shall be:

- (i) To maintain the record, the common property and such other property of the University as the Governing Body may decide.

- (ii) To conduct the official correspondences of the Governing Body, Board of Management, Academic Council and any other body or committee of which he is the Member Secretary.
- (iii) To issue notice conveying the dates of meeting of the university to the authorities and members and to make necessary arrangement for the conduction of the meeting and to perform other assigned duties by the Board of Management from time to time.
- (iv) To provide the copies of the agenda of the meeting of the Governing Body, Academic Council, Board of Management, and such other bodies which are formed under the direction of the Chancellor/Vice-Chancellor, and the record the minutes and send the same to the Vice-Chancellor and Chancellor for approval. He shall also make available all such papers, documents and information as the visitor/Chancellor/Vice-Chancellor may desire.
- (v) To discharge all such functions as assigned to him by the Chancellor/Vice-Chancellor of the University and entrusted as per the Statutes, Ordinances and Regulations.
- (vi) To supervise and control the work of the staff working in different offices/units of the University and write their confidential report.
- (vii) To issue marks sheet, migration certificate and other relevant important documents under his seal and signature. He will also record his signature with the seal of his office on the back of the degree certificate before issue.
- (viii) The Registrar may speak at a meeting of a Governing Body/Board of Management/ Academic Council of which he is a Member Secretary without the right of voting, only with the permission of Chairman.
- (ix) It shall be responsibility of the Registrar to execute the decision taken in the meeting of Governing Body /Board of Management/ Academic Council and other Council/Bodies of which he is a member Secretary.
- (x) To represent the University when authorized by the management board in suits and proceeding by or against the university, sign power of attorney and plead or depute his/her representative for this purpose.
- (xi) The Registrar shall render such assistance as may be desired by the Chancellor/Vice-Chancellor in performing official duties.
- (xii) The Registrar shall have power to take disciplinary action against such of the employees, excluding teachers and other academic staff, as may be specified in the order of the Board of Management and to suspend them pending inquiry, to administer warning to them or to impose on them the penalty of censure or the withholding of increment.

Provided that no such penalty shall be imposed unless the person has been given a reasonable opportunity of showing cause against the action proposed to be taken in regard to him.

In a case where the inquiry discloses that a punishment beyond the power of the Registrar is called for, the Registrar shall, upon the conclusion of the inquiry, make a report to the Vice-Chancellor along with his recommendation.

Provided that an appeal shall lie with the Governing Body against an order of the Vice-Chancellor imposing any penalty.

- (xiii) All examinations of the University shall be conducted by the Controller of Examination under the monitoring and supervision of the Registrar who may give suggestions, advice and necessary orders to the Controller of Examination and Examination Committee regarding the procedures of the examination which shall be obligatory to them.
- (xiv) The Registrar shall be Ex-officio Secretary in the Governing Body, Board of Management and Academic Council.
- (7) The Registrar may resign, giving one month notice and handover of charge, from his office by a hand-written letter, addressed to the Chancellor through Vice-Chancellor. The Registrar shall cease to hold the office from the date of acceptance of his resignation.

STATUTE No. 06

APPOINTMENT TERMS & CONDITIONS AND POWERS OF THE CHIEF FINANCE & ACCOUNTS OFFICER

[Refer Section 19 of Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005]

- (1) The Chief Finance and accounts Officer (CFAO) shall be an officer of the University responsible for handling accounts and finance of the University.
- (2) The qualification of CFAO shall be Post Graduate preferably in Commerce/Economics/Financial Management with 5 years experience of working in any University/Institute/organization to manage Accounts/Finance.
- (3) The CFAO shall be a salaried officer of the University and shall discharge duties under general superintendence, reporting and control of the Vice-Chancellor. The salary and other perquisites shall be such as may be decided by the University.
- (4) The appointment of CFAO shall be made by the Chancellor on the recommendation of the selection committee constituted for the purpose. However, the first CFAO shall be appointed by the Chancellor for a period of three years. The subsequent CFAO, other than the first CFAO, shall be appointed by the Chancellor on the recommendation of the selection committee constituted for the purpose. The selection committee shall consist of:
 - (i) Vice Chancellor - Chairman
 - (ii) Nominee of the Chancellor - Member
 - (iii) One expert member approved by the Board of Management - Member
 - (iv) One representative of the CGPURC - Member
 - (v) Registrar - Member

(5) Selection of CFAO:

The University shall adopt the following procedure for the selection of the CFAO:

- (i) The University shall invite applications for the post through the process of an advertisement in news paper of wider circulation or through other mediums.
- (ii) A summary of all the candidates applied for the post shall be prepared by the selection committee.
- (iii) The selection committee shall interview and adjudge the merit of each candidate and send its final recommendation to the Chancellor.
- (iv) The approved panel shall be valid for one year from the date of recommendation. In the event of any selected candidate not joining or leaving/resigning from the post then the panel can be recalled for the appointment of the CFAO.
- (v) The selection committee shall interview and adjudge the merit of each candidate and shall prepare a panel of three candidates in the order of merit and place the same in a sealed envelope which shall be sent to the Chancellor for final decision for the appointment of the CFAO.
- (vi) If suitable candidates is not found then Chancellor can make interim arrangement by filling the post through deputation or by making ad-hoc/temporary appointment for one year. However this arrangement can be extended for one more year.
- (vii) If suitable candidate is not found in the first advertisement, subsequent advertisements shall be issued.
- (viii) When the office of the CFAO falls vacant or when the CFAO is unable to perform his duties of the office by the reason of illness or long absence or due to any other reason, the duties of the office shall be performed by such person as the Director may appoint for the purpose.
- (ix) If any time upon representation made or otherwise, and after making such inquiry as may be deemed necessary, the situation warrants that the continuance of the CFAO is not in the interest of the University, the Director may request the Chancellor, in writing stating the reasons therein, for the removal of the CFAO.

Provided that before taking such action of the removal, the CFAO shall be given an opportunity of being heard.

(6) The CFAO shall receive pay and other allowances as decided by Chancellor from time to time.

(7) The age of retirement of CFAO shall be sixty-two years.

(8) Duties of the CFAO shall be:

- (i) To manage the accounts and fund of the University for maintaining the record properly and for regularly getting them audited.
- (ii) To supervise, control and regulate the working of Accounts and Finance of the University.

- (iii) To maintain the financial records and any such other finance related records of the University as the Governing Body may decide.
- (9) To discharge all such functions as assigned by the Chancellor/Vice-Chancellor of the University.
- (10) The CFAO may resign, giving due notice period and handover the charge from his office by a hand-written letter, addressed to the Chancellor. A copy of the same shall be sent to the Vice-Chancellor also. The CFAO shall cease to hold the office from the date of acceptance of his resignation.

STATUTE No. 07

POWERS & FUNCTIONS OF THE GOVERNING BODY

[Refer Section 21(1)(a), 22&26(1) of Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005]

- (1) In addition to the power vested in the Governing Body under sub section(3) of section 22 of the Act, the Governing Body of the University shall also have the following powers and functions:
- To review, suggest and approve, from time to time, the policies, plans, procedures and measures for the improvement and development of the University.
 - To make recommendation on any matter referred to it by the Chancellor/sponsoring Body.
 - To make recommendation to the Sponsoring Body for the creation of new posts of officers/teachers/staff of the University.
 - To exercise such other powers and functions as may be assigned by the sponsoring Body.
 - To consider and approve the recommendation made by the Board of Management/ Academic Council/Chancellor/ Vice-Chancellor.
- (2) Any member may resign from the Governing Body by informing in writing to the Chairman of the Governing Body or the nominating authority as the case may be. The Resignation shall be effective from the date of its acceptance by the competent authority.

STATUTE No. 08

POWERS & FUNCTIONS OF THE BOARD OF MANAGEMENT

[Refer Section 21(1)(b), 23&26(1)(a) of Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005]

- (1) The term of the nominated members of the Board of Management shall be of three years. No member shall be nominated for more than two consecutive terms.

- (2) The powers and functions of the Board of Management shall be such as:-
- (a) To consider and propose sanction of post of the teachers, the other officers and the staff of the University and recommend the same to the Governing Body.
 - (b) To get the approval of the Governing Body before the implementation of such decisions of the Board of Management which may be having bearing on the finances of the University.
 - (c) To Consider and approve the minutes of the selection committee for the teacher/staff and place the same before the Governing Body for its decision.
 - (d) To propose fee structure to competent authority for various programs run by the University.
 - (e) To perform any other function which may be assigned by the Governing Body/Chancellor.

STATUTE No. 9

FORMATION, POWERS AND FUNCTIONS OF ACADEMIC COUNCIL

[Refer Section 21(1) (c), 24 & 26 (1)(a) of Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005]

The Academic Council shall be the principal academic body of the University and shall coordinate and exercise general supervision over the academic policies and programs of the University.

- (1) The Academic Council shall consist of the following members:
 - (i) Vice-Chancellor (Chairman)
 - (ii) Pro-Vice-Chancellor
 - (iii) All the Deans and Heads of the Departments.
 - (iv) All the Professors of the University Teaching Department.
 - (v) Three Professors of the State/Central University/Central Institute established by an Act of Parliament/State Representative to be nominated by the Chancellor.
 - (vi) Three representatives from amongst the Scientists/ Educationalists/ Technologists/ Industrialists to be nominated by the Chancellor.
- (2) The term of the nominated members of the Academic Council shall be three years. No member shall be nominated for more than two consecutive terms.
- (3) The Vice-Chancellor, being the Chairman, shall preside over the meetings of the Academic Council and in his absence the senior most Dean shall preside over the meeting.
- (4) The Registrar shall be the Member-Secretary of the Academic Council including and in the absence of the Registrar, any other person authorized by the Vice-Chancellor shall act as the Member Secretary.
- (5) One third of the members of the Academic Council including the Chairperson shall form the quorum at a meeting.
 Provided that no quorum shall be necessary for adjourned meeting.
 Ordinarily fifteen clear days notice shall be given for all meetings of the Academic Council and agenda papers shall be issued at least seven days before the date of the meetings. The notice for emergent meeting shall ordinarily be 3 days.
- (6) Subject to the provisions of the Act, the academic Council shall have the following powers, and functions; namely,

- (i) To co-opt members, persons having special knowledge or experience in the subject matter of any particular business which may come before the Council for consideration. The members so co-opted shall have all the rights of the members of the Council in regard to the transaction of the business in relation to which they may be co-opted.
- (ii) To promote teaching, research and related activities in the University.
- (iii) To exercise general supervision over the academic policies and programs of the University and to give directions regarding method of instructions, teaching and evaluation of research or improvements in academic standards.
- (iv) To consider matters of general academic interest either on its own initiative or on a reference made by faculty or the Board of Management or the Governing Body and to take appropriate action thereon.
- (v) To make proposal to the Governing Body for allocating funds to the faculties.
- (vi) To make proposal to the Governing Body for the institution of the fellowship, scholarships, Studentship, exhibition, medals and prizes and to make rules for their award.
- (vii) To recognize persons of the eminence in their subject to be associated as research guides / co-guides in the subjects or interdisciplinary subjects as prescribed in the ordinance.
- (viii) To formulate, modify or revise schemes for the organizations and assignment of the subject to the Faculties/Schools/Department of the University.
- (ix) To ensure that the nomenclature of the degrees conferred by the University is in accordance with the UGC guidelines.
- (x) To recognize the Certificates, Diplomas and Degrees of other Universities and institutions and to determine their equivalence on the basis of AIU norms.
- (xi) To make special arrangements for the teachings of women students and for prescribing special courses of study for them.
- (xii) To consider academics related proposals submitted by the Faculties/ Departments of the University.
- (xiii) To approve the syllabus of the different courses/subjects submitted by the Faculties/ Departments and to arrange for the conduct of the examinations according to the Ordinances made for the purpose.
- (xiv) To make recommendations in matters relating to award of stipends, scholarships, medals and prizes, and to make awards in accordance with the Ordinances and such other conditions as may be attached to the award from time to time.
- (xv) To publish syllabi of various courses of study and the list of prescribed or recommended text books for subjects.
- (xvi) To recommend to the Governing Body, the rates of remuneration and allowances for the Examination work.
- (xvii) To make recommendations on any matter referred to it by the Chancellor or the Governing Body or Board of Management, as the case may be.
- (xviii) To exercise such other powers and perform such other duties as may be prescribed from time to time.

STATUTE No. 10**POWERS AND FUNCTIONS OF FINANCE COMMITTEE**

[Refer Section 21(1) (d) & 26 (1)(a) of Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005]

- (1) The Finance Committee shall consist of the following person, namely:

(i) The Chancellor or his nominee	Chairman
(ii) The Vice-Chancellor	Member
(iii) The Registrar	Member
(iv) One person nominated by the Sponsoring Body	Member
(v) Chief Finance and Accounts Officer	Member Secretary
- (2) The tenure of the members of the finance committee, other than ex-officio members, shall be three years.
- (3) The finance committee shall meet at-least twice in each academic year. A notice for the meeting of the finance committee shall be given so as to reach the committee members at-least fifteen days in advance of the meeting and the agenda for the meeting shall be sent to members at-least seven days in advance of the meeting.
- (4) Three members of the finance committee, including Chairman, shall constitute the quorum at the meetings.
- (5) Functions and Powers of the Finance Committee shall be.
 - (i) To prepare the annual estimates of the income and expenditure of the University for placing the same before the Governing Body for its consideration and approval.
 - (ii) To consider the annual accounts of the University prepared under the direction of the Vice-Chancellor and to place it before the Governing Body for its considerations and approval.
 - (iii) To make recommendations to the Governing Body to accept bequests and donations of the property to the University on such terms as it deems proper.
 - (iv) To recommend mechanism and ways and means to generate resources for the University.
 - (v) To consider other matters referred to it by the Governing Body and make its recommendations thereon.
 - (vi) To advice the University on any matter affecting finances.
 - (vii) To observe that the Regulations relating to the maintenance of accounts of the income and expenditure of the University are followed.

STATUTE No. 11**OTHER OFFICERS OF THE UNIVERSITY**

The following shall be the other Officers of the University as per the provisions in sub-section 6, of Section 14 of the Act.

1. Pro-Vice Chancellor

- i. The Pro-Vice Chancellor shall be appointed by a Selection Committee for a term of four years. The selection committee shall be headed by the Chancellor of the University and shall include Vice Chancellor and 2 members to be nominated by the Chairman of Sponsoring Body. Procedure and qualification for the post of Pro-Vice Chancellor shall be as per UGC norms.

- ii. The Pro-Vice Chancellor shall be eligible for reappointment for subsequent terms by following the procedure as laid down above in the clause (1).
- iii. In the absence of Vice-Chancellor, the Pro- Vice Chancellor shall perform the duties of Vice-Chancellor.
- iv. The Pro Vice-Chancellor shall be eligible to receive pay and other allowances as decided by the Sponsoring Body from time to time.
- v. The Pro-Vice Chancellor shall discharge the responsibilities and duties as assigned by the Chancellor/ Vice- Chancellor from time to time.
- vi. The Pro-Vice Chancellor may resign from his office by writing under his/her hand addressed to the Chancellor. The Pro Vice Chancellor shall hold office during the pleasure of the Chancellor.

2. Director

- i. The Director of the University shall be appointed by the Chancellor on the recommendation of the sponsoring body generally for a term of two years.
- ii. The Director may be reappointed for subsequent terms following the procedure laid down in clause (1) as above.
- iii. The Director shall perform duties and functions as assigned to him by the Chancellor/Sponsoring Body from time to time.
- iv. The Director shall be eligible to receive pay and other allowances as decided by the Chancellor/ Sponsoring Body from time to time.
- v. The Director may resign from his office by writing under his/her hand-written letter addressed to the Chancellor and shall cease to hold office from the date of acceptance of his resignation.
- vi. The Director shall hold office under the pleasure of Chancellor.
- vii. The Director shall be responsible:
 - a) To guide and advice onthe proposals to be sent to the University Grants Commissions/AICTE/other regularity bodies and other funding agencies in connection with approval of programs and research and development activities of the University.
 - b) To recommend to the Vice-Chancellor, delegate(s) from the Universityto attend Seminars, Conferences, Workshops etc.
 - c) To advice on the planning and development of the University, particularly in respect of the norms and standards of education, teaching and research in the University.
 - d) To recommend and apply for the membership of other Institutions like Association of Indian Universities, Commonwealth Universities, Association of International Universities, India International centre etc.
 - e) To coordinate with Deans/Chairpersons concerned for collaboration with any University / Research Institute/ Centers of the country and abroad from time to time.
 - f) To co-ordinate with the Deans concerned with regard to the work of the teaching and research in the University Teaching Departments / Schools of Studies / maintained Institutes and the introduction of new courses.
 - g) To arrange printing of syllabi, prospectus and other documents of the University from time to time.
 - h) To co-ordinate with the concerned Deans with regard to the collaboration with any University / research institutes in Indian as well as foreign countries.

- i) To handle the grants under various heads including the grant for organization of Seminars / conferences / publications / travel grants / Guest Lectures / Visiting Professors etc. out of the Teaching, Research & Development budget.
- j) To sanction duty leaves for all approved purposes and Earned leave to the teachers of the University / maintained institutes.
- k) To sanction duty leave to the teachers of the University teaching departments, the maintained Institutes on the Campus/Directorate of Correspondence courses (other than Professors & Chairperson) up-to 21 days for attending Orientation/Refresher Courses.
- l) To forward the applications of teachers for attending Orientation/ Refresher Courses from time to time.
- m) To scrutinize all proposals and additional requests for staff and funds for books, equipments, furniture etc. of the University teaching Departments and the maintained institutes of the University.
- n) To carry out work relating to equivalence Committee, grant of recognition of Courses, Vocational Courses under UGC schemes.
- o) To recommend Budget allocation for various academic and administrative works to the Finance Committee.
- p) To discharge any other academic/administrative duties specially assigned by the Chancellor/ Vice Chancellor from time to time.
- q) Qualification, Salary, Age of Superannuation and Mode of Selection for Director shall be such as may be decided by the Board of Management with the approval of Chancellor.

3. Controller of Examination

- i. The Controller of Examination shall be an officer of the University and shall be appointed by the Vice Chancellor from amongst the Teachers/Officers of the University.
- ii. When the office of the Controller of Examination is either vacant by reasons of either illness or absence for any other cause, unable to perform the duties of the office, the duties of the office shall be performed by such person as the Vice Chancellor may appoint any one among the teachers / officers for the purpose.
- iii. The Controller of Examination shall supervise the conduct of Examination and all other necessary arrangements and execute all processes connected with examination and declaration of results after approval from the competent authority.
- iv. The powers and duties of the Controller of Examinations shall be specified by Registrar.
- v. The Controller of Examinations shall work under the direct supervision of the Vice Chancellor.

4. Librarian

The Librarian shall be a full-time salaried officer of the University and his appointment shall be made following the procedure laid down in the StatueNo. 15 for the Teachers. The qualification of Librarian shall be as per UGC norms and approved by the Governing Body / Academic Council from time to time.

5. **Director of Physical Education**
The Director, Physical Education shall be full time salaried officer of the University and his appointment shall be made in accordance with the procedure laid down in the Statute No. 15. The qualification and pay of the Director shall be as per UGC norms and as approved by the Governing Body / Academic Council from time to time.
6. **Deputy / Assistant Director of Physical Education**
The Deputy/Assistant Director of Physical Education shall be officer of the University appointed by following the procedure and his qualifications and salary shall be such as prescribed by the Vice-Chancellor from time to time, with the consent of the Chancellor.
7. **Deputy/ Assistant Librarian**
The Deputy/ Assistant Librarian shall be the other officer of the University appointed by following the procedure, qualifications and salary as prescribed by the Vice-Chancellor from time to time, with the consent of the Chancellor.
8. **Deputy/ Assistant Registrar**
The Deputy/ Assistant Registrar shall be the officer of the University appointed by following the procedure and his qualifications and salary shall be such as prescribed by the Vice-Chancellor from time to time, with the consent of the Chancellor. Qualification and pay scale shall be as per UGC norms and as approved by the State Government.

STATUTE No. 12

There shall be a department or group of departments/subjects as mentioned in column (2) of the table below under the Faculty name mentioned in column (1) thereof:

Column (1)		Column (2)
Sl. No. 1	Name of the Faculty 2	Subject or Group of Departments/Subjects 3
1.	Faculty of Science	1. Physics 2. Chemistry 3. Mathematics 4. Geology 5. Statistics 6. Criminology and Forensic Science 7. Electronics 8. Botany 9. Fashion Design 10. Interior Design

		11. Zoology 12. Bio-Chemistry 13. Bio-Science 14. Bio-Physics 15. Life Science 16. Anthropology 17. Microbiology 18. Bio-Technology 19. Forestry & Wild Life 20. Computer Science & Application 21. Film & Media Studies 22. Environmental Science 23. Nano Technology 24. Food Science and Technology 25. Home Science 26. Industrial Chemistry 27. Yoga Science & Therapy. 28. Astrophysics 29. Astrobiology 30. Geography 31. Medical Lab Technology 32. Military Studies 33. Fire & Industrial Safety 34. Nutrition & Dietician 35. Food and Recourse Economics. 36. Nutrition Exercise & Sports. 37. Plant & Environmental Science. 38. Geo Science & Natural Resource Management. 39. Biological Science. 40. Earth & Atmospheric Science. 41. Library & Information Science. 42. Astronomy. 43. Molecular Science. 44. Physiology. 45. Molecular Biology and Genetics. 46. Cell Biology. 47. Molecular & Comparative Pathobiology. 48. Biophysics & Biophysical Chemistry. 49. Acoustic Science. 50. Crystallography. 51. Optometry. 52. Reproductive Science. 53. Polymer Science. 54. Yoga & Naturopathy.
--	--	---

		<p>55.Nutrition & Dietetics. 56.Computational Physics. 57.Material Science. 58.Quantum Mechanics. 59.Meteorology. 60.Cognitive Science. 61.Pharmaceutical Science.</p>
2.	Faculty of Management	<p>1. Management. 2. International Business. 3. Security and Portfolio Management. 4. Rural Management. 5. Construction Management. 6. Small Business Management. 7. Hospital Administration 8. Hospital Management 9. Financial Management 10. Logistics and Supply Chain Management 11. Food Service Management 12. Hospitality Management 13. Hotel Management and Catering Technology 14. Sports Management 15. Travel & Tourism Management 16. Airport & Airlines Management 17. Event Management 18. Media Management 19. Industry Integrated 20. Public Relations 21. Disaster Management 22. Marketing and Sales 23. Advertising and Public Relation 24. Export Management 25. Foreign Trade 26. Business Economics 27. Production and Operation Management 28. Power Plant Management 29. Hospitality and Tourism Management 30. Human Resource Management 31. Insurance Management 32. Retail Management 33. Family Business & Entrepreneurship 34. Information Technology 35. Production & Operation Management 36. Project Management</p>

		<ul style="list-style-type: none"> 37. Fashion Design Management 38. Interior Design Management 39. E-Commerce Management 40. Digital Marketing Management 41. Banking Management 42. Solar & Renewable Energy Management 43. Public Administration 44. Consulting 45. Innovation Management/ Entrepreneurship 46. International Management 47. Strategy 48. Energy & Clean Technology 49. Environmental Management 50. Health Care Management 51. Social Entrepreneurship/ Non-Profit 52. Information Security Management/ Cyber Security 53. Systems & Business Analytics
3.	Faculty of Commerce	<ul style="list-style-type: none"> 1. E-Commerce 2. Banking and Finance 3. Computer Application 4. Industry Integrated 5. Banking and Insurance 6. Corporate Secretary 7. Banking 8. Financial Accounting 9. Taxation 10. Advertising and Public Relations 11. Commerce 12. Accounting and Auditing 13. Business Management 14. Business Economics 15. Applied Economics & Business Management.
4.	Faculty of Engineering	<ul style="list-style-type: none"> 1. Civil Engineering 2. Mechanical Engineering 3. Electrical Engineering 4. Electronics and Telecommunication 5. Computer Science and Engineering 6. Chemical Engineering 7. Mining Engineering 8. Metallurgy Engineering 9. Architecture Engineering 10. Design (Animation & Graphic)

		<ol style="list-style-type: none"> 11. Petroleum Engineering 12. Automobile Engineering 13. Cement Technology 14. Bio Technology 15. Highway Engineering 16. Structure Engineering 17. Food Technology 18. Machine Design 19. Production Technology 20. Thermal Engineering 21. Instrumentation and Control 22. Power System Control 23. VLSI Design and Embedded System 24. Multimedia Technology 25. Power Electronics 26. Digital Communication 27. Construction Management Engineering 28. Health Safety & Environment 29. Construction Technology and Management 30. WRE (Water Resource Engineering) 31. Geo-Tech Engineering 32. Turbo Machinery 33. Electrical & Electronics Engineering 34. Information Technology 35. Mechatronics. 36. Fire Technology & Safety. 37. Textile Plant Engineering. 38. Radio Physics & Electronics. 39. Pharmaceutical Engineering. 40. CAD-CAM. 41. Automation & Robotics. 42. Wireless Engineering & Networks. 43. Cyber Forensics. 44. Sports Technology. 45. Remote Sensing. 46. Quantum Mechanics. 47. Aerospace Engineering.
5.	Faculty of Arts	<ol style="list-style-type: none"> 1. English and other European Languages 2. Hindi 3. Chhattisgarhi and other Indian Languages 4. Sanskrit (Pali, Prakrit and Oriented Studies)

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Comparative Religion & Philosophy 6. History and Archaeology 7. Political Science 8. Public Administration 9. Economics 10. Sociology & Social Studies 11. Geography 12. Psychology 13. Defense Studies 14. Home Science 15. Film & Media Studies 16. Advertising & Public Relation 17. Social Work 18. Liberal Arts and Humanities 19. Journalism & Mass Communication 20. Yoga Studies 21. Library & Information Science. 22. Rural Studies 23. Vedic Studies 24. Performing Arts (Dance, Music, Drama) 25. Linguistics 26. Philosophy & Mythology 27. Cultural Studies 28. Education 29. History. 30. Vocational Courses. 31. Ancient Indian History. 32. Yoga & Spirituality. 33. Yoga & Consciousness. 34. Yoga Science & Therapy. 35. Yoga & Naturopathy. 36. Mass Communication 37. Media Studies 38. Journalism 39. Fine Arts 40. Multimedia
6.	Faculty of Hotel Management	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tour and Travel 2. Catering Technology 3. Hospitality 4. Hotel Management
7.	Faculty of Fashion Design	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fashion Design 2. Interior Design 3. Textile & Apparel Design 4. Fashion Merchandising

STATUTE No. 13**CONSTITUTION, POWER AND FUNCTIONS OF FACULTIES**

- (1) Each Faculty shall consist of following members namely.
 - (a) The Dean who shall be the Chairman.
 - (b) The Head/Chairman of the Schools of Studies in the Faculty.
 - (c) All Professors, Senior Faculty in the Department assigned to the Faculty.
 - (d) One Associate Professor and one Assistant Professor, by rotation according to seniority, from each Department in the Faculty.
- (2) The term of the Faculty shall be three years, save for the ex-officio members.
- (3) The following shall be the functions of the Faculties.
 - (a) To consider and approve the syllabi prepared by the Board of Studies.
 - (b) To co-opt academicians/Industrialists/Scientists as the members of the Faculty.
 - (c) To review and recommend the proposals drafted by the Board of Studies and standing committee/ other academic bodies to the Academic Council.
 - (d) The Faculty shall have such powers and shall perform such duties as may be assigned by the Statutes and the Ordinances from time to time and appoint such Boards of Studies in different subjects as may be prescribed by the Ordinances.
 - (e) The Faculties shall also consider and make such recommendations to the Academic Council on any question pertaining to their respective spheres of work as may appear to them necessary or on any matter referred by the Academic Council.
 - (f) One half of the members of the faculty shall constitute the quorum.

STATUTE No. 14**POWERS AND FUNCTIONS OF DEANS OF FACULTIES**

- (1) There shall be a Dean for each Faculty, The Deans of the concerned Faculty shall be appointed by the Chancellor on the recommendation of the Vice-Chancellor for a term of three years on the basis of rotation according to seniority among the Professors of the concerned Faculty. Provided that, if there is no Professor, Associate Professor by rotation according to seniority, shall act as Dean.
- (2) The Dean shall be the Chairman of the Faculty and shall be responsible for the due observance of the Statutes, the Ordinances and the Regulations relating to the Faculty.
- (3) The Dean shall be responsible for overall supervision of the Department/ Faculty and the conduct of teaching and research work in the Department/Faculty.
- (4) The Dean of the Faculty shall exercise such other powers and perform such other functions and duties as may be assigned by the Governing Body/ Chancellor/ Vice-Chancellor.

- (5) The Dean shall have the right to be present and to speak at any meeting of any Board of Studies of the Faculty but shall not have the right to vote.
- (6) The Dean shall have the option to resign from the post at any time during his tenure and also decline the offer of appointment in his turn as Dean of the Faculty.

STATUTE No. 15

APPOINTMENT OF TEACHERS OF THE UNIVERSITY

- (1) The minimum qualifications for appointment to the teaching positions in the University, namely the Professor, Associate Professors, Assistant Professors, shall be as per UGC norms prevailing at the time of issuance of advertisement for recruitment to the posts.
- (2) The Governing Body shall assess the recommendations of the Academic Council and approve filling the teaching posts through a selection process from time to time
- (3) Teaching positions (Professor, Associate Professors, and Assistant Professors) shall be advertised online, in the website of the University and in News Papers of wider circulation, clearly mentioning the essential qualifications and pay scale of each advertised post as per norms prescribed by the University Grants Commission (UGC) or any other concerned Regulatory Body.
- (4) A Screening Committee consisting of three members, appointed by the Vice-Chancellor shall scrutinize all the applications and prepare a summary of all the candidates satisfying the essential qualifications and to be called for the interview.
- (5) Summary of all the screened applications shall be made available to the Selection Committee at the time of interview.
- (6) The Selection Committee for appointment of Regular Teachers shall consist of the following members:

(ii) The Vice Chancellor	Chairman
(ii) Two subject experts nominated by the Vice Chancellor	Member
(iii) One member nominated by the Chancellor/ Sponsoring Body	Member
(iv) One representative of CGPURC or its member or a person not below the rank of University Professor	Member
(v) Registrar	Member Secretary

Three members shall form the quorum.
- (7) The Selection Committee shall recommend to the Governing Body the names, arranged in order of merit of the persons whom it considers suitable for the appointment as faculty member.
- (8) After the approval of appointments, as recommended by the Selection Committee and approved by the Governing Body, the appointment letters shall be issued by the Registrar of the University.

- (9) In case of any dispute with regard to selection of candidates or dissenting note by any member of the Selection Committee, the matter shall be referred to the Chancellor, whose decision shall be final.
- (10) In addition to the regular teachers, the Chancellor in consultation with the Vice-Chancellor may appoint persons of eminence with outstanding Academic and Research Achievements as the Professors of Eminence, Professor Emeritus, Distinguished Professor, Adjunct Professors, Advisors/ Directors/ Director in the University for introducing Academic Excellence in research, teaching and extension. The Honorarium perks, terms and conditions for these positions shall be decided by the Chancellor.
- (11) All teachers appointed through direct recruitment shall be placed on probation for two years, extendable by one more year. A teacher, on successful completion of the period of probation, shall be confirmed on the post.
- (12) In addition to full-time teachers, the Vice-Chancellor may decide to engage for a fixed period, part-time, contractual and/or assignment based positions, either through direct recruitment or out-sourcing. The terms and conditions (such as honorarium, TA/DA, conveyance charges etc) of such engagements shall be decided by the Chancellor of the University from time to time.
- (13) Any dispute/ legal matter in this regard shall be subject to the Jurisdiction of Raipur District Court of Chhattisgarh and High Court of Chhattisgarh.

STATUTE No. 16

16. A. APPOINTMENT OF NON TEACHING EMPLOYEES IN THE UNIVERSITY

- (1) The following types of non-teaching employees shall be employed by the University
 - (a) Regular Employee
 - (b) Contractual employee
 - (c) Casual employee
- (2) Regular employee is an employee who is appointed against a clear vacancy in accordance with the provisions given in respective Statutes after getting entry into the services, regular employee has to undergo probation period of two years, which can be extended, if necessary, by one more year and shall be confirmed after successful completion of probation period.
- (3) Contractual employee shall be an employee who is appointed on contract for a specific period.
- (4) Casual employee shall be an employee who is engaged on the basis of a Muster Roll.

16. B. APPOINTMENT OF NON-TEACHING EMPLOYEE

[Refer Section 26 (1) (c), (e) & (f) of Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operations) Act, 2005]

1. Minimum Qualifications for Appointment of Non-Teaching Employees

- (a) The University shall meet the minimum qualification requirements for Non-Teaching employees wherever prescribed by the UGC.
- (b) The University shall also meet other minimum conditions of appointment mandated by the UGC.

2. Selection Committees for Appointment of Non-Teaching Staff

- (a) There shall be a selection Committee for the Appointment of senior administrative/Senior non teaching staff (other than the Registrar and Chief Finance and Accounts officer which is defined in relevant Statutes. The Committee shall consist of following members:
 - (i) The Vice Chancellor- Chairman
 - (ii) One Expert nominated by the Vice Chancellor - Member
 - (iii) Two outside expert members nominated by the Board of Management - Member
 - (iv) Registrar –Secretary
- (b) University Selection Committee for Appointment of other Administrative/Non-Teaching Staff:

There shall be a Selection Committee for the appointment of other administrative/Non Teaching Staff of the University consisting of the following members:

- (i) The Registrar as Chairman
- (ii) Two experts nominated by the Vice Chancellor - Member
- (iii) The supervisor/senior member of the department in which the position is being filled to be nominated by the Chancellor - Member
- (c) Meetings of the Selection Committee
 - (i) The meetings of the Selection Committee shall be convened by the chair of the Selection Committee as and when necessary.
 - (ii) Three members of the Selection Committee shall form the quorum.
 - (iii) The Chair of the Selection Committee shall have both a deliberative and a casting vote.
 - (iv) Each member shall, based on the performance of candidates, assign ranks in the order of merit. List of selected candidates is finalized after due deliberations and discussions by the members of the committee.
Provided that the Chancellor shall have the power to reject any/ all recommendations of the Selection Committee.

- 3. Remuneration Policy: The pay and other allowances payable of all the categories of employees shall be in such pay scales or at such stage of such pay scales as the Board of Management may adopt or decide from time to time, in accordance with the U.G.C guidelines, if any. The Governing Body shall frame terms and conditions of employees of the University.

4. Code of Conduct: All staff members shall adhere to the code of conduct established by the University as outlined within the rules and regulations.
5. Provident and Pension Funds: The University shall constitute for the benefits of its employees such provident or pension funds or provide such insurance schemes as it may deem fit in accordance with Government rules and regulation.
6. Arbitration of Disputes: Any dispute, controversy or claim arising out of or in connection with the contract between the University and any administrative or non academic staff, or the breach, termination or invalidity thereof, or between the University and its officers shall, at the request of the employee or the person concerned, be referred to a tribunal of arbitration consisting of one member nominated by the Vice Chancellor, one member nominated by the employee or the person concerned and a Chair selected by the two nominated members. Every request made by the employee or the person concerned under sub-section (1) shall be deemed to be a submission to arbitration upon the terms of this section within the meaning of the Arbitration and Conciliation Act, 1996. The procedure for regulating the work of the Tribunal shall be prescribed by the University.
7. Right to Appeal: Every administrative and nonacademic employee of the University shall have a right to appeal, within such time as may be prescribed by the Regulations, to the Vice Chancellor against the decision of any Office or Authority of the University or of the Institution, as the case may be, and thereupon, the Vice Chancellor may address appropriately.
8. Special Provision for Existing Employees: The employee holding a regular post in the University at the time of notification of this Statute, other than those who are on deputation, shall, on such notification be deemed to have been appointed under the provisions of this Statute.

STATUTE No. 17

STANDING COMMITTEE OF GOVERNING BODY / BOARD OF MANAGEMENT / ACADEMIC COUNCIL

- (1) The Governing Body, Board of Management and Academic Council may constitute their respective Standing Committees with Vice-Chancellor or any other Officer of the University as the Chairman.
- (2) The Registrar shall act as the Member Secretary of these Standing Committees.
- (3) Meeting of the Standing Committee shall be convened as and when required under the directions of the Chairperson of the Committee.
One-half of the members of the Standing Committee shall constitute the quorum. The adjourned meeting will not require quorum.
- (4) Notice for the meeting of the Standing Committee along with agenda will be served to the members at-least three days in advance of the meeting, However, an emergent

meeting of the Standing Committees can be called by the concerned officer, as and when required, with one hour notice .

- (5) All Authorities other than in clause (1) above can delegate any power vested in them with the approval of Governing Body.
- (6) The Chancellor and the Vice-Chancellor can assign the powers vested in them, except approval of appointments of employees (Teaching & Non-teaching) and terminations of their services; such delegation shall be reported to the Governing Body.

STATUTE No. 18

BOARD AND COMMITTEES

The Governing Body, the Board of Management and the Academic Council, may constitute committees consisting of the members of the authority, such committee may deal with any subject or subjects assigned to it and report to the appointing authority.

STATUTE No. 19

EXAMINATION COMMITTEE

- (1) All Examinations of the University shall be organized as per the relevant Ordinance. In order to facilitate, there shall be an Examination Committee comprising of:
 - (i) Fours Heads of the Departments as members, for a period of three years.
 - (ii) One of the Head of the Department mentioned above in 1(i) shall be nominated as Chairperson of the Committee by the Vice Chancellor on rotation basis for term of two years.
 - (iii) Two senior Faculties as Members, for a period of two years.
 - (iv) Controller of Examinations as Member Secretary of the Committee.
- (2) Meetings of the Examination Committee shall be arranged as per the requirement of recommendation of appropriate authority that include Vice Chancellor and Chairperson of the Examination Committee.
- (3) Four members of the Committee, including Chairperson shall constitute quorum of the meeting.
- (4) All members of the Committee shall continue as members till the end of their term or at the pleasure of Vice-Chancellor.
- (5) Powers and functions of the Examination Committee shall be as follows:
 - (i) Give accord to the final number of students who shall take the coming next examination as Regular/ATKT/Supplementary (Allowed to Keep Term) candidates.
 - (ii) Finalize the Examination Time Table submitted by Examination Department after collating the proposed Examination Time Tables from all departments.
 - (iii) Finalizing deduction in the remuneration given to the Questions Paper Setters, Answer Script Evaluators, Examiners, Superintendents, Assistant

- Superintendents, Invigilators, Tabulators and Collators for errors noticed in their Examination Work.
- (iv) To scrutinize and approve the results of the Examinations conducted by the University after satisfying itself that the result on the whole and in various subjects are in conformity with the usual standards and to recommend to the Vice Chancellor the action to be taken in any case where the result is unbalanced.
 - (v) Scrutinize the complaints against the question papers and to take appropriate action.
 - (vi) To consider the cases of Unfair Means and take appropriate action as per the University Ordinance.
 - (vii) To consider the cases of misconduct by an examinee in the Examination Hall and take appropriate action as per the Ordinance of the University.
 - (viii) To consider the cases of examinee approaching an Examiner, Controller of Examination or any person employed in the office seeking ways or means of bringing pressure, with a view to seeking undue favor and take appropriate action in such cases as per University Ordinance.
 - (ix) To finalize the list of Examiners submitted by Examination Department.
 - (x) To recommend three names to the Vice Chancellor for the appointment of paper setter for each written paper.
 - (xi) To evolve ways and means to ensure confidentiality and sanctity of the examination system.
 - (xii) To finalize the list of persons for appointment as co-examiners, if necessary and propose it to the Vice Chancellor.
 - (xiii) To recommend for re-appointment of a Subject expert as examiner even if he/she has worked as examiner for three consecutive years.
 - (xiv) To recommend for discontinuation of an examiner if his/her services are found unsatisfactory as per the Ordinance.
 - (xv) Any other task assigned to it by the Chancellor, Vice-Chancellor, Academic Council of the University, pertaining to the matter of Examination.
- (6) The Examination Committee shall submit its Reports/Minutes of the Meetings to the Registrar along with its recommendations and decisions who shall be responsible for implementing them.

STATUTE No. 20

BOARD OF STUDIES

- (1) There shall be a Board of Studies for each department comprising of:
 - (i) The Head of the Department – Chairman.
 - (ii) Two teachers of the concerned department – Members.

- (iii) One senior teacher as member to be co-opted by the Board of Studies from outside the University – Member.
The Vice-Chancellor may invite some outside experts on the recommendation of the Head/ Chairman of the concerned Department.
- (2) Save for the ex-officio member, the term of the member of the Board of Studies shall be for a period of three years.
- (3) The Vice Chancellor shall constitute the Board of Studies for the subjects to be started by the University as and when required.
- (4) Details of syllabus along with the pattern of examination, assessment and instruction or delivery of subject in different courses of the department shall be prepared by the Board of Studies and submitted to the Academic Council for its approval and publication.
- (5) Contents of the syllabi shall be revised and updated by the Board of Studies from time to time for submission to the Academic Council for its approval.
- (6) The meetings of the Board of Studies shall be arranged at least once in a year.
- (7) One half of the members of the Board of Studies shall constitute the quorum.

STATUTE No. 21

PROVISION REGARDING FEE TO BE CHARGED FROM THE STUDENTS

- (1) The tuition fee for various programs of the University shall be prescribed by the Board of Management.
- (2) The University shall also prescribe, from time to time, other fees such as admission fee, hostel fee, mess fee, usage charges, for services such as laundry, printing etc.
- (3) The University shall take prior approval of the CGPURC regarding the fees before the commencement of the process of admission and in case of a proposal for revision of fee for any course(s), as the case may be.

STATUTE No. 22

CONFERMENT OF HONORARY DEGREES AND ACADEMIC DISTINCTIONS

A proposal for conferment of Honorary Degree may be made by the Academic Council unanimously. The proposal shall be placed before a Committee consisting of the Vice-Chancellor, nominee of the Chancellor and the Deans of the faculty concerned. If the committee unanimously recommends that an Honorary Degree be conferred on any person on the ground that he is, in its opinion, a fit and proper person to receive such degree, its recommendation shall be placed before the Governing Body.

If not less than two-thirds of the members of the Governing Body recommends for the conferment of Honorary Degree, then the same shall be placed before the Chancellor for

confirmation. The Chancellor in turn, shall place the proposal before the Visitor, for final approval.

STATUTE No. 23

ADMINISTRATION OF FUND FOR THE AWARD OF FELLOWSHIPS, SCHOLARSHIPS, MEDALS AND PRIZES IN THE UNIVERSITY

- (1) The Governing Body may accept donations, bequests, endowments and other grants for creation of a fund for the award of Fellowships, Scholarships, Concessions, Stipends, Medals and Prizes of the recurring nature, in a manner as may be prescribed by Regulations.
- (2) The Governing Body shall administer the fund.
- (3) The award shall be made out of the Annual Income accruing from the fund. Any part of the income which is not so utilized shall be added to the fund.
 - i. The Governing Body shall prescribe the conditions of depositing the fund in a nationalized Bank.
 - ii. The value of fund necessary for instituting an award shall be prescribed by the Board of Management.
- (4) No fund shall be accepted in contravention of the award, and effect shall be given to the wishes of the donor as far as possible.
- (5) The Governing Body shall approve the list of awardees of fellowships, concessions, medals and prizes as per the specific regulation(s)/ ordinance(s) belonging to the specific fund, for the purpose.

STATUTE No. 24

ADMISSIONS OF STUDENTS

- (1) Admission to various courses shall be governed by the respective ordinances framed in this regard.
- (2) The University may conduct its own entrance test, or may utilize the list of results of examination/test conducted by different States/ National Professional Bodies, for the purpose of admission.
- (3) The University may admit the students in the order of merit on basis of the marks obtained in qualifying examination wherever entrance test is not laid down in the ordinances.
- (4) The State Reservation policy shall be followed in the matter of admission to all the courses of the University.

STATUTE No. 25**NUMBER OF SEATS IN DIFFERENT COURSES/ SUBJECTS**

The number of seats for a Course/Subject shall be decided by the Admission Committee constituted by the Vice Chancellor for different courses from time to time on the basis of availability of staff, infrastructure etc. The University shall decide the number of seats for a course as per the approval of the Statutory Regulatory Body, wherever the same is required.

STATUTE No. 26**ANNUAL REPORT**

- (1) The Annual Report, prepared by the Registrar, shall cover the period from 1st of July to 30th June of the following year and shall be submitted to the Governing Body at its annual meeting held after the expiry of the said period, for approval.
- (2) The Annual Report shall be sent to the Visitor, CGPURC and the State Government, after approval, by the University.

ORDINANCE – I**Admission of Students to the University and their Enrolment**

Admission and enrolment of students in the Shri Rawatpura Sarkar University shall be regulated in the manner hereinafter provided.

Definitions

- (i) "Equivalent Examination" means an equivalent examination conducted by
 - (a) Any recognized Board of Secondary Education or
 - (b) Any Indian or Foreign University or organization recognized by the concerned statutory authority.
 - (c) Any Indian University incorporated by any law in force for the time being and recognized by the University as equivalent to its corresponding examination.
- (ii) "Gap period" means the period between the last dates attended at an educational institution, excluding coaching Institutes, as a regular student and the date of taking admission in the University.
- (iii) "Qualifying examination" means an examination the passing of which makes a candidate eligible for admission to a particular course of study as the case may be leading to the award of Bachelors or Masters or M. Phil or Doctorate or Diplomas or PG Diploma or Certificate conferrable by the University.
- (iv) "Supplementary/Compartment" means a result in which a student has been declared 'failed' in two subjects in the annual examination/end semester examination.

1. Eligibility for Admission

- (i) Unless otherwise provided, no person shall be eligible for admission to the undergraduate and or Diploma Courses in the University unless he/she has passed the Senior School/Higher Secondary Certificate Examination of an Indian University or Board or 10+2 or equivalent or as per eligibility criteria issued by regulatory body /council from time to time from Examination recognized and considered equivalent to either of these Examination by the Academic Council of the University, from time to time.
- (ii) No person shall be admitted to any post-graduate course or Post Graduate Diploma unless he/she has passed a Under Graduate degree examination from a recognized University or an examination recognized as equivalent to a degree by the Academic Council from time to time and possesses such further qualification as may be prescribed by the Ordinances.
- (iii) No person shall be admitted to M.Phil/Doctorate unless he/she has passed a Post Graduation or Equivalent degree examination from a recognized University as per the eligibility criteria issued by regulatory body/council from time to time or an examination recognized as equivalent to a PG degree by the Academic Council from time to time and possesses such further qualification as may be prescribed by the Ordinances.
- (iv) The candidates seeking admission to a course of study in the University must fulfil the conditions prescribed for it by the Academic Council and published in the prospectus from time to time.
- (v) The maximum number of Seats in each course shall be determined by the Academic Council from time to time as per the availability of adequate physical facilities and approval from various statutory bodies viz, UGC, NCTE, PCI, BCI, MCI, INC, COA, etc as and when necessary.

2. Provision for Admission

- (i) No candidate shall be entitled to claim admission as a matter of right.
- (ii) The procedure of admission shall be approved by the Academic Council from time to time and shall be published in the prospectus.
- (iii) Save as otherwise provided, all admissions to under-graduate and post-graduate courses shall be made on the basis of merit and/or marks obtained in the entrance test held by the Admission Committee or by appropriate Body, if applicable.
- (iv) Admission shall be offered at the beginning of each semester/academic year or as prescribed by the Academic Council from time to time.
- (v) The application for admission shall among others be accompanied by (i) the School or College Leaving Certificate signed by the Head of the Institution last attended by the student. (ii) Duly attested photocopies of the statement of marks accompanied by the original copies which shall be returned after the verification, showing that the applicant has passed the qualifying examination and in case of a student who passed the examination as a private candidate a certificate signed by two responsible persons certifying the good character of the applicant. If the applicant for admission, as aforesaid, has passed the qualifying examination from Board other than the Chhattisgarh Board of Secondary Education, or a University other than this University, then he/she shall submit in addition to the school or college Leaving an Eligibility and/or a Migration Certificate from the Secretary or Registrar of such board or University, as the case may be, together with migration fee as decided by the University from time to time. If any of these are found to be forged, tampered or false, the student's admission will automatically stand cancelled and necessary legal action may be initiated.
- (vi) The mode of sending application for admission of students can be direct/through post/Online. Any student from India or abroad seeking admission in the University can interact online with the University.
- (vii) The Admission Committee will process the applications and selected candidates shall be awarded provisional admission.
- (viii) Save for admission in first semester/1st year, a student with 'compartment' or supplementary result may be granted 'provisional' admission to any course if the courses of study to which he /she would have otherwise normally been admitted if he/she shall have secured clear pass grades.
- (ix) At the time of admission, every student and his/her parent or legal guardian shall be required to sign a declaration to the effect that the student submits himself to the disciplinary & pecuniary jurisdiction of the Vice-Chancellor and other authorities of the University.
- (x) A student who has passed a part of any degree or diploma from another recognized University /recognized awarding body shall be admitted to subsequent higher class for such examination after its equivalence has been determined by the Dean of the Faculty in consultation with the Head of the Department.
- (xi) Provided further that the Vice-Chancellor shall have the powers to grant admission in case of genuine hardship beyond the last date of admission as given above on the clear understanding that the attendance of all such students shall be counted from the date of commencement of the course.
- (xii) Admission of a student to any course shall be subject to the availability of vacant seat in that particular course in which admission is sought.

- (xiii) Lateral Entry admission shall be allowed as per the norms of concerned regulatory bodies.

3. Restrictions for Admission on Certain Grounds

- (i) No student shall be admitted in two regular degree courses simultaneously.
- (ii) Unless otherwise provided a student may join part-time or distance education course provided he/she fulfils the eligibility requirements as per procedure laid down for the purpose by Rules.
- (iii) No student shall be admitted to course after passing the same course of the University. However he/she may be admitted to a higher course of the same faculty or for an additional diploma/degree in a different field at the same level provided he/she fulfils the eligibility requirements.
- (iv) Anyone who has been suspended, rusticated, debarred, expelled etc. by a competent authority of the University shall be prohibited from claiming admission in any course whatsoever.
- (v) Admission to any course of the University can be cancelled at any time, if any information furnished by the candidate is found to be false/ incorrect.
- (vi) A candidate who has taken admission in a wrongful manner by concealing his/her identity to any course as a full time regular student will forfeit his/her right as an ex-student in the University and will not be allowed to appear at any Examination of the University as an ex-student.
- (vii) A person who is under sentence of rustication or has been disqualified from appearing in an examination by any other University/Institution shall not be admitted to any course of study in this University during the period of rustication or disqualification.
- (viii) No student migration from any other University shall be admitted to any class in an institution unless he/ she has passed the examination which has been declared by the University as equivalent to the qualifying examination for a Student of the University.
- (ix) Without prejudice to the provision contained in the sub clause 2 (v) above, no student migrating from any other University shall be admitted to any class in a department without the prior permission of the Registrar where by any general or special direction such permission is necessary.
- (x) An application for admission to a course leading to a Bachelor's Degree/ Honours course shall not be accepted unless the application is prepared to appear in all the subjects prescribed for the particular Degree/ Honours Examination.
- (xi) No student who has passed a part of a Degree or Post Graduate Examination from any other University shall be admitted to subsequent higher class for such an Examination in the University without producing eligibility certificate from the competent authority.
- (xii) Candidates coming on transfer from other Universities because of the transfer of their parents/ guardians or any other genuine hardship may be given admission beyond the last date of admission.

4. Enrolment of Students

- (i) Head of Department/ School shall submit the details of admitted students in a prescribed form within 45 days from the last date of admission, along with all the relevant original documents and enrolment fee as specified by the Academic Council from time to time to the Registrar.
- (ii) No person shall be admitted to any Examination of the University unless he/she has been duly enrolled as a student of the University.

- (iii) The Transfer and Migration Certificates submitted by students at the time of admission shall become the property of the University.
- (iv) Enrolled students will be issued Transfer Certificate and Migration Certificate under the seal and signature of University at the time of leaving the University.
- (v) If a student takes a Migration Certificate to join another educational institution his/her Enrolment to the University shall lapse until such time as he/she may subsequently return with a Migration Certificate from that educational institution to take admission to some course in the University. Fresh Enrolment Fee in such cases shall be necessary.
- (vi) The Registrar shall maintain a Register of all enrolled students studying in the various Faculties of the University. In the said register, the Registrar shall be required to incorporate all the material details regarding the student including the date of birth, date of admission and leaving the institution and details about various examinations of degree/diploma certificate awarded to him/her.
- (vii) The student shall be informed on Enrolment, the enrolled number under which his/her name has been entered in the Enrolment Register of University and that number shall be quoted by the student in all communications with the University and in subsequent applications for admission to an examination of the University.
- (viii) Any enrolled student may obtain a certified copy of the entries relating to him in the Enrolment Register on payment of the prescribed fee.

5. Change of Name

- (i) A student applying for the change of his name in the Register of Enrolment department shall submit his application to the Registrar through the Head of Department accompanied by:
 - (a) The prescribed fee
 - (b) An affidavit relating to his present and proposed name, duly sworn in the presence of a Magistrate or a Notary by his parent or guardian, in case he is minor, or by himself, in case he is major.
 - (c) A publication from a newspaper in which the proposed change of name has been advertised. However the provision relating to publication shall not be applicable in case where a woman candidate wants to change her name following her marriage. The Registrar shall take a decision on such applications after obtaining approval of the Vice-Chancellor.

6. Change of Subject(s)

- (i) A student shall not ordinary be allowed to change the optional/subsidiary/specialization subject(s) of a course, unless the same is applied for and permitted within four weeks from the date of admission. Such application should he submitted to the Head of the Institute of the Faculty with the consent of the Head(s) of the Department(s) concerned.

7. Reservation

- (i) The State reservation policy shall prevail in respect of admission to all courses of the University.

Note: In case of any ambiguity regarding provisions relating to admission in various courses, the decision taken by the Vice-Chancellor shall be final.

8. Admission Committee

- (i) There shall be an Admission Committee constituted by Vice-Chancellor for M.Phil, Ph.D., Post-Graduate, Graduate, Diploma and Certificate Courses in each Faculty/Department for regulating the admissions in the University.
- (ii) The Committee shall:
 - (a) Scrutinize the Application Forms for admission of the candidate; in accordance with the conditions of admission prescribed by the Academic Council from time to time.
 - (b) Conduct the Admission Test(s) and or Interview; or as otherwise provided.
 - (c) Prepare the merit list on the basis of marks obtained in the qualifying examination or marks scored in the entrance test, as the case may be.
 - (d) Prepare a list of candidates, selected for provisional admission by the Chairperson of the Committee or the Head of the Institute of the Faculty concerned.
 - (e) Suggest methods to improve reliability and standard of the admission/entrance test(s).
 - (f) Recommend to Vice-Chancellor terms, conditions and provision for admission of students belonging to SC/ST/OBC/Handicapped/Girl Student Category and shall also ensure that the State reservation policy is followed.
- (iii) The members of the Committee other than ex-officio members shall hold the office for the term of one academic year.
- (iv) Not less than three-fourth of total number of members of the Committee shall form the quorum.
- (v) Notwithstanding anything contained in the concerned ordinance of examination candidate who has appeared in all the theory papers, practical viva, internal assessment, field work, project work at the end-semester/year end examination as regular candidate and fails by a total of not more than five marks in not more than three subjects, in any of the Diploma, Certificate, Graduate, Post Graduate examinations, M.Phil/Ph.D Course work maximum of five grace marks may be given to enable him to pass the examination. These marks shall not be counted towards the total. The grace consideration shall not be a matter of right of a candidate and shall be the prerogative of the Vice Chancellor. This facility shall be available only to those candidates who clear that particular Semester/Year End Examination in full (i.e. in all theory, practical and seasonal in first attempt) by availing five Grace Marks.
- (vi) In case the division of the student improves from II to I or from I to distinction by awarding 1 grace marks then the Vice Chancellor may award such marks. Such award of marks shall be separately mentioned in the Marks sheet of the student. This benefit will not, however, be available to a candidate getting advantage under clause 8(v)
- (vii) No grace marks shall be awarded in other than theory papers and to ATKT/Supplementary student.

9. Admission of International Students

Introduction: Procedure to be followed for determining the eligibility and admission of International students to various courses of the University and others relevant details, are as hereunder:

- (i) Office: An International Student's Cell shall be set up to deal with admission of international students. This cell will not only control the admission of the student but shall also provide necessary guidance and counselling for securing admission.

- (ii) **International Students:** International Students shall include the following:
- (a) **Foreign students:** Students holding valid passports issued by their countries including people of Indian origin who have acquired the nationality of foreign countries shall be treated as foreign students.
 - (b) **Non Resident Indians (NRI):** Only those non Resident Indian students who have studied and passed the qualifying examinations from schools or colleges in foreign countries will be treated as international students. This will also include the students studying in schools/colleges situated in foreign countries even if affiliated to the Boards of Secondary Education/Universities located in India. However, it will not include students studying in these schools or colleges situated in India and affiliated to the Board of Secondary Education or Universities to the foreign countries. Student passing the qualifying examinations from boards or universities located in foreign countries as external students and dependents of NRI studying in India will not be included as international students. Entry level status of International students on entry to the country will be maintained.
- (iii) **Documents required for admission of International Students:**
- (a) **Visa:** All the international students will require a student visa endorsed to this University/Institution for joining full time courses. No other endorsement is acceptable. Students wishing to join a research program will require a research visa endorsed to this University. The visa should be valid for the prescribed duration of the course. A visa is not required for NRI Students. Students, who are doing full time courses in some other institutions, do not require a separate visa for joining part time courses provided that their current visa is valid for the entire duration of the course.
 - (b) **No Objection Certificate:** All international students wishing to undertake any research work or join any University programme will have to obtain prior security clearance from the Ministry of Home or External Affairs and the approval of Department of Secondary & Higher Education, Ministry of Human Resource Development Government of India and this must be on the research visa endorsed to this University/Institution.
 - (c) Any other document as required from time to time.
- (iv) **Eligibility Qualification:** The eligibility criteria for admission to different courses shall be in according to the provisions given in the prospectus. Only those students who have qualified from foreign Universities or Board of Higher Education recognized as equivalent by the Association of Indian Universities (AIU) shall be eligible for admission. Student qualifying in any course or in the equivalence of any course shall be referred to AIU, whose decision in the matter shall be final and binding.
- (v) **Admission of International Students:** Admission of the international students will be done through the international student's cell of the University. The students will generally be admitted prior to the commencement of the course. However students can also be admitted as transfer cases after the commencement of the course from other Institutes, subject to the eligibility.

The admission of international students shall be done in two stages. First, a student to join the University gets the application form and the information on the eligibility requirements courses available and admission procedure from the prospectus or the website of the University. The application for provisional admission is then submitted to the International Student's cell. The cell will then check the eligibility and

issue the provisional admission letter. This is required to get the visa and to complete other formalities.

After getting provisional admission, the student shall have to get student visa and complete all other formalities. The student should then report for final admission in the University/Institute where he/she wants to join the course. The next step is to fill up the admission form in the concerned University/Institute and pay the required fees. After this, the student should undergo the medical examination. The students may have to appear for the English proficiency test conducted by the University or some other agency authorized/recognized by the University. Once this is done, the final admission shall be given.

The international students will have to pay the fees in US dollars. In special cases permission will be given for payment of fees in the equivalent Indian Rupees. Following fees are normally payable to secure provisional admission. Form fees (included in the cost of bulletin, if purchased); Eligibility Fee and Administrative Fee (could be different for direct admissions and for transfer cases).

- (vi) Remedial Course in English: Students who are required to take the proficiency test in English or undergo the foundation course will have to pay the prescribed fees as applicable. This will have to be paid when the students are finally admitted. The fee differs from course to course, from time to time.

In case, the student does not get/take the admission to the course after obtaining Provisional admission then the administrative fees will be refunded deducting the bank Commission and postage as applicable.

An International student who has been granted admission to any of the courses after passing the qualifying examination from a statutory Board or University outside India may have to appear at the Proficiency Test in English conducted by the University/Institution or any other organization. International student who have passed the qualifying examination in the English medium are exempted from this test.

An international student, who either fails in the Proficiency Test in English or fails to appear in the test, shall be required to join the Remedial English Courses for International Students (RECIS) of the foundation course conducted by the University/Institute.

The students will continue the course and they will have to successfully complete the RECIS or foundation course, at the earliest.

The International English Language Testing System (IELTS) has especially been designed an English Language Course to cater to the needs of students who want to improve their proficiency in the English language. This course can be done simultaneously with the other regular courses or independently.

- (vii) Transfers & Change of Course: An international student who has been granted to a particular course shall not be allowed to change the course. Transfer from one University/institution in India to another is also not allowed, ordinarily. In exceptional cases, the International Student's Cell may permit this – based on the availability of the course, eligibility rules and permission of the Competent Authority of the University/Institution.

- (viii) Government of India Scholars: International students who are awarded scholarships by national agencies such as ICCR, UGC, etc shall be given preferential treatment while granting admission and for hostel accommodation. Sponsored candidates from different foreign Governments for training, studies and research are also given preference for the same.

- (ix) **Discipline:** The international students will abide by the rules of The University and the code of conduct as applicable to Indian students doing same courses.
- (x) **Examination and Award of Degree, Diplomas & Certificates:**
The procedure of examination, payment of examination fees issue of mark list, issue of passing certificate and award of degree will be same as for the Indian Students doing the same courses. For completing the graduation a candidate is required to pass the paper of Environmental Studies once in the duration of degree course. The marks of Environmental Studies will not affect the division in any case.
- (xi) **Conclusion:** In Case, there are any differences on the interpretation of rules then the opinion of the admission committee Cell will be final. The fees are liable to revision and student will have to pay the revised fees when applicable. On the points not specifically covered, the decision of the Vice-Chancellor shall be final.
- 10. Medium of Instruction:** The medium of Instruction in Shri Rawatpura Sarkar University shall be English and/or Hindi except for the subjects related to the specific languages.

ORDINANCE – 2**The University Examinations****I. Definitions:**

- (i) "Academic Program" means a program of courses and/or, any other component leading to a Bachelor's degree, Master's degree, Post-graduate and Graduate diplomas, M. Phil, Ph.D. Degrees and certificates.
- (ii) "Academic Year" means a period of nearly 12 months devoted to the completion of requirements specified in the Scheme of Teaching and the related examinations.
- (iii) "Semester System" means a program wherein each academic year is apportioned into two semesters each of six months.
- (iv) "ATKT Candidate" means a candidate who has failed in not more than 35% of the total number of papers in the Semester Examination where the calculation of 35% shall always be rounded off, and is appearing in the Examination of the same semester again which is conducted with the next Semester Examination.
- (v) "Supplementary Candidate" means a candidate who has failed in not more than 35% of the total number of papers in the Yearly Examination where the calculation of 35% shall always be rounded off.
- (vi) "Attested" means attested by the Forwarding Officer.
- (vii) "Co-Examiner" means a co-examiner in a written paper other than the paper setter.
- (viii) "Course" means a component of the academic program, carrying a distinctive code no. and specific credits/Marks assigned to it.
- (ix) "Ex-student" means a candidate who was admitted to an examination as a regular candidate and was not declared successful then or was not able to appear in the examination though admission card was correctly issued to him by the University and seeks admission again to the said examination.
- (x) "External Examiner" means an examiner who is not in the employment of the University.
- (xi) "Forwarding Officer" means the forwarding officer designated by the University.
- (xii) "Internal Examiner" means an examiner who is in the employment of the University and:
 - (a) In case of theory paper, an examiner including a paper setter who is a teacher of the University
 - (b) In case of practical viva-voce examination, an examiner who is a teacher in the University.
- (xiii) "Regular Candidate" means a person who has prosecuted regular course of study in the University Teaching Department and seeks admission to an examination of the University as such.
- (xiv) "Regular course of study" means a regular course of study in University Teaching Department, in each subject in which a candidate intends to offer for an examination and where a student is required to fulfil the requirements of attendance of at least 75% of lectures and practical's separately.
- (xv) "Second ATKT/ Supplementary Candidate" means a candidate who has failed in not more than 35% of the total number of papers in the Semester/Year End Examination; and failed again to pass those paper(s) in that Examination organized with the next Semester/End Examination and now is appearing for the second and final time to clear those paper(s) with the regular Semester/Year End Examination of the same semester/Year organized for the students of the next batch i.e. junior batch (batch junior to him/her immediately).

- (xvi) "Student" means a person admitted to any Department of the University for any of the academic programs to which this Ordinance is applicable.
- (xvii) "Supplementary/Compartment" means a result in which a student has been declared 'failed' in not more than 1/3rd of the total number of papers subject in the annual/semester examination.
- (xviii) "University" means, unless and otherwise specified, Shri Rawatpura Sarkar University.
- (xix) "Golden chance" means chance of golden ATKT/Supplement given to Final Year Passed students those have passed the Final Year examination but have ATKT/Supplementary in his /her Previous Semesters/Year end Examination. Such students can appear in Golden ATKT/Supplementary, the number of papers will be as per the recommendation laid down by the Examination Committee of the University from time to time.

2. University Examination

- (i) The University shall hold examinations for all such academic programs as approved by the Academic Council and may be notified from time to time for awarding Bachelors/ Masters Degrees, Under-graduate/Post-graduate diploma certificates and Ph.D. /M.Phil. Course work as the case may be as per the prescribed Schemes of Teaching and Examinations and Syllabi as are approved by the Academic Council.
- (ii) Examinations of the University shall be held for regular students, ex-students of the University and students who have got supplementary in the year end examination or ATKT in the semester.
Provided that the Academic Council may allow any other category of candidates to take the University Examination for any specified academic program subject to the fulfilment of such conditions as may be laid down by the Academic Council from time to time.
- (iii) No person who has been expelled or rusticated from the University or has been debarred from appearing at the University Examination shall be admitted to any Examination during the period for which the punishment is in operation.
Provided further that, a student may be debarred from appearing in the semester/ Year end examination due to shortage of attendance and other reasons as provided in any other Ordinance of the University.

3. Programmes Content & Duration

- (i) A Bachelor's/Master's degree, Ph.D./M.Phil. Degree and Under-graduate/Post-graduate, diploma and certificate program shall comprise of a number of courses and/or. Other components as specific in the Scheme of Teaching & Examination and Syllabi of the concerned program, as are approved by the Academic Council. Each course shall be assigned a weightage in terms of specified Credits/Marks from time to time.
- (ii) The minimum period required for completion of a program shall be the program duration as specified in the Scheme of Teaching & Examination and Syllabi for the concerned program.
- (iii) The maximum permissible period for completing the program under semester system shall be (n+4) semesters where "n" is the total number of semester prescribed for the program. All the program requirements shall have to be completed in (n+4) semesters.
- (iv) The maximum permissible period for completing a program under annual system shall be (n+2) years where 'n' is the total number of years prescribed for the program. All the program requirements shall have to be completed in (n+2) years.

4. Semester

- (i) An academic year shall be apportioned into two semesters each of the semesters shall be of a working duration of about 23 weeks.
- (ii) The Academic Calendar shall be notified by the University each year, before the start of Academic session.
- (iii) The academic break-up of the semesters devoted to instructional work shall be as hereunder:-

(a) Imparting of instructions and/or, laboratory works (Including Class Tests)	-	19 weeks
(b) Preparation Leave	-	01 week
(c) Semester end Examination, including Practical/ Laboratory Examination	-	03 weeks

5. Submission of Internal Marks

The result of assignments, Class tests and attendance shall be submitted to the Controller of Examinations at least ten days before the commencement of Semester End examination. The internal marks shall carry prescribed weightage of Class test and Assignments etc.

6. Admission to the University Examination

- (i) All the students, seeking permission to appear at any of the Examination of the University, shall have to fill up the prescribed examination form and forward it to the Controller of Examinations through the Forwarding Officer.
- (ii) The Controller of Examination shall scrutinize all applications for admission to University Examinations with reference to Enrolment Register. Such of those applications that are incomplete in any respect, are liable to be rejected. The Controller of Examination may seek additional information and depending upon the genuineness of the case, may permit a candidate to appear for the examination applied.
- (iii) In forwarding the applications of the Regular Students, the Forwarding Officer shall certify:
 - (a) That the candidate is eligible for admission to the next examination.
 - (b) That the candidate has studied a regular course of study for the period prescribed and that he/she fulfils attendance requirements.
 - (c) That his/her conduct is satisfactory.
- (iv) An application along with the Receipt for the payment of the prescribed Examination fee as set in these Ordinances submitted by a Regular Student, Ex-Student, for permission to appear in the Examination shall be submitted to the office of the Controller of Examinations on or before the last date announced for this purpose.
- (v) A candidate may be permitted by the Controller of Examinations/Registrar to submit his/her Application form for semester Examination along with the Examination Fee with the prescribed late fee within 7 days of the specified last date.
- (vi) Application for ATKT Examinations, wherever applicable, shall reach the office of the Controller of Examinations/Registrar within 30 days of the announcement of the result through the forwarding officer.
- (vii) Application for appearing in Second ATKT Examination shall be submitted so as to reach to the Office of the Controller of the Examination 30 days before the commencement of the regular Semester End Examination through Forwarding Officer in the prescribed form and specify therein:-

- (a) The subject or subjects in which he/she desires to present himself/herself for the Examination.
 - (b) Submit with the application evidence of having been admitted to the Examination earlier
 - (c) An ex-student shall offer the subjects or optional papers which he/she had previously offered as a regular candidate unless, on account of a change in the scheme of Examination, the subject/paper offered by him earlier to be a part of the scheme of Examination or syllabus for the Examination and he/she is permitted by the University to offer a different subject or paper.
 - (d) An ex-student shall appear from the Examination centre specified by the University.
- (viii) No regular candidate shall be admitted to an examination of the University unless he/she:
- (a) Has been enrolled as a student in the University in accordance with the provisions of the Ordinances.
 - (b) Possesses minimum academic qualification for admission to the examination to which he/she seeks admission and has pursued a regular course of study for that examination.
 - (c) Satisfies all other provisions, applicable to him/her, of this Ordinance and any other ordinances governing admission to the examination to which he/she seeks admission.
- (ix) Where a candidate offers an additional subject for an examination in accordance with the provisions of the Ordinance, the minimum attendance requirement shall apply equally in case of such additional subject.
- (x) In computing the attendance for fulfilment of the condition regarding persuasions of a regular course of study.
- (a) Attendance of lectures delivered and practical/clinical/sessional, if any, held during the academic session shall be counted.
 - (b) Attendance of a regular candidate in a higher class shall be counted towards percentage of attendance for the examination of the lower class to which he/she has been reverted due to his/her failure to pass in the second ATKT examination/Supplementary examination.
- (xi) A candidate shall not be admitted into the Examination Hall unless he/she produces the Admission Card before the Superintendent of the Examination center or the Invigilator. A candidate shall produce his Admission Card whenever required by the Superintendent or the Invigilator.

7. Attendance

- (i) A candidate shall be deemed to have undergone a regular course of study in the University, if he/she has attended at least 75% of the lectures, tutorials and practical's. Provided that the Academic Council may, in special circumstances, condone any shortage in such attendance except otherwise provided by the Academic Council.
- (ii) A relaxation in the maximum extent of 15% of the total attendance can be accorded to student by the Vice Chancellor on account of sickness, attendance at N.C.C./N.S.S. camp and parade participation as a member of University team in any inter or intra University competition, participation on the University functions and the prescribed educational tours/ field trips/field work, and any other reason provided that the information about the same, duly counter signed by the Teacher-in-charge, is sent to the Head of the Institute concerned within two weeks of the function/activity etc.

- (iii) Provided further in case of sickness/ medical disability, an application for the condonation that be supported by a medical certificate issued by a registered medical practitioner/public hospital and duly authenticated by either the Chief Medical Officer (Civil Surgeon) or the University Health centre or official doctor of Shri Rawatpura Sarkar University/Institute/Department/Study centre. Such applications must be submitted either during the period of treatment /hospitalization or within two months following recovery.

8. Evaluation & Examination

- (i) The overall weightage of a course in the Syllabi and Scheme of Teaching & Examination shall be determined in terms of credits/Marks assigned to the course.
- (ii) The evaluation of students in a course shall have two components unless specifically stated otherwise in the Scheme of Teaching & Examination and Syllabus
- (a) Evaluation through a semester-end examination or annual Examination.
- (b) Continuous evaluation by the teacher(s) of the course
- (iii) Continuous Evaluation:
In courses where continuous evaluation is prescribed, it shall be based on class test, quiz, assignment, group discussions etc. The concerned Board of Studies shall decide the details and modalities in this matter, with the approval of the Vice chancellor.
- (iv) ASSIGNMENT
- (a) The submission and evaluation of assignments shall be the responsibility of the Heads of the concerned Departments. A complete transparency shall be maintained in preparation and evaluation of the assignments.
- (b) The entire class shall be divided in groups. Each group will be given a separate assignment with minimum commonality.
- (c) A minimum of two assignments per subject per semester will be given to the students, or as decided by the faculty.
- (d) Each student will be required to defend his, assignment after submission through a process of presentation/viva-voce.
- (e) Assignments will be prepared as per a standard format, approved by the Academic Council from time to time, specific to different departments.
- (f) Students will be required to submit the assignments within two weeks from the date of issue.
- (v) Dissertation/Thesis
The evaluation of dissertation/thesis for Master's degree programs, wherever specified in the syllabus, shall be done. The marks awarded by the internal shall carry a weightage of 30% and the marks awarded by the external examiner shall carry a weightage of 70%. The examiners shall be appointed by the Vice-Chancellor, out of a panel of three or more names suggested as specified in this Ordinance. The University shall have the right to call for all the records of faculties continuous evaluation and moderate the teacher's evaluation, if it deems fit in any specific case(s).
- (vi) Evaluation through a semester-end examination/ annual examination.

	Bachelors Degree/	Master's Degree/	
			Under-graduate Diploma
			Post-graduate Diploma
(A) THEORY COURSES			
(i)	Semester End Examination	70%	70%
(ii)	Continuous evaluation by the teachers	30%	30%

(B) PRACTICAL/LABORATORY COURSES

(i)	Semester End Examination	70%	70%
(ii)	Continuous evaluation by the teachers	30%	30%

(C) Dissertation/thesis

(i)	Assessment by External Examiner	70%	70%
(ii)	Assessment by Internal Examiner	30%	30%

(D) For any other component of a program not covered by the above, the weightage shall be prescribed by the Board of Studies ratified by Governing Body.

9. Appointment of Amanuensis

- (i) An amanuensis shall be allowed in case of:
 - (a) Blind Candidates and
 - (b) The candidates, who are disabled due to an accident or disease and due to any other reason, are unable to write with their own hands.
Candidates under 9(i) above shall have to produce a valid medical certificate from the Medical Officer/Medical Board of the District.
- (ii) The Controller of Examinations, on receiving an Application from the candidate one week before commencement of Examination, will arrange for the appointment of an amanuensis and shall inform the Superintendent of Examination concerned.
- (iii) The amanuensis shall be a person of a lower qualification than the candidate concerned.
- (iv) The Superintendent of Examination shall arrange for a suitable room for the disabled candidate and appoints Special Invigilator from the list supplied by the office of the Controller of Examinations.
- (v) One extra hour shall be given to the blind candidates for exams of 03 hrs. Duration.
- (vi) The remuneration to the amanuensis shall be given by the Office of the Controller of Examination at the existing approved rate.

10. Eligibility Criteria for ATKT/Supplementary Candidate

- (i) (a) A candidate who has failed at any Semester/Year End Examination in not more than 1/3rd of the total number of papers of that particular semester/year including practical examinations shall be eligible to appear at subsequent ATKT/Year end Exams.
(b) Provided that if a candidate is unable to clear the examination in any of the papers in the first attempt of ATKT/Year end, he shall be eligible to appear at the second ATKT/Year end examination.
- (ii) In the case of ATKT/Year end examination in any subject which has a practical component, a candidate shall be required to appear in the written papers only if he has passed at the main examination in practical and in practical only if he has passed in the written paper. A candidate who has failed both in written paper and practical shall be examined in both. Failing in practical and theory papers will be taken as failure to pass in two different papers.
- (iii) Except when otherwise provided in this Ordinance, a candidate who has been declared eligible for ATKT/Year end examination may appear as ATKT/Year end examination candidate in the next examination immediately following the examination in which he was declared to be so eligible.
- (iv) A candidate appearing in the ATKT/Year end examination shall be declared to have passed the examination if he/she secured the minimum pass marks in the subject or group as the case may be except when provided otherwise in this examination Ordinance. The

- marks obtained by the candidate in the ATKT/Year end examination shall be taken into account in determining the final division Obtained by the candidate at the examination.
- (v) In case a candidate fails to pass ATKT/Year end examination in first attempt, he/she shall be provided one more attempt as second ATKT/Year end Examination. He/She has to pass those papers along with the regular Examination of that particular semester, whenever it is conducted by the University.
- (vi) If such a candidate fails to pass his papers even in the second ATKT/Supplementary attempt, then in that case he is allowed to appear in Golden Chance (Final) provided that he should clear his/her final semester/year examination.

11. Conduct of University Examination

- (i) All University examinations shall be conducted by the Controller of Examinations under the direct control and supervision of the Registrar.
- (ii) The schedule of examination shall be notified by the Controller of Examinations at least 10 days prior to the first day of the commencement of the University examinations.
- (iii) For theory as well as practical examinations and dissertation/ thesis/ project report/ training report all examiners shall be appointed by the Controller of Examinations with the approval of the Vice-Chancellor.
- (iv) (a) The Superintendent of the Examination shall be personally responsible for the safe custody of question papers and the answer-books sent to him and shall render to the University office a complete account of used, unused papers and answer books.
(b) The Superintendent shall supervise the work of invigilators working under him and shall conduct the examination strictly according to the instructions issued to him by the University.
- (v) The Vice-Chancellor may from time to time appoint Examination Auditors to see that the examinations are conducted strictly in accordance with rules and procedures laid down. In the event of the Examination Inspector pointing out a breach of rule or procedure, the Vice-Chancellor may take such action as may be deemed necessary including postponement or cancellation. Wholly or in part of the examination at the centre, and if any such action is taken report of the action taken shall be made to the Board of Management at its next meeting.
- (vi) It shall be the duty of the superintendent to ensure that an examinee is the same person who has filled in the form of application for appearing at the examination, by way of checking the photograph pasted on the form and by any means deemed suitable for this purpose.
- (vii) The Superintendent of the Examination shall whenever necessary send a confidential report to the Controller of the Examination about the conduct of the Examination, mentioning therein the performance of the invigilators and the general behaviour of the examinees. He shall send a daily report on the number of the examinees appearing in each of the examinations, absentees roll numbers and such other information relating to the Examinations being held at the centre as may be considered necessary, along with any other matter which he thinks fit to be brought to the notice of the University. He shall also be responsible for the maintenance and submission to the Controller of the examination, of the account of advance money received and expenditure incurred in connection with the conduct of the Examinations.
- (viii) The Superintendent shall have the power to expel an examinee from examinations on subsequent examination days on any of the following grounds:
- (a) That the examinee has adopted unfair means in the examination.

- (b) That the examinee created a nuisance or serious disturbance at the examination centre.
- (c) That the examinee showed a seriously aggressive attitude towards an invigilator or a member of the staff entrusted with the examination work.
- (d) If necessary, the Superintendent may get police assistance. Where a candidate is expelled, the Controller of the Examination shall be informed immediately.
- (e) Unless otherwise directed, only teachers of University Teaching Department shall be appointed as Invigilators by the Superintendents. Invigilators can also be invited from other educational institutions if so required.
- (f) No examinee shall leave the Examination Hall within half an hour of the start of the Examination or any purpose whatever and no late comer shall be permitted in the Examination Hall after half an hours of the commencement of the examination.
- (g) Examinee desirous of leaving the Examination Hall temporarily shall be permitted to do so for a maximum period of 15 minutes, but in no case the examinee shall be allowed to leave the premises.
- (h) Discrepancy, if any in the question paper may be brought to the notice of examination superintendent through the invigilator for and appropriate action by the examiner. However, under no circumstances, the examinee shall be allowed to leave the examination hall without the prior permission of the Superintendent of examination.
- (ix) The Vice Chancellor may cancel an examination at all centres if it is found that there has been leakage of question papers. In case of such an eventuality or any other irregularity which in his opinion warrants such a step, the matter shall be reported along with the action taken at the next meeting of the Board of management.
- (x) The Vice-Chancellor may issue such general notices for the smooth conduct of examination as he may feel required.
- (xi) Recommendations for names of examiners shall be obtained from the concerned Boards of Studies for programmes being run in the University Departments. In case of an exigency, the Chairman Board of Studies may recommend the names stating clearly the reason for the non-conduct of the meeting of the Board of Studies.
- (xii) After the receipt of the question paper(s) from the paper setter, the same shall be moderated by the moderator(s) who shall be appointed subject wise by the Registrar/Controller of Examination with the approval of Vice Chancellor/Controller of Examination shall ensure that minimum of three question papers, duly moderated in each subject are available in the question paper bank.
- (xiii) The Examiner appointed by the Controller of Examination, out of the approved panel for setting the Question paper shall set the Question paper, using the last year question papers wherever applicable, as a guide for the format of the question paper only if the pattern of the question paper or syllabus is not changed by the Academic Council. The question paper shall be set out of the entire syllabus of a course.
- (xiv) In case of any attempt made or relating to a candidate to secure some preferential treatment in the matter of his/her examination the matter shall be reported to the Controller of Examination who shall place the matter before the Vice-Chancellor for further necessary action.
- (xv) Except as otherwise decided by the Examination committee the examination answer books and the foil and counter foil of the marks obtained by the examinees except the tabulated result shall be destroyed or otherwise disposed off after 6 months from the date of declaration of the results of the examination provided that the evaluated answer books

- of revaluation shall be destroyed /disposed off only after 6 months of the declaration of the revaluation result.
- (xvi) The Controller of Examination shall publish the combined result of the University examination on the notice board of the office of the University in addition to the website of the University.
- (xvii) The remuneration of the question paper setters, moderators, answer scripts, evaluators examiners, Superintendents, Assistant Superintendents, Invigilators, Tabulators and Collators etc. along with the deductions to be made in the remuneration for errors noticed shall be such as may be prescribed from time to time by the Examination committee.
- (xviii) Where a student applies for revaluation, the answer books of the subjects in which the revaluation is sought will be sent to two examiners other than the one who evaluated it initially. The marks of the student will be changed only if the difference in the marks after revaluation is more than 10%.
- (xix) Provided that such an examiner shall receive remuneration as prescribed by the Board of Management.
- (xx) No candidate shall appear, in more than one-degree examination or in more than one subject for the Master's degree in the same year.
- (xxi) No person who has been expelled or rusticated from any college or University or has been debarred from appearing at a University examination shall be admitted to any examination during the period for which the punishment is in operation.
- (xxii) Notwithstanding anything contained in the Ordinances relating to admission of candidates to an examination of the University, the Vice-Chancellor may, in special cases in which he is satisfied that the reason for delay in submitting the application for admission to an examination is bonafide, may allow an application which is otherwise complete in all respects to be entertained with the late fee as prescribed by the Board of Management from time to time even though the same is received after the expiry of the period of fifteen days mentioned in the foregoing paragraph.
- (xxiii) Candidate shall not be admitted into the Examination hall unless he she produces a valid admission card duly issued to him her by the Controller of Examination. The Controller of Examination shall issue an admission card in favour of a candidate if:-
- The application of the candidate is complete in all respects
 - The fee as prescribed has been paid by the candidate
 - The attendance criteria is fulfilled.
- (xxiv) Where the practical examination is held earlier than the examination in theory papers, a candidate shall not be deemed to have been admitted to the theory examination unless and until he is issued an admission card for appearing in the examination.
- (xxv) The admission card issued in favour of a candidate to appear at an examination may be withdrawn if it is found that:
- The admission card was issued by mistake or the candidate was not eligible to appear in the examination.
 - Any of the particulars given or documents submitted by the candidate in or with the application for enrolment, admission to the Institute, college or school is false, fake or incorrect.
- (xxvi) The Controller of Examination may, if he is satisfied that an admission card has been lost or destroyed, issue a duplicate admission card on the Payment of a fee prescribed for this purpose.

- (xxvii) Any candidate who has appeared at an Examination conducted by the University may apply to the Controller of the Examination for re-totalling of marks or revaluation of answer books within two weeks of the declaration of the results.
- (xxviii) The result of revaluation or re-totalling of marks as the case may be shall be communicated to candidate.
- (xxix) Duplicate copy of the certificate issued by the University shall be provided on payment of the fee and for the reasons as mentioned in the other ordinance of the University.
- (xxx) Provided further, the duplicate copy of the Migration Certificate, Degree, Diploma shall not be granted except in cases in which the Vice-Chancellor is satisfied by the production of an affidavit on a stamped paper of proper value as laid down, mentioning therein that the applicant has not utilized the original documents for appearing at an examination and has lost the same or that the same has been destroyed and that the applicant really need a duplicate.
- (xxxi) The names of the first ten successful candidates in each final Degree Examination other than ATKT and supplementary examination, who obtain first division shall be placed in Merit List
- (xxxii) (a) Notwithstanding anything contained in the concerned ordinance of examination candidate who has appeared in all the theory papers, practical viva, internal assessment, field work, project work at the end-semester/year end examination as regular candidate and fails by a total of not more than five marks in not more than three subjects, in any of the Graduate Post Graduate examinations, maximum of five grace marks may be given to enable him to pass the examination. These marks shall not be counted towards the total. The grace consideration shall not be a matter of right of a candidate and is the prerogative of the Vice Chancellor. This facility shall be available only to those candidates who clear that particular Semester Year End Examination in full (i.e. in all theory, practical and seasonal in first attempt) by availing five Grace Marks.
 (b) Likewise, if a candidate misses his first or Second Division by one marks, he she shall be given a maximum grace of one marks to enable him/her to improve his division.
 (c) No grace marks shall be awarded in other than theory papers and to ATKT/Supplementary student.
- (xxxiii) Semester-end or Annual Examination, practical examinations shall be conducted by a Board of Examiners for each course. The Board shall consist of one or more examiners. One of the examiners in that case may be designated as Head Examiner. The Head Examiner shall draw the guidelines for the conduct of examinations to be followed by various Boards to ensure uniformity of evaluation.
- (xxxiv) For any other type of examination, not covered above, the mode of conduct of examination shall be as specifically provided in the syllabus scheme of examination and in the absence of such a provision shall be decided by the Controller of Examinations on the recommendation of the Board of Studies/Coordination Committee/Examination Committee concerned, with the approval of the Vice Chancellor.
- (xxxv) The results of a semester or Annual Examination (including both the semester end and Annual Examinations and teacher's continuous evaluation) shall be declared by the Controller of Examination. The Vice Chancellor shall have the power to take necessary action deemed suitable in case of matters relating to complaints received about the result
- (xxxvi) The award list containing the marks obtained by a student in various courses shall be issued by the Controller of Examinations at the end of each semester/ year after the declaration of the result.

12. Criteria for Passing Courses, Marks and Divisions

- (i) Generally, for Diploma students and Under Graduate students, obtaining a minimum of 35% marks in each paper in the semester-end, year-end examination shall be essential for the passing the examination, refer to ordinance of specific programme for criteria of passing. A candidate who secures less than 35% of aggregate marks in a paper in a

semester/year shall be deemed to have failed in that subject. A post graduate student has to secure 40% marks in each paper for passing the examination. For Graduate, Post Graduate, Post Graduate Diplomas, M.Phil/Ph.D course work securing less than 40 marks in each paper shall be deemed to have failed in that subject and a candidate securing less than 40% marks in aggregate shall be deemed to have failed in that examination.

- (ii) A student may apply, within two weeks from the date of the declaration of the result for re-totaling of the examination script(s) of a specific courses) on the payment of prescribed fees. Re-totaling shall mean verifying whether all the questions and their parts have been duly marked as per the question paper, and the totaling of marks. In the event of a discrepancy being found the same shall be rectified through appropriate changes in both the result as well as marks-sheet of the concerned semester end examination.
- (iii) For completing the graduation a candidate is required to pass the paper of Environmental Studies once in the duration of degree course. The marks of Environmental Studies will not affect the division in any case.
- (iv) Credit Transfer shall be applicable to all relevant courses as per UGC and other Regulatory Authorities norms, if any, in this regard

13. Declaration of Result

- (i) The Examination Committee shall be responsible for the declaration of the result.
- (ii) The functions and duties of the Examination Committee shall be as follows:
 - (a) To scrutinize and approve the results of the examinations conducted by the University after satisfying itself that the results on the whole and in various subjects are in conformity with the usual standards and to recommend to the Vice Chancellor the action to be taken in any case where the result suffers from certain lacuna(e).
 - (b) To take an action on the report submitted by subject expert on a complaint against the question paper.
 - (c) To decide cases of candidates whose answer books were lost in transit
 - (d) To exercise such other powers as the Academic Council may delegate to it from time to time.
 - (e) If any action is to be taken against any Examiner, center Superintendent or Invigilator the Committee matter shall be referred to the Academic Council with the recommendation of the Examination Committee.

14. Use of Unfair Means & Misbehavior:

- (i) No candidate shall bring with him/her in the Examination Hall any book, paper, notes electronic gadgets or other Materials which may be used by him/her in connection with the Examination, nor shall he/she communicate to or receive from any other candidate or person any information in the Examination Hall unless specifically allowed by the Superintendent.
- (ii) No candidate shall note or write anything on the blotting paper or Question Paper or on any other object/Material, except the answer book supplied to him/her.
- (iii) No candidate shall assist or receive assistance from any other candidate or person at an Examination or make use of any dishonest or unfair means in connection with the Examination.
- (iv) Any candidate detected cheating or making use of any dishonest or unfair means in connection with an Examination shall be reported to the Controller of Examinations by the Superintendent of Examinations or through him by an invigilator or an Official of the University, as the case may be. The Controller of Examinations shall place the aforesaid matter before the Examination Committee for consideration which may, if satisfied that the facts alleged are true and disclose premeditation on the part of the candidate, disqualify the candidate from passing that Examination and debar him/her from appearing at any University Examination for a period not exceeding three years.

- (v) Any candidate, who in the opinion of the Superintendent of Examinations is guilty of misconduct in the Examination Hall other than the misconduct within the meaning of the aforesaid Sub-Para 14 (1) 10 (IV) of this Ordinance, may be expelled by the Superintendent of Examinations for that Paper and shall be reported to the Examination Committee by the Controller of Examination. The said Committee may, if satisfied that the allegations are true shall disqualify him/her from passing the Examination for the year.
- (vi) In case any Examinee attempts to influence the Examiner or Officials related to Examination then it would be treated as an offence and shall attract punishment. Such a case shall be reported to the Examination Committee by the person concerned through the Controller of Examinations. The Examination Committee may, if satisfied that the facts alleged are true then disqualify the candidate from passing that Examination and debar him/her from appearing at any Examination for a period not less than one year.
- (vii) Any candidate found guilty of seeking ways and means or harassing or pressurizing or using or threatening to use force to make any Superintendent of Examinations or Invigilator or any Official of the University desist from his duties relating to the conduct of Examination shall be deemed to have used unfair means and indulged in gross misconduct. Such a case shall be reported to the Examination Committee by the person concerned through the Controller of Examinations. The Examination Committee may, if satisfied that the facts alleged are true, disqualify the candidate from passing that Examination and/or expel him/her from the University and declare him/ her to be not a fit and proper person to be admitted to any future Examination of the University.
- (viii) Any candidate who has been punished under Sub Para 14(v) to (vii) above. Shall not be admitted to any Course as a Regular Student Such a student may be allowed only to appear at the next year's Examination, in which he/she is entitled to appear as an Ex-Student after the expiry of the period of punishment.
- (ix) If a candidate acts in a violent manner or uses force or makes a display of force towards the superintendent or any invigilator at the centre or in its precincts endangering the personal safety of either of them or acts in a manner likely to prevent the authorities in the proper discharge of their duties, the superintendent may expel the candidate from the centre and he may take police help.
- (x) If a candidate brings any dangerous weapon within the precincts of the examination centre, he may be expelled from the centre and or handed over to the police by the superintendent.
- (xi) A candidate expelled on any of the grounds mentioned in 14 (viii) & (ix) & (x) above will not be allowed to appear in the subsequent papers.
- (xii) In every case where action is taken by the superintendent under 14 (x). (xi).(xii), (xiii).(xiv)above, a full report shall be sent to the University and the Examination Committee may according to the gravity of the offence further punish a candidate by cancelling his examination and/or debaring him from appearing at any of the Examinations of the University for one or more years after giving the candidate an opportunity to show the cause and considering any explanation submitted by the candidate.
- (xiii) In case, a person who is not a bonafide candidate, is found to be taking an Examination on behalf of a bonafide candidate, it will be assumed that this impersonation is being done at the instance and with the convenience of the bonafide candidate and action against such person and such bonafide candidate would be taken as under:
- (a) The bonafide candidate, who did not take the Examination himself/herself shall be debarred from perusing any course of studies or from appearing at any examination of the university in future and he/she may be handed over to the Police for appropriate action.

- (b) In case, the person, who has impersonated the bonafide candidate, is a student of the University, he/she shall be debarred from taking any Examination of the University in future and he/she may be handed over to the Police for appropriate action
- (c) If the person, who has impersonated the bonafide candidate, is not a student of the University, he/she may be handed over to the Police for appropriate action.
- (xiv) In case, a candidate is appearing at the Examination for the improvement of Division Percentage or Marks and is found to be using unfair means, the result of his/her Examination in the Paper(s) in which he/she has already appeared, would also be cancelled in addition to the action that might be taken against him/her for using unfair means, while reappearing for improvement of his/her Division/ Percentage of Marks.
- (xiv) Any punishment imparted on the erring student shall be after following due consideration of the defense presented by him/her.
- (xvi) The Superintendent of the examination shall take action against an examinee who is found using or attempting to use unfair means in the examination hall or within the premises of the examination center during the hour of examination in the following manner:
- The examinee shall be called upon to surrender all the objectionable materials found prepared with date and time. in his or her possession including the answer book and a memorandum shall be prepared with date and time.
 - The Statement of the examinee and the Invigilator shall be recorded.
 - The examinee shall be issued a fresh answer book marked 2nd answer book to attempt answer within the remaining time prescribed for the examination.
 - All the Materials so collected and the entire evidence along with a statement of the examinee and both the answer books duly signed shall be forwarded to the Registrar by name in a separate confidential sealed packet marked Unfair means along with the observation of the Superintendent.
 - The Material so collected from the examinee together with both the answer books viz. the answer book collected while using unfair means and the other supplied afterward will be sent to the Examiner by the Registrar for assessing both the answer books separately and to report if the examinee has actually used unfair means in View of the Material collected.
 - The cases of the use of unfair means at the examination as reported by the center Superintendent along with the report of the Examiner shall be examined by the Examination Committee. The committee shall after examining the cases, decide the action to be taken in each case and report it to the Board of Management through competent authority.
 - A candidate found talking during the examination hours shall be warned not to do so. If the candidate does not heed to the warning, then the same shall be construed as an attempt to use unfair means and the candidate shall attract action under unfair means. The first answer book shall be confiscated and the second answer book shall be issued. Both the answer books shall be forwarded to the Registrar in separate sealed envelopes at the end of the examination. The first book shall be cancelled and sent to the Controller of the Examination. In case the student is required to be warned again Superintendent from that particular paper, no second copy shall be given and the examinee may be expelled by the superintendent from that particular paper.
- (xvii) If a candidate is found guilty of using or attempting to use or having used unfair means at an examination such as copying from some book or notes or from the answer of some other candidate or helping or receiving help from any other candidate or keeping with him in the Examination hall material connected with the examination or in any other manner whatsoever, the Examination Committee or the Committee appointed for the proposed by the Examination Committee may cancel his examination and also debar him from appearing at any of the examination of the University for one year or more years according to the nature of the offence.

- (xviii) The Examination Committee may cancel the examination of a candidate and/or debar him/her from appearing at any examination of the University for one or more years. It is discovered afterwards that the candidate was in any manner guilty of misconduct in connection with his examination and or was instrumental and/or has abetted the tempering of University records including the answer book, mark sheet, rule charts, diplomas and the like.
- (xxiv) The Examination Committee may cancel the examination of a candidate and/or debar him/her from any exam of the University for one or more years, if it is discovered afterwards that the candidate had obtained admission to the examination by misrepresenting the facts or by submitting forged certificates/documents.
- (xx) All the records of Examination and results except the written answer books shall be retained by the University for a maximum period of three years from the date of declaration of results of the concerned examination

15. Student's Grievances Committee

In the case of any written representation complaints received from the students within seven days after the completion of the examination regarding setting up of question paper etc. along with specific recommendations of the Head of the Institute of the Faculty Director of the Institution, the same shall be considered by the Students' Grievances Committee to be constituted by the Vice Chancellor. The Vice Chancellor shall take appropriate decision on the recommendation of the Students' Grievances Committee before the declaration of result(s) of the said examination

16. Appointment of Examiners

- (i) The examination committee consisting of the concerned Dean, Chairman Board of Studies and one faculty member nominated by Vice-Chancellor shall prepare panel of examiners for different papers practical, viva, dissertation etc. The controller of examination shall send the panel of examiners to the Vice-Chancellor for finally appointing the examiners for different examinations.
- (ii) The Vice-Chancellor shall appoint paper setters, co-examiners, practical/viva-voce examiners ordinarily from amongst persons recommended by the examination committee. He may however appoint a person, by stating reasons in writing, whose name is not included in the list of names recommended by the examination committee if he is satisfied that the person in question possesses minimum qualification and his appointment will not be contrary to the provisions of the following paragraphs
- (iii) The qualification and Experience of the paper setter for various examinations shall be determined by the academic council in consultation with concerned faculties.
- (iv) Co-Examiners Any person, having an experience of two years less than the experience set out for the paper setters, can be a co-examiner in the corresponding subject. Provided that in case of degree examination where sufficient number of internal co-examiners, in the subject with the aforesaid qualification is not available, teacher in the University Colleges. Department and Institutions of the University with at least three years teaching experience at the degree/post graduate level in the subject shall be eligible for appointment as Co-examiners.
- (v) (a) In case of practical and viva-voce examination at the Post-graduate level, external examiner shall be a person not below the rank of an associate professor.
(b) In case of practical and viva-voce examination at the degree level the external examiners shall be a teacher of the subject with not less than three years experience of teaching the subject at the degree and/or post graduate level.
(c) The internal examiner in case of practical examination both at the degree and the post graduate and diploma level shall be appointed from amongst the teacher of the University.

- (d) The external examiner at the post-graduate level in case of Practical/Viva-voce examination shall not ordinarily be a teacher of the University department.
17. Ordinary 50% of the paper setter at the post graduate and first degree examination in any subject shall be external.
 18. For any paper, if more than one examiner is appointed the paper setter shall be the head examiner. Examiners other than the paper setter shall be the Co-examiners.
 19. For appointment as paper-setter and Co-examines, the teacher in the University/department shall ordinary be considered on the basis of seniority in subject to fulfilment of laid down condition for paper setter and co-examiners.
 20. The number of external examiners in practical examination shall be such as may be determined by the University on the basis of student's strength and other requirement of the subject.
 21. While recommending name for examiner-ship in courses where English is not the sole medium of examination. The examination committee shall ensure that the examiners, recommended can evaluate the scripts written in Hindi also.
 22. The provision of sub-paragraphs (2) above shall not apply in case of examination in the faculties of engineering, technology, education, pharmacy etc.
 23. Examiner shall be appointed for the examination of duration of one year only but they shall be eligible for re-appointment.
 24. Any person who has acted as an examiner, paper setter co-examiners or external viva-voce examiner for three consecutive years shall ordinarily not be eligible for re-appointment until a period of one year elapses between the year in which he/she last acted as an examiner and the year in which he is re-appointed.
 Provided that such a gap will not be necessary in case of internal examiners if the number of available eligible examiner in the subject concerned is less than the number of internal examiners required.
 Provided also that on the recommendation of the examination committee justifying the reason, a specialist or expert may be continued for two more years after the expiry of the three years period without gap.
 25. An examiner may be discontinued any time before the expiry of the three years period if the opinion of the examination committee, his work is found to be unsatisfactory.
 26. An examiners work shall be deemed to be unsatisfactory if
 - (a) Mistakes of such nature are found on his work in the course of checking and scrutiny which affect the result.
 - (b) He/She is found by the examination committee to have delayed the work without good cause or
 - (c) There is an adverse report from the head examiner, or
 - (d) In the opinion of the examination committee, there are reasonable doubts about his/her integrity of suspicion that he/she is accessible to examinees or their relations and
 - (e) If there are serious complaints against his/her paper e.g. that this paper was much above or below the standard or contained questions outside the prescribed course or the branch or any such condition prescribed by the examination committee.
 27. The paper setter shall lay down a memorandum of instructions for the guidance of the co-examiners so that it may be in conformity with the examination committee.
 28. If for any reason an examiner is unable to evaluate the answer-books or to perform the duties of the head examiner after setting the question paper. He shall be entitled to receive only one-half of the amount of fees for paper setting and the balance shall be payable to the examiner who performs, the duties of the head examiner subsequently.

- Provided that if the paper-setter dies before he is able to take up or complete the evaluation of the answer books, full fee prescribed for paper setting shall be paid to his heirs.
29. There shall be a board of two examiners to conduct the examination; one shall be an external examiner and the other be internal examiner in a subject in which viva-voce examination is prescribed.
 30. In the case of examinations like MBA, M.Com, M.Phil., M.A. M.Tech. etc, where a thesis is permissible in lieu of a paper or a project there shall be a board of two examiners for evaluating the thesis. The maximum number of marks for the thesis shall be equality divided between the two examiners each of whom shall mark the thesis independently. If the evaluation of two examiners differs by 20% the thesis shall be referred to the third examiner, (other than a teacher of the University) who shall award mark out of half of the maximum marks for the thesis. The aggregate of two (of the three) awards nearest to each other and to the best advantage of the candidate shall be taken as the correct evaluation.
 31. No person shall act as a paper-setter or examiner either in theory, viva-voce or practical examination, if any of his relations is taking the examination provided that this provision shall not debar from acting as an examiner for practical of a separate batch at a centre other than that at which his relation is appearing.
 32. No person shall act as moderator or tabulator for any examination if any of his relations is appearing or has appeared at that examination.
 33. Notwithstanding the provisions contained in these ordinances, the Vice-chancellor in consultation with the academic council and the examination committee may so far as that particular examination is concerned modify all or some of the rules to meet the constraints.

ORDINANCE – 3**Master of Science (M.Sc.)**

- | | | | |
|----|---------------------------|---|--|
| 1. | Title | : | Master of Science (M.Sc.)
(Physics, Chemistry, Mathematics, Botany, Zoology, Microbiology, Bio-technology, Yoga Science & Therapy etc and as mentioned in Statute No. 12) |
| 2. | Faculty | : | SCIENCE. |
| 3. | Duration | : | Two Years, yearly pattern. |
| 4. | Eligibility | : | Graduate or equivalent in relevant subjects |
| 5. | Academic Year | : | There will be one academic year from July to June. |
| 6. | Seats | : | The basic unit will be of 30 seats. Multiples of the unit can also set up by the board of management |
| 7. | Admission Procedure | : | As specified in ordinance no. 1. preference will be given to students belonging to the state of Chhattisgarh and all guidelines issued by the state government related to reservations will be followed |
| 8. | Selection Procedure | : | The University will issue admission notification in news papers, on the notice board of the University and in other publicity media before the start of every academic year. The list of candidates selected on the basis of merit for admission will be displayed on the website or the students will be informed directly about their admission. The list of the selected students will also be displayed on the notice board of the University. The candidate whose results are awaited can also apply. However, such candidate must produce, the proof of appearing in the final year of qualifying examination, provided if the candidate fails to clear the qualifying exam with required percentage his/her admission shall be treated as cancelled. Further provided that the candidate must submit mark sheet of qualifying examination before the filling of examination form. Directives issued by the Government of Chhattisgarh, from time to time, regarding reservation, shall be followed while making admissions. |
| 9. | Cancellation of Admission | : | Admission of a student may be cancelled under following circumstances.
<ol style="list-style-type: none"> 1. At any stage, if student is not found qualified, for the Programme, as per government norms/ guidelines or the eligibility criteria prescribed by the University. 2. Involvement in gross indiscipline in the Institute / University. 3. She/he is found to have produced false/ forged |

documents or found to have used unfair means to secure admission.

4. The fee is not paid.
5. The application form is incomplete in any way.
6. The supporting documents required for admission are not enclosed.

Registration number will be assigned to the student by the University after verification and submission of all the necessary documents and fees.

- | | | | |
|-----|---|---|--|
| 10. | Fees | : | The course fees will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of CGPURC. |
| 11. | Eligibility to Pass | : | As per Ordinance No 2 subsection 12(i) of the University |
| 12. | Course structure and Examination Scheme | : | As prescribed by the Board of Studies and approved by the academic council |
| 13. | Evaluation and examination | : | As per Ordinance No 2 of the University. |
| 14. | Eligibility Criteria for Supplementary | : | As per Ordinance No 2 of the University. |
| 15. | General | : | Detailed syllabus of each paper shall be prepared by the Board of Studies and duly approved by the Academic Council and the Vice-Chancellor. |

In all matters, pertaining to the courses not covered herein above and in the Ordinances, the decision of the Vice Chancellor of the University shall be final. However on the recommendations of the Academic Council the Vice Chancellor shall be competent to change the system or pattern of examination. The course content is subject of change from time to time.

ORDINANCE – 4**Bachelor of Science (B.Sc.)**

- | | | | |
|----|---------------------------|---|---|
| 1. | Title | : | Bachelor of Science (B.Sc.) |
| 2. | Faculty | : | SCIENCE. |
| 3. | Duration | : | Three years, yearly pattern |
| 4. | Eligibility | : | Passed 10+2 or equivalent from any Board of secondary education or equivalent there to in any discipline with science as one of the core subject in class XII or equivalent. |
| 5. | Seats | : | The basic unit will be of 60 seats Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management. |
| 6. | Admission Procedure | : | As specified in ordinance no. 1. Preference will be given to students belonging to the state of Chhattisgarh and all guidelines issued by the state government related to reservations will be followed |
| 7. | Academic Year | : | There will be one academic year from July to June. |
| 8. | Selection Procedure | : | The University will issue admission notification
In news papers, on the notice board of the University and in other publicity media before the start of every academic year. The list of candidates selected on the basis of merit for admission will be displayed on the website or the students will be informed directly about their admission. The list of the selected students will also be displayed on the notice board of the University. The candidate whose results are awaited can also apply. However, such candidate must produce, the proof of appearing in the final year of qualifying examination, provided if the candidate fails to clear the qualifying exam with required percentage his/her admission shall be treated as cancelled. Further provided that the candidate must submit mark sheet of qualifying examination before the filling of examination form. Directives issued by the Government of Chhattisgarh, from time to time, regarding reservation, shall be followed while making admissions. |
| 9. | Cancellation of Admission | : | Admission of a student may be cancelled under following circumstances. <ol style="list-style-type: none"> 1. At any stage, if student is not found qualified, for the Programme, as per government norms/ guidelines or the eligibility criteria prescribed by the University. 2. Involvement in gross indiscipline in the Institute / University. 3. She/he is found to have produced false/ forged documents or found to have used unfair means to secure admission. 4. The fee is not paid. |

5. The application form is incomplete in any way.
6. The supporting documents required for admission are not enclosed.
Registration number will be assigned to the student by the University after verification and submission of all the necessary documents and fees.
10. Fees : The course fees will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of CGPURC.
11. Course structure and Examination Scheme : As prescribed by the Board of Studies and approved by Academic Council compulsory Subject
1 Environmental studies 2 English Language
3 Hindi Language/ Indian Culture
Detailed course Structure and Examination Scheme of various combination of specializations shall be Introduced at the time of commencement of the course after approval from the Board of Studies and academic Council
12. Eligibility to Pass : As per Ordinance No 2 subsection 12(i) of the University
13. Evaluation and examination : As per Ordinance No 2 of the University.
14. Eligibility Criteria for
15. Supplementary : As per Ordinance No 2 of the University.
16. General : Detailed syllabus of each paper shall be prepared by the Board of Studies and duly approved by the Academic Council and the Vice-Chancellor.
In all matters, pertaining to the courses not covered herein above and in the Ordinances, the decision of the Vice Chancellor of the University shall be final. However on the recommendations of the Academic Council the Vice Chancellor shall be competent to change the system or pattern of examination. The course content is subject of change from time to time.

ORDINANCE – 5**Bachelor of Science – Honours B.Sc (Honours)**

1. Title : Bachelor of Science – Honours- B.Sc. (Honours)
(Physics, Chemistry, Mathematics, Botany, Zoology, Microbiology, Bio-technology, Yoga Science & Therapy etc and as mentioned in Statute No. 12)
2. Faculty : SCIENCE.
3. Duration : Three years, Annual pattern
4. Eligibility : Passed 10+2 or equivalent from any Board of secondary education or equivalent there to in any discipline with science as one of the core subject in class XII with 50% marks or equivalent.
In case the seats are not filled then the minimum required percentage may be lowered by 5 % for candidates from both the categories with the permission of Vice-Chancellor.
5. Seats : The basic unit will be of 60 seats Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management.
6. Admission Procedure : As specified in ordinance no. 1. Preference will be given to students belonging to the state of Chhattisgarh and all guidelines issued by the state government related to reservations will be followed
7. Academic Year : There will be one academic year from July to June.
8. Selection Procedure : The University will issue admission notification
In newspapers, on the notice board of the University and in other publicity media before the start of every academic year. The list of candidates selected on the basis of merit for admission will be displayed on the website or the students will be informed directly about their admission. The list of the selected students will also be displayed on the notice board of the University. The candidate whose results are awaited can also apply. However, such candidate must produce, the proof of appearing in the final year of qualifying examination, provided if the candidate fails to clear the qualifying exam with required percentage his/her admission shall be treated as cancelled. Further provided that the candidate must submit mark sheet of qualifying examination before the filling of examination form. Directives issued by the Government of Chhattisgarh, from time to time, regarding reservation, shall be followed while making admissions.
9. Cancellation of Admission : Admission of a student may be cancelled under following circumstances.

1. At any stage, if student is not found qualified, for

		the Programme, as per government norms/ guidelines or the eligibility criteria prescribed by the University.
		2. Involvement in gross indiscipline in the Institute / University.
		3. She/he is found to have produced false/ forged documents or found to have used unfair means to secure admission.
		4. The fee is not paid.
		5. The application form is incomplete in any way.
		6. The supporting documents required for admission are not enclosed.
		Registration number will be assigned to the student by the University after verification and submission of all the necessary documents and fees.
10. Fees	:	The course fees will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of CGPURC.
11. Course structure and Examination Scheme	:	As prescribed by the Board of Studies and approved by Academic Council compulsory Subject 1 Environmental studies 2 English Language 3 Hindi Language/ Indian Culture Detailed course Structure and Examination Scheme of various combination of specializations shall be Introduced at the time of commencement of the course after approval from the Board of Studies and academic Council
12. Eligibility to Pass	:	As per Ordinance No 2 subsection 12(i) of the University
13. Evaluation and examination	:	As per Ordinance No 2 of the University.
14. Eligibility Criteria for Supplementary	:	As per Ordinance No 2 of the University.
15. General	:	Detailed syllabus of each paper shall be prepared by the Board of Studies and duly approved by the Academic Council and the Vice-Chancellor. In all matters, pertaining to the courses not covered herein above and, in the Ordinances, the decision of the Vice Chancellor of the University shall be final. However, on the recommendations of the Academic Council the Vice Chancellor shall be competent to change the system or pattern of examination. The course content is subject of change from time to time.

ORDINANCE – 6**Bachelor of Computer Application (BCA)**

1. Title : Bachelor of Computer Application
2. Faculty : SCIENCE.
3. Duration : Three years of Six semester
4. Eligibility : Must have passed 10+2 or equivalent from any recognised Board of Secondary Education or equivalent there to in any discipline or equivalent.
Mathematic Should be the core subjects in class XII. A candidate not having mathematics as core subject in Class XII will have to pass a special Paper of Mathematics in the course of six Semesters in three attempts, failing which the candidate will not be eligible to get the degree of BCA.
5. Lateral Entry : Lateral entry to BCA II year or third semester shall be given to the students having qualification DCA (after 10+2) or DOEACC level examination or any other examination considered equivalent by the University.
6. Seats : The basic unit will be of 60 seats Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management.
7. Admission Procedure : As specified in ordinance no. 1. Preference will be given to students belonging to the state of Chhattisgarh and all guidelines issued by the state government related to reservations will be followed
8. Academic Year : There will be one academic year from July to June.
9. Selection Procedure : The University will issue admission notification in news papers, on the notice board of the University and in other publicity media before the start of every academic year. The list of candidates selected on the basis of merit for admission will be displayed on the website or the students will be informed directly about their admission. The list of the selected students will also be displayed on the notice board of the University. The candidate whose results are awaited can also apply. However, such candidate must produce, the proof of appearing in the final year of qualifying examination, provided if the candidate fails to clear the qualifying exam with required percentage his/her admission shall be treated as cancelled. Further provided that the candidate must submit mark sheet of qualifying examination before the filling of examination form, directives issued by the Government of Chhattisgarh, from time to time, regarding reservation, shall be followed while making admissions.
10. Cancellation of Admission : Admission of a student may be cancelled under following circumstances.

1. At any stage, if student is not found qualified, for the Programme, as per government norms/ guidelines or the eligibility criteria prescribed by the University.
2. Involvement in gross indiscipline in the Institute / University.
3. She/he is found to have produced false/ forged documents or found to have used unfair means to secure admission.
4. The fee is not paid.
5. The application form is incomplete in any way.
6. The supporting documents required for admission are not enclosed.

Registration number will be assigned to the student by the University after verification and submission of all the necessary documents and fees.

11. Fees	:	The course fees will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of CGPURC.
12. Eligibility to Pass	:	As per Ordinance No 2 subsection 12(i) of the University
13. Course structure and Examination Scheme	:	As prescribed by the Board of Studies and approved by the academic council
14. Evaluation and Examination	:	As per Ordinance No 2 of the University.
15. Eligibility Criteria for ATKT	:	As per Ordinance No 2 of the University.
16. General	:	Detailed syllabus of each paper shall be prepared by the Board of Studies and duly approved by the Academic Council and the Vice-Chancellor. In all matters, pertaining to the courses not covered herein above and in the Ordinances, the decision of the Vice Chancellor of the University shall be final. However on the recommendations of the Academic Council the Vice Chancellor shall be competent to change the system or pattern of examination. The course content is subject of change from time to time.

ORDINANCE – 7**Master of Computer Application (M.C.A.)**

- | | | | |
|----|---------------------|---|---|
| 1. | Title | : | Master of Computer Application |
| 2. | Faculty | : | SCIENCE. |
| 3. | Duration | : | Three Years of Six Semester |
| 4. | Eligibility | : | <p>Passed Bachelor's Degree of minimum 3 years duration with Mathematics at 10+2 level or at Graduate Level.</p> <p>Obtained at least 50% marks (45% in case of candidates belonging to reserved category) in the qualifying Examination.</p> <p>In case the seats are not filled then the minimum required percentage may be lowered by 5 % for candidates from both the categories with the permission of Vice-Chancellor.</p> |
| 5. | Lateral Entry | : | <p>Lateral entry to MCA II year or third semester will be given to the students having qualification BCA, B.Sc. (IT/ Computer Science) with Mathematics as a Course at 10+2 level or at Graduation Level or PGDCA (after graduation) or DOEACC "A" level examination or any other examination considered equivalent.</p> <p>Obtained at least 50% marks (45% in case of candidates belonging to reserved category) in the qualifying Examinations.</p> <p>In case the seats are not filled then the minimum required percentage may be lowered by 5 % for candidates from both the categories with the permission of Vice-Chancellor.</p> |
| 6. | Seats | : | <p>The basic unit will be of 60 seat Multiples of this Unit can also be set up by the Board of Management.</p> |
| 7. | Admission Procedure | : | <p>As specified in ordinance no. 1. Preference will be given to students belonging to the state of Chhattisgarh and all guidelines issued by the state government related to reservations will be followed</p> |
| 8. | Academic Year | : | There will be one academic year from July to June. |
| 9. | Selection Procedure | : | <p>The University will issue admission notification in news papers, on the notice board of the University and in other publicity media before the start of every academic year. The list of candidates selected on the basis of merit for admission will be displayed on the website or the students will be informed directly about their admission. The list of the selected students will also be displayed on the notice board of the University. The candidate whose results are awaited can also apply. However, such candidate must produce, the proof of appearing in the final year of qualifying examination,</p> |

- provided if the candidate fails to clear the qualifying exam with required percentage his/her admission shall be treated as cancelled. Further provided that the candidate must submit mark sheet of qualifying examination before the filling of examination form. Directives issued by the Government of Chhattisgarh, from time to time, regarding reservation, shall be followed while making admissions.
10. Cancellation of Admission : Admission of a student may be cancelled under following circumstances.
1. At any stage, if student is not found qualified, for the Programme, as per government norms/ guidelines or the eligibility criteria prescribed by the University.
 2. Involvement in gross indiscipline in the Institute / University.
 3. She/he is found to have produced false/ forged documents or found to have used unfair means to secure admission.
 4. The fee is not paid.
 5. The application form is incomplete in any way.
 6. The supporting documents required for admission are not enclosed.
- Registration number will be assigned to the student by the University after verification and submission of all the necessary documents and fees.
11. Fees : The course fees will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of CGPURC.
12. Eligibility to Pass : As per Ordinance No 2 subsection 12(i) of the University
13. Course structure and Examination Scheme : As prescribed by the Board of Studies and approved by the academic council
14. Evaluation and examination : As per Ordinance No 2 of the University.
15. Eligibility Criteria for ATKT : As per Ordinance No 2 of the University.
16. General : Detailed syllabus of each paper shall be prepared by the Board of Studies and duly approved by the Academic Council and the Vice-Chancellor.
- In all matters, pertaining to the courses not covered herein above and in the Ordinances, the decision of the Vice Chancellor of the University shall be final. However on the recommendations of the Academic Council the Vice Chancellor shall be competent to change the system or pattern of examination. The course content is subject of change from time to time.

ORDINANCE – 8**Diploma in Pharmacy (D. Pharma)**

- | | | | |
|----|---------------------------|---|---|
| 1. | Title | : | Diploma in Pharmacy |
| 2. | Faculty | : | Science |
| 3. | Duration | : | Two Years, annual patter. |
| 4. | Eligibility | : | For admission in two-year Diploma in Pharmacy course a candidate pass 12th Std. examination with Physics and Chemistry as compulsory subjects along with one of the Mathematics/ Biology (Botany and Zoology) from any recognised Board of Secondary Education, or equivalent exam from any recognized board or any other qualification approved by the regulatory council PCI as equivalent. |
| 5. | Seats | : | The basic unit will be of 60 seat Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management Academic Council from time to time. |
| 6. | Admission Procedure | : | As specified in ordinance no. 1. Preference will be given to students belonging to the state of Chhattisgarh and all guidelines issued by the state government related to reservations will be followed |
| 7. | Academic Year | : | There will be one academic year from July to June. |
| 8. | Selection Procedure | : | The University will issue admission notification in news papers, on the notice board of the University and in other publicity media before the start of every academic year. The list of candidates selected on the basis of merit for admission will be displayed on the university website or the students will be informed directly about their admission. The list of the selected students will also be displayed on the notice board of the University. The candidate whose results are awaited can also apply. However, such candidate must produce, the proof of appearing in the final year of qualifying examination, provided if the candidate fails to clear the qualifying exam with required percentage his/her admission shall be treated as cancelled. Further provided that the candidate must submit mark sheet of qualifying examination before the filling of examination form. Directives issued by the Government of Chhattisgarh, from time to time, regarding reservation, shall be followed while making admissions. |
| 9. | Cancellation of Admission | : | Admission of a student may be cancelled under following circumstances. <ol style="list-style-type: none"> 1. At any stage, if student is not found qualified, for the Programme, as per government norms/ guidelines or the eligibility criteria prescribed by the University. 2. Involvement in gross indiscipline in the Institute / University. |

3. She/he is found to have produced false/ forged documents or found to have used unfair means to secure admission.
 4. The fee is not paid.
 5. The application form is incomplete in any way.
 6. The supporting documents required for admission are not enclosed.
- Registration number will be assigned to the student by the University after verification and submission of all the necessary documents and fees.
10. Fees : The course fees will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of CGPURC.
11. Eligibility to Pass : As per Ordinance No 2 subsection 12(i) of the University
12. Course structure and Examination Scheme : As prescribed by the Board of Studies and approved by the academic council
13. Evaluation and examination : As per Ordinance No 2 of the University.
14. Eligibility Criteria for Supplementary : As per Ordinance No 2 of the University.
15. General : Detailed syllabus of each paper shall be prepared by the Board of Studies and duly approved by the Academic Council and the Vice-Chancellor.
- In all matters, pertaining to the courses not covered herein above and in the Ordinances, the decision of the Vice Chancellor of the University shall be final. However on the recommendations of the Academic Council the Vice Chancellor shall be competent to change the system or pattern of examination. The course content is subject of change from time to time.

ORDINANCE – 9

Bachelor in Pharmacy (B. Pharma)

- | | | | |
|-----|---------------------------|---|--|
| 1. | Title | : | Bachelor in Pharmacy |
| 2. | Faculty | : | Science |
| 3. | Duration | : | Four Year of 8 Semester |
| 4. | Eligibility | : | For admission in four year Bachelor in Pharmacy course a candidate need to pass 10+2 examination with Physics, Chemistry, Mathematics and or Biology as optional subjects individually. Obtained at least 45% marks (40% in case of candidates belonging to reserved category) in the above subjects taken together. From any Board of Secondary Education, or equivalent exam from any recognized board or any other qualification approved by the regulatory council as equivalent of the above examination. |
| 5. | Lateral Entry: | : | Passed Diploma examination in a Programme with at least 45% marks (40% in case of candidates belonging to reserved category) in appropriate Programme. |
| 6. | Seats | : | The basic unit will be of 60 seat Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management Academic Council from time to time. |
| 7. | Admission Procedure | : | As specified in ordinance no. 1. Preference will be given to students belonging to the state of Chhattisgarh and all guidelines issued by the state government related to reservations will be followed |
| 8. | Academic Year | : | There will be one academic year from July to June. |
| 9. | Selection Procedure | : | The University will issue admission notification in news papers, on the notice board of the University and in other publicity media before the start of every academic year. The list of candidates selected on the basis of merit for admission will be displayed on the website or the students will be informed directly about their admission. The list of the selected students will also be displayed on the notice board of the University. The candidate whose results are awaited can also apply. However, such candidate must produce, the proof of appearing in the final year of qualifying examination, provided if the candidate fails to clear the qualifying exam with required percentage his/her admission shall be treated as cancelled. Further provided that the candidate must submit mark sheet of qualifying examination before the filling of examination form. Directives issued by the Government of Chhattisgarh, from time to time, regarding reservation, shall be followed while making admissions. |
| 10. | Cancellation of Admission | : | Admission of a student may be cancelled under following circumstances. |

1. At any stage, if student is not found qualified, for the Programme, as per government norms/ guidelines or the eligibility criteria prescribed by the University.
 2. Involvement in gross indiscipline in the Institute / University.
 3. She/he is found to have produced false/ forged documents or found to have used unfair means to secure admission.
 4. The fee is not paid.
 5. The application form is incomplete in any way.
 6. The supporting documents required for admission are not enclosed.
Registration number will be assigned to the student by the University after verification and submission of all the necessary documents and fees.
11. Fees : The course fees will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of CGPURC.
12. Eligibility to Pass : As per Ordinance No 2 subsection 12(i) of the University
13. Course structure and Examination Scheme : As prescribed by the Board of Studies and approved by the academic council
14. Evaluation and examination : As per Ordinance No 2 of the University.
15. Eligibility Criteria for ATKT: As per Ordinance No 2 of the University.
16. General : Detailed syllabus of each paper shall be prepared by the Board of Studies and duly approved by the Academic Council and the Vice-Chancellor.
In all matters, pertaining to the courses not covered herein above and in the Ordinances, the decision of the Vice Chancellor of the University shall be final. However on the recommendations of the Academic Council the Vice Chancellor shall be competent to change the system or pattern of examination. The course content is subject of change from time to time.

ORDINANCE – 10**Master of Pharmacy (M. Pharma)**

- | | | | |
|----|---------------------------|---|--|
| 1. | Title | : | Master of Pharmacy
(Pharmaceutical Chemistry, Pharmaceutics,
Pharmacology, Pharmaceutical Management,
Pharmacognosy, Pharmaceutical Quality Assurance etc.) |
| 2. | Faculty | : | Science |
| 3. | Duration | : | Two Year of 4 Semester |
| 4. | Eligibility | : | Candidate need to pass B. Pharma or equivalent in relevant stream from any recognised Institute/University with 55% of marks (50% in case of candidates belonging to reserved category)
In case the seats are not filled then the minimum required percentage may be lowered by 5 % for candidates from both the categories with the permission of Vice-Chancellor. |
| 5. | Seats | : | The basic unit will be of 30 seat Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management Academic Council from time to time. |
| 6. | Admission Procedure | : | As specified in ordinance no. 1. Preference will be given to students belonging to the state of Chhattisgarh and all guidelines issued by the state government related to reservations will be followed |
| 7. | Academic Year | : | There will be one academic year from July to June. |
| 8. | Selection Procedure | : | The University will issue admission notification in news papers, on the notice board of the University and in other publicity media before the start of every academic year. The list of candidates selected on the basis of merit for admission will be displayed on the website or the students will be informed directly about their admission. The list of the selected students will also be displayed on the notice board of the University. The candidate whose results are awaited can also apply. However, such candidate must produce, the proof of appearing in the final year of qualifying examination, provided if the candidate fails to clear the qualifying exam with required percentage his/her admission shall be treated as cancelled. Further provided that the candidate must submit mark sheet of qualifying examination before the filling of examination form. Directives issued by the Government of Chhattisgarh, from time to time, regarding reservation, shall be followed while making admissions. |
| 9. | Cancellation of Admission | : | Admission of a student may be cancelled under following circumstances. |

1.At any stage, if student is not found qualified, for

- the Programme, as per government norms/ guidelines or the eligibility criteria prescribed by the University.
2. Involvement in gross indiscipline in the Institute / University.
 3. She/he is found to have produced false/ forged documents or found to have used unfair means to secure admission.
 4. The fee is not paid.
 5. The application form is incomplete in any way.
 6. The supporting documents required for admission are not enclosed.
- Registration number will be assigned to the student by the University after verification and submission of all the necessary documents and fees.
10. Fees : The course fees will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of CGPURC.
11. Eligibility to Pass : As per Ordinance No 2 subsection 12(i) of the University
12. Course structure and Examination Scheme : As prescribed by the Board of Studies and approved by the academic council
13. Evaluation and examination : As per Ordinance No 2 of the University.
14. Eligibility Criteria for ATKT: As per Ordinance No 2 of the University.
15. General : Detailed syllabus of each paper shall be prepared by the Board of Studies and duly approved by the Academic Council and the Vice-Chancellor.
- In all matters, pertaining to the courses not covered herein above and in the Ordinances, the decision of the Vice Chancellor of the University shall be final. However on the recommendations of the Academic Council the Vice Chancellor shall be competent to change the system or pattern of examination. The course content is subject of change from time to time.

ORDINANCE – 11**Diploma in Yoga & Spirituality/Yoga Science & Therapy/ Yoga & Consciousness/Yoga & Naturopathy**

- | | | | |
|----|---------------------------|---|--|
| 1. | Title | : | Diploma in Yoga & Spirituality/Yoga Science & Therapy/ Yoga & Consciousness/Yoga & Naturopathy |
| 2. | Faculty | : | Arts. |
| 3. | Duration | : | Two year, annual pattern |
| 4. | Eligibility | : | Must have passed 10 or equivalent from any recognised Board of secondary Education as equivalent there to in any discipline. |
| 5. | Seats | : | The basic unit will be of 60 seats Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management. |
| 6. | Admission Procedure | : | As specified in ordinance no. 1. Preference will be given to students belonging to the state of Chhattisgarh and all guidelines issued by the state government related to reservations will be followed |
| 7. | Academic Year | : | There will be one academic year from July to June. |
| 8. | Selection Procedure | : | The University will issue admission notification in news papers, on the notice board of the University and in other publicity media before the start of every academic year. The list of candidates selected on the basis of merit for admission will be displayed on the website or the students will be informed directly about their admission. The list of the selected students will also be displayed on the notice board of the University. The candidate whose results are awaited can also apply. However, such candidate must produce, the proof of appearing in the final year of qualifying examination, provided if the candidate fails to clear the qualifying exam with required percentage his/her admission shall be treated as cancelled. Further provided that the candidate must submit mark sheet of qualifying examination before the filling of examination form. Directives issued by the Government of Chhattisgarh, from time to time, regarding reservation, shall be followed while making admissions. |
| 9. | Cancellation of Admission | : | Admission of a student may be cancelled under following circumstances. <ol style="list-style-type: none"> 1. At any stage, if student is not found qualified, for the Programme, as per government norms/ guidelines or the eligibility criteria prescribed by the University. 2. Involvement in gross indiscipline in the Institute / University. 3. She/he is found to have produced false/ forged documents or found to have used unfair means to secure admission. 4. The fee is not paid. |

5. The application form is incomplete in any way.
6. The supporting documents required for admission are not enclosed.
- Registration number will be assigned to the student by the University after verification and submission of all the necessary documents and fees.
10. Fees : The course fees will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of CGPURC.
11. Course structure and Examination Scheme : As prescribed by the Board of Studies and approved by the academic council.
12. Eligibility to Pass : As per Ordinance No 2 subsection 12(i) of the University
13. Evaluation and examination : As per Ordinance No 2 of the University.
14. Eligibility Criteria for Supplementary : As per Ordinance No 2 of the University.
15. General : Detailed syllabus of each paper shall be prepared by the Board of Studies and duly approved by the Academic Council and the Vice-Chancellor.

In all matters, pertaining to the courses not covered herein above and in the Ordinances, the decision of the Vice Chancellor of the University shall be final. However on the recommendations of the Academic Council the Vice Chancellor shall be competent to change the system or pattern of examination. The course content is subject of change from time to time.

ORDINANCE – 12**Post Graduate Diploma in Yoga & Spirituality/Yoga Science & Therapy/ Yoga & Consciousness/Yoga & Naturopathy**

- | | | | |
|----|---------------------------|---|--|
| 1. | Title | : | Post Graduate Advanced Diploma in Yoga & Spirituality/Yoga Science & Therapy/ Yoga & Consciousness/Yoga & Naturopathy |
| 2. | Faculty | : | Arts. |
| 3. | Duration | : | One-year, Annual Pattern |
| 4. | Eligibility | : | Must have passed Graduation or equivalent examination from any Institute/University or equivalent there to in any discipline. |
| 5. | Seats | : | The basic unit will be of 60 seats Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management. |
| 6. | Admission Procedure | : | As specified in ordinance no. 1. Preference will be given to students belonging to the state of Chhattisgarh and all guidelines issued by the state government related to reservations will be followed |
| 7. | Academic Year | : | There will be one academic year from July to June. |
| 8. | Selection Procedure | : | The University will issue admission notification in news papers, on the notice board of the University and in other publicity media before the start of every academic year. The list of candidates selected on the basis of merit for admission will be displayed on the website or the students will be informed directly about their admission. The list of the selected students will also be displayed on the notice board of the University. The candidate whose results are awaited can also apply. However, such candidate must produce, the proof of appearing in the final year of qualifying examination, provided if the candidate fails to clear the qualifying exam with required percentage his/her admission shall be treated as cancelled. Further provided that the candidate must submit mark sheet of qualifying examination before the filling of examination form. Directives issued by the Government of Chhattisgarh, from time to time, regarding reservation, shall be followed while making admissions. |
| 9. | Cancellation of Admission | : | Admission of a student may be cancelled under following circumstances. <ol style="list-style-type: none"> 1. At any stage, if student is not found qualified, for the Programme, as per government norms/ guidelines or the eligibility criteria prescribed by the University. 2. Involvement in gross indiscipline in the Institute / University. 3. She/he is found to have produced false/ forged documents or found to have used unfair means to secure admission. |

4. The fee is not paid.
5. The application form is incomplete in any way.
6. The supporting documents required for admission are not enclosed.

Registration number will be assigned to the student by the University after verification and submission of all the necessary documents and fees.

- | | | |
|---|---|--|
| 10. Fees | : | The course fees will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of CGPURC. |
| 11. Course structure and Examination Scheme | : | As prescribed by the Board of Studies and approved by the academic council. |
| 12. Eligibility to Pass | : | As per Ordinance No 2 subsection 12(i) of the University |
| 13. Evaluation and examination | : | As per Ordinance No 2 of the University. |
| 14. Eligibility Criteria for Supplementary | : | As per Ordinance No 2 of the University. |
| 15. General | : | Detailed syllabus of each paper shall be prepared by the Board of Studies and duly approved by the Academic Council and the Vice-Chancellor. |

In all matters, pertaining to the courses not covered herein above and in the Ordinances, the decision of the Vice Chancellor of the University shall be final. However on the recommendations of the Academic Council the Vice Chancellor shall be competent to change the system or pattern of examination. The course content is subject of change from time to time.

ORDINANCE – 13**Bachelor of Journalism (BJ)**

- | | | | |
|----|---------------------------|---|--|
| 1. | Title | : | Bachelor of Journalism (BJ) |
| 2. | Faculty | : | Arts. |
| 3. | Duration | : | One-year, Annual Pattern |
| 4. | Eligibility | : | Must have passed Graduation or equivalent examination from any Institute/University or equivalent there to in any discipline. |
| 5. | Seats | : | The basic unit will be of 60 seats Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management. |
| 6. | Admission Procedure | : | As specified in ordinance no. 1. Preference will be given to students belonging to the state of Chhattisgarh and all guidelines issued by the state government related to reservations will be followed |
| 7. | Academic Year | : | There will be one academic year from July to June. |
| 8. | Selection Procedure | : | The University will issue admission notification in news papers, on the notice board of the University and in other publicity media before the start of every academic year. The list of candidates selected on the basis of merit for admission will be displayed on the website or the students will be informed directly about their admission. The list of the selected students will also be displayed on the notice board of the University. The candidate whose results are awaited can also apply. However, such candidate must produce, the proof of appearing in the final year of qualifying examination, provided if the candidate fails to clear the qualifying exam with required percentage his/her admission shall be treated as cancelled. Further provided that the candidate must submit mark sheet of qualifying examination before the filling of examination form. Directives issued by the Government of Chhattisgarh, from time to time, regarding reservation, shall be followed while making admissions. |
| 9. | Cancellation of Admission | : | Admission of a student may be cancelled under following circumstances. <ol style="list-style-type: none"> 1. At any stage, if student is not found qualified, for the Programme, as per government norms/ guidelines or the eligibility criteria prescribed by the University. 2. Involvement in gross indiscipline in the Institute / University. 3. She/he is found to have produced false/ forged documents or found to have used unfair means to secure admission. 4. The fee is not paid. 5. The application form is incomplete in any way. 6. The supporting documents required for admission are not enclosed. |

- Registration number will be assigned to the student by the University after verification and submission of all the necessary documents and fees.
10. Fees : The course fees will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of CGPURC.
11. Course structure and Examination Scheme : As prescribed by the Board of Studies and approved by the academic council.
12. Eligibility to Pass : As per Ordinance No 2 subsection 12(i) of the University
13. Evaluation and examination : As per Ordinance No 2 of the University.
14. Eligibility Criteria for Supplementary : As per Ordinance No 2 of the University.
15. General : Detailed syllabus of each paper shall be prepared by the Board of Studies and duly approved by the Academic Council and the Vice-Chancellor.
- In all matters, pertaining to the courses not covered herein above and in the Ordinances, the decision of the Vice Chancellor of the University shall be final. However on the recommendations of the Academic Council the Vice Chancellor shall be competent to change the system or pattern of examination. The course content is subject of change from time to time.

ORDINANCE – 14**Master of Journalism (MJ)**

- | | | | |
|----|---------------------------|---|--|
| 1. | Title | : | Master of Journalism (MJ) |
| 2. | Faculty | : | Arts. |
| 3. | Duration | : | One-year, Annual Pattern |
| 4. | Eligibility | : | Must have passed BJ or equivalent after Graduation or BA (Journalism & Mass Communication) examination from any Institute/University or equivalent there to in any discipline. |
| 5. | Seats | : | The basic unit will be of 60 seats Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management. |
| 6. | Admission Procedure | : | As specified in ordinance no. 1. Preference will be given to students belonging to the state of Chhattisgarh and all guidelines issued by the state government related to reservations will be followed |
| 7. | Academic Year | : | There will be one academic year from July to June. |
| 8. | Selection Procedure | : | The University will issue admission notification in news papers, on the notice board of the University and in other publicity media before the start of every academic year. The list of candidates selected on the basis of merit for admission will be displayed on the website or the students will be informed directly about their admission. The list of the selected students will also be displayed on the notice board of the University. The candidate whose results are awaited can also apply. However, such candidate must produce, the proof of appearing in the final year of qualifying examination, provided if the candidate fails to clear the qualifying exam with required percentage his/her admission shall be treated as cancelled. Further provided that the candidate must submit mark sheet of qualifying examination before the filling of examination form. Directives issued by the Government of Chhattisgarh, from time to time, regarding reservation, shall be followed while making admissions. |
| 9. | Cancellation of Admission | : | Admission of a student may be cancelled under following circumstances. <ol style="list-style-type: none"> 1. At any stage, if student is not found qualified, for the Programme, as per government norms/ guidelines or the eligibility criteria prescribed by the University. 2. Involvement in gross indiscipline in the Institute / University. 3. She/he is found to have produced false/ forged documents or found to have used unfair means to secure admission. 4. The fee is not paid. 5. The application form is incomplete in any way. |

- 6.** The supporting documents required for admission are not enclosed.
Registration number will be assigned to the student by the University after verification and submission of all the necessary documents and fees.
10. Fees : The course fees will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of CGPURC.
11. Course structure and Examination Scheme : As prescribed by the Board of Studies and approved by the academic council.
12. Eligibility to Pass : As per Ordinance No 2 subsection 12(i) of the University
13. Evaluation and examination : As per Ordinance No 2 of the University.
14. Eligibility Criteria for Supplementary : As per Ordinance No 2 of the University.
15. General : Detailed syllabus of each paper shall be prepared by the Board of Studies and duly approved by the Academic Council and the Vice-Chancellor.
In all matters, pertaining to the courses not covered herein above and in the Ordinances, the decision of the Vice Chancellor of the University shall be final. However on the recommendations of the Academic Council the Vice Chancellor shall be competent to change the system or pattern of examination. The course content is subject of change from time to time.

ORDINANCE – 15**Diploma in Computer Application (D.C.A.)**

- | | | | |
|----|---------------------------|---|--|
| 1. | Title | : | Diploma in Computer Application |
| 2. | Faculty | : | SCIENCE. |
| 3. | Duration | : | One-year, Annual Pattern |
| 4. | Eligibility | : | Must have passed 10+2 or equivalent examination from any Board of secondary Education as equivalent there to in any discipline. |
| 5. | Seats | : | The basic unit will be of 60 seats Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management. |
| 6. | Admission Procedure | : | As specified in ordinance no. 1. Preference will be given to students belonging to the state of Chhattisgarh and all guidelines issued by the State government related to reservations will be followed |
| 7. | Academic Year | : | There will be one academic year from July to June. |
| 8. | Selection Procedure | : | The University will issue admission notification in news papers, on the notice board of the University and in other publicity media before the start of every academic year. The list of candidates selected on the basis of merit for admission will be displayed on the website or the students will be informed directly about their admission. The list of the selected students will also be displayed on the notice board of the University. The candidate whose results are awaited can also apply. However, such candidate must produce, the proof of appearing in the final year of qualifying examination, provided if the candidate fails to clear the qualifying exam with required percentage his/her admission shall be treated as cancelled. Further provided that the candidate must submit mark sheet of qualifying examination before the filling of examination form. Directives issued by the Government of Chhattisgarh, from time to time, regarding reservation, shall be followed while making admissions. |
| 9. | Cancellation of Admission | : | Admission of a student may be cancelled under following circumstances. <ol style="list-style-type: none"> 1. At any stage, if the student is not found qualified, for the Programme, as per government norms/ guidelines or the eligibility criteria prescribed by the University. 2. Involvement in gross indiscipline in the Institute / University. 3. She/he is found to have produced false/ forged documents or found to have used unfair means to secure admission. 4. The fee is not paid. 5. The application form is incomplete in any way. 6. The supporting documents required for admission are not enclosed. |

- Registration number will be assigned to the student by the University after verification and submission of all the necessary documents and fees.
10. Fees : The course fees will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of CGPURC.
11. Course structure and Examination Scheme : As prescribed by the Board of Studies and approved by the academic council.
12. Eligibility to Pass : As per Ordinance No 2 subsection 12(i) of the University
13. Evaluation and examination : As per Ordinance No 2 of the University.
14. Eligibility Criteria for Supplementary : As per Ordinance No 2 of the University.
15. General : Detailed syllabus of each paper shall be prepared by the Board of Studies and duly approved by the Academic Council and the Vice-Chancellor.
- In all matters, pertaining to the courses not covered herein above and in the Ordinances, the decision of the Vice Chancellor of the University shall be final. However on the recommendations of the Academic Council the Vice Chancellor shall be competent to change the system or pattern of examination. The course content is subject of change from time to time.

ORDINANCE – 16**Post Graduate Diploma in Computer Application (PGDCA)**

- | | | | |
|----|---------------------------|---|---|
| 1. | Title | : | Post Graduate Diploma in Computer Application |
| 2. | Faculty | : | SCIENCE |
| 3. | Duration | : | One years, Annual pattern |
| 4. | Eligibility | : | Graduate or equivalent in any discipline from a recognised University/Institute. |
| 5. | Seats | : | The basic unit will be of 60 seats Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management. |
| 6. | Admission Procedure | : | As specified in ordinance no. 1. Preference will be given to students belonging to the state of Chhattisgarh and all guidelines issued by the state government related to reservations will be followed |
| 7. | Academic Year | : | There will be one academic year from July to June. |
| 8. | Selection Procedure | : | The University will issue admission notification in news papers, on the notice board of the University and in other publicity media before the start of every academic year. The list of candidates selected on the basis of merit for admission will be displayed on the university website or the students will be informed directly about their admission. The list of the selected students will also be displayed on the notice board of the University. The candidate whose results are awaited can also apply. However, such candidate must produce, the proof of appearing in the final year of qualifying examination, provided if the candidate fails to clear the qualifying exam with required percentage his/her admission shall be treated as cancelled. Further provided that the candidate must submit mark sheet of qualifying examination before the filling of examination form. Directives issued by the Government of Chhattisgarh, from time to time, regarding reservation, shall be followed while making admissions. |
| 9. | Cancellation of Admission | : | Admission of a student may be cancelled under following circumstances. <ol style="list-style-type: none"> 1. At any stage, if student is not found qualified, for the Programme, as per government norms/ guidelines or the eligibility criteria prescribed by the University. 2. Involvement in gross indiscipline in the Institute / University. 3. She/he is found to have produced false/ forged documents or found to have used unfair means to secure admission. 4. The fee is not paid. 5. The application form is incomplete in any way. 6. The supporting documents required for admission are not enclosed. |

- Registration number will be assigned to the student by the University after verification and submission of all the necessary documents and fees.
10. Fees : The course fees will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of CGPURC.
11. Eligibility to Pass : As per Ordinance No 2 subsection 12(i) of the University
12. Course structure and the Examination Scheme : As prescribed by the Board of Studies and approved by academic council
13. Evaluation and examination : As per Ordinance No 2 of the University.
14. Eligibility Criteria for Supplementary : As per Ordinance No 2 of the University.
15. General : Detailed syllabus of each paper shall be prepared by the Board of Studies and duly approved by the Academic Council and the Vice-Chancellor.
- In all matters, pertaining to the courses not covered herein above and in the Ordinances, the decision of the Vice Chancellor of the University shall be final. However on the recommendations of the Academic Council the Vice Chancellor shall be competent to change the system or pattern of examination. The course content is subject of change from time to time.

ORDINANCE - 17**Master of Business Administration (MBA)**

- | | | |
|-------------------------------|---|---|
| 1. Title | : | Master of Business Administration (MBA) |
| 2. Faculty | : | MANAGEMENT |
| 3. Duration | : | Two years of four semester. |
| 4. Eligibility | : | Graduate in any discipline from a recognized University. |
| 5. Lateral Entry | : | For Admission in lateral entry in second year or third semester student need to have passed PG Diploma in relevant discipline after Graduation. |
| 6. Seats | : | The basic unit will be of 60 seats. Multiples of the unit can also set up by the board of management. |
| 7. Admission Procedure | : | As specified in the Ordinance no. 1. |
| 8. Academic year | : | There will be one academic year from July to June. |
| 9. Selection procedure | : | The University will issue admission notification in news papers, on the notice board of the University and in other publicity media before the start of every academic year. The list of candidates selected on the basis of merit for admission will be displayed on the University website or the students will be informed directly about their admission. The list of the selected students will also be displayed on the notice board of the University. The candidate whose results are awaited can also apply. However, such candidate must produce, the proof of appearing in the final year of qualifying examination, provided if the candidate fails to clear the qualifying exam with required percentage his/her admission shall be treated as cancelled. Further provided that the candidate must submit mark sheet of qualifying examination before the filling of examination form. Directives issued by the Government of Chhattisgarh, from time to time, regarding reservation, shall be followed while making admissions. |
| 10. Cancellation of Admission | : | Admission of a student may be cancelled under following circumstances. <ol style="list-style-type: none"> 1. At any stage, if student is not found qualified, for the Programme, as per government norms/ guidelines or the eligibility criteria prescribed by the University. 2. Involvement in gross indiscipline in the Institute / University. 3. She/he is found to have produced false/ forged documents or found to have used unfair means to secure admission. 4. The fee is not paid. 5. The application form is incomplete in any way. 6. The supporting documents required for admission are not enclosed. |

- Registration number will be assigned to the student by the University after verification and submission of all the necessary documents and fees.
11. Fees : The course fees will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of CGPURC.
12. Eligibility to Pass : As per Ordinance No 2 subsection 12(i) of the University .
13. Course structure and examination scheme : As prescribed by the board of studies and approved by the academic council.
14. Evaluation and examination : As per ordinance no. 2 of the University.
15. Eligibility criteria for ATKKT : As per ordinance no. 2 of the University.
16. General : Detailed syllabus of each paper shall be prepared by the Board of Studies and duly approved by the Academic Council and the Vice-Chancellor.
- In all matters, pertaining to the courses not covered herein above and in the Ordinances, the decision of the Vice Chancellor of the University shall be final. However on the recommendations of the Academic Council the Vice Chancellor shall be competent to change the system or pattern of examination. The course content is subject of change from time to time.

ORDINANCE – 18**Bachelor of Business Administration (BBA)**

1. Title: : Bachelor of Business Administration (BBA)
2. Faculty : MANAGEMENT
3. Duration : Three years of six semester
4. Eligibility : Passed 10+2 or equivalent from any recognised Board of secondary education or equivalent
5. Seats : The basic unit will be of 60 seats. Multiples of the unit can also set up by the board of management.
6. Admission Procedure : As specified in ordinance no. 1. Preference will be given to students belonging to the state of Chhattisgarh and all guidelines issued by the state government related to reservations will be followed
7. Academic year : There will be one academic year from July to June.
8. Selection procedure : The University will issue admission notification in news papers, on the notice board of the University and in other publicity media before the start of every academic year. The list of candidates selected on the basis of merit for admission will be displayed on the website or the students will be informed directly about their admission. The list of the selected students will also be displayed on the notice board of the University. The candidate whose results are awaited can also apply. However, such candidate must produce, the proof of appearing in the final year of qualifying examination, provided if the candidate fails to clear the qualifying exam with required percentage his/her admission shall be treated as cancelled. Further provided that the candidate must submit mark sheet of qualifying examination before the filling of examination form. Directives issued by the Government of Chhattisgarh, from time to time, regarding reservation, shall be followed while making admissions.
9. Cancellation of Admission : Admission of a student may be cancelled under following circumstances.
 1. At any stage, if student is not found qualified, for the Programme, as per government norms/ guidelines or the eligibility criteria prescribed by the University.
 2. Involvement in gross indiscipline in the Institute / University.
 3. She/he is found to have produced false/ forged documents or found to have used unfair means to secure admission.
 4. The fee is not paid.
 5. The application form is incomplete in any way.
 6. The supporting documents required for admission are not enclosed.

Registration number will be assigned to the student by the University after verification and submission of all the necessary documents and fees.

-
10. Fees : The course fees will be as decided by the board of management from time to time with the prior approval of CGPURC.
11. Eligibility to Pass As per Ordinance No 2 subsection 12(i) of the University
12. Course structure and examination scheme: As prescribed by the board of studies and approved by the academic council.
13. Evaluation and examination : As per ordinance no. 2 of the University.
14. Eligibility criteria for ATKT : As per ordinance no. 2 of the University.
15. General : Detailed syllabus of each paper shall be prepared by the Board of Studies and duly approved by the Academic Council and the Vice-Chancellor.
In all matters, pertaining to the courses not covered herein above and in the Ordinances, the decision of the Vice Chancellor of the University shall be final. However on the recommendations of the Academic Council the Vice Chancellor shall be competent to change the system or pattern of examination. The course content is subject of change from time to time.

ORDINANCE – 19**Bachelor & Master of Business Administration-Integrated (BBA+M.B.A.)**

- | | | |
|------------------------------|---|---|
| 1. Title | : | Bachelor & Master of Business Administration-Integrated (BBA+MBA) |
| 2. Faculty | : | MANAGEMENT |
| 3. Duration | : | Four years of Eight semester |
| 4. Eligibility | : | Passed 10+2 or equivalent from any secondary education Board or equivalent. |
| 5. Seats | : | The basis unit will be of 60 seats. Multiples of the unit can also set up by the board of management. |
| 6. Admission Procedure | : | As specified in ordinance no. 1. Preference will be given to students belonging to the state of Chhattisgarh and all guidelines issued by the state government related to reservations will be followed |
| 7. Academic year | : | There will be one academic year from July to June. |
| 8. Selection procedure | : | The University will issue admission notification in news papers, on the notice board of the University and in other publicity media before the start of every academic year. The list of candidates selected on the basis of merit for admission will be displayed on the university website or the students will be informed directly about their admission. The list of the selected students will also be displayed on the notice board of the University. The candidate whose results are awaited can also apply. However, such candidate must produce, the proof of appearing in the final year of qualifying examination, provided if the candidate fails to clear the qualifying exam with required percentage his/her admission shall be treated as cancelled. Further provided that the candidate must submit mark sheet of qualifying examination before the filling of examination form. Directives issued by the Government of Chhattisgarh, from time to time, regarding reservation, shall be followed while making admissions. |
| 9. Cancellation of Admission | : | Admission of a student may be cancelled under following circumstances. <ol style="list-style-type: none"> 1. At any stage, if student is not found qualified, for the Programme, as per government norms/ guidelines or the eligibility criteria prescribed by the University. 2. Involvement in gross indiscipline in the Institute / University. 3. She/he is found to have produced false/ forged documents or found to have used unfair means to secure admission. 4. The fee is not paid. 5. The application form is incomplete in any way. 6. The supporting documents required for admission are not enclosed. |

- Registration number will be assigned to the student by the University after verification and submission of all the necessary documents and fees.
10. Fees : The course fees will be as decided by the board of management from time to time with the prior approval of CGPURC.
11. Eligibility to Pass : As per Ordinance No 2 subsection 12(i) of the University
12. Course structure and examination scheme: As prescribed by the board of studies and approved by the academic council.
13. Evaluation and examination : As per ordinance no. 2 of the University.
14. Eligibility criteria for ATKT : As per ordinance no. 2 of the University.
15. General : Detailed syllabus of each paper shall be prepared by the Board of Studies and duly approved by the Academic Council and the Vice-Chancellor.
- In all matters, pertaining to the courses not covered herein above and in the Ordinances, the decision of the Vice Chancellor of the University shall be final. However on the recommendations of the Academic Council the Vice Chancellor shall be competent to change the system or pattern of examination. The course content is subject of change from time to time.

ORDINANCE – 20**Executive-Master of Business Administration (E-MBA)**

- | | | | |
|----|---------------------------|---|--|
| 1. | Title | : | Executive-Master of Business Management |
| 2. | Faculty | : | MANAGEMENT |
| 3. | Duration | : | 18 months of three semester. |
| 4. | Eligibility | : | Graduate or equivalent in any discipline from a recognised University or equivalent with at least two-year working experience. |
| 5. | Seats | : | The basic unit will be 60 seats, Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management. |
| 6. | Admission Procedure | : | As specified in ordinance no. 1. Preference will be given to students belonging to the state of Chhattisgarh and all guidelines issued by the state government related to reservations will be followed |
| 7. | Academic Years | : | There will be one academic year from July to June |
| 8. | Selection procedure | : | The University will issue admission notification in news papers, on the notice board of the University and in other publicity media before the start of every academic year. The list of candidates selected on the basis of merit for admission will be displayed on the website or the students will be informed directly about their admission. The list of the selected students will also be displayed on the notice board of the University. The candidate whose results are awaited can also apply. However, such candidate must produce, the proof of appearing in the final year of qualifying examination, provided if the candidate fails to clear the qualifying exam with required percentage his/her admission shall be treated as cancelled. Further provided that the candidate must submit mark sheet of qualifying examination before the filling of examination form. Directives issued by the Government of Chhattisgarh, from time to time, regarding reservation, shall be followed while making admissions. |
| 9. | Cancellation of Admission | : | Admission of a student may be cancelled under following circumstances. <ol style="list-style-type: none"> 1. At any stage, if student is not found qualified, for the Programme, as per government norms/ guidelines or the eligibility criteria prescribed by the University. 2. Involvement in gross indiscipline in the Institute / University. 3. She/he is found to have produced false/ forged documents or found to have used unfair means to secure admission. 4. The fee is not paid. 5. The application form is incomplete in any way. 6. The supporting documents required for admission are not enclosed. |

- Registration number will be assigned to the student by the University after verification and submission of all the necessary documents and fees.
10. Fees : The course fees will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of CGPURC.
11. Eligibility to Pass : As per Ordinance No 2 subsection 12(i) of the University
12. Course structure and Examination scheme : As prescribed by the Board of Studies and approved by the and academic council.
13. Evaluation and examination : As per Ordinance No 2 of the University.
14. Eligibility Criteria for ATKT : As per Ordinance No 2 of the University.
15. General : Detailed syllabus of each paper shall be prepared by the Board of Studies and duly approved by the Academic Council and the Vice-Chancellor.
In all matters, pertaining to the courses not covered herein above and in the Ordinances, the decision of the Vice Chancellor of the University shall be final. However on the recommendations of the Academic Council the Vice Chancellor shall be competent to change the system or pattern of examination. The course content is subject of change from time to time.

ORDINANCE – 21**Post Graduation Diploma under
Management (PGD)**

1. Title : Post Graduation Diploma under Management
Subject for PGD's are:
1. Airline and Airport Management 2. International Business Management 3. Logistics and supply chain Management 4. Fitness management 5. Insurance management 6. Warehousing and inventory management. 7. Shipping and port management 8. Marketing management 9. Financial Management 10. Human resource management 11. Information technology 12. Operation & Project Management 13. Rural Management 14. Hospital Management 15. Project Management 16. Entrepreneurship Development 17. NGO Management 18. Public Relation 19. Indian stock Market 20. Retail Management 21. Advertising & Public Relations 22. Hospital Document 23. Total Quality Management 24. Institute Administration Management 25. ERP (Enterprises Resource Planning) Management etc. as mentioned in Statute No. 12.
2. Faculty : MANAGEMENT
3. Duration : One Year of Two Semester
4. Eligibility : Graduate or equivalent in any discipline from a Recognised Institute/ University or equivalent.
5. Seats : The basic unit will be 60 seats, Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management.
6. Admission Procedure : As specified in ordinance no. 1. Preference will be given to students belonging to the state of Chhattisgarh and all guidelines issued by the state government related to reservations will be followed
7. Academic Years : There will be one academic year from July to June
8. Selection procedure : The University will issue admission notification in news papers, on the notice board of the University and in other publicity media before the start of every academic year. The list of candidates selected on the basis of merit for admission will be displayed on the University website or the students will be informed directly about their admission. The list of the selected students will also be displayed on the notice board of the University. The candidate whose results are awaited can also apply. However, such candidate must produce, the proof of appearing in the final year of qualifying examination, provided if the candidate fails to clear the qualifying exam with required percentage his/her admission shall be treated as cancelled. Further provided

- that the candidate must submit mark sheet of qualifying examination before the filling of examination form. Directives issued by the Government of Chhattisgarh, from time to time, regarding reservation, shall be followed while making admissions.
9. Cancellation of Admission : Admission of a student may be cancelled under following circumstances.
1. At any stage, if student is not found qualified, for the Programme, as per government norms/ guidelines or the eligibility criteria prescribed by the University.
 2. Involvement in gross indiscipline in the Institute / University.
 3. She/he is found to have produced false/ forged documents or found to have used unfair means to secure admission.
 4. The fee is not paid.
 5. The application form is incomplete in any way.
 6. The supporting documents required for admission are not enclosed.
- Registration number will be assigned to the student by the University after verification and submission of all the necessary documents and fees.
10. Fees : The course fees will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of CGPURC.
11. Eligibility to Pass : As per Ordinance No 2 subsection 12(i) of the University
12. Course structure and Examination scheme : Course structure and examination shall be framed by the concerned board of studies in various subjects mentioned in statute-12.
13. Evaluation and examination : As per Ordinance No 2 of the University.
14. Eligibility Criteria for ATKT : As per Ordinance No 2 of the University.
15. General : Detailed syllabus of each paper shall be prepared by the Board of Studies and duly approved by the Academic Council and the Vice-Chancellor.
- In all matters, pertaining to the courses not covered herein above and in the Ordinances, the decision of the Vice Chancellor of the University shall be final. However on the recommendations of the Academic Council the Vice Chancellor shall be competent to change the system or pattern of examination. The course content is subject of change from time to time.

ORDINANCE – 22**Master of Commerce (M.Com.)**

- | | | |
|------------------------------|---|---|
| 1. Title | : | Master of Commerce (M.Com.) |
| 2. Faculty | : | COMMERCE |
| 3. Duration | : | Two years, Annual Pattern |
| 4. Eligibility | : | Passed B.Com or equivalent examination from any recognized Institute/University. |
| 5. Seats | : | The basic unit will be of 30 seats. Multiples of the unit can also set up by the board of management. |
| 6. Admission Procedure | : | As specified in ordinance no. 1. Preference will be given to students belonging to the state of Chhattisgarh and all guidelines issued by the state government related to reservations will be followed. |
| 7. Academic year | : | There will be one academic year from July to June. |
| 8. Selection procedure | : | The University shall issue admission notification in news papers, on the notice board of the University and in other publicity media before the start of every academic year. The list of candidates selected on the basis of merit for admission shall be displayed on the University website or the students will be informed directly about their admission. The list of the selected students will also be displayed on the notice board of the University. The candidate whose results are awaited can also apply. However, such candidate must produce, the proof of appearing in the final year of qualifying examination, provided if the candidate fails to clear the qualifying exam with required percentage his/her admission shall be treated as cancelled. Further provided that the candidate must submit mark sheet of qualifying examination before the filling of examination form. Directives issued by the Government of Chhattisgarh, from time to time, regarding reservation, shall be followed while making admissions. |
| 9. Cancellation of Admission | : | Admission of a student may be cancelled under following circumstances. <ol style="list-style-type: none"> 1. At any stage, if student is not found qualified, for the Programme, as per government norms/ guidelines or the eligibility criteria prescribed by the University. 2. Involvement in gross indiscipline in the Institute / University. 3. She/he is found to have produced false/ forged documents or found to have used unfair means to secure admission. 4. The fee is not paid. 5. The application form is incomplete in any way. 6. The supporting documents required for admission are not enclosed. |

- Registration number will be assigned to the student by the University after verification and submission of all the necessary documents and fees.
10. Fees : The course fees will be as decided by the board of management from time to time with the prior approval of CGPURC.
11. Eligibility to Pass : As per Ordinance No 2 subsection 12(i) of the University
12. Course structure and examination scheme : As prescribed by the board of studies and approved by the academic council.
13. Evaluation and examination : As per ordinance no. 2 of the University.
14. Eligibility criteria for Supplementary : As per ordinance no. 2 of the University.
15. General : Detailed syllabus of each paper shall be prepared by the Board of Studies and duly approved by the Academic Council and the Vice-Chancellor.
- In all matters, pertaining to the courses not covered herein above and in the Ordinances, the decision of the Vice Chancellor of the University shall be final. However on the recommendations of the Academic Council the Vice Chancellor shall be competent to change the system or pattern of examination. The course content is subject of change from time to time.

ORDINANCE – 23**Bachelor of Commerce (B.Com.)**

1. Title : Bachelor of Commerce (B.Com.)
2. Faculty : COMMERCE
3. Duration : Three years, Annual Pattern
4. Eligibility : Passed 10+2 or equivalent from any recognised board of secondary education or equivalent.
5. Seats : The basic unit will be of 60 seats. Multiples of the unit can also set up by the board of management.
6. Admission Procedure : As specified in ordinance no. 1. Preference will be given to students belonging to the state of Chhattisgarh and all guidelines issued by the state government related to reservations will be followed.
7. Academic year : There will be one academic year from July to June.
8. Selection procedure : The University will issue admission notification in news papers, on the notice board of the University and in other publicity media before the start of every academic year. The list of candidates selected on the basis of merit for admission will be displayed on the University website or the students will be informed directly about their admission. The list of the selected students will also be displayed on the notice board of the University. The candidate whose results are awaited can also apply. However, such candidate must produce, the proof of appearing in the final year of qualifying examination, provided if the candidate fails to clear the qualifying exam with required percentage his/her admission shall be treated as cancelled. Further provided that the candidate must submit mark sheet of qualifying examination before the filling of examination form. Directives issued by the Government of Chhattisgarh, from time to time, regarding reservation, shall be followed while making admissions.
9. Cancellation of Admission : Admission of a student may be cancelled under following circumstances.
 1. At any stage, if student is not found qualified, for the Programme, as per government norms/ guidelines or the eligibility criteria prescribed by the University.
 2. Involvement in gross indiscipline in the Institute / University.
 3. She/he is found to have produced false/ forged documents or found to have used unfair means to secure admission.
 4. The fee is not paid.
 5. The application form is incomplete in any way.
 6. The supporting documents required for admission are not enclosed.

- Registration number will be assigned to the student by the University after verification and submission of all the necessary documents and fees.
10. Fees : The course fees will be as decided by the board of management from time to time with the prior approval of CGPURC.
11. Eligibility to Pass : As per Ordinance No 2 subsection 12(i) of the University
12. Course structure and examination scheme: As prescribed by the board of studies and approved by the academic council.
13. Evaluation and examination : As per ordinance no. 2 of the University.
14. Eligibility criteria for Supplementary : As per ordinance no. 2 of the University.
15. General : Detailed syllabus of each paper shall be prepared by the Board of Studies and duly approved by the Academic Council and the Vice-Chancellor.

In all matters, pertaining to the courses not covered herein above and in the Ordinances, the decision of the Vice Chancellor of the University shall be final. However on the recommendations of the Academic Council the Vice Chancellor shall be competent to change the system or pattern of examination. The course content is subject of change from time to time.

ORDINANCE – 24**Bachelor of Commerce- (Honours) (B.Com.-Honours)**

- | | | |
|------------------------------|---|--|
| 1. Title | : | Bachelor of Commerce-Honours (B.Com. Honours) |
| 2. Faculty | : | COMMERCE |
| 3. Duration | : | Three years, Annual Pattern |
| 4. Eligibility | : | Passed 10+2 or equivalent from any recognised board of secondary education or equivalent with 50% marks.
In case the seats are not filled then the minimum required percentage may be lowered by 5 % for candidates from both the categories with the permission of Vice-Chancellor. |
| 5. Seats | : | The basic unit will be of 60 seats. Multiples of the unit can also set up by the board of management. |
| 6. Admission Procedure | : | As specified in ordinance no. 1. Preference will be given to students belonging to the state of Chhattisgarh and all guidelines issued by the state government related to reservations will be followed. |
| 7. Academic year | : | There will be one academic year from July to June. |
| 8. Selection procedure | : | The University will issue admission notification in newspapers, on the notice board of the University and in other publicity media before the start of every academic year. The list of candidates selected on the basis of merit for admission will be displayed on the University website or the students will be informed directly about their admission. The list of the selected students will also be displayed on the notice board of the University. The candidate whose results are awaited can also apply. However, such candidate must produce, the proof of appearing in the final year of qualifying examination, provided if the candidate fails to clear the qualifying exam with required percentage his/her admission shall be treated as cancelled. Further provided that the candidate must submit mark sheet of qualifying examination before the filling of examination form. Directives issued by the Government of Chhattisgarh, from time to time, regarding reservation, shall be followed while making admissions. |
| 9. Cancellation of Admission | : | Admission of a student may be cancelled under following circumstances.
<ol style="list-style-type: none"> 1. At any stage, if student is not found qualified, for the Programme, as per government norms/ guidelines or the eligibility criteria prescribed by the University. 2. Involvement in gross indiscipline in the Institute / University. 3. She/he is found to have produced false/ forged documents or found to have used unfair means to secure admission. |

4. The fee is not paid.
 5. The application form is incomplete in any way.
 6. The supporting documents required for admission are not enclosed.
- Registration number will be assigned to the student by the University after verification and submission of all the necessary documents and fees.
10. Fees : The course fees will be as decided by the board of management from time to time with the prior approval of CGPURC.
11. Eligibility to Pass : As per Ordinance No 2 subsection 12(i) of the University
12. Course structure and examination scheme: As prescribed by the board of studies and approved by the academic council.
13. Evaluation and examination : As per ordinance no. 2 of the University.
14. Eligibility criteria for Supplementary : As per ordinance no. 2 of the University.
15. General : Detailed syllabus of each paper shall be prepared by the Board of Studies and duly approved by the Academic Council and the Vice-Chancellor.
- In all matters, pertaining to the courses not covered herein above and, in the Ordinances, the decision of the Vice Chancellor of the University shall be final. However, on the recommendations of the Academic Council the Vice Chancellor shall be competent to change the system or pattern of examination. The course content is subject of change from time to time.

ORDINANCE – 25**Bachelor of Technology (B.Tech.)**

1. Title : Bachelor of Technology
(This B.Tech shall include branches like Civil Engineering, Computer Science Engineering, Electrical and Electronics, Electronics and Telecommunication, Mechanical Engineering, Biotechnology, Mining Engineering, Electrical Engineering, Fire Technology & Safety, etc mentioned in Statute No. 12.)
2. Faculty : ENGINEERING
3. Duration : Four years of eight semester
4. Eligibility : Passed 10+2 examination or equivalent with physics, mathematics, as compulsory subject along with one of the Chemistry/Biology/Technical vocational subject. For Bio-Technology Branch 10+2 in any PCB discipline or Equivalent may also be eligible for admission.
Obtained at least 45% marks (40% in case of candidates belonging to reserved category) in the above subject taken together
In case the seats are not filled then the minimum required percentage may be lowered by 5 % for candidates from both the categories with the permission of Vice-Chancellor.
5. Lateral Entry : Candidate who have passed the diploma course examination in related branch of engineering /Technology, from a recognized board of technical education/University or equivalent shall also be eligible for admission to Third semester of B.Tech Course in the concerned branch as lateral Entry.
6. Seats : The basic unit will be of 60 seats. Multiples of the unit can also set up by the board of management.
7. Admission Procedure : As specified in ordinance no. 1. Preference will be given to students belonging to the state of Chhattisgarh and all guidelines issued by the state government related to reservations will be followed
8. Academic year : There will be one academic year from July to June.
9. Selection procedure : The University will issue admission notification in news papers, on the notice board of the University and in other publicity media before the start of every academic year. The list of candidates selected on the basis of merit for admission will be displayed on the website or the students will be informed directly about their admission. The list of the selected students will also be displayed on the notice board of the University. The candidate whose results are awaited can also apply. However, such candidate must produce, the proof of appearing in the final year of qualifying examination, provided if the candidate

- fails to clear the qualifying exam with required percentage his/her admission shall be treated as cancelled. Further provided that the candidate must submit mark sheet of qualifying examination before the filling of examination form. Directives issued by the Government of Chhattisgarh, from time to time, regarding reservation, shall be followed while making admissions.
10. Cancellation of Admission : Admission of a student may be cancelled under following circumstances.
1. At any stage, if student is not found qualified, for the Programme, as per government norms/ guidelines or the eligibility criteria prescribed by the University.
 2. Involvement in gross indiscipline in the Institute / University.
 3. She/he is found to have produced false/ forged documents or found to have used unfair means to secure admission.
 4. The fee is not paid.
 5. The application form is incomplete in any way.
 6. The supporting documents required for admission are not enclosed.
- Registration number will be assigned to the student by the University after verification and submission of all the necessary documents and fees.
11. Fees : The course fees will be as decided by the board of Management from time to time with the prior approval of CGPURC.
12. Eligibility to Pass : As per Ordinance No 2 subsection 12(i) of the University
13. Course structure and examination scheme: Course structure and examination shall be framed by the concerned board of studies in various subjects mentioned in statutes 12.
14. Evaluation and examination : As per ordinance no. 2 of the University.
15. Eligibility criteria for ATKT : As per ordinance no. 2 of the University.
16. General : Detailed syllabus of each paper shall be prepared by the Board of Studies and duly approved by the Academic Council and the Vice-Chancellor.
- In all matters, pertaining to the courses not covered herein above and in the Ordinances, the decision of the Vice Chancellor of the University shall be final. However on the recommendations of the Academic Council the Vice Chancellor shall be competent to change the system or pattern of examination. The course content is subject of change from time to time.

ORDINANCE – 26**Master of Technology (M.Tech.)**

1. Title : Master of Technology
(This M.Tech shall include branches like Civil Engineering, Computer Science Engineering, Electrical and Electronics, Electronics and Telecommunication, Mechanical Engineering, Biotechnology, Mining Engineering, Electrical Engineering, Fire Technology & Safety, etc mentioned in Statute No. 12.)
2. Faculty : ENGINEERING
3. Duration : Two Year of Four semester
4. Eligibility : Passes Bachelor Degree or equivalent in the relevant field or M.Sc in relevant subject or equivalent with minimum 50% marks (45% in case of candidate belonging to reserved category) in the qualifying examination.
In case the seats are not filled then the minimum required percentage may be lowered by 5 % for candidates from both the categories with the permission of Vice-Chancellor.
5. Seats : The basic unit will be of 30 seats. Multiples of the unit can also set up by the board of management.
6. Admission Procedure : As specified in ordinance no. 1. Preference will be given to students belonging to the state of Chhattisgarh and all guidelines issued by the state government related to reservations will be followed
7. Academic year : There will be one academic year from July to June.
8. Selection procedure : The University will issue admission notification in news papers, on the notice board of the University and in other publicity media before the start of every academic year. The list of candidates selected on the basis of merit for admission will be displayed on the website or the students will be informed directly about their admission. The list of the selected students will also be displayed on the notice board of the University. The candidate whose results are awaited can also apply. However, such candidate must produce, the proof of appearing in the final year of qualifying examination, provided if the candidate fails to clear the qualifying exam with required percentage his/her admission shall be treated as cancelled. Further provided that the candidate must submit mark sheet of qualifying examination before the filling of examination form. Directives issued by the Government of Chhattisgarh, from time to time, regarding reservation, shall be followed while making admissions.
9. Cancellation of Admission : Admission of a student may be cancelled under

following circumstances.

1. At any stage, if student is not found qualified, for the Programme, as per government norms/ guidelines or the eligibility criteria prescribed by the University.
2. Involvement in gross indiscipline in the Institute / University.
3. She/he is found to have produced false/ forged documents or found to have used unfair means to secure admission.
4. The fee is not paid.
5. The application form is incomplete in any way.
6. The supporting documents required for admission are not enclosed.

Registration number will be assigned to the student by the University after verification and submission of all the necessary documents and fees.

10. Fees : The course fees will be as decided by the board of Management from time to time with the prior approval of CGPURC.
11. Eligibility to Pass : As per Ordinance No 2 subsection 12(i) of the University
12. Course structure and examination scheme: Course structure and examination shall be framed by the concerned board of studies in various subjects mentioned in statute 12.
13. Evaluation and examination : As per ordinance no. 2 of the University.
14. Eligibility criteria for ATKT : As per ordinance no. 2 of the University.
15. General Detailed syllabus of each paper shall be prepared by the Board of Studies and duly approved by the Academic Council and the Vice-Chancellor.
- In all matters, pertaining to the courses not covered herein above and in the Ordinances, the decision of the Vice Chancellor of the University shall be final. However on the recommendations of the Academic Council the Vice Chancellor shall be competent to change the system or pattern of examination. The course content is subject of change from time to time.

ORDINANCE – 27**3 Years Diploma in Engineering**

1. Title : 3 Years Diploma in Engineering
(This Diploma shall include branches like Civil Engineering, Computer Science Engineering, Electrical and Electronics, Electronics and Telecommunication, Mechanical Engineering, Biotechnology, Mining Engineering, Electrical Engineering etc mentioned in Statute No. 12.)
2. Faculty : ENGINEERING
3. Duration : Three years (or six semester)
4. Eligibility : As Per AICTE Norms.
5. Lateral Entry : For Admission in Lateral Entry candidate need to Pass 10+2 examination with physics and chemistry as compulsory subjects along with one of the Mathematics/Biology (Botany and Zoology)
OR
12th Science (with Mathematics as one of the Subject) or 12th Science with Vocational or 12th Science with Technical subject.
OR
10th + (2 Year ITI) with appropriate Trade in that order shall be eligible for admission to Second Year Diploma Course(s) of appropriate Programme
6. Seats : The basic unit will be of 60 seats. Multiples of the units can also set up by the board of management.
7. Admission Procedure : As specified in ordinance no. 1. Preference will be given to students belonging to the state of Chhattisgarh and all guidelines issued by the state government related to reservations will be followed
8. Academic year : There will be one academic year from July to June.
9. Selection procedure : The University will issue admission notification in news papers, on the notice board of the University and in other publicity media before the start of every academic year. The list of candidates selected on the basis of merit for admission will be displayed on the website or the students will be informed directly about their admission. The list of the selected students will also be displayed on the notice board of the University. The candidate whose results are awaited can also apply. However, such candidate must produce, the proof of appearing in the final year of qualifying examination, provided if the candidate fails to clear the qualifying exam with required percentage his/her admission shall be treated as cancelled. Further provided that the candidate must submit mark sheet of qualifying examination before the filling of examination form. Directives issued by the Government of Chhattisgarh,

- from time to time, regarding reservation, shall be followed while making admissions.
10. Cancellation of Admission : Admission of a student may be cancelled under following circumstances.
1. At any stage, if student is not found qualified, for the Programme, as per government norms/ guidelines or the eligibility criteria prescribed by the University.
 2. Involvement in gross indiscipline in the Institute / University.
 3. She/he is found to have produced false/ forged Documents or found to have used unfair means to secure admission.
 4. The fee is not paid.
 5. The application form is incomplete in any way.
 6. The supporting documents required for admission are not enclosed.
- Registration number will be assigned to the student by the University after verification and submission of all the necessary documents and fees.
11. Fees The course fees will be as decided by the board of Management from time to time with the prior approval of CGPURC.
12. Eligibility to Pass As per Ordinance No 2 subsection 12(i) of the University.
13. Course structure and examination scheme: Course structure and examination shall be framed by the concerned board of studies in various subjects statue 12.
14. Evaluation and examination : As per ordinance no. 2 of the University.
15. Eligibility criteria for ATKT : As per ordinance no. 2 of the University.
16. General : Detailed syllabus of each paper shall be prepared by the Board of Studies and duly approved by the Academic Council and the Vice-Chancellor.
- In all matters, pertaining to the courses not covered herein above and in the Ordinances, the decision of the Vice Chancellor of the University shall be final. However on the recommendations of the Academic Council the Vice Chancellor shall be competent to change the system or pattern of examination. The course content is subject of change from time to time.

ORDINANCE – 28**Bachelor of Architecture (B.Arch.)**

- | | | |
|------------------------------|---|--|
| 1. Title | : | Bachelor of Architecture |
| 2. Faculty | : | ENGINEERING |
| 3. Duration | : | Five years of Ten semester |
| 4. Eligibility | : | <p>Passed 10+2 or equivalent examination with Physics and Mathematics as compulsory subjects along with one of the Chemistry/ Biotechnology/ Biology/ Technical Vocational subjects.</p> <p>OR</p> <p>10+3 Diploma Examination with Mathematics as compulsory subject having obtained at least 50% marks (45% in case of candidates belonging to reserved category) marks in Aggregate.</p> <p>and</p> <p>Qualifying NATA any other Aptitude Test conducted by Competent Authority of the State Government/ UT.</p> |
| 5. Seats | : | The basic unit will be of 40 seats. Multiples of the unit can also set up by the board of management. |
| 6. Admission Procedure | : | As specified in ordinance no. 1. Preference will be given to students belonging to the state of Chhattisgarh and all guidelines issued by the state government related to reservations will be followed |
| 7. Academic year | : | There will be one academic year from July to June. |
| 8. Selection procedure | : | <p>The University will issue admission notification in news papers, on the notice board of the University and in other publicity media before the start of every academic year. The list of candidates selected on the basis of merit for admission will be displayed on the University website or the students will be informed directly about their admission. The list of the selected students will also be displayed on the notice board of the University. The candidate whose results are awaited can also apply. However, such candidate must produce, the proof of appearing in the final year of qualifying examination, provided if the candidate fails to clear the qualifying exam with required percentage his/her admission shall be treated as cancelled. Further provided that the candidate must submit mark sheet of qualifying examination before the filling of examination form. Directives issued by the Government of Chhattisgarh, from time to time, regarding reservation, shall be followed while making admissions.</p> |
| 9. Cancellation of Admission | : | Admission of a student may be cancelled under following circumstances. |
| | | <p>1. At any stage, if student is not found qualified, for</p> |

- the Programme, as per government norms/ guidelines or the eligibility criteria prescribed by the University.
2. Involvement in gross indiscipline in the Institute / University.
 3. She/he is found to have produced false/ forged documents or found to have used unfair means to secure admission.
 4. The fee is not paid.
 5. The application form is incomplete in any way.
 6. The supporting documents required for admission are not enclosed.
- Registration number will be assigned to the student by the University after verification and submission of all the necessary documents and fees.
10. Fees : The course fees will be as decided by the board of Management from time to time with the prior approval of CGPURC.
11. Eligibility to Pass : As per Ordinance No 2 subsection 12(i) of the University
12. Course structure and examination scheme: : As prescribed by the board of studies and approved by the academic council
13. Evaluation and examination : As per ordinance no. 2 of the University.
14. Eligibility criteria for ATKT : As per ordinance no. 2 of the University.
15. General : Detailed syllabus of each paper shall be prepared by the Board of Studies and duly approved by the Academic Council and the Vice-Chancellor.
- In all matters, pertaining to the courses not covered herein above and in the Ordinances, the decision of the Vice Chancellor of the University shall be final. However on the recommendations of the Academic Council the Vice Chancellor shall be competent to change the system or pattern of examination. The course content is subject of change from time to time.

ORDINANCE – 29**Master of Architecture (M.Arch.)**

- | | | |
|------------------------------|---|--|
| 1. Title | : | Master of Architecture |
| 2. Faculty | : | ENGINEERING |
| 3. Duration | : | Two years of four semester |
| 4. Eligibility | : | <p>Passed Bachelor of Architecture or equivalent. Obtained at least 50% marks (45% in case of candidates belonging to reserved category) in the qualifying Examination</p> <p>In case the seats are not filled then the minimum required percentage may be lowered by 5 % for candidates from both the categories with the permission of Vice-Chancellor.</p> |
| 5. Seats | : | The basic unit will be of 20 seats. Multiples of the unit can also set up by the board of management. |
| 6. Admission Procedure | : | <p>As specified in ordinance no. 1. Preference will be given to students belonging to the state of Chhattisgarh and all guidelines issued by the state government related to reservations will be followed</p> |
| 7. Academic year | : | There will be one academic year from July to June. |
| 8. Selection procedure | : | <p>The University will issue admission notification in news papers, on the notice board of the University and in other publicity media before the start of every academic year. The list of candidates selected on the basis of merit for admission will be displayed on the University website or the students will be informed directly about their admission. The list of the selected students will also be displayed on the notice board of the University. The candidate whose results are awaited can also apply. However, such candidate must produce, the proof of appearing in the final year of qualifying examination, provided if the candidate fails to clear the qualifying exam with required percentage his/her admission shall be treated as cancelled. Further provided that the candidate must submit mark sheet of qualifying examination before the filling of examination form. Directives issued by the Government of Chhattisgarh, from time to time, regarding reservation, shall be followed while making admissions.</p> |
| 9. Cancellation of Admission | : | <p>Admission of a student may be cancelled under following circumstances.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. At any stage, if student is not found qualified, for the Programme, as per government norms/ guidelines or the eligibility criteria prescribed by the University. 2. Involvement in gross indiscipline in the Institute / University. 3. She/he is found to have produced false/ forged |

documents or found to have used unfair means to secure admission.

4. The fee is not paid.
5. The application form is incomplete in any way.
6. The supporting documents required for admission are not enclosed.

Registration number will be assigned to the student by the University after verification and submission of all the necessary documents and fees.

- | | | |
|--|---|--|
| 10. Fees | : | The course fees will be as decided by the board of Management from time to time with the prior approval of CGPURC. |
| 11. Eligibility to Pass | : | As per Ordinance No 2 subsection 12(i) of the University |
| 12. Course structure and examination scheme: | : | As prescribed by the board of studies and approved by the academic council |
| 13. Evaluation and examination | : | As per ordinance no. 2 of the University. |
| 14. Eligibility criteria for ATKT | : | As per ordinance no. 2 of the University. |
| 15. General | : | Detailed syllabus of each paper shall be prepared by the Board of Studies and duly approved by the Academic Council and the Vice-Chancellor. |

In all matters, pertaining to the courses not covered herein above and in the Ordinances, the decision of the Vice Chancellor of the University shall be final. However on the recommendations of the Academic Council the Vice Chancellor shall be competent to change the system or pattern of examination. The course content is subject of change from time to time.

ORDINANCE – 30**Bachelor of Design (B.Des.)**

- | | | |
|-------------------------------|---|--|
| 1. Title | : | Bachelor of Design |
| 2. Faculty | : | ENGINEERING |
| 3. Duration | : | Four years of Eight semester |
| 4. Eligibility | : | Candidate should have Passed 10+2 or equivalent qualification from any Board for admission in first semester. |
| 5. Lateral entry | : | For Admission in third semester candidate should have passed 03(three) years diploma recognized by the Central/State Government University or equivalent qualification from any Board or equivalent.
Provided that the students belonging to B.Sc. stream shall clear the subjects engineering graphics/engineering drawing and engineering mechanics of the first year engineering programme along with the second year subject |
| 6. Seats | : | The basic unit will be of 40 seats. Multiples of the unit can also set up by the board of management. |
| 7. Admission Procedure | : | As specified in ordinance no. 1. Preference will be given to students belonging to the state of Chhattisgarh and all guidelines issued by the state government related to reservations will be followed |
| 8. Academic year | : | There will be one academic year from July to June. |
| 9. Selection procedure | : | The University will issue admission notification in news papers, on the notice board of the University and in other publicity media before the start of every academic year. The list of candidates selected on the basis of merit for admission will be displayed on the website or the students will be informed directly about their admission. The list of the selected students will also be displayed on the notice board of the University. The candidate whose results are awaited can also apply. However, such candidate must produce, the proof of appearing in the final year of qualifying examination, provided if the candidate fails to clear the qualifying exam with required percentage his/her admission shall be treated as cancelled. Further provided that the candidate must submit mark sheet of qualifying examination before the filling of examination form. Directives issued by the Government of Chhattisgarh, from time to time, regarding reservation, shall be followed while making admissions. |
| 10. Cancellation of Admission | : | Admission of a student may be cancelled under following circumstances. |

1. At any stage, if student is not found qualified, for

- the Programme, as per government norms/ guidelines or the eligibility criteria prescribed by the University.
2. Involvement in gross indiscipline in the Institute / University.
 3. She/he is found to have produced false/ forged documents or found to have used unfair means to secure admission.
 4. The fee is not paid.
 5. The application form is incomplete in any way.
 6. The supporting documents required for admission are not enclosed.
- Registration number will be assigned to the student by the University after verification and submission of all the necessary documents and fees.
- 11. Fees**
The course fees will be as decided by the board of Management from time to time with the prior approval of CGPURC.
- 12. Eligibility to Pass**
As per Ordinance No 2 subsection 12(i) of the University
- 13. Course structure and examination scheme:** :As prescribed by the board of studies and approved by the academic council
- 14. Evaluation and examination** : As per ordinance no. 2 of the University.
- 15. Eligibility criteria for ATKT** : As per ordinance no. 2 of the University.
- 16. General** : Detailed syllabus of each paper shall be prepared by the Board of Studies and duly approved by the Academic Council and the Vice-Chancellor.
- In all matters, pertaining to the courses not covered herein above and in the Ordinances, the decision of the Vice Chancellor of the University shall be final. However on the recommendations of the Academic Council the Vice Chancellor shall be competent to change the system or pattern of examination. The course content is subject of change from time to time.

ORDINANCE – 31**Master of Design (M.Des.)**

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Title | : Master of Design |
| 2. Faculty | : ENGINEERING |
| 3. Duration | : Two years of four semester |
| 4. Eligibility | : Candidate should have Passed
B.Design/B.Arch/B.I.D. or Equivalent qualification
from any Institute/University for admission in first
semester. |
| 5. Seats | : The basic unit will be of 20 seats. Multiples of the
unit can also set up by the board of management. |
| 6. Admission Procedure | : As specified in ordinance no. 1. Preference
will be given to students belonging to the state of
Chhattisgarh and all guidelines issued by the state
government related to reservations will be followed |
| 7. Academic year | : There will be one academic year from July to June. |
| 8. Selection procedure | : The University will issue admission notification
in news papers, on the notice board of the University
and in other publicity media before the start of every
academic year. The list of candidates selected on the
basis of merit for admission will be displayed on the
University website or the students will be informed
directly about their admission. The list of the selected
students will also be displayed on the notice board of the
University. The candidate whose results are awaited can
also apply. However, such candidate must produce, the
proof of appearing in the final year of qualifying
examination, provided if the candidate fails to clear the
qualifying exam with required percentage his/her
admission shall be treated as cancelled. Further provided
that the candidate must submit mark sheet of qualifying
examination before the filling of examination form.
Directives issued by the Government of Chhattisgarh,
from time to time, regarding reservation, shall be
followed while making admissions. |
| 9. Cancellation of Admission | : Admission of a student may be cancelled under
following circumstances. <ol style="list-style-type: none"> 1. At any stage, if student is not found qualified, for
the Programme, as per government norms/ guidelines or
the eligibility criteria prescribed by the University. 2. Involvement in gross indiscipline in the Institute
/ University. 3. She/he is found to have produced false/ forged
documents or found to have used unfair means to secure
admission. 4. The fee is not paid. 5. The application form is incomplete in any way. 6. The supporting documents required for |

- admission are not enclosed.
 Registration number will be assigned to the student by the University after verification and submission of all the necessary documents and fees.
10. Fees : The course fees will be as decided by the board of Management from time to time with the prior approval of CGPURC.
11. Eligibility to Pass As per Ordinance No 2 subsection 12(i) of the University
12. Course structure and examination scheme: As Prescribed by Board of Studies and Approved by the Academic Council.
13. Evaluation and examination : As per ordinance no. 2 of the University.
14. Eligibility criteria for ATKIT : As per ordinance no. 2 of the University.
15. General : Detailed syllabus of each paper shall be prepared by the Board of Studies and duly approved by the Academic Council and the Vice-Chancellor.
 In all matters, pertaining to the courses not covered herein above and in the Ordinances, the decision of the Vice Chancellor of the University shall be final. However on the recommendations of the Academic Council the Vice Chancellor shall be competent to change the system or pattern of examination. The course content is subject of change from time to time.

ORDINANCE – 32**Master of Arts (M.A.)**

1. Title : Master of Arts
(English, Hindi, Political Science, Economics, Education, Sociology, Geography, Public Administration, Sociology & Social Studies, Psychology, Journalism & Mass Communication, Yoga Studies, Yoga & Spirituality, Yoga & Consciousness, Yoga Science & Therapy, Yoga & Naturopathy etc as also subjects mentioned in Statute No. 12)
2. Faculty : Arts.
3. Duration : Two years, Annual Pattern.
4. Eligibility : Graduate or equivalent in any discipline from a recognized Institute/ University or equivalent
5. Seats : The basic unit will be of 30 seats. Multiples of the unit can also set up by the board of management.
6. Admission Procedure : As specified in ordinance no. 1. Preference will be given to students belonging to the state of Chhattisgarh and all guidelines issued by the state government related to reservations will be followed
7. Academic year : There will be one academic year from July to June.
8. Selection procedure : The University will issue admission notification in news papers, on the notice board of the University and in other publicity media before the start of every academic year. The list of candidates selected on the basis of merit for admission will be displayed on the website or the students will be informed directly about their admission. The list of the selected students will also be displayed on the notice board of the University. The candidate whose results are awaited can also apply. However, such candidate must produce, the proof of appearing in the final year of qualifying examination, provided if the candidate fails to clear the qualifying exam with required percentage his/her admission shall be treated as cancelled. Further provided that the candidate must submit mark sheet of qualifying examination before the filling of examination form. Directives issued by the Government of Chhattisgarh, from time to time, regarding reservation, shall be followed while making admissions.
9. Cancellation of Admission : Admission of a student may be cancelled under following circumstances.
1. At any stage, if student is not found qualified, for the Programme, as per government norms/ guidelines or the eligibility criteria prescribed by the University.
 2. Involvement in gross indiscipline in the Institute / University.

3. She/he is found to have produced false/ forged documents or found to have used unfair means to secure admission.
4. The fee is not paid.
5. The application form is incomplete in any way.
6. The supporting documents required for admission are not enclosed.

Registration number will be assigned to the student by the University after verification and submission of all the necessary documents and fees.

10. Fees : The course fees will be as decided by the board of management from time to time with the prior approval of CGPURC.
11. Eligibility to Pass As per Ordinance No 2 subsection 12(i) of the University
12. Course structure and examination scheme : Course structure and examination shall be framed by the concerned board of studies in various subjects mentioned in statute 12.
13. Evaluation and examination : As per ordinance no. 2 of the University.
14. Eligibility criteria for Supplementary : As per ordinance no. 2 of the University.
15. General : Detailed syllabus of each paper shall be prepared by the Board of Studies and duly approved by the Academic Council and the Vice-Chancellor.
In all matters, pertaining to the courses not covered herein above and in the Ordinances, the decision of the Vice Chancellor of the University shall be final. However on the recommendations of the Academic Council the Vice Chancellor shall be competent to change the system or pattern of examination. The course content is subject of change from time to time.

ORDINANCE – 33**Bachelor of Arts (B.A.)**

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Title | : Bachelor of Arts (B.A) |
| 2. Faculty | : Arts, |
| 3. Duration | : Three years, Annual Pattern |
| 4. Eligibility | : Admission to the Programme is open to a candidate who has passed 10+2 or equivalent from any recognized Board in any system. |
| 5. Seats | : The basic unit will be of 60 seats. Multiples of the unit can also set up by the board of management. |
| 6. Admission Procedure | : As specified in ordinance no. 1. Preference will be given to students belonging to the state of Chhattisgarh and all guidelines issued by the state government related to reservations will be followed |
| 7. Academic year | : There will be one academic year from July to June. |
| 8. Selection procedure | : The University will issue admission notification in news papers, on the notice board of the University and in other publicity media before the start of every academic year. The list of candidates selected on the basis of merit for admission will be displayed on the website or the students will be informed directly about their admission. The list of the selected students will also be displayed on the notice board of the University. The candidate whose results are awaited can also apply. However, such candidate must produce, the proof of appearing in the final year of qualifying examination, provided if the candidate fails to clear the qualifying exam with required percentage his/her admission shall be treated as cancelled. Further provided that the candidate must submit mark sheet of qualifying examination before the filling of examination form. Directives issued by the Government of Chhattisgarh, from time to time, regarding reservation, shall be followed while making admissions. |
| 9. Cancellation of Admission | : Admission of a student may be cancelled under following circumstances. <ol style="list-style-type: none"> 1. At any stage, if student is not found qualified, for the Programme, as per government norms/ guidelines or the eligibility criteria prescribed by the University. 2. Involvement in gross indiscipline in the Institute / University. 3. She/he is found to have produced false/ forged documents or found to have used unfair means to secure admission. 4. The fee is not paid. 5. The application form is incomplete in any way. 6. The supporting documents required for admission are not enclosed. |

- Registration number will be assigned to the student by the University after verification and submission of all the necessary documents and fees.
10. Fees : The course fees will be as decided by the board of management from time to time with the prior approval of CGPURC.
11. Eligibility to Pass : As per Ordinance No 2 subsection 12(i) of the University
12. Course structure and examination scheme: Course structure and examination shall be framed by the concerned board of studies in various subjects mentioned in statue 12.
13. Evaluation and examination : As per ordinance no. 2 of the University.
14. Eligibility criteria for Supplementary : As per ordinance no. 2 of the University.
15. General : Detailed syllabus of each paper shall be prepared by the Board of Studies and duly approved by the Academic Council and the Vice-Chancellor.
- In all matters, pertaining to the courses not covered herein above and in the Ordinances, the decision of the Vice Chancellor of the University shall be final. However on the recommendations of the Academic Council the Vice Chancellor shall be competent to change the system or pattern of examination. The course content is subject of change from time to time.

ORDINANCE – 34**Bachelor of Arts – Honours (B.A.-Honours)**

1. Title : Bachelor of Arts-Honours (B.A Honours)
(English, Hindi, Political Science, Economics, Education, Sociology, Geography, Public Administration, Sociology & Social Studies, Psychology, Journalism & Mass Communication, Yoga Studies, Yoga & Spirituality, Yoga & Consciousness, Yoga Science & Therapy, Yoga & Naturopathy etc as also subjects mentioned in Statute No. 12)
2. Faculty : Arts,
3. Duration : Three years, Annual Pattern
4. Eligibility : Admission to the Programme is open to a candidate who has passed 10+2 or equivalent from any recognized Board in any system with 50% marks.
In case the seats are not filled then the minimum required percentage may be lowered by 5 % for candidates from both the categories with the permission of Vice-Chancellor
5. Seats : The basic unit will be of 60 seats. Multiples of the unit can also set up by the board of management.
6. Admission Procedure : As specified in ordinance no. 1. Preference will be given to students belonging to the state of Chhattisgarh and all guidelines issued by the state government related to reservations will be followed
7. Academic year : There will be one academic year from July to June.
8. Selection procedure : The University will issue admission notification in newspapers, on the notice board of the University and in other publicity media before the start of every academic year. The list of candidates selected on the basis of merit for admission will be displayed on the website or the students will be informed directly about their admission. The list of the selected students will also be displayed on the notice board of the University. The candidate whose results are awaited can also apply. However, such candidate must produce, the proof of appearing in the final year of qualifying examination, provided if the candidate fails to clear the qualifying exam with required percentage his/her admission shall be treated as cancelled. Further provided that the candidate must submit mark sheet of qualifying examination before the filling of examination form. Directives issued by the Government of Chhattisgarh, from time to time, regarding reservation, shall be followed while making admissions.
9. Cancellation of Admission : Admission of a student may be cancelled under

following circumstances.

1. At any stage, if student is not found qualified, for the Programme, as per government norms/ guidelines or the eligibility criteria prescribed by the University.
2. Involvement in gross indiscipline in the Institute / University.
3. She/he is found to have produced false/ forged documents or found to have used unfair means to secure admission.
4. The fee is not paid.
5. The application form is incomplete in any way.
6. The supporting documents required for admission are not enclosed.

Registration number will be assigned to the student by the University after verification and submission of all the necessary documents and fees:

10. Fees

: The course fees will be as decided by the board of management from time to time with the prior approval of CGPURC.

11. Eligibility to Pass

As per Ordinance No 2 subsection 12(i) of the University

12. Course structure and examination scheme: Course structure and examination shall be framed by the concerned board of studies in various subjects mentioned in statue 12.

13. Evaluation and examination

: As per ordinance no. 2 of the University.

14. Eligibility criteria for Supplementary

: As per ordinance no. 2 of the University.

15. General

: Detailed syllabus of each paper shall be prepared by the Board of Studies and duly approved by the Academic Council and the Vice-Chancellor.

In all matters, pertaining to the courses not covered herein above and, in the Ordinances, the decision of the Vice Chancellor of the University shall be final. However, on the recommendations of the Academic Council the Vice Chancellor shall be competent to change the system or pattern of examination. The course content is subject of change from time to time.

ORDINANCE – 35**Master of Social Works (M.S.W.)**

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Title | : Master of Social Works |
| 2. Faculty | : Arts. |
| 3. Duration | : Two years, Annual Pattern. |
| 4. Eligibility | : Admission to the programme is open to a candidate who has passed graduate or equivalent from any recognized Institute/University in any stream. |
| 5. Seats | : The basic unit will be of 60 seats. Multiples of the unit can also set up by the board of management. |
| 6. Admission Procedure | : As specified in ordinance no. 1. Preference will be given to students belonging to the state of Chhattisgarh and all guidelines issued by the state government related to reservations will be followed |
| 7. Academic year | : There will be one academic year from July to June. |
| 8. Selection procedure | : The University will issue admission notification in news papers, on the notice board of the University and in other publicity media before the start of every academic year. The list of candidates selected on the basis of merit for admission will be displayed on the University website or the students will be informed directly about their admission. The list of the selected students will also be displayed on the notice board of the University. The candidate whose results are awaited can also apply. However, such candidate must produce, the proof of appearing in the final year of qualifying examination, provided if the candidate fails to clear the qualifying exam with required percentage his/her admission shall be treated as cancelled. Further provided that the candidate must submit mark sheet of qualifying examination before the filling of examination form. Directives issued by the Government of Chhattisgarh, from time to time, regarding reservation, shall be followed while making admissions. |
| 9. Cancellation of Admission | : Admission of a student may be cancelled under following circumstances. <ol style="list-style-type: none"> 1. At any stage, if student is not found qualified, for the Programme, as per government norms/ guidelines or the eligibility criteria prescribed by the University. 2. Involvement in gross indiscipline in the Institute / University. 3. She/he is found to have produced false/ forged documents or found to have used unfair means to secure admission. 4. The fee is not paid. 5. The application form is incomplete in any way. 6. The supporting documents required for admission are not enclosed. |

- Registration number will be assigned to the student by the University after verification and submission of all the necessary documents and fees.
10. Fees : The course fees will be as decided by the board of management from time to time with the prior approval of CGPURC.
11. Eligibility to Pass : As per Ordinance No 2 subsection 12(i) of the University
12. Course structure and examination scheme : As prescribed by the board of studies and approved by the academic council.
13. Evaluation and examination : As per ordinance no. 2 of the University.
14. Eligibility criteria for Supplementary : As per ordinance no. 2 of the University.
15. General : Detailed syllabus of each paper shall be prepared by the Board of Studies and duly approved by the Academic Council and the Vice-Chancellor.
- In all matters, pertaining to the courses not covered herein above and in the Ordinances, the decision of the Vice Chancellor of the University shall be final. However on the recommendations of the Academic Council the Vice Chancellor shall be competent to change the system or pattern of examination. The course content is subject of change from time to time.

ORDINANCE – 36**Bachelor of Social Works (B.S.W.)**

- | | | |
|------------------------------|---|--|
| 1. Title | : | Bachelor of Social Works |
| 2. Faculty | : | Arts |
| 3. Duration | : | Three years, Annual Pattern. |
| 4. Eligibility : | : | Admission to the Programme is open to a candidate who has passed 10+2 or equivalent from any recognized board in any stream. |
| 5. Seats | : | The basic unit will be of 60 seats. Multiples of the unit can also set up by the board of management. |
| 6. Admission Procedure | : | As specified in ordinance no. 1. Preference will be given to students belonging to the state of Chhattisgarh and all guidelines issued by the state government related to reservations will be followed |
| 7. Academic year | : | There will be one academic year from July to June. |
| 8. Selection procedure | : | The University will issue admission notification in news papers, on the notice board of the University and in other publicity media before the start of every academic year. The list of candidates selected on the basis of merit for admission will be displayed on the website or the students will be informed directly about their admission. The list of the selected students will also be displayed on the notice board of the University. The candidate whose results are awaited can also apply. However, such candidate must produce, the proof of appearing in the final year of qualifying examination, provided if the candidate fails to clear the qualifying exam with required percentage his/her admission shall be treated as cancelled. Further provided that the candidate must submit mark sheet of qualifying examination before the filling of examination form. Directives issued by the Government of Chhattisgarh, from time to time, regarding reservation, shall be followed while making admissions. |
| 9. Cancellation of Admission | : | Admission of a student may be cancelled under following circumstances. <ol style="list-style-type: none"> 1. At any stage, if student is not found qualified, for the Programme, as per government norms/ guidelines or the eligibility criteria prescribed by the University. 2. Involvement in gross indiscipline in the Institute / University. 3. She/he is found to have produced false/ forged documents or found to have used unfair means to secure admission. 4. The fee is not paid. 5. The application form is incomplete in any way. 6. The supporting documents required for admission are not enclosed. |

- Registration number will be assigned to the student by the University after verification and submission of all the necessary documents and fees.
10. Fees : The course fees will be as decided by the board of management from time to time with the prior approval of CGPURC.
11. Eligibility to Pass : As per Ordinance No 2 subsection 12(i) of the University
12. Course structure and examination scheme: As prescribed by the board of studies and approved by the academic council.
13. Evaluation and examination : As per ordinance no. 2 of the University.
14. Eligibility criteria for Supplementary : As per ordinance no. 2 of the University.
15. General : Detailed syllabus of each paper shall be prepared by the Board of Studies and duly approved by the Academic Council and the Vice-Chancellor.
- In all matters, pertaining to the courses not covered herein above and in the Ordinances, the decision of the Vice Chancellor of the University shall be final. However on the recommendations of the Academic Council the Vice Chancellor shall be competent to change the system or pattern of examination. The course content is subject of change from time to time.

ORDINANCE – 37

Bachelor of Library & Information Science (B. Lib & I. Science)

1. Title : Bachelor of Library & Information Science
2. Faculty : Arts
3. Duration : One Year, Annual Pattern
4. Eligibility : Admission to the Programme is open to a candidate who has passed Graduation or equivalent courses from any recognized University/Institute in any stream.
5. Seats : The basic unit will be of 60 seats. Multiples of the unit can also set up by the board of management.
6. Admission Procedure : As specified in ordinance no. 1. Preference will be given to students belonging to the state of Chhattisgarh and all guidelines issued by the state government related to reservations will be followed
7. Academic year : There will be one academic year from July to June.
8. Selection procedure : The University will issue admission notification in news papers, on the notice board of the University and in other publicity media before the start of every academic year. The list of candidates selected on the basis of merit for admission will be displayed on the website or the students will be informed directly about their admission. The list of the selected students will also be displayed on the notice board of the University. The candidate whose results are awaited can also apply. However, such candidate must produce, the proof of appearing in the final year of qualifying examination, provided if the candidate fails to clear the qualifying exam with required percentage his/her admission shall be treated as cancelled. Further provided that the candidate must submit mark sheet of qualifying examination before the filling of examination form. Directives issued by the Government of Chhattisgarh, from time to time, regarding reservation, shall be followed while making admissions.
9. Cancellation of Admission : Admission of a student may be cancelled under following circumstances.
 1. At any stage, if student is not found qualified, for the Programme, as per government norms/ guidelines or the eligibility criteria prescribed by the University.
 2. Involvement in gross indiscipline in the Institute / University.
 3. She/he is found to have produced false/ forged documents or found to have used unfair means to secure admission.
 4. The fee is not paid.
 5. The application form is incomplete in any way.
 6. The supporting documents required for admission are not enclosed.

- Registration number will be assigned to the student by the University after verification and submission of all the necessary documents and fees.
10. Fees : The course fees will be as decided by the board of management from time to time with the prior approval of CGPURC.
11. Eligibility to Pass : As per Ordinance No 2 subsection 12(i) of the University
12. Course structure and examination scheme: As prescribed by the board of studies and approved by the academic council.
13. Evaluation and examination : As per ordinance no. 2 of the University.
14. Eligibility criteria for Supplementary : As per ordinance no. 2 of the University.
15. General : Detailed syllabus of each paper shall be prepared by the Board of Studies and duly approved by the Academic Council and the Vice-Chancellor.
- In all matters, pertaining to the courses not covered herein above and in the Ordinances, the decision of the Vice Chancellor of the University shall be final. However on the recommendations of the Academic Council the Vice Chancellor shall be competent to change the system or pattern of examination. The course content is subject of change from time to time.

ORDINANCE – 38**Master of Library & Information Science (M. Lib & I. Science)**

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Title | : Master of Library & Information Science |
| 2. Faculty | : Arts |
| 3. Duration | : One Year, Annual Pattern |
| 4. Eligibility : | : Admission to the Programme is open to a candidate who has passed Bachelor of Library Science after Graduation or equivalent from any recognized board in any stream. |
| 5. Seats | : The basic unit will be of 30 seats. Multiples of the unit can also set up by the board of management. |
| 6. Admission Procedure | : As specified in ordinance no. 1. Preference will be given to students belonging to the state of Chhattisgarh and all guidelines issued by the state government related to reservations will be followed |
| 7. Academic year | : There will be one academic year from July to June. |
| 8. Selection procedure | : The University will issue admission notification in news papers, on the notice board of the University and in other publicity media before the start of every academic year. The list of candidates selected on the basis of merit for admission will be displayed on the website or the students will be informed directly about their admission. The list of the selected students will also be displayed on the notice board of the University. The candidate whose results are awaited can also apply. However, such candidate must produce, the proof of appearing in the final year of qualifying examination, provided if the candidate fails to clear the qualifying exam with required percentage his/her admission shall be treated as cancelled. Further provided that the candidate must submit mark sheet of qualifying examination before the filling of examination form. Directives issued by the Government of Chhattisgarh, from time to time, regarding reservation, shall be followed while making admissions. |
| 9. Cancellation of Admission | : Admission of a student may be cancelled under following circumstances. <ol style="list-style-type: none"> 1. At any stage, if student is not found qualified, for the Programme, as per government norms/ guidelines or the eligibility criteria prescribed by the University. 2. Involvement in gross indiscipline in the Institute / University. 3. She/he is found to have produced false/ forged documents or found to have used unfair means to secure admission. 4. The fee is not paid. 5. The application form is incomplete in any way. 6. The supporting documents required for |

- admission are not enclosed.
Registration number will be assigned to the student by the University after verification and submission of all the necessary documents and fees.
10. Fees : The course fees will be as decided by the board of management from time to time with the prior approval of CGPURC.
11. Eligibility to Pass : As per Ordinance No 2 subsection 12(i) of the University
12. Course structure and examination scheme: As prescribed by the board of studies and approved by the academic council.
13. Evaluation and examination : As per ordinance no. 2 of the University.
14. Eligibility criteria for Supplementary : As per ordinance no. 2 of the University.
15. General : Detailed syllabus of each paper shall be prepared by the Board of Studies and duly approved by the Academic Council and the Vice-Chancellor.
In all matters, pertaining to the courses not covered herein above and in the Ordinances, the decision of the Vice Chancellor of the University shall be final.
However on the recommendations of the Academic Council the Vice Chancellor shall be competent to change the system or pattern of examination. The course content is subject of change from time to time.

ORDINANCE – 39**Bachelor of Hotel Management & Catering Technology (B.H.M.C.T.)**

- | | | | |
|----|---------------------------|---|--|
| 1. | Title | : | Bachelor of Hotel Management & Catering Technology |
| 2. | Faculty | : | HOTEL MANAGEMENT. |
| 3. | Duration | : | Four years of Eight semester |
| 4. | Eligibility | : | Passed 10+2 or equivalent from any Board of Secondary Education in any Discipline. |
| 5. | Seats | : | The basic unit will be of 60 seats Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management. |
| 6. | Admission Procedure | : | As specified in ordinance no. 1. Preference will be given to students belonging to the state of Chhattisgarh and all guidelines issued by the state government related to reservations will be followed |
| 7. | Academic Year | : | There will be one academic year from July to June. |
| 8. | Selection Procedure | : | The University will issue admission notification in news papers, on the notice board of the University and in other publicity media before the start of every academic year. The list of candidates selected on the basis of merit for admission will be displayed on the website or the students will be informed directly about their admission. The list of the selected students will also be displayed on the notice board of the University. The candidate whose results are awaited can also apply. However, such candidate must produce, the proof of appearing in the final year of qualifying examination, provided if the candidate fails to clear the qualifying exam with required percentage his/her admission shall be treated as cancelled. Further provided that the candidate must submit mark sheet of qualifying examination before the filling of examination form. Directives issued by the Government of Chhattisgarh, from time to time, regarding reservation, shall be followed while making admissions. |
| 9. | Cancellation of Admission | : | Admission of a student may be cancelled under following circumstances. <ol style="list-style-type: none"> 1. At any stage, if student is not found qualified, for the Programme, as per government norms/ guidelines or the eligibility criteria prescribed by the University. 2. Involvement in gross indiscipline in the Institute / University. 3. She/he is found to have produced false/ forged documents or found to have used unfair means to secure admission. 4. The fee is not paid. 5. The application form is incomplete in any way. 6. The supporting documents required for admission are not enclosed. |

- Registration number will be assigned to the student by the University after verification and submission of all the necessary documents and fees.
10. Fees The course fees will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of CGPURC.
11. Course structure and Examination Scheme As prescribed by the Board of Studies and approved by the academic council
12. Eligibility to Pass As per Ordinance No 2 subsection 12(i) of the University
13. Evaluation and examination As per Ordinance No 2 of the University
14. Eligibility Criteria for ATKT As per Ordinance No 2 of the University.
15. General Detailed syllabus of each paper shall be prepared by the Board of Studies and duly approved by the Academic Council and the Vice-Chancellor.
- In all matters, pertaining to the courses not covered herein above and in the Ordinances, the decision of the Vice Chancellor of the University shall be final. However on the recommendations of the Academic Council the Vice Chancellor shall be competent to change the system or pattern of examination. The course content is subject of change from time to time.

ORDINANCE – 40**Diploma in Hotel Management (D.H.M.)**

- | | | | |
|----|---------------------------|---|--|
| 1. | Title | : | Diploma in Hotel Management |
| 2. | Faculty | : | Hotel Management |
| 3. | Duration | : | One year, Annual Pattern |
| 4. | Eligibility | : | Must have passed 10+2 from any Board of secondary education as equivalent there to in any discipline or equivalent. |
| 5. | Seats | : | The basic unit will be of 60 seats Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management. |
| 6. | Admission Procedure | : | As specified in ordinance no. 1. Preference will be given to students belonging to the state of Chhattisgarh and all guidelines issued by the state government related to reservations will be followed |
| 7. | Academic Year | : | There will be one academic year from July to June. |
| 8. | Selection Procedure | : | The University will issue admission notification in news papers, on the notice board of the University and in other publicity media before the start of every academic year. The list of candidates selected on the basis of merit for admission will be displayed on the website or the students will be informed directly about their admission. The list of the selected students will also be displayed on the notice board of the University. The candidate whose results are awaited can also apply. However, such candidate must produce, the proof of appearing in the final year of qualifying examination, provided if the candidate fails to clear the qualifying exam with required percentage his/her admission shall be treated as cancelled. Further provided that the candidate must submit mark sheet of qualifying examination before the filling of examination form. Directives issued by the Government of Chhattisgarh, from time to time, regarding reservation, shall be followed while making admissions. |
| 9. | Cancellation of Admission | : | Admission of a student may be cancelled under following circumstances. <ol style="list-style-type: none"> 1. At any stage, if student is not found qualified, for the Programme, as per government norms/ guidelines or the eligibility criteria prescribed by the University, 2. Involvement in gross indiscipline in the Institute / University. 3. She/he is found to have produced false/ forged documents or found to have used unfair means to secure admission. 4. The fee is not paid. 5. The application form is incomplete in any way. 6. The supporting documents required for admission are not enclosed. |

- Registration number will be assigned to the student by the University after verification and submission of all the necessary documents and fees.
10. Fees : The course fees will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of CGPURC.
11. Course structure and : As prescribed by the Board of Studies and approved by the academic council
12. Eligibility to Pass : As per Ordinance No 2 subsection 12(i) of the University
13. Evaluation and examination : As per Ordinance No 2 of the University
14. Eligibility Criteria for Supplementary: As per Ordinance No 2 of the University.
15. General : Detailed syllabus of each paper shall be prepared by the Board of Studies and duly approved by the Academic Council and the Vice-Chancellor.

In all matters, pertaining to the courses not covered herein above and in the Ordinances, the decision of the Vice Chancellor of the University shall be final. However on the recommendations of the Academic Council the Vice Chancellor shall be competent to change the system or pattern of examination. The course content is subject of change from time to time.

ORDINANCE – 41**Bachelor of Business Administration (Hotel Management)**

- | | | | |
|----|---------------------------|---|--|
| 1. | Title | : | Bachelor of Business Administration (HM) |
| 2. | Faculty | : | Hotel Management |
| 3. | Duration | : | Three years of Six semester |
| 4. | Eligibility | : | Must have passed 10+2 or equivalent examination from any Board of secondary education as equivalent there to in any discipline or equivalent. |
| 5. | Seats | : | The basic unit will be of 60 seats Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management. |
| 6. | Admission Procedure | : | As specified in ordinance no. 1. Preference will be given to students belonging to the state of Chhattisgarh and all guidelines issued by the state government related to reservations will be followed |
| 7. | Academic Year | : | There will be one academic year from July to June. |
| 8. | Selection Procedure | : | The University will issue admission notification in news papers, on the notice board of the University and in other publicity media before the start of every academic year. The list of candidates selected on the basis of merit for admission will be displayed on the website or the students will be informed directly about their admission. The list of the selected students will also be displayed on the notice board of the University. The candidate whose results are awaited can also apply. However, such candidate must produce, the proof of appearing in the final year of qualifying examination, provided if the candidate fails to clear the qualifying exam with required percentage his/her admission shall be treated as cancelled. Further provided that the candidate must submit mark sheet of qualifying examination before the filling of examination form. Directives issued by the Government of Chhattisgarh, from time to time, regarding reservation, shall be followed while making admissions. |
| 9. | Cancellation of Admission | : | Admission of a student may be cancelled under following circumstances. <ol style="list-style-type: none"> 1. At any stage, if student is not found qualified, for the Programme, as per government norms/ guidelines or the eligibility criteria prescribed by the University. 2. Involvement in gross indiscipline in the Institute / University. 3. She/he is found to have produced false/ forged documents or found to have used unfair means to secure admission. 4. The fee is not paid. 5. The application form is incomplete in any way. 6. The supporting documents required for admission are not enclosed. |

- Registration number will be assigned to the student by the University after verification and submission of all the necessary documents and fees.
10. Fees : The course fees will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of CGPURC.
11. Course structure and : As prescribed by the Board of Studies and approved by the academic council
12. Eligibility to Pass : As per Ordinance No 2 subsection 12(i) of the University
13. Evaluation and examination : As per Ordinance No 2 of the University
14. Eligibility Criteria for ATKT : As per Ordinance No 2 of the University.
15. General : Detailed syllabus of each paper shall be prepared by the Board of Studies and duly approved by the Academic Council and the Vice-Chancellor. In all matters, pertaining to the courses not covered herein above and in the Ordinances, the decision of the Vice Chancellor of the University shall be final. However on the recommendations of the Academic Council the Vice Chancellor shall be competent to change the system or pattern of examination. The course content is subject of change from time to time.

ORDINANCE – 42**Bachelor of Science (Fashion Design/Fashion Technology/Textile/Interior Design)**

- | | | | |
|----|---------------------------|---|--|
| 1. | Title | : | Bachelor of Science (Fashion Design / Fashion Technology /Textile / Interior Design) |
| 2. | Faculty | : | FASHION DESIGNING. |
| 3. | Duration | : | Three Years, Annual Pattern |
| 4. | Eligibility | : | Must have passed 10+2 or equivalent examination from any board of secondary education in any discipline or equivalent. |
| 5. | Seats | : | The basic unit will be of 60 seat Multiples of this Unit can also be set up by the Board of Management Academic Council from time to time. |
| 6. | Admission Procedure | : | As specified in ordinance no. 1. Preference will be given to students belonging to the state of Chhattisgarh and all guidelines issued by the state government related to reservations will be followed |
| 7. | Academic Year | : | There will be one academic year from July to June. |
| 8. | Selection Procedure | : | The University will issue admission notification in news papers, on the notice board of the University and in other publicity media before the start of every academic year. The list of candidates selected on the basis of merit for admission will be displayed on the website or the students will be informed directly about their admission. The list of the selected students will also be displayed on the notice board of the University. The candidate whose results are awaited can also apply. However, such candidate must produce, the proof of appearing in the final year of qualifying examination, provided if the candidate fails to clear the qualifying exam with required percentage his/her admission shall be treated as cancelled. Further provided that the candidate must submit mark sheet of qualifying examination before the filling of examination form. Directives issued by the Government of Chhattisgarh, from time to time, regarding reservation, shall be followed while making admissions. |
| 9. | Cancellation of Admission | : | Admission of a student may be cancelled under following circumstances. <ol style="list-style-type: none"> 1. At any stage, if student is not found qualified, for the Programme, as per government norms/ guidelines or the eligibility criteria prescribed by the University. 2. Involvement in gross indiscipline in the Institute / University. 3. She/he is found to have produced false/ forged documents or found to have used unfair means to secure admission. 4. The fee is not paid. |

5. The application form is incomplete in any way.
6. The supporting documents required for admission are not enclosed.
Registration number will be assigned to the student by the University after verification and submission of all the necessary documents and fees.
10. Fees
The course fees will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of CGPURC.
11. Eligibility to Pass : As per Ordinance No 2 subsection 12(i) of the University
12. Course structure and Examination Scheme : As prescribed by the Board of Studies and approved by the academic council
13. Evaluation and examination : As per Ordinance No 2 of the University
14. Eligibility Criteria for Supplementary : As per Ordinance No 2 of the University.
15. General : Detailed syllabus of each paper shall be prepared by the Board of Studies and duly approved by the Academic Council and the Vice-Chancellor.
In all matters, pertaining to the courses not covered herein above and in the Ordinances, the decision of the Vice Chancellor of the University shall be final. However on the recommendations of the Academic Council the Vice Chancellor shall be competent to change the system or pattern of examination. The course content is subject of change from time to time.

ORDINANCE – 43**Master of Science (Fashion Design/Fashion Technology/Textile/Interior Design)**

1. Title : Master of Science (M.Sc.) (Fashion Design / Fashion Technology /Textile / Interior Design)
2. Faculty : FASHION DESIGNING
3. Duration : Two Years, Annual Pattern
4. Eligibility : Graduate in any relevant subjects of Design/Fashion/Textile Design/Interior Designer
Equivalent from a recognized University/Institute
5. Lateral entry : For Admission in Second Year or third semester students has to pass PG Diploma in relevant subject after Graduation.
6. Seats : The basic unit will be of 30 seat Multiples of this Unit can also be set up by the Board of Management Academic Council from time to time.
7. Admission Procedure : As specified in ordinance no. 1. Preference will be given to students belonging to the state of Chhattisgarh and all guidelines issued by the state government related to reservations will be followed
8. Academic Year : There will be one academic year from July to June.
9. Selection Procedure : The University will issue admission notification in news papers, on the notice board of the University and in other publicity media before the start of every academic year. The list of candidates selected on the basis of merit for admission will be displayed on the website or the students will be informed directly about their admission. The list of the selected students will also be displayed on the notice board of the University. The candidate whose results are awaited can also apply. However, such candidate must produce, the proof of appearing in the final year of qualifying examination, provided if the candidate fails to clear the qualifying exam with required percentage his/her admission shall be treated as cancelled. Further provided that the candidate must submit mark sheet of qualifying examination before the filling of examination form. Directives issued by the Government of Chhattisgarh, from time to time, regarding reservation, shall be followed while making admissions.
10. Cancellation of Admission : Admission of a student may be cancelled under following circumstances.
 1. At any stage, if student is not found qualified, for the Programme, as per government norms/ guidelines or the eligibility criteria prescribed by the University.
 2. Involvement in gross indiscipline in the Institute / University.
 3. She/he is found to have produced false/ forged

documents or found to have used unfair means to secure admission.

4. The fee is not paid.
5. The application form is incomplete in any way.
6. The supporting documents required for admission are not enclosed.

Registration number will be assigned to the student by the University after verification and submission of all the necessary documents and fees.

- | | | | |
|-----|---|---|--|
| 11. | Fees | : | The course fees will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of CGPURC. |
| 12. | Eligibility to Pass | : | As per Ordinance No 2 subsection 12(i) of the University |
| 13. | Course structure and Examination Scheme | : | As prescribed by the Board of Studies and approved by the academic council |
| 14. | Evaluation and examination | : | As per Ordinance No 2 of the University. |
| 15. | Eligibility Criteria for Supplementary | : | As per Ordinance No 2 of the University. |
| 16. | General | : | Detailed syllabus of each paper shall be prepared by the Board of Studies and duly approved by the Academic Council and the Vice-Chancellor. |

In all matters, pertaining to the courses not covered herein above and in the Ordinances, the decision of the Vice Chancellor of the University shall be final. However on the recommendations of the Academic Council the Vice Chancellor shall be competent to change the system or pattern of examination. The course content is subject of change from time to time.

ORDINANCE – 44**Diploma in Fashion Design/Fashion Technology/Textile/Interior Design**

- | | | | |
|----|---------------------------|---|---|
| 1. | Title | : | Diploma in Fashion Design /Fashion Technology /
Textile / Interior Design |
| 2. | Faculty | : | FASHION DESIGNING |
| 3. | Duration | : | One Year, Annual Pattern. |
| 4. | Eligibility | : | Must have passed 10+2 or equivalent from any
board of secondary education in any discipline |
| 5. | Seats | : | The basic unit will be of 60 seat Multiples of this
Unit can also be set up by the Board of Management
Academic Council from time to time. |
| 6. | Admission Procedure | : | As specified in ordinance no. 1. Preference
will be given to students belonging to the state of
Chhattisgarh and all guidelines issued by the state
government related to reservations will be followed |
| 7. | Academic Year | : | There will be one academic year from July to June. |
| 8. | Selection Procedure | : | The University will issue admission notification
in news papers, on the notice board of the University
and in other publicity media before the start of every
academic year. The list of candidates selected on the
basis of merit for admission will be displayed on the
University website or the students will be informed
directly about their admission. The list of the selected
students will also be displayed on the notice board of the
University. The candidate whose results are awaited can
also apply. However, such candidate must produce, the
proof of appearing in the final year of qualifying
examination, provided if the candidate fails to clear the
qualifying exam with required percentage his/her
admission shall be treated as cancelled. Further provided
that the candidate must submit mark sheet of qualifying
examination before the filling of examination form.
Directives issued by the Government of Chhattisgarh,
from time to time, regarding reservation, shall be
followed while making admissions. |
| 9. | Cancellation of Admission | : | Admission of a student may be cancelled under
following circumstances. <ol style="list-style-type: none"> 1. At any stage, if student is not found qualified, for
the Programme, as per government norms/ guidelines or
the eligibility criteria prescribed by the University. 2. Involvement in gross indiscipline in the Institute
/ University. 3. She/he is found to have produced false/ forged
documents or found to have used unfair means to secure
admission. 4. The fee is not paid. 5. The application form is incomplete in any way. |

- 6.** The supporting documents required for admission are not enclosed.
Registration number will be assigned to the student by the University after verification and submission of all the necessary documents and fees.
10. Fees : The course fees will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of CGPURC.
11. Eligibility to Pass : As per Ordinance No 2 subsection 12(i) of the University
12. Course structure and Examination Scheme : As prescribed by the Board of Studies and approved by the academic council
13. Evaluation and examination : As per Ordinance No 2 of the University
14. Eligibility Criteria for Supplementary : As per Ordinance No 2 of the University.
15. General : Detailed syllabus of each paper shall be prepared by the Board of Studies and duly approved by the Academic Council and the Vice-Chancellor.
In all matters, pertaining to the courses not covered herein above and in the Ordinances, the decision of the Vice Chancellor of the University shall be final. However on the recommendations of the Academic Council the Vice Chancellor shall be competent to change the system or pattern of examination. The course content is subject of change from time to time.

ORDINANCE – 45**Post Graduate Diploma in Fashion Design/Fashion Technology/Textile/Interior Design**

- | | | | |
|----|---------------------------|---|--|
| 1. | Title | : | Post Graduate Diploma in Fashion Design / Fashion Technology / Textile / Interior Design |
| 2. | Faculty | : | FASHION DESIGNING |
| 3. | Duration | : | One Year, Annual Pattern |
| 4. | Eligibility | : | Graduate or equivalent from a recognized University/Institute or Equivalent |
| 5. | Seats | : | The basic unit will be of 60 seat Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management Academic Council from time to time. |
| 6. | Admission Procedure | : | As specified in ordinance no. 1. Preference will be given to students belonging to the state of Chhattisgarh and all guidelines issued by the state government related to reservations will be followed |
| 7. | Academic Year | : | There will be one academic year from July to June. |
| 8. | Selection Procedure | : | The University will issue admission notification in news papers, on the notice board of the University and in other publicity media before the start of every academic year. The list of candidates selected on the basis of merit for admission will be displayed on the website or the students will be informed directly about their admission. The list of the selected students will also be displayed on the notice board of the University. The candidate whose results are awaited can also apply. However, such candidate must produce, the proof of appearing in the final year of qualifying examination, provided if the candidate fails to clear the qualifying exam with required percentage his/her admission shall be treated as cancelled. Further provided that the candidate must submit mark sheet of qualifying examination before the filling of examination form. Directives issued by the Government of Chhattisgarh, from time to time, regarding reservation, shall be followed while making admissions. |
| 9. | Cancellation of Admission | : | Admission of a student may be cancelled under following circumstances, <ol style="list-style-type: none"> 1. At any stage, if student is not found qualified, for the Programme, as per government norms/ guidelines or the eligibility criteria prescribed by the University. 2. Involvement in gross indiscipline in the Institute / University. 3. She/he is found to have produced false/ forged documents or found to have used unfair means to secure admission. 4. The fee is not paid. 5. The application form is incomplete in any way. |

6. The supporting documents required for admission are not enclosed.
Registration number will be assigned to the student by the University after verification and submission of all the necessary documents and fees.
10. Fees : The course fees will be as decided by the Board of Management from time to time with the prior approval of CGPURC.
11. Eligibility to Pass : As per Ordinance No 2 subsection 12(i) of the University
12. Course structure and Examination Scheme : As prescribed by the Board of Studies and approved by the academic council
13. Evaluation and examination : As per Ordinance No 2 of the University
14. Eligibility Criteria for Supplementary : As per Ordinance No 2 of the University.
15. General : Detailed syllabus of each paper shall be prepared by the Board of Studies and duly approved by the Academic Council and the Vice-Chancellor.
In all matters, pertaining to the courses not covered herein above and in the Ordinances, the decision of the Vice Chancellor of the University shall be final. However on the recommendations of the Academic Council the Vice Chancellor shall be competent to change the system or pattern of examination. The course content is subject of change from time to time.

ORDINANCE-46**Master of Philosophy (M.Phil)****1. Eligibility criteria for admission to the M.Phil Programme:**

- i. Candidates for admission to the M.Phil Programme shall have Masters Degree or Professional Degree declared equivalent to the master's degree by the corresponding statutory regulatory body with at least 55% marks in aggregate or its equivalent grade 'B' IN THE UGC 7- point scale (or an equivalent grade in point scale wherever grading system is followed) or an equivalent degree from a foreign educational institution accredited by a assessment and accreditation agency which is approved, recognized or authorized by an authority, established or incorporated under a law in its home country or any other statutory authority in the country for the purpose of assessing, accrediting or assuring quality and standards of educational institutions.
- ii. A relaxation of 5% of marks, from 55% to 50% or an equivalent relaxation of grade may be allowed to those belonging to SC/ST/OBC (non creamy layer) differently-able and other categories of candidates as per the decision of the commission from time to time. Or for those who had obtained their master's degree prior to 19th September 1991. The eligibility marks of 55% (or an equivalent grade in point scale wherever grading system is followed) and the relaxation of 5% to the categories mentioned above are permissible based only on the qualifying marks without including the grace mark procedures.

2. Duration of the programme:

- i. M.Phil. Programme shall be for a minimum duration of two (2) consecutive semesters/one year and a maximum of four (4) consecutive semesters/two years.
- ii. Extension beyond the above limits will be given in exceptional cases on the recommendation of research advisory committee and approval by the academic Council.
- iii. The women candidates and persons with disability (more than 40% disability) may be allowed a relaxation of one year for M.Phil. in the maximum duration. In addition, the women candidates' maybe provided maternity leave/Child Care Leave once in the entire duration of M.Phil for up to 240 days.

3. Procedure for admission:

- i. University shall admit M.Phil students through an entrance test conducted by it.
- ii. The University shall:
 - (a) Decide on an annual basis through its academic council, a predetermined and manageable number of M.Phil. Scholars to be admitted depending on the number of available research supervisors and other academic and physical facilities, keeping in mind the norms regarding the scholar-teacher ratio {as laid down in para 4(v)} laboratory, library and such other facilities.
 - (b) Notify well in advance in the institutional website and through advertisement in at least two (2) national newspapers, of which at least one (1) shall be in the regional language, the number of seats for admission, subject/discipline-wise distribution of available seats, criteria for admission, procedure for admission, examination centre(s) shall be conducted and all other relevant information for the benefit of the candidates.
 - (c) Adhere to the national/state-level reservation policy, as applicable.
- iii. The University shall admit candidates by a two stage process through:
 - (a) An entrance test shall be qualifying with qualifying marks as 50%. The syllabus of the entrance test shall consist of 50% of research methodology and 50% shall be subject specific. The entrance test shall be conducted at the centre(s) notified in advance (changes of centre, if any, also to be notified well in advance); and

- (b) An interview/viva-voce to be organized by the University when the candidates are required to discuss their research interest /area through a presentation before a duly constituted department Research committee.
- iv. The interview/viva voce shall also consider the following via, whether.
- (a) The candidate possesses the competence for the proposed research.
 - (b) The research work can be suitably undertaken at the institution/college.
 - (c) The proposed area of research can contribute to new/additional knowledge.
- 4. Allocation Of Research Supervisor:**
- Eligibility criteria to be a research supervisor, Co-supervisor, number of M.Phil. Scholars permissible per supervisor, etc.
- i. Any regular Professor of the University/institution deemed to be a University/college with atleast five research publications in referred journals and any regular associate/assistant professor of the University/institution deemed to be a University /college with a Ph.D. degree and atleast two research publications in referred journals. Provided that in areas/disciplines where there is no or only a limited number of refereed journal, the institution may relax the above condition for recognition of a person as research supervisor with reasons recorded in writing.
 - ii. Only a full time regular teacher of the concerned University/institution deemed to be a University /college shall act as a supervisor. The external supervisors are not allowed. However, Co-Supervisor is allowed in inter-disciplinary areas from other departments of the same Institute or from other related institutions with the approval of the Research Advisory Committee.
 - iii. The allocation of research supervisor for a selected research scholar shall be decided by the department concerned depending on the number of scholars per research supervisor, the available specialization among the supervisors and research interests of the scholars as indicated by them at the time of interview/viva voce.
 - iv. In case for topics which are of inter-disciplinary nature where the department concerned feels that the expertise in the department has to be supplemented from outside, the department may appoint a research supervisor from the department itself, who shall be known as the research supervisor, and a co-supervisor from outside the department/ faculty/college/Institution of such terms and condition as may be specified and agreed upon by the consenting institution/colleges.
 - v. A research supervisor/co-supervisor who is a professor, at any given point of the time, cannot guide more than three (3) M.Phil. Scholars. An associate professor as research supervisor can guide up to a maximum of two (2) M.Phil. Scholars and an assistant processor as research supervisor can guide up to a maximum of one (1) M.Phil. Scholar.
 - vi. In case of relocation of an M.Phil. woman scholar due to marriage or otherwise, the research data shall be allowed to be transferred to the University to which the scholar intends to relocate provided all the other condition in these regulations are followed in letter and spirit and the research work does not pertain to the project secured by the parent institution/ supervisor from any funding agency. The scholar will however give due credit to the parent guide and the institution for the part of research already done.
- 5. Course Work:** credit Requirements, number, duration, syllabus, minimum standards for completion etc.
- i. The credit assigned to the M.Phil. Course work shall be a minimum of 08 credits and a maximum of 16 credits.
 - ii. The course work shall be treated as prerequisite for M.Phil. Preparation. A minimum of four credits shall be assigned to one or more courses on research methodology which

- could cover areas such as quantitative methods, Computer applications, research ethics and review of published research in the relevant field. Training, field work, etc. Other courses shall be advanced level courses preparing the students for M.Phil. degree.
- iii. All courses prescribed for M.Phil. Course work shall be in conformity with the credit hour instructional requirement and shall specify content, instructional and assessment methods. They shall be duly approved by the authorized academic bodies.
 - iv. The department where the scholar pursues his/her research shall prescribe the course(s) to him/her based on the recommendations of the research advisory committee. As stipulated. Under sub-clause 8. I below, of the research scholar.
 - v. All candidates admitted to the M.Phil. program shall be required to complete the course work prescribed by the department during initial one or two semesters.
 - vi. Grades in the course work, including research methodology courses shall be finalized after a combined assessment by the research advisory committee and the department and the final grades shall be communicated to the institution/college.
 - vii. A M.Phil. Scholar has to obtain a minimum of 55% of marks or its equivalent grade in the UGC 7- point scale in the course work in order to be eligible to continue in the program and submit the dissertation/thesis.

6. Research Advisory Committee and its functions:

- i. There shall be a research advisory committee, for each M.Phil. Scholar consisting of the following members.
 - (a) Vice-chancellor or his nominee.
 - (b) Head of the Institute of the concerned faculty.
 - (c) Head of University teaching department in the subject.
 - (d) Chairman, Board of studies in the subject.
 - (e) One external subject expert of the rank of University professor to be appointed by the vice-chancellor ordinarily out of a panel of 5 experts given by the chairman of the board of studies. The external expert and two other members shall form the quorum.

Note: 1. On the request of the supervisor(s) vice-chancellor may permit him to be present as an observer during the oral presentation of his candidate in the RDC meeting.
2. No. T.A. & D.A. shall be payable to the candidate and the supervisor for attending the research degree committee meeting.

 - (f) The research supervisor of the scholar shall be the convener of this committee. This committee shall have the following responsibilities.
 - (a) To review the research proposal and finalize the topic of research.
 - (b) To guide the research scholar to develop the study design and methodology of research and identify the course(s) that he/she may have to do.
 - (c) To periodically review and assist in the progress of the research work of the research scholar.
- ii. A research scholar shall appear before the research advisory committee once in six months to make a presentation of the progress of his/her work for evaluation and further guidance. The six monthly progress reports shall be submitted by the research advisory committee to the institution/college with a copy to the research scholar.
- iii. In case the progress for the research scholar is unsatisfactory, the research advisory committee shall record the reasons for the same and suggest corrective measures. If the Research Scholar fails to implement these corrective measures, the research advisory committee may recommend to the University with specific reasons for cancellation of the registration of the research scholar.

- iv. Prior to the submission of the dissertation/thesis, the scholar shall make a presentation in the department before the research advisory committee of the institution concerned which shall also be open to all faculty members and other research scholars. The feedback and comments obtained from them may be suitably incorporated into the draft dissertation/thesis in consultation with the research advisory committee.
 - v. M.Phil. scholars shall present at least one (1) research paper in a conference/seminar and make two paper presentations in conferences/seminars before the submission of the dissertation/thesis for adjudication, and produce evidence for the same in the form of presentation certificates and/or reprints.
 - vi. The academic council of the University shall evolve a mechanism using well developed software and gadgets to detect plagiarism and other forms of academic dishonesty. While submitting for evaluation, the dissertation/thesis shall have an undertaking from the research scholar and a certificate from the research supervisor attesting the originality of the work, vouching that there is no plagiarism and that the work has not been submitted for the award of any other degree/diploma of the same institution where the work was carried out, or to any other institution.
 - vii. The M.Phil. dissertation submitted by a research scholar shall be evaluated by his/her research supervisor and at least one external examiner who is not in the employment of the University.
 - viii. The public viva-voce of the research scholar to defend the dissertation/thesis shall be conducted only if the evaluation reports(s) of the external examiner(s) on the dissertation/thesis is/ are satisfactory and include a specific recommendation for conducting the viva-voce examination. If the evaluation report of the external examiner in case of a M. Phil. Dissertation is unsatisfactory and does not recommend viva –voce the University Shall send the dissertation to another external examiner out of the approved panel for examiners and the viva-voce examination shall be held only if the report of the latest examiner is satisfactory. If the report of the latest examiner is also unsatisfactory. The dissertation/ thesis shall be rejected and the research scholar shall be declared ineligible for the award of the degree.
 - ix. The University shall develop appropriate methods so as to complete the entire process of evaluation of M.Phil. Dissertation within a period of six months from the date of submission of the dissertation/thesis.
7. **Treatment of M.Phil. through Distance mode/part-time:**
- (i) Notwithstanding anything contained in these regulations of any other rule or regulation, for the time being in force. University shall not conduct M.Phil. Programmers on distance mode.
8. **Depository with INFLIBNET:**
- (I) Following the successful completion of the evolution process and before the announcement of the award of the M.Phil. Degree the institution concerned shall submit an electronic copy of the M.Phil. Dissertation to the INFLIBNET, for hosting the same so as to make it accessible to all institutions/ Colleges.
 - (II) Prior to the actual award of the degree. The University shall issue a provisional certificate to the effect that the degree has been awarded in accordance with the provisions of the UGC regulations.

ORDINANCE – 47**Doctor of Philosophy (Ph.D.)****1. Eligibility criteria for admission to Ph.D. programme :**

Subject to the conditions stipulated in this Ordinance the following persons are eligible to seek admission to the Ph.D. Programme:

- (i) Candidates for admission to the Ph.D Programme shall have Masters Degree or Professional Degree declared equivalent to the master's degree by the corresponding statutory regulatory body with at least 55% marks in aggregate or its equivalent grade 'B' IN THE UGC 7- point scale (or an equivalent grade in point scale wherever grading system is followed) or an equivalent degree from a foreign educational institution accredited by an assessment and accreditation agency which is approved, recognized or authorized by an authority, established or incorporated under a law in its home country or any other statutory authority in the country for the purpose of assessing, accrediting or assuring quality and standards of educational institutions.
A relaxation of 5% of marks, from 55% to 50% or an equivalent relaxation of grade may be allowed to those belonging to SC/ST/OBC (non creamy layer) differently-able and other categories of candidates as per the decision of the commission from time to time. Or for those who had obtained their master's degree prior to 19th September 1991. The eligibility marks of 55% (or an equivalent grade in point scale wherever grading system is followed) and the relaxation of 5% to the categories mentioned above are permissible based only on the qualifying marks without including the grace mark procedures.
- (ii) Candidates who have cleared the M.Phil course work with at least 55%, marks in aggregate or its equivalent grade "B' in the UGC 7-Point scale (or an equivalent grade in a point scale where grading system is followed) and successfully completing the M.Phil Degree shall be eligible to proceed to do research work leading to the Ph.D. Degree in the same Institution in an integrated Programme.
- (iii) A person whose M.Phil dissertation has been evaluated and the viva voce is pending may be admitted to the Ph.D. programme of the same institution.
- (iv) Candidates possessing a Degree considered equivalent to M.Phil Degree of an Indian Institution, from a foreign Educational Institution accredited by an Assessment and Accreditation Agency which is approved, recognized or authorized by an authority, established or incorporated under a law in its home country or any other statutory authority in that country for the purpose of assessing, Accrediting or assuring quality and standards of educational institutions shall be eligible for admission to Ph.D. programme.

2. Duration of the Programme :

- (i) Ph.D. programme shall be for a minimum duration of the three years including course work and a maximum of six years.
- (ii) Extension beyond the above limits will be given in exceptional cases on the recommendation of Research Advisory Committee and approval by the Academic council.
- (iii) The women candidates and persons with disability (more than 40% disability) may be allowed relaxation of two years Ph.D. in the maximum duration. In addition the women candidates may be provided Maternity Leave Child Care Leave Once in the entire duration of Ph.D. for up to 240 day.

3. Procedure for admission :

- (i) University shall admit Ph.D. students through an Entrance Test conducted by it. The Academic Council of the University shall decide separate terms and conditions for those students who qualify UGC-NET (including JRF) UGC-CSIR NET (including JRF) SLET GATE teacher fellowship holder or have passed M.Phil programme.
- (ii) The University shall :
 - (a) Decide on an annual basis through its Academic Council. A predetermined and manageable number of Ph.D. scholar to be admitted depending on the number of available Research Supervisor and other academic and physical facilities, keeping in mind the norms regarding the scholar teacher ratio (as indicated in Para 4.5) laboratory, Library and such other facilities.
 - (b) Notify well in advance in the institutional website and through advertisement in at least two (2) national newspapers of which at least one (1) shall be in the regional language the number of seats for admission. Subject discipline wise distribution of available seats criteria for admission procedure for admission examination centre(s) where entrance test(s) shall be conducted and all other relevant information for the benefit of the candidates.
 - (c) Adhere to the national state-level reservation policy as applicable.
- (iii) The admission shall be based on the criteria notified by the University keeping in view the guidelines/norms in this regard issued by the UGC and other statutory bodies concerned and taking into account the reservation policy of the Central/State Government from time to time.
- (iv) The University shall admit candidates by a two stage process through
 - (a) An Entrance Test shall be qualified with qualifying marks as 50%. The syllabus of the entrance test shall consist of 50% of Research Methodology and 50% shall be subject specific. The entrance Test shall be conducted at the Centre(s) notified in advance (changes of Centre, if any also to be notified well in advance) and;
 - (b) An interview viva-voce to be organized by the University to judge the candidate's research interest/area through a presentation before a duly constituted Departmental Research Committee.
- (v) The interview/viva voce shall also consider the following, aspect, viz whether.
 - (a) The candidate possesses the competence for the proposed research;
 - (b) The research work can be suitably undertaken at the institution college
 - (c) The proposed area of research can contribute to new additional knowledge.
- (vi) The University shall maintain the year wise list of the Ph.D. registered students on its website. The list shall include the name of the registered candidate's topic of his/her research, name of his/her supervisor/co-supervisor and the date of enrolment registration.

4. Allocation of Research Supervisor: Eligibility criteria to be a Research Supervisor, Co-Supervisor, Number of Ph.D. scholars permissible per Supervisor etc.

- (i) Any regular Professor of the University Institution Deemed to be a University or College with at least five research publications in refereed journals and any regular Associate/Assistant Professor of the University institution deemed to be a University/college with Ph.D. Degree having atleast two research publication in refereed journal may be recognized as research supervisor. Provided that in areas/ disciplines where there is no or only a limited number of refereed journals, the institution may relax the above condition for recognition of a person as Research Supervisor with reasons recorded in writing.

- (ii) Only a full time regular teacher of the concerned University/Institution/Deemed to be a University College shall act as supervisor, the external supervisor is not allowed. However co-supervisor is allowed in inter-disciplinary areas from other department of the same Institute or from other related institutions outside University/Institutions with the approval of the Research advisory Committee.
 - (iii) The allocation of Research supervisor for a selected research scholar shall be decided by the Department concerned depending on the number of scholar per research supervisor the available specialization among the Supervisor's and research interests of the scholars as indicated by them at the time of interview viva voce.
 - (iv) In case of topic which is of inter-disciplinary nature where the Department concerned feels that the expertise in the Department has to be supplemented from outside the Department may appoint a Research Supervisor from the Department itself. Who shall be known as the Research Supervisor and a Co-supervisor from outside the Department faculty college institution on such terms and conditions as may be specified and agreed upon by the consenting institutions colleges.
 - (v) A research supervisor/Co-supervisor who is a professor at any given point of time, cannot guide more than Eight (8) Ph.D. Scholar. An Associate Professor as Research Supervisor can guide up to a maximum of six (06) Ph.D. scholars and an Assistant Professor as Research Supervisor can guide up to a maximum of four (04) Ph.D. scholars.
 - (vi) In case of relocation of Ph.D. woman scholar due to marriage or otherwise the research data shall be allowed to be transferred to the University to which the scholar intends to relocate provided all the other conditions in these regulations are followed in letter and spirit and the research work does not pertain to the project secured by the parent institution supervisor from any funding agency the scholar will however give due credit to the parent guide and the institution for the part of research already done.
- 5. Course work: credit Requirements number duration syllabus minimum standards for completion etc.**
- (i) The credit assigned to the Ph.D. course work shall be a minimum of 08 credits and a maximum of 16 credits.
 - (ii) The course work shall be treated as prerequisite for Ph.D. preparation. A minimum of four credit shall be assigned to one or more courses on Research Methodology which could cover areas such as Quantitative Methods, Computer Applications, Research Ethics and Review of published research in the relevant field, training field work etc, other courses shall be advanced level courses preparing the students for Ph.D. degree.
 - (iii) All course prescribed for Ph.D. course work shall be in conformity with the credit hour instructional requirement and shall specify content, instructional and assessment methods they shall be duly approved by the authorized academic bodies.
 - (iv) The department where the scholar pursues his/her research shall prescribe the course(s) to him/her based on the recommendations of the Research Advisory Committee as stipulated under sub-Clause 8.1 below of the research scholar.
 - (v) All candidates admitted to the Ph.D. programmes shall be required to complete the course work prescribed by the department during the initial one or two semesters.
 - (vi) Candidates already holding M.Phil degree and admitted to the Ph.D. programme or those who have already completed the course work in have been permitted to proceed to the Ph.D., in integrated course may be exempted by the Department from the Ph.D Course work. All other candidates admitted to the Ph.D. Programme shall be required to complete the Ph.D. course work prescribed by the Department.

- (vii) Grades in the course work including research methodology courses shall be finalized after a combined assessment by the Research Advisory committee and the Department and the final grades shall be communicated to the institution college.
- (viii) A Ph.D. scholar has to obtain a minimum of 55% marks or its equivalent grade in the UGC 7-point scale in the course work in order to be eligible to continue in the programme and submit the dissertation thesis.

6. Research Advisory Committee and its functions :

- (i) There shall be research Advisory Committee for each Ph.D scholar consisting of the following member.
 - (a) Vice-Chancellor or his nominee.
 - (b) Head of the Institute of the concerned faculty.
 - (c) Head of University Teaching Department in the subject.
 - (d) Chairman board of studies in the subject.
 - (e) One external subject expert of the rank of University Professor to be appointed by the Vice-Chancellor ordinarily out of a panel of 5 experts given by the Chairman of the Board of Studies. The external expert and two other members shall form the quorum.

Note: 1. On the request of supervisor (s) vice-chancellor may permit him to the present as an observer during the oral presentation of his candidate in RDC meeting.

2. No T.A. & D.A. shall be payable to the candidate and the supervisor for attending the Research Degree Committee meeting.

The Research supervisor of the scholar shall be the Convener of this committee. This Committee shall have following responsibilities.

- (ii) A research scholar shall appear before the research Advisory Committee once in six month to make a presentation of the progress of his/her work for evaluation and further guidance. The six monthly progress reports shall be submitted by the research Advisory committee to the institution college with a copy to the research scholar.
- (iii) In case the progress of the research scholar is unsatisfactory the Research Advisory Committee shall record the reasons for the same and suggest corrective measures. If the research scholar fails to implement these corrective measures. The research advisory committee may recommend to the University with specific reasons for cancellation of the registration of the research scholar.

7. Evaluation and Assessment Methods minimum Standards/Credits for award of the degree etc :

- (i) Upon satisfactory completion of course work and obtaining the marks/grade prescribed in sub-clauses 7.8 above as the case may be the Ph.D. scholar shall be required to undertake research work and produce a draft dissertation/thesis within a reasonable time as stipulated by the institution concerned based on these regulations.
- (ii) Prior to the submission of the dissertation thesis, the scholar shall make a presentation in the Department before the Research Advisory Committee of the Institution concerned which shall also be open to all faculty members and other research scholar. The feedback and comments obtained from them may be suitably incorporated into the draft dissertation thesis in consultation with the Research Advisory committee.
- (iii) Ph.D. scholar must publish at least one (1) research paper in refereed journal and make two paper presentations in conferences/seminars before the submission of the dissertation/thesis for adjudication and produce evidence for the same in the form of presentation certificates and/or reprints.

- (iv) The academic council of the University shall evolve mechanism using well developed software and gadgets to detect plagiarism and other forms of academic dishonesty. While submitting for evaluation the dissertation thesis shall have an undertaking from the research scholar and a certificate from the research supervisor attesting to the originality of the work vouching that there is no plagiarism and that the work has not been submitted for the award of any other degree/diploma of the same institution where the work was carried out or to any other institution.
- (v) The Ph.D. thesis submitted by a research scholar shall be evaluated by his/her Research supervisor and at least two external examiners who are not in employment of the University of whom one examiner may be from outside the country. The viva-voce examination based among other things, on the critiques given in the evaluation report, shall be conducted by the research supervisor and at least one of the two external examiners and shall be open to be attended by Members of the Research Advisory Committee. All faculty members of the Department, other research scholar and other interested experts/researchers.
- (vi) The public viva-voce of the research scholar to defend the dissertation thesis shall be conducted only if the evaluation report(s) of the external examiners(s) on the dissertation thesis is/are satisfactory and include a specific recommendation for conducting the viva-voce examination. If one of the evaluation reports of the external examiner in case of Ph.D. thesis is unsatisfactory and does not recommend viva-voce the University shall send the dissertation/thesis to another external examiner out of the approved panel of examiners and viva-voce examination shall be held only if the report of the latest examiner is satisfactory. If the report of latest examiners is also unsatisfactory, the dissertation/thesis shall be rejected and research scholar shall be declared ineligible for the award of degree.
- (vii) The University shall develop appropriate methods so as to complete the entire process of evaluation of Ph.D thesis within a period of six month from the date of submission of the thesis.

8. Treatment of Ph.D. THROUGH Distance Mode/Part-time:

1. Notwithstanding anything contained in these Regulations or any other rule or regulation for the time being in force. University shall not conduct Ph.D. Programmes on distance mode.
2. Part-time Ph.D. will be allowed provided all the conditions mentioned in the extant Ph.D. Regulations are met.

9. Depository with INFLIBNET:

- (I) Following the successful completion of the evaluation process and before the announcement of the award of the Ph.D. degree, the institution concerned shall submit an electronic copy of the Ph.D. thesis to the INFLIBNET. For hosting the same so as to make it accessible to all institutions colleges.
- (II) Prior to the actual award of the degree the University shall issue a provisional Certificate to the effect that the Degree has been awarded in accordance with the provision of the UGC Regulations.

ORDINANCE – 48**Award of Degrees, Diploma, Certificates and Other Academic Distinctions**

1. The candidate after passing the examination prescribed for a particular certificate diploma or degree shall become entitle for the award of the said certificate, diploma or degree respective as the case may be.
2. The Registrar shall place the names of all the successful candidates for the award of Certificates, Diplomas or Degrees, Post Graduate, M.Phil, Ph.D etc before the Academic Council soon after the declaration of the result. On approval by the Academic Council the Provisional Certificates, Diploma and Degree shall be issued to the respective candidates by the Registrar.
3. The Certificates, Diplomas and Degrees, Post Graduate, M.Phil, Ph.D etc shall be signed by the Vice-Chancellor.
4. The approval accorded by the Academic, Council for the award of the Certificates, Diplomas Degrees, Post Graduate, M.Phil, Ph.D etc or any other distinctions/awards shall be placed before the Board of Management for its concurrence. On being concurred by the Board of Management the Degree Diplomas, Certificates, Post Graduate, M.Phil, Ph.D etc shall be awarded to the successful candidates at convocation.
5. The nomenclature of the Degree/Diploma/Certificate /Post Graduate/ M.Phil/ Ph.D etc that would be conferred by the University under different Department Institute Centre shall be same as mentioned in the relevant program ordinance.

ORDINANCE – 49**Norms for the Award of Fellowships and Scholarships, Stipend, Medals and Prizes**

1. (i) The University may invite applications through notifications in newspaper online fellowship, research, scholarships and students Scholarship.
 (ii) All awards of Fellowship, Research Scholarships and other scholarship shall be made on the recommendation of a committee consisting of-
 - a. The chancellor - Chairperson
 - b. The Vice-Chancellor - Member
 - c. Any three Heads of the Institute of Faculties Departments appointed by the Board of Management Academic Council Every Year.
 - d. The Registrar - Member Secretary
2. Subject to the general condition applicable to all research fellowship and scholarships as laid down in paragraph 4 below, the value duration and condition for the award of all India fellowships shall be such as are laid down by the University Grants Commission CSIR, DST other Regulatory Bodies.
3. The value and duration of scholarships fellowships Instituted by the Governing body of the University shall be laid down by the Academic council and approved by the Board of Management. The Selection of the candidates shall be made in accordance with the regulations laid down by the Board of Management from time to time.
 - i. The fellow/scholar will do whole time research work under an approved guide on a subject approved by Shri Rawatpura Sarkar University.
 - ii. The fellow scholar shall not accept or hold any appointment paid otherwise or receive any emolument, salary stipend etc. from any other source during the tenure of the award nor shall engage himself herself in any profession or trade during the period. He may however undertake teaching assignment of not more than nine hours a week in the institution where he is working without accepting any remuneration.
 - iii. The fellow scholar shall not join any other course of study or appear in any examination after commencing work under the fellowship scholarship.
 Provided that the Vice-Chancellor may on the recommendation of the guide permit the fellow/scholar to join a language Computer Diploma Course and appear in an examination therefore.
 Provided further that exemption could be provided for those also who wish to appear in an examination or a subject relevant to the problem of research without supplicating for a degree.
 - iv. Unless permitted by the guide to work for a specified period at some other place the fellow/scholar shall be required to attend the institution, where he is to work on all working days.
 - v. If any information submitted by the fellow scholar in his application is found to be incorrect incomplete or misleading the award may be terminated by the Academic Council after given him opportunity of being heard.
 - vi. If at any time it should appear to the University that the progress or conduct of the fellow scholar has not been satisfactory the fellowship scholarship may be suspended or withdrawn by the academic council standing committee.
 - vii. (a) a leave for a maximum of thirty days in a year in addition to general holiday may be taken by a fellow/scholar with the approval of the guide and the vice-chancellor the general holiday, however, do not include the vacation period e.g. summer, Dusshera,

Deepawali and Christmas vacation. No other leave with fellow scholar shall be admissible.

Provided that the women awardees would be eligible for maternity leave at full rates for a period not exceeding three month once during the tenure of the award.

- b. The fellow scholar may in special case, be allowed by the Shri Rawatpura Sarkar University leave tenure of the award on the recommendation of the guide.
- viii. The fellow/Scholar shall be required to pay the fees prescribed by the institution where he works.
4. Graduate and postgraduate scholarship Instituted by the University shall ordinarily be tenable for two academic sessions i.e. twelve month in the first year and ten month in the second year on condition that the scholarship holder produces a certificate of efficiency in studies from the Head of the Institute in the subject of study.
5. The scholarship shall be tenable from the 1st of August if the scholarship holder joins the course within one month of the date of the opening of the University College after the summer vacation and pays the tuition fee from the commencement of the session in any other case it shall be tenable from the date on which the candidate joins the course.
6. Scholarship shall be withdrawn in the subsequent year if the scholarship holder fails to secure at least 60% marks in the Previous Examination of the concerned course.
7. If a scholarship-holder is unable to appear at the previous examination on account of sickness or any other reasonable cause the scholarship shall be paid only if the Head of the Institution certifies that the scholar diligently studied for the examination but was unable to take the examination for reason beyond his/her control. Such a scholar shall not receive scholar passes the previous examination with the requisite standard in the succeeding year in the first attempt.
8. A scholarship holder shall at all time exhibit good behaviour and observe all rules of discipline.
9. (i) a scholarship- shall be liable to termination, if
 - (a) The scholarship holder discontinues studies during the middle of a session
 - Or
 - (b) The scholar holder after he has been given a reasonable opportunity to explain his conduct end in the opinion of the Academic Council guilty of a breach of Para No. 3 & of this ordinance and if the Academic Council so direct the scholarship holder would also be liable to refund the amount of scholarship drawn by him.
- (ii)The order of termination passed by the Academic Council shall be final.

ORDINANCE – 50**Examination fees to be charged for various courses of the University**

1. The Controller of Examination/Registrar of the University shall notify the fees payable by the students for various courses of examinations after the same is approved by the Vice-Chancellor. A student who has not paid the prescribed fees before the start of examination shall not ordinarily be eligible to appear in the examination. The Chancellor may at his discretion allow, in certain cases of genuine hardship, an extension in the last date of payment of fees. The result of such students shall however, be withheld till all the dues are cleared.
2. The Examination Fees shall be proposed by the Academic Council and approved by the Board of Management from time to time and the amount of fee shall be approved by the Chhattisgarh PURC.
3. The Candidate, who fails to present himself/herself for Examination, shall not be entitled to any refund of fees or to have it kept in deposit for a subsequent Examination. However, if a woman candidate is unable to appear at the Examination for maternity reasons her fees may be held over for the next Examination (provided that the application for crediting the Fee's for the next Examination must be made to the Controller of Examinations/Registrar of the University for the Examinations within three months of the completion of the Examination concerned and supported by a Medical Certificate.
4. Provided, However that a candidate shall not be entitled to the adjustment of examination fees if he/she changes the Faculty or his subject in case of post graduate examination.
5. The fees paid by a regular candidate who is debarred from appearing at an Examination due to shortage in attendance at lectures/practical, will not be refunded under any circumstances.
6. There shall be no refund of revaluation fees irrespective of change in the marks of a candidate.
7. A candidate who due to sickness or other cause is unable to present himself /herself at an examination shall not receive a refund of fees, provided that the Vice-Chancellor on the recommendation of the Controller Examinations/Registrar of the University. made after feeling satisfied by considering the facts and making required investigation through documents submitted to him about the genuineness or merit of it, order for adjustment of the fees in portion of the fees toward the immediately next Examination.
8. The Examination fees of a candidate who dies before appearing at the Examination may be refunded in full to his / her guardian or successor.
9. The entire fees paid by a candidate whose application for appearing at an Examination is cancelled on account of producing trailing lent document or given false particulars shall stand forfeited.

ORDINANCE – 51**Norms for the Residence of the Student of the University**

1. The hostel maintained by the University College Department shall provide the stimulating and holistic living environment that contributes significantly to better academic performance. It should complement the University mission at all levels.
2. Every hosteller at all times shall maintain higher standard of disciplines and conduct oneself befitting to the status of a student.
3. Each student desirous of taking admission in the hostel shall submit his application on the prescribed form to the Chief Warden after admission in the University college along with proof of admission. He shall appear before hostel committee in person along with his/her parents/local guardian and the original documents.
4. The admission to the hostel shall be granted at the discretion of the a warden in consultation with the Chief- Warden. Special care will have to be taken to accommodate students belonging to weaker economic section of the society.
5. On admission to the Hostel the parents shall fill up the requisite forms, nominate the local guardian and visitor allowed to the hostel.
6. The student shall occupy the room allotted to him her. He she shall not changes the room or shift the furniture in out of his her room without the express permission of the hostel warden.
7. The resident shall be responsible for the care and maintenance of tile furniture furnishing fixtures etc. any damage to hostel property shall be made good by the residents.
8. The residents are debarred from using any electrical appliance other than provided or specifically permitted by the warden in writing.
9. The students are prohibited to possess firearms weapons or potentially dangerous instruments Defaulters will be dealt with seriously including rustication.
10. Consumption of drugs/alcohol/intoxicants/ smoking is strictly prohibited in the hostel premises defaulters will be severely dealt with including expulsion.
11. The resident indulging in vandalism violence sexually implicit behaviours/harassment within the hostel premises will be severely dealt with including expulsion.
12. The students residing in the University hostel shall pay such fees as may be prescribed by the Management from time to time
13. Each hostel shall have warden(s) who shall be appointed by the Vice-Chancellor on the recommendation of the Governing body for a period of three years. On such terms and condition as may be prescribed by the Board of Management from time to time.

ORDINANCE – 52**Provision regarding disciplinary action against the Students**

1. Every student in the University shall at all time be of good behaviour show drillings in studies, maintain decorum and dignity take proper interest in co-curricular activities shall observe a code of conduct both within and outside the campus in a manner befitting to the student of an Institute of national structure and observe all rules of discipline of the institution of the national structure and observe all rules of discipline of the instruction of which he/she is a student and of the University.
2. Each student shall show due respect and courtesy to the teacher administration and other employees in and outside of the Institute and good neighbour behaviour toward fellow student.
3. Any violation of the code of conduct or breach of any rule or regulation of the University by the student shall constitute an act of indiscipline and shall make him/her liable for discipline action.
4. The following act shall constitute an act of gross indiscipline and student indulging in any of them shall be liable to discipline action against them:
 - (i) Disobeying the teacher and displaying misdemeanour within and outside the University premises.
 - (ii) Including in vandalism/ violence sexually implicit behaviour/harassment and damaging University and or public property of a fellow student.
 - (iii) Quarrelling, fighting and passing derogatory remarks in the University premises against its teacher/employee/canteen and mess worker etc both offline and online.
 - (iv) Possession and use of firearms, weapons and potentially dangerous instruments etc.
 - (v) Consumption and sale of drugs/alcohol/intoxicants / tobacco/Pornographic content in any form etc.
 - (vi) Indulging in ragging which is strictly-prohibited as Per Supreme Court Ruling.
 - (vii) Any other act which the Disciplinary Committee may determine to be undesirable.
5. When a student has been found guilty of breach of discipline within or outside the premises of the University or an institution. Or persistent idleness or has been guilty of misconduct, the Head of the concerned department institution at which such student is studying will report to the discipline committee and vice Chancellor along with the registrar. The discipline committee with the approval from the vice chancellor. According to the nature and gravity of the offence may –
 - (i) Suspend such student from attending the classes for not more than three weeks.
 - (ii) Expel such student from the institution.
 - (iii) Disqualify such a student from appearing at the next ensuing Examination.
 - (iv) Rusticate such student.
6. Before inflicting such punishment as aforesaid, the Head of the concerned department / institution shall give the student concerned an opportunity of personal hearing and record the reasons of inflicting the punishment in Writing.
7. The Head Of the institution concerned shall have the power to temporarily suspend the student from the Institution for such a time as may be necessary to conduct inquiry into his/her conduct in connection with the alleged offence.
8. The period during which student remain suspended for completion of an shall be reckoned in the calculation of his/her attendance for appearing at an examination provide he/she is found incorrect.
9. The rustication of a student from an institution shall entail the removal of his/her name for the registrar of the enrolled student.
10. The fee of the student rusticated from the University will be confiscated.
11. A student so rusticated will not be readmitted to the University before the completion of a period of three years or prescribed duration (whichever is earlier) from the date of his/her rustication. A

- rusticated student seeking re-admission after the prescribed duration from the date of his/her rustication will submit an affidavit of maintaining good behaviour during his/her stay in the University as a student.
12. The proctor/Dean of student welfare (DSW) shall be appointed from amongst the teaching staff of the University Department and Institutes by the Vice-Chancellor for a period of two years to maintain the discipline. In view of competence, The teacher concern may continue with the approval of the Vice-Chancellor.
 13. The powers and duties of the Proctor Dean of student welfare (DSW) shall be determined by the vice Chancellor from time to time.

ORDINANCE – 53**Creation of other Bodies for improvement of Academic Life of the University**

1. The University shall have the following bodies for the improvement of the academic quality of the University.
 - (i) Education Policy Committee
 - (ii) The Board of Quality Managers
 - (iii) Honorary degrees award committee
2. Education Policy Committee shall comprise the following.
 - (i) The Vice-Chancellor Chairperson
 - (ii) The Pro Vice-chancellor
 - (iii) The Dean Academic Affairs
 - (iv) The Chairperson UG Studies.
 - (v) The Chairperson PG Studies
 - (vi) Three Dean/Associate Dean/Faculties by rotation or nominated by the Vice-Chancellor.
 - (vii) Two student nominated by the Vice-Chancellor
 - (viii) One of the nominated faculty members shall act as the convener. The pro-Vice-Chancellor shall preside over the meeting in the absence of the Vice-Chancellor.
3. The committee shall consider the following :-
 - (i) To consider innovative approach in all disciplines at national and international level
 - (ii) To consider all fundamental matters of education policy referred to it by the academic council and any other committee academic council of any department Institute
 - (iii) To consider and initiate action on modification and up-gradation of syllabus.
 - (iv) To examine reports on future research activities
 - (v) To adopt the education policy framed by UGC/NKC/State Government.
4. Board of Quality Management.
 - (i) The Board of Quality Managers will comprise of the following members.
 - (a) Two nominees appointed by the Sponsoring Body
 - (b) Two nominees appointed by the Chancellor
 - (c) Dean education Management
 - (d) Chief Finance & Audit Officer Finance & Operation
 - (e) Registrar of the University
 - (f) Director
 - (ii) The function of the Board of Quality Management will be as follows
To analyze conduct and report to the Chancellor/Sponsoring Body findings on the following aspect of University Management.
 - (a) Issues related to finance purchase stock inventory
 - (b) Facilities for management and maintenance
 - (c) Integrity of the University moral issues and human resource management issues
 - (d) Grievance handling of staff and students
 - (e) Management of IT system.
 - (f) Education and procedure management as per ISO and NAAC Guidelines and as per the guidelines of state and national regulatory bodies
5. Honorary Degree Award Committee :
 - (i) The constitution of the committee shall be as under :
 - (a) The Chancellor – Chairman
 - (b) The Vice- Chancellor

- (c) Dean, Academic Affairs
 - (d) The Registrar
 - (e) Director
- (ii) The committee shall consider names of those distinguished who have made an indelible impression of the minds of the people working in areas related to the goals of the Institute or who have inspired various sections of the society or who have made significant outstanding contribution in their field.
- (iii) The committee shall forward the names so considered to the governing Body for final decision.

ORDINANCE – 54

**Manner of Co-Operation and collaboration with other Universities and Institution
of Higher Education**

1. The University shall seek cooperation and collaboration with the existing Universities and Institutes of Higher Education in India and abroad and execute a memorandum of Understanding (MOU) detailing the extent and area of cooperation mutually agreed upon.
2. The University shall open its own distance education study centres Distance Education regional/Academic centres in the state of Chhattisgarh to promote Higher Education in emerging and traditional fields of studies.
3. The University may collaborate with University and Institutes of excellence engaged in Higher education in the country and abroad for the Research and consultancy work from time to time.
4. The University may collaborate with the government organization Institutes for providing training teaching and guidance to the student of economically weaker sections of the society and to the teachers of schools and colleges of the state.